सप्तम माला, खंड 32 अंक 8, बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982/21 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवाँ सत्र)

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 8, बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982/21 आश्विन, 1904 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या 144, 147 से 149, 153, 154, 160 और 161 ... 1-20

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या 143, 145, 146, 150 से 152, 155, 158, 159, 162 और 163 ... 20-26

अतारांकित, प्रश्न संख्या 1525 से 1535, 1537, से 1564, 1566 से 1569, 1571 से 1586, 1588 से 1591, 1593 से 1608, 1610 से 1715 और 1718 से 1734 ... 26-147

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 147-148

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

50वाँ प्रतिवेदन ... 148-150

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... 150-174

कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विशेषकर दिल्ली, विश्वविद्यालय, में बढ़ते हुए असंतोष और हड़तालों का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर ... 150-158

श्रीमती शीला कौल ... 150-174

श्री मनीराम बागड़ी ... 160-163

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

डा. ए. यू. आजमी ... 163-168

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... 169-174

कार्य मंत्रणा समिति

36वां प्रतिवेदन ... 175

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने की नीति को युक्तिसंगत बनाना

श्री रामलाल राही ... 175-176

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. के हल्दिया एकक, पश्चिम बंगाल को शीघ्र पूरा करना

श्री सत्य गोपाल मिश्र ... 176-177

(तीन) भिलाई इस्पात संयंत्र का दूसरा कैप्टिव एकक शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह ... 177

(चार) उत्तर प्रदेश में भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देना

श्री दिगम्बर सिंह ... 177

(पांच) देश में बंधुआ मजदूरों की दशा

डा. वी. कुलनदईवेलू ... 177-178

वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सी. एम. स्टीफन ... 178-184

श्री अमल दत्त ... 181-185

श्री गिरधर लाल व्यास ... 185-187

श्री बाबाराव परांजये ... 187-188

प्रो. एन. जी. रंगा ... 188-189

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 189-192

श्री टी. आर. शमन्ना ... 192-194

खंड 2 से 17 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री सी. एम. स्टीफन ... 196-203

रबड़ (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव–समाप्त नहीं हुआ

श्री शिवराज वी. पाटिल	...	203
श्री एस. मुरुगैयन	...	203-205
श्री बी. के. नायर	...	205-209
श्री टी. आर. शमन्ना	...	210-211

आधे घण्टे की चर्चा

संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का आयात और खाद्यान्नों का आयात

प्रो. मधु दण्डवते	...	211-228
राव बीरेन्द्र सिंह	...	213-228
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	219-226
श्री बृद्धि चन्द्र जैन	...	220-223
श्री सत्यनारारारण जटिया	...	221-227
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	222-228

सदस्य की गिरफ्तारी

श्री जगपाल सिंह	...	228

लोक सभा

बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982/21 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में उद्योगों की स्थापना

*114 : **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वहां उद्योगों की स्थापना करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों और संघशासित प्रदेशों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है :—

राज्य :—समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम।

संघशासित प्रदेश :—दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी संघशासित प्रदेश।

2. यह चयन वर्ष 1969 में योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किए गए कार्य का परिणाम है। योजना आयोग ने पाण्डे कार्यकारी दल का गठन किया था जिसने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और संघशासित प्रदेशों का पता लगाने के लिए कुछ मानदण्डों की सिफारिश की थी। इस दल ने इन पिछड़े राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पिछड़े जिलों का

पता लगाने के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए थे । केन्द्र सरकार ने इन मानदन्डों और एक अन्य कार्यकारी दल, जिसका गठन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए राजकोषीय और विपत्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए किया गया था की रिपोर्ट के बारे में विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया था । इन विचार-विमर्शों तथा विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों के आधार पर सारे देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 247 जिलों का पता लगाया गया है जो अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के पात्र हैं ।

3. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से इन पिछड़े जिलों में से कुछ ऐसे जिलों का पता लगाने के लिए भी आगे कार्य किया है जो केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के पात्र हो जाएंगे । केन्द्रीय निवेश राजसहायता के पात्र जिलों को आकलन निम्न प्रकार किया गया है :

(1) वर्ष 1969 में राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों से यह कहा गया था कि वे प्रत्येक पिछड़े राज्य/संघशाचित प्रदेश से 2 जिले/क्षेत्र तथा अन्य से एक जिला/क्षेत्र चुन लें;

(2) वर्ष 1972 में योजना का क्षेत्र इस प्रकार बढ़ा दिया गया था जिसमे इसमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश से 6 जिलों/क्षेत्रों और अन्य राज्य/संघशासित प्रदेश से 3 जिलों/क्षेत्रों को शामिल किया जा सके ।

इस समय इस योजना के अधीन देश भर में .01 जिलों/क्षेत्रों को सहायता पाने के योग्य चुना गया है जिसके लिये 1.3· .981 से 15 लाख रुपये तक के अधिकतम पूंजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत और केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के संबंध में अधिकतम 20 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत की राजसहायता की दरें निश्चित की गई हैं ।

4. पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राजसहायता, कर संबंधी रियायतें, परिवहन राजसहायता, जैसे प्रोत्साहनों के अलावा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए आयात और मशीनों के लिये किराया खरीद की विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

5. केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना (जिसमें परिवहन राजसहायता जो जहां कहीं लागू हो भी शामिल है) के अधीन राज्य सरकारों/सघशासित प्रदेशों को वर्ष 1980-81 में 30 55 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी और वर्ष 1981-82 में 20.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है ।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय पहले तो मैं मंत्री जी को बधायी देना चाहूंगा वे मेरी ही स्टेट के मंत्री हैं और मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । प्रधान मन्त्री जी ने यह बड़ा अच्छा किया कि आपको मन्त्री बना दिया हमारी स्टेट से, आप सारी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं । श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी ऐसे ही विद्वान और जानकार मन्त्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है परन्तु हिमाचल प्रदेश को उससे कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है । अभी तक हिमाचल प्रदेश को पब्लिक सेक्टर में कोई भी बड़ा कारखाना नहीं लगाया गया है । इस मामले में अभी तक हिमाचल प्रदेश को नजरन्दाज किया गया है । मेरी जानकारी के अनुसार हिन्दुस्तान फोटो

फिल्म्स का विस्तार हो रहा है। और एक नयी यूनिट लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रकार से एच. एम. टी. द्वारा कई राज्यों में कारखाने लगाए गए हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश को उसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या भविष्य में हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेक्टर में कोई बड़ा कारखाना लगाने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री वीरभद्र सिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा उद्योग लगाने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णय किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी जब कोई बड़ा उद्योग लगाने का प्रश्न पैदा होगा तो तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के विस्तार की योजना के बारे में भी पूछा है। यह सत्य है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का विस्तार किया जा रहा है और वहां पर सिने कलर्ड पाजिटिव फिल्म्स बनाने के लिये एक यूनिट लगाने की योजना है। बहुत से राज्यों ने इस सम्बन्ध में पेशकश की है जिसमें से एक राज्य हिमाचल प्रदेश भी है। इस सम्बन्ध में भी सहानुभूतिपूर्वक तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं और उनमें से किन-किन जिलों को सेन्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट सब्सीडी दी गई है ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि दी है और दूसरे राज्यों को कितना दिया है ?

इसके साथ साथ मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो सीमा क्षेत्र हैं, उनमें उद्योग लगाए जा रहे हैं लेकिन जो सीमावर्ती पहाड़ी पिछड़े क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के या नागालैण्ड के वहां पर उद्योग नहीं लग रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की योजना कब तक सफल हो सकेगी ?

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कांनसेशनल फाइनेन्स के लिए सात जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। जो जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं, वे हैं -चम्बा, काँगड़ा, कुल्लु लाहौलस्फीति, किन्नोर, सिरमौर और सोलन। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि इन जिलों में किन किन को सैन्ट्रल इन्वैस्टमेंट सब्सिडी के लिए चुना गया है। वे जिले हैं -कांगड़ा, चम्बा, कुल्लु, सिरमोर और सौलन। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को सेन्ट्रल सब्सिडी मिलती है, उसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को कितना रिइम्बर्स किया है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि सन् 1972-73 से लेकर 1981-82 तक के आंकड़े हमारे पास हैं। इसके मुताबिक 119, 65, 17, 344, रु. दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश को इन्हीं वर्षों में 3, 74, 95, 170 रु. दिए गए हैं, जो दी गई राशि का 3. 13 प्रतिशत है।

श्री अजीत कुमार साहा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम

बंगाल के बांकुरा जिले में जो कि एक पिछड़ा जिला है एक इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने काकोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री वीरभद्र सिंह : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल में एक विशिष्ट जिले का उल्लेख किया है। हमें इसकी कोई सूचना नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री भानुप्रताप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के करीब 10-11 वर्षों पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में कैपिटल सब्सिडी देने की योजना चालू की गई थी। उसके पश्चात् ऐसे कितने जिले हमारे हिन्दुस्तान में विभिन्न प्रदेशों में हैं, जिन्होंने कैपिटल सब्सिडी का लाभ लिया है ? आज वहां पर हजार पन्द्रह सौ करोड़ रुपये पूंजी निवेष हो गई है, परन्तु कैपिटल सब्सिडी के अन्तर्गत ऐसे भी जिले बाकी हैं, जहां पर अभी एक करोड़ रुपया पूंजी भी निवेष नहीं हुई है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कैपिटल सब्सिडी देने के बाद भी जिन जिलों में क्षेत्रिय असंतुलन है, वहां कोई रिव्यू करने का आपका इरादा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मिज्ञ याननीय सदस्य को यह भलि भांति ज्ञात है कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बड़ा ही शुद्ध उच्चारण है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं क्षमा चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल उचित बोल रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मिज्ञ माननीय सदस्य को भलिभांति जानकारी है कि इस सम्पूर्ण विषय पर शिवरमन कमेटी ने विशेष दृष्टिकोण से पूरा पूरा विचार करके अपनी संस्तुतियां या रिकममेंडेशन्स दी हैं और उन पर विचार अंतिम चरण में है और योजना आयोग की तरफ से उस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे मंत्रालय से परामर्श हो रहा है। उसमें सारा एनालीसेस किया गया है कि किन राज्यों में, किन जिलों में कितनी पिछली योजना के अन्तरर्गत कितनी प्रगति हुई है और उसके अन्तर्गत कितनी संशोधन की आवश्यकता है और परिमार्जन की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधान मंत्री जी की विशेष आज्ञा और निर्देश के अनुसार 83 जिले सारे देश में ऐसे निकाले गए हैं, जिसमें अभी तक कोई बड़ा या छोटा उद्योग नहीं लगा है। इन जिलों में विशेष रूप से उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

देश में सोने की खानों का सर्वेक्षण

*147.† **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने देश में सोने की खानों की खोज के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनका गत तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण किया गया;

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा सोने के निक्षेपों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस प्रकार के निक्षेपों से कुल कितनी मात्रा में सोना मिलने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) स्वर्ण की खोज एक निरन्तर चलने वाला काम है तथापि स्वरण खोज हेतु 5 वर्षीय विशेष कार्यक्रम के अंतरर्गत आन्ध्र प्रदेश, कनाटक, बिहार और उड़ीसा में स्वर्ण के सर्वेक्षण पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विशेष जोर दिया गया चला है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में चिगारगुन्टा में महत्वपूर्ण स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। आन्ध्र प्रदेश में मालप्पाकोंडा क्षेत्र में भी खनिजीकरण स्वर्ण का पता चला है।

(घ) व्यापक खोज कार्य चल रहा है तथा इन भडारों से स्वर्ण की कुल प्राप्ति का अनुमान इन खोजों के पूरा होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूर्ण नहीं है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा बिहार के बारे में तो बतला दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के संबंध में कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा था टोटल क्वांटिटी आफ गोल्ड के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है।

श्री राकेश कुमार सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि 1980-81 में कुल कितना उत्पादन हुआ और कौन कौन से अंडर टेकिंस इसमें लगे हुए हैं। सोने की खपत के अनुपात में कितना उत्पादन होता है और इसका मूल्य विदेशों से आयात किए जाने वाले सोने के अनुपात में कितना पड़ता है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं। भारत गोल्ड माइन्स, ऊटी गोल्ड माइन्स और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, ये इस कार्य में लगे हैं और ये सब गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स हैं।

उत्पादन के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि वर्ष 1981-82 में भारत गोल्ड माइन्स में 1421 किलो ग्राम, ऊटी गोल्ड माइन्स में 965 किलोग्राम तथा हिन्दुस्तान कापर लि. में 75 किलोग्राम उत्पादन हुआ।

जहां तक उत्तरप्रदेश से सम्बधित माननीय सदस्य का सवाल है तो जियलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के इन्वेस्टीगेशन के बाद गोल्ड माइन्स का प्रेजेंस रिवील हुआ है, ग्रेवल बैंड्स आफ नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड कंटेंट का असेसमेंट हो रहा है। रिपोर्ट आने के बाद माननीय सदस्य को एक्शन के बारे में बताया जाएगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1956 में गोल्ड माइन्स बालाघाट, नंदी दुर्ग, औरंगम मैसूर आदि को नेशनलाइज किया गया और सारा मैनेजमेंट भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उसी दिन से प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। 1972 में 2 मिलियन ग्राम का प्रोडक्शन कम हुआ और क्वालिटी भी गिरती गई। अभी हाल में रिपोर्ट में

बताया गया है कि 1.79 मिलियन ग्राम की कमी आई है। लागत बढ़ती जा रही है। इस तरह की जो माइन्स रुग्ण हो गई हैं और भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, उनको क्या आप बंद करने जा रहे हैं ? नहीं करने जा रहे हैं तो इनका भविष्य क्या है ? इतना अपव्यय करने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि पर टन ओर में से 3.5 ग्राम यदि गोल्ड मिलता है तो वह कर्मशियल दृष्टि से वायबल है। इन डेप्थ अंडर ग्राउन्ड जाकर जो एक्सप्लोरेशन होता है तथा ओर निकाला जाता है। उसे ध्यान में रखा जाता है। यदि माननीय सदस्य हमको लिस्ट दें कि कहां माइन्स बिल्कुल खत्म हो चुका है तो सरकार उस पर विचार करेगी ...(व्यवधान)

श्री रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मंत्री जी के जमाने में सोना ही सोना निकलता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्रप्रदेश में कितना सोना निकलने का अन्दाजा लगाया गया है। अन्दाजा तो बताया जा सकता है। मेरा जवाब नहीं आया है। कोई अन्दाजा है या नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आंध्र प्रदेश में यप्पामना में सोने की एक नई खान का विकास किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए 4.38 करोड़ रुपये की धन राशि मंजूर की गई है। इस खान से 1984 के अन्त तक सोने का प्रतिवर्ष अपेक्षित उत्पादन 305 किलोग्राम है। यह आशा की जाती है कि, अगले 10 वर्षों में सोने का उत्पादन वर्तमान में 2,400 किलोग्राम प्रतिवर्ष से बढ़कर 3,000 किलोग्राम तक हो जायेगा।

श्री के. मायातेवर : महोदय, कुछ समय पहले मैं कोलार गोल्ड फील्ड गया था। मैंने सभी स्थानों का दौरा किया, भूमि के नीचे भी गया था।

अध्यक्ष महोदय : भूमिगत ?

श्री के. मायातेवर : हां महोदय, वहां सभी कार्य भूमिगत तौर पर हो रहे हैं। वहां कार्य करना बहुत खतरनाक है, महोदय, यह समुद्रतल से 12,000 फुट नीचे है। (व्यवधान) यदि इसमें संदेह है तो मंत्री जी जांच करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम किसी भी सदस्य पर संदेह नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : यह इन्चों में होगा।

श्री के. मायातेवर : जब मैंने वहां की यात्रा की तो कोलार गोल्ड फील्ड के मजदूरों तथा प्रबंधकों द्वारा मुझे बताया गया कि मजदूरों के उचित प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रदान कर काफी सुधार हो सकता है। वहां पर मजदूरों को अन्य खदान मजदूरों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में उचित वेतन नहीं मिलता है। उन्हें सरकारी, राज्य के कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जाता है। और न ही कोयला खदान मजदूरों के बराबर ही माना जाता है। यह उनकी बहुत पुरानी मांग है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यों में बिना कच्चा लोहा या अन्य कच्चा माल प्राप्त किए, कच्चे सोने की बात ही अलग है, गवेषणा कार्य करते रहने की

बजाय क्या सरकार कोलार गोल्ड फील्ड में सुधार कर वहां से अधिक से अधिक सोना प्राप्त करेंगे ? इस कोलार सोना खदानों के सुधार के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य ने अभी जो कुछ कहा है मैंने उसे ध्यान-पूर्वक सुना है। कुछ ही महिने पूर्व मैं 2-3 दिनों के लिए वहां गई थी। मैंने कर्मचारियों से बात की थी, मैंने प्रबंधकों से बात की। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक सोने का सम्बन्ध है, यह कोलार गोल्ड फील्ड देश में पहले नंबर पर है। यदि वहां पर कोई विशिष्ट शिकायतें या मांगें हैं तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री के. मायातेवर : मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं। मैं वहां के मजदूरों की ओर से कल एक याचिका दायर करूंगा। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम जानते हैं कि सोना प्राप्त करना कितना कठिन है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : वहाँ सदभावपूर्ण वातावरण है। मजदूर अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक गवेषणा तथा जांच कार्य का संबंध है, महोदय हमने एक तीन वर्षीय योजना बनाई है। इसे 1978 में प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान कोलार गोल्ड फील्ड के नजदीक की खानें जोकि सौ वर्ष से कार्य कर रही है खदानों के निरंतर गवेषणा में व्यापारिक रूप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पाया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न। श्री पनिका।

इस्पात का निर्यात

*148 **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात का निर्यात करने की अनुमति देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि घरेलू खपत के लिये इस्पात की आवश्यकता पूरी हो गई हैं और देश इसका निर्यात करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें इस्पात का निर्यात किये जाने का विचार किया गया है और किन शर्तों के अन्तर्गत ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) निर्यात नीति में इस्पात की कुछ मदों के निर्यात की व्यवस्था है। यद्यपि उत्पादकों तथा निर्यातकों द्वारा सामान्य सुझाव दिए गए हैं तथापि बड़ी मात्रा में निर्यात के बारे में सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात के मूल्यों में बड़ी होड़ है और लाभकारी मूल्यों पर इस्पात का निर्यात करना कठिन है।

श्री राम प्यारे पनिका : यह सत्य है कि सरकार द्वारा किए गये क्रमबद्ध प्रयत्नों से देश

में मूलभूत ढ़ांचा विशेषकर आधारभूत मूल-ढ़ांचा तैयार कर लिया गया है और इस्पात तथा अन्य आधारभूत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है।

जहाँ तक इस्पात का सम्बन्ध है, इस्पात के उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्यातकों तथा उत्पादकों ने अभी भी सरकार को सुझाव दिया है कि उन्हें इस्पात के निर्यात की अनुमति दी जाए। यदि यह सच है, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग, इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : इस्पात के सम्बन्ध में वर्तमान निर्यात नीति में इनमाट, रोल्ड स्ट्रक्चरलेक्शन, हॉट रोल्डस्लेट्स, शीट स्ट्रिप्स, कोयल रोल्ड प्लेट्स, शीट स्ट्रिप्स, गैल्वेनाइजड कारुगेण्ड प्लेन शीट्स रेले एन्ड सेड बियरिंग प्लेट्स सल्फर बियरिंग फ्री कटिंग स्टील के निर्यात के लिए प्रावधान है। हमारा प्रयास यह है कि देश में इस्पात की मांग की उपेक्षा किए बगैर जो कुछ भी इस्पात निर्यात किया जा सकता है, उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर उपलब्ध देशी एच. आर. कोइल्स आदि के लिए, सरकार ने इन्जीनियरिंग के सामान के निर्यातकों को सी. सी. आई. ई. आपूर्ति योजना के अधीन उनको जारी किए गए अग्रिम लाइसेन्स के अन्तर्गत उनके आयात अधिकार के एवज में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर एच. आर. कोइल्स, स्क्रैप तथा सी. आर. शीट कोइल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इससे देशीय इस्पात से निर्मित इन्जीनियरिंग के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उसी समय इस्पात के कारण आयात बिल में कमी आएगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप कृपया ध्यान दें कि माननीय मंत्री जी ने न केवल प्रश्न से बचने का प्रयत्न किया है वरन कुछ सीमा तक भ्रमित करने वाला उत्तर भी दिया है। प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस्पात का आयात करने जा रही है और क्या उसने देश में बाजार की खपत के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा है।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं उत्तर से संतुष्ट हूं, और इसलिए मैंने दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछा··· **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं ·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन्हें इतनी छूट दे दो। वह प्रोफेसर हैं जो हर चीज का विश्लेषण करना चाहता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न बहुत स्पष्ट था, अर्थात् क्या यह सच है कि सरकार इस्पात के आयात की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और उत्तर क्या है ? इस्पात का देशी बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है—यह उत्तर है। तो क्या हुआ ? बेशक प्रतिस्पर्धा हैं, आप निर्यात करें अथवा न करें। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि देश में उपभोग के लिए इस्पात की मांग पूरी कर ली गई है और देश इसे निर्यात करने की स्थिति में है ? उत्तर क्या है ? आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। वे कौन से देश हैं जिन्हें आप इस्पात का निर्यात करने जा रहे हैं ? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने आपके लिखित विवरण का विश्लेषण किया है। मेरा यह अनुभव है कि मंत्री या तो जानबूझ कर अथवा, अधिक संभवतया, अपनी बुद्धी से काम न लेने के कारण, प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देते।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : बुद्धि हो तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसको कह रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस प्रश्न का सीधा उत्तर दें। हाल ही के वर्षों में इस्पात का उत्पादन घट गया है। यदि उत्पादन घट रहा है, और आपने यदि इसका निर्यात करने का कोई निर्णय किया है तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं ऊत्तर देने में बात को टाल जाता हूं। वह एक विद्वान प्रोफेसर हैं, सर्व प्रथम, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता जो सत्य के साधक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें ऐसा किस प्रकार से कह रहे हैं ? क्या आप व्यंग्य कर रहे हैं अथवा अन्यथा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : साधक कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता, वह केवल साधक होता है; वह केवल सत्य, अन्तिम वास्तविकता को पाने की खोज में रहता है;

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सत्य को प्राप्त करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : प्रश्नों का उत्तर देना भी एक निरन्तर प्रक्रिया है।

विनम्रतापूर्वक मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि इस्पात का उत्पादन घट नहीं रहा है। बल्कि इसमें वृद्धि हुई है; 197९-80 में उत्पादन 7.38 मिलियन टन था—सेल, टिस्को तथा छोटे सयंत्रों के उत्पादन को मिलाकर 1982-83 में 9.82 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन घट नहीं रहा है।

महोदय, और जब हमारे निर्यातकर्ता निर्यात करते हैं, उदाहरण जैसे ट्यूबें अथवा पाइप अन्य देशों को निर्यात करते हैं तो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। मैंने माननीय सदस्य श्री पनिका के पिछले प्रश्न का उत्तर यह दिया था कि जो निर्यातकर्त्ता विदेशों को ट्यूबों तथा पाइपों का निर्यात करेंगे उन्हें हम उसी मूल्य के समतुल्य मूल्य देंगे जो उन्हें भण्डार पूर्ति के ओ. जी. एल. लाइसेंसों के अधीन मिलता है, ताकि यदि वे देश में ही इस्पात खरीदें तो उन्हें कोई हानि न हो। जहां तक निर्यातकर्ताओं का प्रश्न है, मूल्यों को देखते हुए उन्हे निर्यात के लिए देश में इस्पात उसी मूल्य पर मिलेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात का मूल्य होगा। उन्हें हानि नहीं होगी तथा वे और अधिक निर्यात करने की स्थिति में होंगे।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, यह कंपनी विशेष के प्रयत्नों पर निर्भर करता है, और अनेक देश हमसे इस्पात प्राप्त करते हैं। उन देशों के नाम हैं बेहरीन, दुबई, दोहा, मिस्र, ईरान, इराक, कुवेत आदि। ये देश हैं जिन्हें हमारे निर्यातकर्त्ता विगत में इस्पात का निर्यात करते रहे हैं। इस वर्ष आस्ट्रेलिया, नेपाल, श्रीलंका, ओमन, नार्वे और फिलिपाइंस भी इस्पात प्राप्त करने वालों में से हैं। लेकिन इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात उत्पादन बहुत अधिक हो जाने के कारण अनेक देशों ने अपने इस्पात उत्पादन को कम कर दिया है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हमारे निर्यातकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा करनी है। प्रो. चक्रवर्ती जानते हैं कि, जहां तक निर्यात का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

दिल्ली में लापता बच्चे

*149. †श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में प्रतिवर्ष लापता हुए बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनों को बरामद किया गया और उनके माता-पिता को सौंपा गया;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया; और

(घ) अन्य राज्यों के आंकड़ों की तुलना में भी आंकड़े कम हैं या अधिक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली पुलिस स्टेशन रिकार्डों के अनुसार लापता सूचित किए गए बच्चों की संख्या तथा बरामद सूचित किए गए बच्चों की सख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	लापता सूचित किये गये बच्चों की संख्या (1)	बरामद सूचित किये गये बच्चों की की संख्या (2)
1979	5007	2571
1980	7899	2994
1981	5525	3096
1982 (15-9-82 तक)	2962	2248

बरामद किये गये बच्चों की संख्या वास्तव में उपर्युक्त (2) में बताई गई संख्या से अधिक होगी, क्योंकि माता-पिता लापता बच्चों के अपने आप लौट आने की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते हैं।

केवल अपहरण के मामले में मुकदमा चलाया जाता है। दोषसिद्धि के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1979	14
1980	10
1981	4

पुलिस को सूचित किये गये लापता बच्चों के मामलों के अखिल भारतीय आंकड़े तुलना के लिए उपलब्ध नहीं है।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या काफी गम्भीर है। मंत्री महोदय ने कहा

है कि वापिस आ जाने वाले बच्चों का नम्बर इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मां-बाप कई बार बताते नहीं हैं कि बच्चा वापिस आ गया है। मैं समझता हूं कि गुम होने वाले बच्चों का नम्बर भी इस कालम में दिये जाने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई बार रिपोर्ट लिखवाई नहीं जाती। आपके आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1,484 बच्चे अभी तक मिले नहीं हैं। लगभग 2 बच्चे रोजाना दिल्ली में गुम हो रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुछ गिरोह यहां काम कर रहे हैं और वह बहुत खतरनाक हैं। बच्चा गुम होता है तो मां-बाप को दुःख होता है, लेकिन गिरोह के लोग बच्चे को अन्धा करके, उसके टांग, बाजू और जबान काटकर उनको मांगने के लिये मजबूर करते हैं और, उन बच्चों का कहीं-कहीं समगिलग के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास एक डेफिनिट केस है। ये लोग एक बच्चे को हवाई जहाज से सफर कराते हैं और वह अटैची ले जाता है और लाता है। बदकिस्मती से वह मां-बाप उसका नाम बताने को तैयार नहीं. उन्हें डर है कि अगर नाम बतायेंगे तो वह मार दिया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके नोटिस में इस किस्म के गिरोह की कोई बात है? वह गिरोह दिल्ली या दिल्ली के आस-पास है, इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : प्रश्न के उत्तर में हमने 1979, 1980 और 1981 में गुमशुदा बच्चों संबंधी आंकड़े दिए हैं। हमने उन बच्चों सम्बन्धी आंकड़े भी दिए हैं जो मिल गए हैं। वर्ष 1979 में 2571 गुमशुदा बच्चे ढूंढ निकाले गए थे।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : वह यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई षड़यन्त्र है और क्या कोई गिरोह है।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : जी हां, मैं उस पहलू पर आ रहा हूं। वर्ष 1979 में लगभग 5 हजार गुमशुदा बच्चों में से हमने 2,571 बच्चे ढूंढ निकाले हैं। 1980 में 7899 गुमशुदा बताए गए थे। इनमें से हमने 2,994 ढूंढ लिए हैं। 1981 में 5,525 गुमशुदा बच्चों में से हमने 3,096 ढूंढ लिए हैं। 1982 में, 15 सितम्बर 1982 तक 2962 गुमशुदा बच्चों में से हमने 2248 ढूंढ लिए हैं।

जैसा कि मैंने अपने विवरण में बताया है, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां अभिभावक जिस थाने में बच्चे के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उस थाने में वे बच्चे के मिल जाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। अतः हम एक ऐसा तरीका तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके अधीन पुलिस प्रशासन द्वारा हम बच्चों के अभिभावकों को पत्र भेजकर पूछेंगे कि क्या उनका बच्चा वापस आ गया है अथवा नहीं। और यदि आ गया हो तो यह बात थाने को सूचित करनी होगी। यदि कोई उत्तर नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा कि बच्चा वापस आ गया है। एक तो यह तरीका है जिसे हम अपना रहे हैं। साथ ही, किशोर अपराध सहायता ब्यूरो भी है, जहां प्रचार माध्यम तथा अन्य तरीकों का प्रयोग करके बच्चों को ढूंढने के विभिन्न उपाय किए गए हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, महोदय, यह सच है कि अनेक गिरोह सक्रिय है। लेकिन बच्चों का अपहरण करने तथा उन्हें अपंग बनाने के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि अपहरण

के हमने अनेक मामले दर्ज किए हैं और दोष सिद्ध हो जाने पर सजाएं भी दी है। कानून के अधीन, यदि बच्चों का अपहरण करने वाला दोषी पाया गया है तो उसे सात वर्ष के आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है। और यदि बच्चे को अपंग कर दिया गया हो तो यह सजा आजीवन कारावास की भी हो सकती है। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि अनेक गिरोह सक्रिय हैं, मैं इस जानकारी को नोट करता हूं। लेकिन जहां तक हमारा सम्बन्ध है, पुलिस सतर्क है और जब कभी भी ऐसे गिरोह पकड़े गए, हम निश्चय ही ऐसे गिरोहों को समाप्त करने तथा बच्चों को छुड़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री सूरज भान : मैं जानता हूं कि कितने केसिज में बच्चों के मां-बाप या गार्डियन्स ने ससपेक्ट्स के नाम लिखवाए हैं—यह कहा है कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, हमें अमुक व्यक्ति या व्यक्तियों पर शुबहा है। लोगों में यह इम्प्रेशन है कि ससपेक्ट्स का नाम लिखवाने के बावजूद कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं होती। अगर मंत्री महोदय के पास ये फिगर्ज हैं तो वे दे दें, वर्ना यह एथारिटीज को जरा और एक्टिव करा दें कि जिन केसिज में ससपेक्ट्स के नाम दिए जाएं, उन्हें विगोरसली परसू करके बच्चों को तलाश किया जाए और उसमें ढिलाई न दिखाई जाए।

श्री पी वेंकट सुब्बय्या : महोदय, कार्यवाही करने के लिए यह सुझाव है और हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : महोदय, क्या मैं कुछ बोल सकती हूं? माननीय सदस्य की तरह मैं भी चिंतित हूं। यह बहुत ही जघन्य अपराध है. भिक्षावृति को समाप्त किया जाना चाहिए—कुछ स्थानों पर इसे हमने समाप्त किया है और भिखारियों के लिए आवास स्थान बनाए हैं ताकि उनको काम के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। मैं समझती हूं कि बाल भिक्षा-वृत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि उन्हें भिक्षा की अनुमति नहीं होगी तो अपहरण की घटनाओं में कमी आएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब भी आप सवाल पूछना चाहते हैं?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : आप कहां थे?

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं लापता नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मेरा सदस्य लापता न हो जाए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल आपातकाल में लापता था, क्या आपको नहीं पता।

महोदय, मंत्री जी का उत्तर काफी संतोषजनक है। दुर्भाग्यवश, दिल्ली में बहुत अधिक बच्चे लापता हो रहे हैं। वास्तव में, अभी हाल ही में किशोर वय की लड़कियों को उठाया गया हैं, क्योंकि यहां एक गिरोह है जो किशोर वय की लड़कियों को वैश्यावृत्ति के लिए जबर्दस्ती उठा रहा है। दिल्ली में ऐसा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। महोदय, दिल्ली में विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों से किशोर वय की लड़कियों का अपहरण किया जाता है। मेरे घर के अपने सर्वेंट क्वार्टर में अभी हाल ही में एक किशोर वय की लड़की का अपहरण किया गया और पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है। झुग्गी झोपड़ियों

में होने वाली ऐसी घटनाओं को पुलिस रजिस्टर नहीं करती। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में दिल्ली में ऐसा कोई गिरोह है जो वेश्यावृत्ति के लिए किशोर अवस्था की लड़कियों का अपहरण करता है ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय, जब ऐसे मामलों का पता चलता है तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करते हैं। महोदय उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके ध्यान में ये मामले किस प्रकार लाए जाते हैं ? क्या वे उन स्थानों का दौरा करते हैं या और कुछ करते हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : कुछ मामलों में माता-पिता स्वयं रिपोर्ट करते हैं। इसके पश्चात् तुरन्त पुलिस जा कर मामले की जांच करती है। जहां ऐसे असामाजिक गिरोह कार्य कर रहे हैं, वहां पुलिस निश्चित रूप से निगरानी रखती है और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती है ताकि ऐसे कार्य न हों। हम निरंतर निगरानी रखते हैं। मैंने कहा है कि हमारे पास एक दस्ता है जो प्रारंभिक जांच के लिए इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बच्चों या लड़कियों के अपहरण की सूचना मिलती है तो हम निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देंगे।

श्री नीरेन घोष : यह बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री जी ने यहां पर केवल दिल्ली के आंकड़े दिए हैं। उनके अनुसार दिल्ली में ही हजारों अपहरण किए जा रहे हैं और उनमें से हजारों मिल भी जाते हैं। इसको देखते हुए अगर सारे देश का अन्दाजा लगाया जाए तो बड़ी दयनीय स्थिति होगी। इसके साथ साथ बच्चों को अपंग करके भिक्षावृत्ति के लिए भी प्रेरित किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे भी हजारों बच्चे हैं जिनको विदेशों में भेज दिया जाता है, वे हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं और उनकी खोज-खबर करना हमारी पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है तो क्या ऐसे बच्चों की जानकारी भी मन्त्री जी के पास है ? यदि है तो इस सम्बन्ध में वे क्या कर रहे हैं ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यह प्रश्न बहुत ही व्यापक है। **(व्यवधान)** यह प्रश्न अलग है। **(व्यवधान)**

इस्पात का उत्पादन

*153. **†श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री रतन सिंह राजदा : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 की पहली तिमाही में इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (*श्रीमती रामदुलारी सिन्हा*) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1982-83 की प्रथम तिमाही में "सेल" के सर्वतोमुखी *इस्पात*

कारखानों तथा "टिस्को" में विक्रेय इस्पात का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 62,000 टन तथा 13,000 कम हुआ है।

उत्पादन में हानि मुख्य रूप से बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्धों, विशेष रूप से राउरकेला इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्धों, कोयले की क्वालिटी में गिरावट तथा कारखाने की मशीनों में कुछ खराबियों के कारण हुई है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : बोलने के लिए खड़े हुए।

डा. सुब्रह्मणयम स्वामी : जो कुछ श्री तिवारी ने कहा है यह उसके विपरीत है।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने कहा है...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने मेरे कथन की पुष्टि की है।

एक माननीय सदस्य : जूनियर मंत्री ने मंत्री जी की बात का खण्डन किया है।

श्री सत्य नारायण सिंह : कुछ देर पहले मंत्री जी ने कहा था कि इस्पात का उत्पादन 7.53 मिलियन से बढ़कर 9.82 मिलियन टन हुआ है कुल उत्पादन।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि इस वर्ष तत्सम्बन्धी अवधि में उत्पादन में गिरावट आई है क्या आप बता सकते हैं कि यह उत्पादन पहले के उत्पादन के बराबर है अर्थात कुल उत्पादन पहले हुए उत्पादन के बराबर है ? आपने कहा है कि पहले ही 9.? मिलियन टन का उत्पादन हो चुका है।

उद्योग और इस्पात और खान मत्री(श्री नारायणदत्ततिवारी) : मैंने पहले जिसका हव ला दिया है वह इस्पात का वर्ष वार वार्षिक उत्पादन है इस प्रश्न में वर्ष 1982-83 की पहली तिमाही के बारे में पूछा गया है। अतः मैं प्रश्न का सही उत्तर दे रहा हूं। अतः मैं समझता हूं कि अनुवर्ती वर्ष में हुए वार्षिक उत्पादन और प्रथम तिमाही के उत्पादन में काफी अन्तर है। परन्तु माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले महीने अर्थात जब से राउरकेला इस्पात संयन्त्र को ग्रिड से अधिक बिजली मिलनी शुरू हुई है पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि में हुए 4.60 लाख टन की तुलना में 4.80 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ है।

डा. सुब्रह्मणयम स्वामी : कल के बारे में क्या है ? (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : कल का दिन परसों के दिन से बेहतर था।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि प्रथम तिमाही के उत्पादन में गिरावट आयी है क्या सरकार यह बताएगी कि इस वर्ष उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ?

श्री नारायण तिवारी : जैसाकि मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा है मुख्य कठिनाई बिजली की सप्लाई पर रोक है। माननीय सदस्य बिहार के रहने वाले हैं उन्हें पता है कि दामोदर घाटी निगम के आपरेशन के बारे में हमें क्या कठिनाइयां हो रही हैं। दामोदर घाटी निगम एक बार अच्छी तरह बिजली की सप्लाई कर देता है...(व्यवधान)

उदाहरणतया हम और रक्षित बिजली घर बना रहे हैं कोयले की किस्म को गिरने से

रोकने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं। कोयला विभाग कोकिंग कोल और बलेंडिड कोल की बेहतर सप्लाई और रक्षित भण्डार और संयंत्र और मशीनों में गड़बड़ी कम करने के लिए कोयला धोने के कारखाने स्थापित कर रहा है यह भी एक मुख्य कारण है, और हम बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये सभी उपाय एक साथ किए गए तो मुझे विश्वास है कि हमें उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

श्री रतन सिंह. (बम्बई दक्षिण) : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भरमार को ध्यान में रखकर क्या सरकार का विचार पारादीप परियोजना की पुनरीक्षा करने का है या सरकार इसकी पुनरीक्षा कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जब मैंने कहा कि इस्पात का उत्पादन गिर रहा है आपने इन्कार कर दिया। फिर आप अपनी बात से भी मुकर गए। फिर मैंने योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कहा। मेरी सूचना का स्रोत आपके दस्तावेज हैं योजना आयोग का मध्यावधि मूल्यांकन। उन्होंने टैक्सटाइल और इस्पात के उत्पादन में छठी योजना में लक्षित उत्पादन से कम उत्पादन होने पर चिंता व्यक्त की है। क्या आप सही बात का पता लगाकर मुझे कल बताएंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक मुझे जानकारी है, मध्यावधि मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है हमें अभी मध्यावधि मूल्यांकन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

एच. एम. टी. द्वारा घड़ियों की बिक्री के लिए गैर सरकारी डीलर्स को प्रश्रय देना

*154. **श्री बी. डी. सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा घड़ियों की बिक्री के लिये गैर सरकारी डीलरों को प्रश्रय दिया जा रहा है जिसका राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता फेडरेशन पर, जो निर्धन उपभोक्ताओं के हितों को देखता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या गैर सरकारी डीलर कीमतों को घटा बढ़ाकर एच. एम. टी. घड़ियों के अपने भण्डार को बेच लेते हैं जबकि राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता फेडरेशन को घड़ियों की अलोकप्रिय किस्मों को बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह कीमतों को घटा बढ़ा नहीं सकता; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रचलित बिक्री कर ढांचा दर और वसूली स्थल दोनों के सम्बन्ध में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। कुछ राज्यों में बिक्री कर बिक्री के प्रथम स्थल पर ही वसूल किया जाता है जबकि अन्य राज्यों में यह बिक्री के अन्तिम स्थल पर लगाया जाता है इससे कुछ विक्रेता घड़ियों की कीमतों में हेराफेरी कर सकते हैं। एच. एम. टी. ने सम्बन्धित राज्य प्राधिकरणों के सामने पहले ही यह मामला उठा रखा है।

श्री बी. डी. सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ओर सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने की *बात*

करती है और दूसरी ओर सरकारी संस्थानों के साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेंट होता है। सवायल यह किया था कि एच. एम. टी. की घड़ियों के सम्बन्ध में प्राइवेट डीलर्स को वरीयता दी जा रही है। इसमें इन्होंने इन्कार नहीं किया है। एच. एम. टी. द्वारा करीब 30 घड़िया विभिन्न प्रकार की बनाई जाती हैं। उनमें क्या माननीय मंत्री जी एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि कोन सी घड़ियां ज्यादा पोपुलर हैं और कोन सी घड़ियां कम पोपुलर हैं और नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्युमर फेडरेशन को कौन-कौन सी घड़ियां एलाट की जाती हैं और प्राइवेट डीलर्स को कौन सी घड़ियां एलाट की जाती हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी विचार एच. एम. टी. का नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सहकारी संस्था, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्था है, किसी भी प्रकार का कोई निशेधात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये, इस प्रकार अभिप्राय कभी भी एच. एम. टी. का नहीं हो सकता है। न है और न रहेगा। प्रश्न यह है कि क्या व्यापारिक दृष्टिकोण कोमर्शियल के आधार पर होना चाहिए या नहीं ? आपस में इनका जो अनुबंध हुआ, उसको बार-बार सहकारी संस्थान ने नहीं माना और उल्लंघन हुआ तब व्यापारिक कारणों से एच. एम. टी. को कुछ कार्यवाही करनी पड़ी जहां तक यह प्रश्न है कि अक्तूबर 1981 के पहले एच. एम. टी. इस फेडरेशन को ही नहीं, सहकारी संस्थाओं को भी सीधे घड़ियां दिया करती थीं। लेकिन संस्थान ने कहा कि सारी घड़ियां हमको सीधे दी जाएं तो अक्तूबर 1981 से यह निर्णय लिया गया कि इनको ही दी जाएंगी। यह तो इनके लिए अच्छा किया गया। इसलिए इस संस्थान को शिकायत नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि जो अनुबंध हैं, उनके अनुसार चला जा सके।

इसके अलावा सदन के पटल पर सूचना रखने के बारे में कहा गया है कि 30 प्रकार की घड़ियों में कितनी उनको दी जाती हैं। श्रीमन नियम एक जैसे हैं। किसी के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका विवरण दिया जाय तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा।

श्री बी. डी. सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और एच. एम. टी. के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि इनको 7 प्रतिशत डिसकाउंट दिया जायेगा, लेकिन वह डिसकाउंट घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि प्राइवेट डीलर्स को डिसकाउंट 6 प्रतिशत देते हैं। इस एनामली को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि आपस में अनुबंध हुआ लेकिन सम्माननीय सदस्य देखेंगे कि फेडरेशन को बहुत सी सहूलियतें दी गई। पहले सात परसेंट डिस्काउंट दिया गया और 30 हजार घड़ियां प्रतिमाह बेचने का इन्होंने वादा किया। बाद में इन्होंने कहा कि 20 हजार करिए, वह भी मान लिया गया। फिर 16 हजार प्रति माह कर दिया गया। व्यापारियों के लिए 4 प्रतिशत पहले है और तीन प्रतिशत बिलिंग के समय है, इन्होंने कहा कि हमको पहले ही दीजिए इनकी वह बात भी मानी गई। इसके बावजूद इस संस्थान ने आधी घड़िया भी नहीं बेचीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कहना चाहते हैं कि आपने उनको दुलार (पेंपर) किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : पेंपर तो नहीं कह सकते हाँ हमने सहकारी आंदोलन को बल देने की चेष्टा की है। अब भी कोई एनामली इसमें नहीं है। विद्वान सदस्य को यह शिकायत है कि घाटा क्यों हो रहा है कमर्शियल रोल का परिपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। दो लाख रुपए की जमानत दी थी उसमें से रुपया काटा है। रुपया नहीं दिया गया, इसलिए काटा है। कोई एनामली नहीं है। मैं एच. एम. टी. से कहूंगा कि दुबारा इस फेडरेशन से बात करे। फेडरेशन भी अपनी सेल बढ़ाए और एच. एम. टी. के एग्रीमेंट को कायम रखे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे। अनुपस्थित।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्पूरी। अनुपस्थित।

श्री कमला मिश्र मधुकर। अनुपस्थित।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल।

एक माननीय सदस्य : इतने अधिक सदस्य अनुपस्थित है।

अध्यक्ष महोयय : एक सप्ताह पश्चात सदस्य आराम को चले जाते हैं

डा. सुब्रह्मयम स्वामी : हरेक को डेंगू बुखार हो गया है।

अन्टार्कटिका के लिए दूसरा भारतीय अभियान

*160.† **श्री बाला साहेब बिखे पाटिल** :

श्री सुभाष यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्टार्कटिका के लिए दूसरे भारतीय अभियान के लिए प्रबंध पूरे कर लिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन हैं और इस अभियान के लिये क्या उद्देश्य नियत किये गये हैं,

(ग) क्या सरकार ने कोई अनुसंधान नौकाओं का देश में निर्माण कराया है और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे पोतों अथवा नौकाओं का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ताकि देश की विदेशों पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके ?

विज्ञान प्रौद्योगिक इलेक्ट्रानिकी महासागर विकास तथा उर्जा मंत्रालय में गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों के राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) जी, हां।

(ख) दल में लगभग 26 सदस्य होंगे जिसमें वैज्ञानिक, इन्जीनियर, तकनीशियन, चालक डाक्टर और एक फोटोग्राफर शामिल हैं। अभियान के उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव प्रदेश महाद्वीप पर वैज्ञानिक अन्वेषण करना तथा अन्टार्कटिका में एक स्थायी केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने हैं।

(ग) सरकार के पास ध्रुवीय परिस्थितियों में नौ संचालन के योग्य कोई अनुसंधान पोत नहीं हैं।

(घ) ध्रुवीय परिस्थितियों में नौसंचालन के लिए सक्षम जहाजों के निर्माण की संभावना की खोज की जा रही है।

श्री लाला साहिब विखे पाटिल : क्या सरकार ने कोई 'कृतिकबल' नियुक्त किया है ? यदि हां, तो इसके निदेशपद क्या हैं। इस कृतिकबल द्वारा कल तक रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है। तथा भारत सरकार तकनीकी जानकारी और अन्टार्कटिका में हमारे कार्य के निष्पादित करने हेतु जलयानों के मामले में विदेशों से सहायता ले रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से देश इस प्रकार की सहायता देने के लिए सहमत हो गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्री सी. पी. एन सिंह : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में, केवल या तो बर्फ तोड़ने वाले जहाज का निर्माण करने अथवा निर्मित जहाज मंगाने की सभावनाओं का पता करने के लिए कृतिकबल का गठन किया गया है। समिति अभी भी विचार-विमर्श कर रही है और उनकी रिपोर्ट हमें मिली नहीं है। तथापि, उससे हमारा दूसरा अभियान, जिससे नवम्बर के अन्त तक शुरू किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है. रूकेगा नहीं।

जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, अधिकांश उपकरण, योगदान पर ले जाये गये थे अपने ही देश में निर्मित थे। लेकिन जलपोत विदेशी था और इसे किराये पर लिया गया था। इस बार भी यह एक चार्टर्ड विदेशी जलपोत है। लेकिन 80 प्रतिशत संचार और नौ यात्रा उपकरण स्वदेशी है। केवल 20 प्रतिशत उपकरणों का आयात किया गया है। इस प्रकार, उपकरणों के एक अल्प भाग की खरीद के रूप में विदेशी सहायता ली गई। विदेशों से अन्य प्रकार की कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं ली गई है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सरकार ने अंटार्कटिका में हमारे लिए एक ऐसा विशेष क्षेत्र नियत करने हेतु प्रमुख राष्ट्रों के साथ विचार विमर्श किया है, जहां कि हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर सके ? यदि हां, तो इस प्रकार के अनुरोध पर उन राष्ट्रों का क्या रवैया है ?

श्री सी. पी. एन. सिंह : इस निश्चित स्थल के बारे में, जो कि देश द्वारा अर्जित किया जाना है अथवा लिया जाना है, एक संधि है, जिस पर कुछ राष्ट्र हस्ताक्षरकर्ता हैं। जिससे किसी ने भी अंटार्कटिका में स्टेशन कायम किया है, उसे उस सधि के अन्तर्गत लाभ होगा। इस बार हम भी वहां स्टेशन कायम करने की योजना बना रहे हैं। और यह मानवचालित स्टेशन वहां 1984-85 से एक स्थायी स्टेशन के रूप में कायम करने में हमारी सहायता कर सकेगा।

रांची में हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिये अर्जित भूमि

***161. श्री एन. ई. होरो : क्या उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, धुरवा, रांची के लिये कुल कितना भूक्षेत्र अर्जित किया गया और अब तक कुल कितना रुपया मुआवजे के रूप में अदा किया जा चुका है;

(ख) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड से संबंधित संयंत्रों, कार्यालयों, टाउनशिप और आनुषंगिक संस्थानों द्वारा वास्तव में कितना भूक्षेत्र घेरा गया है;

(ग) कर्मचारियों और अनधिकृत व्यक्तियों ने कितने क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है;

(घ) अवैध रूप से कब्जा किये गये क्षेत्र को मुक्त कराने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच. ई. सी.) धुर्वा, रांची के लिए कुल 7181.43 करोड़ एकड़ का भूक्षेत्र अर्जित किया गया है। इसमें से 2312.15 एकड़ भूमि संयंत्रों और कार्यालयों के लिए अर्जित की गई थी और बकाया 4875 28 एकड़ भूमि टाउनशिप के लिये अर्जित की गई थी जिनमें विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर दी गई 138.375 एकड़ भूमि भी शामिल है। अब तब 237.99 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) 31.50 एकड़।

(घ) अनधिकृत दखलकारों की बेदखली के लिए एच. ई. सी. ने सम्बद्ध अधिनियम के अन्तर्गत 1560 मामले दायर किए हैं और विभागीय कार्यवाई, जहां लागू होती है, भी की है।

(ङ) जी, हां। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 8 आपराधिक मामले चलाये गये हैं।

श्री एन. ई. होरो : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि 31.50 एकड़ जमीन इलीगल आक्युपैशन में हैं। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इसके अलावा कई सौ ऐसे मकान हैं जिनमें अनआथोराइज्ड परसंज ने डेरा डाल रखा है ? मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि 1560 कैसिस एविक्शन के हमने फाइल किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअली कितनों को आपने एविक्ट किया है और कितने अभी भी पेंडिंग हैं ? और यह भी बताये कि क्या आपको मालूम है कि एच. ई. सी. की जमीन पर एक आदर्श नगर के नाम से कालोनी भी बनाई गई है और ऐसा एच. ई. सी. के अधिकारियों और ट्रेड यूनियन्स की कनाइवेंस से हुआ है। इस दिशा में क्या सरकार कुछ करना चाहती है, किस प्रकार से इन अनअथोराज्ड लोगों को यहां से हटाया जाय और एच. ई. सी. को उसकी जमीनें वापस दिलाई जायें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : 1,560 कैसेज पब्लिक प्रेमिसेज ऐविक्शन और अनअथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऐक्ट के अनुसार जारी किये गये हैं। इनमें से 1,390 अब ऐसी स्थिति में हैं जिनको कहा जा सकता है कि निर्णायत्मक स्थिति में हैं, फाइनल आर्डर्स के मामले हैं। 612 कैसेज में पिछले 8 साल में फाइनल ऐविक्शन आर्डर पास किये गये हैं। 612 में जो ऐविक्शन हुए हैं उनका वर्षवार विवरण मेरे पास है जिसको बताने में समय लगेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आगे कुछ ट्रेड यूनियन्स ने या दूसर लोगों ने अपनी कालोनीज बना ली हैं, इसकी मैंने सूचना प्राप्त कर ली है और इस सम्बन्ध में जानकारी मैं प्राप्त करूंगा।

श्री एन. ई. होरो : क्या यह बात सही है कि तमाम इल्लीगल ऑक्यूपेशन इसलिये हो रहा है कि एच. ई. सी. को जितनी जमीन की जरूरत थी उससे ज्यादा जमीन ऐक्वायर कर ली है जो आदिवासियों की थी। इसके अलावा करीब डेढ़ हजार एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो कि पेडी लेन्ड है। क्या सरकार बतायेगी कि यह जो डेढ़ हजार एकड़ जमीन आदिवासियों

की है जिसको आप किसी काम में नहीं ला सकते हैं क्या इस जमीन को आप आदिवासियों को वापस देने की बात सोचेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : 1,925 एकड़ जमीन यजसका उपयोग अभी बाकी है वह ऐसी है, एक शंकरन कमेटी स्थापित की गई थी, उसने पूरा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया और यह निर्णय लिया गया कि सड़कों के विस्तार के लिये 190 एकड़, एच. ई. सी. के कर्मचारियों के मकानों के लिये, जिसकी कि कमी है, 914 एकड़ जमीन में अभी कर्मचारियों के लिये मकान बनाना आवश्यक है। वहां बाजार की कमी है उसके लिये 35 एकड़ जमीन चाहिये पावर्स के लिये 20 एकड़ लगेगी और बिहार हाउसिंग बोर्ड में ऐसे लोग जो कर्मचारी नहीं है, लेकिन रांची में बसते हैं, उनके लिये मकानों की आवश्यकता है, तो 200 एकड़ जमीन उनके लिये चाहिये, और 200 एकड जमीन कोआपरेटि सोसाइटीजव के लिये है। पी. ऐंड टी. के लिये 7 एकड। इस प्रकार जो जमीन है उसमें से केवल 360 एकड़ बचती है जो विकास के लिये उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार जो जमीन है उसका पूरा उपयोग नियोजित है।

श्री ए. के. राय : यद्यपि प्रश्न का मूलभाव तथापि मैं जानना चाहूंगा कि उन परिवारों की संख्या कितनी है जिससे भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनमें जनजाति परिवारों की संख्या कितनी है ? इतने वर्षों के पश्चात आपने प्रत्येक परिवार के कितने लोगों को रोजगार दिए हैं और यदि कोई भूमि पट्टे पर दी जा रही है तो क्या इन लोगों को तब तक इस भूमि का उपयोग करने हेतु प्राथमिकता और सुविधा दी जाए। तब तक कि आप इसका उपयोग नहीं करते ?

उद्योग और इस्पात एव खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : कुल 7,187 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। इसमें से 2,312 एकड भूमि संयंत्र और कार्यालयों के लिए अधिग्रहीत की गई थी। और 4,875 एकड़ भूमि नगर क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए अधिग्रहीत की गई थी। जहां तक जनजातियों के लोगों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं इसके लिये सूचना चाहूंगा।

श्री ए. के. राय : अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अखबारी कागज की कमी

*143 **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अखबारी कागज की कमी है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में निकट भविष्य में अखबारी कागज का कोई और यूनिट स्थापित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं। अखबारी कागज की मांग देश में हो रहे उत्पादन और अनुपूरक आयात द्वारा पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट तथा मैसूर पेपर मिल्स न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट में क्रमश: 80,000 और 75,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता स्थापित कर दी गई है। दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स अखबारी कागज की अपनी वर्तमान वार्षिक क्षमता 60 000 मी. टन से बढ़ाकर 75.000 मी. टन तक करने के लिए आधुनिकीकरण एवं नवीकरण कार्यक्रम चला रहा है। अखबारी कागज बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति भी दी जा चुकी है :—

पार्टी का नाम	स्थापित क्षमता (मी. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की तारीख
.. मैं. त्रिरूपति न्यूजप्रिंट इण्डिया, म. प्र.	79,000	आशय-पत्र सं. 295 (82) दिनांक 24-4-82
2. मैं. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि.	50,000	औद्योगिक लाइसेंस सं. सी. आई. एल./177 (82) दिनांक 19-5-1982
3. श्री एस. के. सिक्का	25.000	आशय-पत्र स. 1-6 (82) दिनांक 25-2-82
4. मैं. सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर उ. प्र,	20,000	औद्योगिक लाइसेंस सं. सी. आई एल. :19 (82) दिनांक 15-1-1982

इस्पात सयत्रों में कॉयल्स के भण्डार

*145. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या इस्पात **और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में 'हाट रोल्ड कॉयल्स" के भण्डार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न इस्पात संयंत्रों के पास उक्त कुल कितना भण्डार जमा हो गया है;

(ग) विभिन्न इस्पात संयंत्रों के पास "हाट रोल्ड कायल्स" के बढ़ते हुए इस भण्डार को कम करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. ने क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या इन्जीनियरी एककों को "हाट रोल्ड कायल्स" की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे इस्पात ट्यूबों सम्बन्धी अपने अतिरिक्त निर्यात आदेशों को पूरा कर सकें; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्य और क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1-4-82 को "सेल" के कारखानों तथा स्टाकयार्डों में गर्म बेलित क्वायलों का स्टाक 1,60,900 टन था। 1-9-82 को यह स्टाक घटकर 1,22,700 टन रह गया था।

(ग) गर्म बेलित क्वायलों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए "सेल" उधार पर माल देता है और इसने ग्राहकों से सम्पर्क बढ़ाया है। वितरण प्रणाली में ढील दी गई है तथा उत्पादन का कार्यक्रम बाजारोन्मुख बनाया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय गर्म बेलित क्वायलों की सुगम उपलब्धि को देखते हुए इस्पात ट्यूबों के लिए निर्यात आर्डर को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग इकाइयों की आवश्यकताएं पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं है।

आसाम में उग्रवादी गतिविधियां

*146. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1982 के 'हिन्दू" में प्रकाशित "ऐक्सट्रीमिस्ट फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स" शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के महीनों में आसाम में कभी जल्दी-जल्दी बम विस्फोट की घटनायें और अन्य आतंकवादी घटना, जैसे रेल मार्गों पर विस्फोटक पदार्थ रख कर या फिश प्लेट उखाड़ कर रेलों का पटरियों से उतारने के प्रयास हुए हैं;

(ग) क्या ये घटनायें और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उग्रवादी गतिविधियों में सामयिक वृद्धि गड़बड़ पैदा करने पर तुले हुए राष्ट्रविरोधी ताकतों के राष्ट्रव्यापी जाल का प्रमाण है, और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न भागों में राष्ट्रविरोधी ताकतों का किस प्रकार का जाल फैला है और सरकार ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या उपचारी उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) आसाम में छोटे उग्रवादी दलों के उभर आने तथा आसाम से उग्रवादियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य उग्रवादी दलों में सम्पर्क होने के संकेत मिले हैं। उग्रवादी तत्वों के कोई स्थिर सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं। फिर भी सरकार सतर्क है और समय-समय पर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए नई नीति

*150. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात को कम करने के लिए प्राथमिकता वाले उद्योगों में 40 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा से अधिक विदेशी सहभागिता के सम्बन्ध में नीति विषयक कोई प्रमुख घोषणा की गई थी;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक उद्योगों के लिये एक नई नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए असम द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि

*151. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या योजना मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में असम राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि असम सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन, बाढ़ नदियों के तटबंधों की मरम्मत और जल निष्कासन और सिंचाई कार्यों के लिये अतिरिक्त राशि के आवंटन की मांग की है; और

(ग) राज्य की अतिरिक्त मांग के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में असम के लिए अनुमोदित परिव्यय 1115 करोड़ रु. है।

(ख) असम सरकार ने बोगाईगांव तेल शोधक कारखाने और पेट्रोरसायन लिमिटेड के उत्पादनों पर आधारित उद्योगों, वन उद्योग, विद्युत डेरी विकास, शिक्षा, कम लागत पर सफाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त परिव्यय की माँग की है। इनमें 20-सूत्री कार्यक्रम की कुछ मदें भी शामिल हैं।

(ग) योजना आयोग में की जा रही मध्यावधि समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, संसाधन स्थिति के स्पष्ट हो जाने के बाद ही राज्य सरकार की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में विचार किया जा सकता है।

इस्पात संयंत्रों में रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

*152. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों में रक्षित विद्युत सयंत्र स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क), (ख) और (ग) इस्पात कारखानों में रक्षित विद्युत संयंत्रों की वर्तमान क्षमता प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता तथा नए रक्षित विद्युत संयंत्रों के कार्य की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कारखाना	वर्तमान स्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता (मेगावाट)
भिलाई इस्पात कारखाना	36	74
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	20	120
राउरकेला इस्पात कारखाना	128	120
बोकारो इस्पात कारखाना	122	180
इस्को	60	—

इन परियोजनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा सरकार भिलाई इस्पात कारखाने में 180 मेगावाट के रक्षित विद्युत सयंत्र लगाने पर विचार कर रही है। "इस्को" के विद्युत सयंत्र की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल अधीक्षक

*155. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने तिहाड़ जेल, दिल्ली के अधीक्षक का हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है जिसके विरुद्ध दिल्ली न्यायालय ने परस्त्रीगमन (एडल्ट्री) का आरोप स्वीकार किया है;

(ख) क्या उसको हटाने के लिये विशेष आदेश जारी किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिसमें श्री सी. डी. उपाध्याय, अधीक्षक, तिहाड़ जेल को परस्त्रीगमन के आरोप में दोषी ठहराया गया, जो दिल्ली प्रशासन के ध्यान में अगस्त, 1982 के दूसरे सप्ताह में आया, उनको अपने मूल राज्य राजस्थान को वापिस भेजने के लिए 17 सितम्बर 1982 को आदेश जारी किए गए थे

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन

*158. **श्री प्रकाश चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी लोगों ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) : विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार की गई थी जो इस परियोजना के लिये मुख्य सलाहकार हैं। चूंकि यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना को सोवियत सघ की तकनीकी आर्थिक सहायता से कार्यान्वित किया जायेगा अतः मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने सोवियत विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन की मुख्य सुविधाओं से

सम्बन्धित उपस्करों तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी को भी ध्यान में रखा या भारत सरकार ने परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है तथा यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा "विम" का उत्पादन

*159. श्री के. एम. मधुकर : क्या उद्योग मंत्री मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किये जाने के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4251 के के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी एम. आर. टी. पी. और एफ. ई. आर. ए. कम्पनियां 'विम" जैसी व्यापक खपत वाली वस्तुओं का मात्र पंजीकरण प्रमाण पत्रों के आधार पर असीमित मात्रा में उत्पादन कर रही है;

(ख) क्या विम जैसी मंजाई की वस्तुओं के निर्माण की आधारभूत सामग्री, एक साधारण मृत्तिका (कले), देश के अनेक भागों में पाई जाती है और इसके लिये किसी प्रौद्योगिकी की भी जरूरत नहीं होती;

(ग) क्या विम की अध्याधिक कीमत वसूल की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप लाभांश (डिवीडेंड) के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(घ) क्या सरकार ने दिनांक 24 मई, 1976 को यह बताया था कि मंजाई की ऐसी वस्तुओं की क्षमता को नियमित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में अत्याधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) अपमर्जकों का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की परिसीमा से बाहर है। अतएव इसके उत्पादन पर किसी प्रकार की कानूनी बाधायें नहीं हैं।

(ख) अपमाजकों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित आधारभूत सामग्री क्वारट्ज/सिलिका डोलोमाइट, खडिया मिट्टी या सैलखड़ी/सोपस्टोन (/सिलखडी (टेल्क) आदि जैसी अपघर्षक सामग्री है। इन सामग्रियों को पीसा जाता है और उपयुक्त अनुपात में एसिड स्लूरी, सोडा एश सुगंध में मिलाया जाता है।

(ग) से (ङ) इस वस्तु पर किसी प्रकार का कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा, चूंकि अपमाजकों का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की परिसीमा से बाहर है, अतः इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन क्षमताओं को विनियमित करना सम्भव नहीं हो सकता।

पारिस्थितिक कार्य बल की स्थापना

*162. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिये पारिस्थितिक कार्य बलों की स्थापना की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में ये पारिस्थितिक कार्य बल स्थापित किये जा चुके हैं; और इस प्रयोजन के लिये सम्बन्धित राज्यों में किन किन जिलों को चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यबलों की स्थापना कब तक हो जायेगी और उनके गठन का स्वरूप कैसा होगा तथा उनके कार्य निष्पादन का पैटर्न क्या होगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का एक पारिस्थितिकीय कार्य बल निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भ में देहरादून और मसूरी जिलों में वन-रोपण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश में भी परियोजनायें विचाराधीन हैं।

टेलीविजन सेटों का गोआ में सब से कम दामों पर मिलना

*163. **श्री कमल नाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गोआ में बिक्री कर समाप्त होने के कारण वहां टेलीविजन सेट सबसे कम दामों पर बिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अन्य स्थानों पर भी टेलीविजन सेटों के मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) गोआ में विनिर्मित अथवा संयोजित किये गये दूरदर्शन सेटों पर कोई बिक्री कर नहीं लगता। किन्तु सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि गोवा में बिकने वाले दूरदर्शन सेट सबसे सस्ते होते हैं। संसद में एक विस्तृत विवरण देने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। उक्त विवरण पत्र में इस आशय की जानकारी दी जायेगी कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय ब्रांड नाम के श्याम तथा श्वेत (ब्लेक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के कुछ मानक मांडलों के फुटकर मूल्य क्या हैं तथा उनमें बिक्री कर जैसे स्थानीय करों के रूप में कितनी मात्रा शमिल है।

(ख) दूरदर्शन सेटों के उपभोक्ता मूल्य में कमी लाने विषयक उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। तथापि, चूंकि दूरदर्शन सेटों के मूल्यों पर लगने वाला बिक्री कर राज्य का विषय है, अतः इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तर होना स्वाभाविक है।

विद्रोही मिजो द्वारा पुनः विद्रोह आरम्भ करना

1525. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों को नये सिरे से विद्रोह करने का अभियान फिर से आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार उनके नेताओं से पुनः वार्ता करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्रोही मिजों ने सुरक्षा बलों पर फिर से आक्रमण करना आरम्भ कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो उनकी गतिविधि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) रिपोटों से संकेत मिलता है कि मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, जिसे अवैध गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, तथा कथित मिजोरम छोड़ो आन्दोलन" को तेज करने की योजनायें हैं। उन्होंने मिजोरम में सत्ताधारी दल के विधायकों और ग्राम परिषद के सदस्यों को भी धमकी दी है जिसमें उनके त्याग पत्र की मांग की गई है।

(ख) सरकार ने मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं को समझौते के लिये विगत में कई बार अवसर तथा सुविधा प्रदान की थी। उनका रवैया दुराग्रही बना रहा। हाल की हिसंक गतिविधियों के खतरे को देखते हुए नये सिरे से बातचीत पुन: शुरू करने का प्रश्न नहीं हो सकता सरकार को उम्मीद है कि गुमराह तत्व हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए बाहर आ जयेंगे।

(ग) सुरक्षा बलों पर आक्रमण की 14 घटनायें हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप 4 सुरक्षा बल/पुलिस कार्मिकों और 11 नागरिकों की मृत्यु हुई।

(घ) मिजोरम प्राधिकारियों ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी सम्भव एहतियाती उपाय किये हैं। जनवरी, 1982 से 206 गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं और 462 भूमिगत लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है।

मधुबनी और पालामाऊ बिहार में उद्योगों की स्थापना

1526 : **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री बिहार में मधुबनी और पालामाऊ में उद्योगों की स्थापना के बारे में 14.7.1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और पालामाऊ जिलों में आणविक संयंत्र लगाने और सहायक उद्योगों से उसे जोड़ने संबंधी कृतिक बल (टास्क फोर्स) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योगों को स्थापित करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कृतिक बल की रिपोर्ट का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कृतिक बल रिपोर्ट में पालामाऊ और मधुबनी जिलों में क्रमश: 13 और 10 केन्द्रस्थ संयंत्रों के साथ साथ उनके सहायक एककों की स्थापना करने के लिये उपयुक्त स्थलों का पता लगाया गया है।

इस रिपोर्ट की अभी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

मैसूर पेपर मिल द्वारा अखबारी कागज का उत्पादन

1527 : श्री एस. एम. कृष्णा क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर पेपर मिल ने अखबारी कागज का वाणिज्यक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वास्तव में कितना उत्पादन शुरू किया गया है; और

(ग) क्या इस मिल ने बढ़ी हुई उत्पादन लागत और आयातित अखबारी कागज की बिक्री को ध्यान में रखते हुए मूल्य वरीयता की मांग की है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मैसूर पेपर मिल्स की 75,000 मी. टन प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता वाली अखबारी कागज परियोजना जुलाई, 1981 में चालू हुई थी। जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1982 की अवधि में मिल द्वारा कुल 21, 116 मी. टन अखबारी कागज का उत्पादन किया गया।

(ग) मिलों ने विभिन्न प्रकार की राहत मांगी है जिनमें देशी अखबारी कागज का मूल्य बढ़ाना भी शामिल है।

पर्यावरण संबंधी आयोजना विषयक समिति

1528. श्री जी. वाई. कृष्णन् : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में किसी पर्यावरण संबंधी आयोजना विषयक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कृत्य क्या होंगे ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। अप्रैल 1981 में एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति की स्थापना की गई है। यह इससे पहले राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय समिति कहलाती थी जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी।

(ख) समिति में विभिन्न अनुशासन से विशेषज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और सुविज्ञ लोकजन शामिल हैं। यह पर्यावरणीय नीति मामलों के सम्बंध में सलाहाकार निकाय के रूप में कार्य करती है और समिति का एक मुख्य उत्तरदायित्व पर्यावरण-स्थिति रिपोर्टें तैयार करना है। समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषय दर्शाते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5491/82)**

समुद्र से यूरेनियम का निकाला जाना

1529. श्री निहाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन समुद्र से यूरेनियम निकालने में सफल हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नया अनुसंधान करने का निर्णय लिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) चीन द्वारा समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालने के बारे में किए गए काम के ब्यौरे की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) चूंकि समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालने पर आने वाली लागत काफी निचले ग्रेड वाले अयस्क से यूरेनियम निकालने पर आने वाली लागत से भी बहुत ज्यादा बैठती है, इसलिए समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालना आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अलाभकर समझा जाता है। अत: भारत में इस तरह की तकनीक विकसित करने का कोई बड़ा प्रयास करने का विचार नहीं है।

लाइसेंस नीति में परिवर्तन का प्रस्ताव

1530 : **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का मापदण्ड क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लाइसेंस नीति में परिवर्तन करने का है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) औद्योगिक क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार की प्रचलित औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति के अनुसार होना चाहिए।

(ख) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए पुर्जों के आयात के लिए मानदण्ड की छूट

1531. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** :

श्री के. मालन्ना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाड 82 से पहले असेम्बल किए जाने वाले रंगीन टी. वी. सेटों के लिए पुर्जों के आयात के लिए स्वीकार्यता मापदण्ड में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो आयात सहायता और साथ ही पिछली अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले निर्माताओं पर लागू शर्तों के बारे में सरकार की नीति के सम्बन्ध में ब्यौरे क्या है और 1982-83 के वित्तीय वर्ष में कितने 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' टी. वी. सेट बनाने के लिए ये निर्माता अधिकृत थे और कितने सैट की उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई थी; और

(ग) "ब्लैक एण्ड व्हाइट" टी. वी. सैटों का निर्माण करने वाले एककों को, जिन्होंने 1981-82 के दौरान 5,000 से भी कम सेटों का निर्माण किया था, दी गयी छूट का ब्यौरा क्या है और प्रति सेट आयात सहायता के लिए उनका हक कितना है जैसाकि 16 जून, 1982 को सरकार ने घोषणा की थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिनांक 3 जुलाई 1982, को दूरदर्शन के सभी विनिर्माताओं को पहले ही भेजे गये पत्र के ब्यौरे तथा शर्तें आदि संलग्न प्रतिलिपि में दर्शाए गये हैं **(अनुबन्ध-1)** सरकार ने 31 अगस्त, 1982 की प्रेस विज्ञप्ति (**अनुबन्ध-II**) के जरिये अपनी नीति में ढील दी है, जिसके फलस्वरूप अब दूरदर्शन के वे निर्माता भी रंगीन दूरदर्शन सेटो का संयोजन कर सकते हैं

जिन्होंने वर्ष 1981 में 5000 श्याम् तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) सेटों का निर्माण नहीं किया था। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 5492.82]

एक सामयिक तथा तदर्थ व्यवस्था के रूप में एशियाड 82 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजक के लिये कल पुर्जों के किटों के आयात के लिए ऐसे सभी श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन के सभी निर्माताओं को सहायता दी जा रही है जिनके नामों की सिफारिश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग निदेशकों द्वारा की गई है।

इन नये विनिर्माताओं के लिए कुल 10 600 किटें आरक्षित की गई हैं और आबंटन की मात्रा निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित आधार अपनाया गया है:

(i) यदि वर्ष 1981-82 में उत्पादन 1000 सेटों से अधिक नहीं हुआ है तो श्याम तथा (ब्लेक एण्ड व्हाइट) सेटों के उत्पादन का 10 प्रतिशत।

(ii) जिन विनिर्माताओं ने 1000 सेटों से कम का उत्पादन किया है किन्तु जिनके नामों की सिफारिश राज्य सरकारों/सघ राज्य क्षेत्रों की सरकरों द्वारा की गई है, उन सभी की 100 सेट।

नये प्रवेशकर्ताओं के लिए अन्य सभी शर्तें वही हैं जो पहले 22 पार्टियों पर लगाई गई थी।

केरल में ग्रेफाइट का भंडार

1532. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में ग्रेफाइट का पर्याप्त भंडार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वाणिज्यिक दोहन के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केरल के कुछ भागों में निम्न से मध्यम ग्रेड के ग्रेफाइट वाली लगभग 6.56 मि. टन चट्टानों का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 3.74 से 17·4 प्रतिशत तक कार्बन लगा है।

(ख) इन निक्षेपों के वाणिज्यिक आधार पर खनन उनकी आर्थिक उपादेयता प्रमाणित हो जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 के तदर्थ अधिकारियों का गतिरोधक

1533. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 के तदर्थ अधिकारी 1968-69 से अपने वेतनमान पद पर ही कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको विभागीय कोटे में ग्रेड-4 में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की चिरप्रतीक्षित बैठक किसी न किसी कारण से नहीं हुई है और यदि हां, तो यह बैठक कब होने की संभावना है; और

(घ) जो अधिकारी 1969 से एक पद पर बने हुए हैं उनके लिए ग्रेड-4 में विभागीय खाली स्थानों में कितने स्थान निर्धारित किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) (क) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड iv पदों पर वर्ष 1968- 69 में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त फीडर पदों के कुछ पदधारक लगातार ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) तदर्थ नियुक्तियां इस कारण करनी पड़ी थीं क्योंकि उक्त सेवा के ग्रेड iv के पुनर्गठन का प्रश्न, जिसमें कई जटिल समस्याएं अन्तर्ग्रस्त थीं विचाराधीन था। ग्रेड iv का पुनर्गठन अस्थिगत रखे जाने के निर्णय के बाद ग्रेड iv की रिक्तियों को भा. सां. से. नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी।

(ग) तथा (घ) अधिकांश प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है और भा. सां. से. के ग्रेड iv में पदोन्नति कोटा के माध्यम से पदोन्नति के लिए 63 अधिकारियों की एक प्रवर सूची संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की जा रही हैं। इस प्रवर सूची को अन्तिम रूप शीघ्र दिए जाने की सम्भावना है। फीडर पदों के जिन पदधारकों के नाम प्रवर सूची में आते हैं उन्हें तदर्थ नियुक्तियों की तारीखों पर ध्यान दिए बिना ग्रेड iv में नियुक्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्रो के आधार पर सेवाओं में आरक्षण

1534. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के मामले समय समय पर प्रकाश में आते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह के विरोध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है। जब कभी जाली प्रमाण पत्रों का कोई विशेष आरोप केन्द्रीय सरकार को सूचित किया जाता है तो इसको उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजा जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित जांच करने के बाद ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उन पर लागू नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गये हैं।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा तमिलनाडु सरकार के विरूद्ध आरोप

1535. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1982 के "हिन्दू" मदुराई अंक में प्रकाशित

'सेन्टर एवसोल्वस तमिलनाडु गवर्नमेंट आफ चार्जिस वाई. डी. एम. के." शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आरोप के लिए दिये गये उत्तर का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आरोप पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी· वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के विरूद्ध लगाए गये आरोपों की जांच की गई थी और इस मामले को समाप्त हुआ समझा गया था। इन आरोपों के ब्यौरे तथा उन पर मुख्य मन्त्री की टिप्पणियों को बताया जाना लोक हित में नहीं होगा।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में सेल्स इंजीनियर के पद के लिये साक्षात्कार

1537. **श्री भीखाभाई : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अप्रैल, 1981 में सेल्स इंजीनियर के पद के लिए प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि दो रिक्त स्थानों के विरूद्ध केवल एक व्यक्ति को ही नियुक्ति पत्र दिया गया जबकि दो व्यक्तियों का चयन किया गया था और भविष्य के लिये स्थानों को भरने के लिये पैनल भी बनाया गया था; और

(घ) क्या यह भी सच है कि जो एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था उसका भी दिल्ली से स्थानान्तरण कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कार्य के लिए दौड़ धूप नहीं की जा सकती और ई. सी. आई. एल. ने 50 लाख रुपये के मूल्य से अधिक के क्रियादेश गंवा दिये हैं, यदि हां, तो पैनल से रिक्त स्थान क्यों नहीं भरे जा रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास विभागों में तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली स्थिति अपने शाखा कार्यालयों में रिक्त कुल 12 पदों में से दो पद अनुसूचित जातियों के लिए और एक पद अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये थे।

(ग) दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय में सेल्स इन्जीनियर का केवल एक ही पद था लेकिन पैनल में दो व्यक्तियों के नाम रखे गये थे।

(घ) दिल्ली शाखा के लिए चुने गये व्यक्ति का तबादला जुलाई, 1982 में इस कारण से हैदराबाद को कर दिया गया कि इस क्षेत्र में कम्प्यूटरों की बिक्री की संभावना अपेक्षाकृत कम है। तथापि, कम्पनी के बिक्री बढ़ाने के प्रयास पर इसका कोई प्रभाव इस कारण से नहीं पड़ा है कि कारपोरेशन के कम्प्यूटर मार्केटिंग प्रभाग की दिल्ली शाखा में कर्मचारी पर्याप्त संख्या में

हैं तथा कर्मचारियों की कमी के कारण निविदाओं के बारे में दौड़ धूप न करने या क्रयादेशों के गंवा दिए जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। दिल्ली शाखा में सेल्स इंजीनियर की तत्काल आवश्यकता न होने के कारण कारपोरेशन का विचार इस पद को भरने का नहीं है। पैनल की अवधि अब समाप्त हो चुकी है।

दिल्ली के नागरिकों की शिकायतें सुनने के लिए संगठन "शिकायत आयुक्त की स्थापना"

1538. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के नागरिकों में दिल्ली नगर निगम के विशेषत: सम्पति कर विभाग, जल प्रदाय सस्थान और दिल्ली विद्युत प्रदाय सस्थान की उन मामलों में उदासीनता के प्रति भारी असतोष व्याप्त है, जो मीटरों के खराब होने, डेसु" द्वारा उन्हें समय पर न बदले जाने दोषपूर्ण बिल बनाने तथा दिन प्रतिदिन की वास्तविक शिकायतों से सम्बन्धित हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम, विशेष रूप से सम्पत्ति कर विभाग दक्षिण जोन तथा आर. के. पुरम का "डेसु" कार्यालय सिद्धान्त रूप से किसी भी पत्र का उत्तर नहीं देते हैं, चाहे वे पत्र उच्च अधिकारियों को ही सम्बोधित हों, और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सार्वजनिक निकायों से सम्बन्धित ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही करने तथा राजधानी के परेशान नागरिकों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय में "शिकायत आयुक्त" जैसे संगठन की स्थापना करने की वांछनीयता पर ध्यान देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्कंध, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जल आपूर्ति और मल निकास उपक्रम ने इस बात से इन्कार किया है कि वे सम्पत्ति कर, विद्युत और पानी बिल आदि के विषय में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रति उदासीन हैं। दिल्ली जल आपूर्ति और मल निकास उपक्रम के अनुसार यदि उपभोक्ता यह महसूस करता है कि जल मीटर सही रिकार्ड नहीं कर रहा है तो वह 14 रु. का शुल्क जमा करके नगर निगम मीटर कार्यशाला में मीटर की जांच करा सकता है। यदि मीटर खराब पाया जाता है तो नियमानुसार बिलों को संशोधित करने के लिए कार्यवाही की जाती है। यदि नगर निगम का मीटर कार्य नहीं करता है तो विभाग द्वारा उसे बदल दिया जाता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार वह विद्युत उपभोक्ताओं को विशेष रूप से खराब मीटरों को बदलने में, विद्युत उपभोग प्रभार बिलों को सही सही करने और अन्य सम्बन्धित मामलों में जितनी जल्दी संभव हो सेवाएं प्रदान कर रहा है। जब कभी आवश्यक होता है, उपभोक्ता को उचित समय में उत्तर भी भेजे जाते हैं।

जनता की शिकायतें सुनने के लिए दिल्ली नगर निगम के आयुक्त टाऊन हाल में प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 12·00 बजे से 1.00 बजे तक जनता की सुनवाई करते हैं बशर्ते कि अन्य आवश्यक कार्य न हो। इस प्रकार जन सुनवाई में किसी सहायक आयुक्त द्वारा उसकी सहायता की जाती है जिन्हें पूर्णत: जन शिकायतों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि

इन शिकायतों को दूर किया जाय, आयुक्त की सहायता के लिए तैनात किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सहायक आयुक्त जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस को 3.00 बजे अपराह्न से अपने कार्यालयों में उपलब्ध होते हैं बशर्ते उनके पास अन्य आवश्यक कार्य न हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार उक्त प्रयोजन के लिए "शिकायतें आयुक्त" जैसा कोई संगठन स्थापित करना वांछनीय नहीं समझती। परन्तु विशिष्ट शिकायतें, जिनपर कार्यवाही नहीं की गई है, आयुक्त नगर निगम दिल्ली जो इस समय तीनों संगठनों का प्रधान है, ध्यानमें लाई जा सकती हैं।

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय

1539. **श्री राम विलास पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक आय 1971 में कितनी थी और इस समय (1982 में) कितनी है; और

(ख) चीन और पाकिस्तान में लोगों की प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक आय कितनी है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से उपलब्ध प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के नवीनतम त्वरित अनुमान वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित हैं। वर्ष 1980-81 में प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक आय वर्ष 1970-71 की कीमतों पर 696.3 रु. थी और वर्तमान कीमतों पर 1536.9 रु. है। वर्ष 1970-71 के लिए यह राशि 732.8 रु. थी।

(ख) विश्व बैंक की नवीनतम विश्व विकास रिपोर्ट, 1982 में वर्ष 1980 के लिए वर्ष 1980 की कीमतों पर विभिन्न देशों की डालर में प्रति व्यक्ति आय (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) के आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार (पृष्ठ 110) चीन की प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय की राशि (290 है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में यह) 300 है। इस में भारत के लिए यह राशि 240 बताई गई है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा वैस्ट जोन में मध्य आय वर्ग के फ्लेटों पर सम्पत्तिकर लगाना

1540. **श्री कुंवर राम :** क्या गृह मन्त्री दिल्ली नगर निगम द्वारा वैस्ट जोन के एम. आई. जी. फ्लेटों पर सम्पत्ति कर लगाये जाने के बारे में 14 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1982/83 के लिए सम्पत्ति कर और अन्य करों के बिलों को भेजते समय ऐसे कर की वह विवादास्पद राशि भी शामिल कर ली है, जो सम्बन्धित आवंटियों को जनकपुरी में फ्लेटों का वास्तविक कब्जा देने से पहले की अवधि का है और उन मामलों में भी राशि बिल में शामिल कर ली गई है जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे कब्जे की तारीख की पुष्ठि पहले ही कर दी थी और दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र (राजौरी गार्डन्स) को इस बात की जानकारी दे दी थी;

(ख) ऐसे गैर-कानूनी शुल्क की वसूली के लिए दिल्ली नगर निगम अभी भी जोर क्यों दे रहा है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, और

(ग) ऐसे सभी गैर-कानूनी दावों को स्पष्ट रूप से वापस लेने के लिए दिल्ली नगर निगम को सलाह देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार जनकपुरी में डी. डी. ए. के एम. आई. जी. फ्लेटों के 143 मामलों में करदाताओं से डी. डी. ए. से उनके कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए सम्पत्ति कर लगाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से कब्जा देने की तारीखों के सम्बन्ध में सत्यापन कराया है। 143 मामलों में से 94 ऐसे मामलों का पता लगा है जहां फ्लैट केवल एक बार आवंटित किये गये थे। डी. डी. ए. से वास्तविक तारीखों का सत्यापन कराने के बाद 94 मामलों में पहला कब्जा देने की तारीख से पहले की अवधि के लिए डिमान्ड समाप्त की जा रही है। निगम को ये अनुदेश हैं कि करदाताओं के डी. डी. ए. से कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए उनसे अदायगी कराने पर जोर न दें। इन्हें वर्तमान-करदाताओं के सम्बन्ध में दोहराया गया है।

देश की प्रति व्यक्ति आय

1541. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय, अलग-अलग कितनी थी;

(ख) आय में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्या हैं;

(ग) प्रति व्यक्ति आय का, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) देश की वर्ष 1978-79 1979-80 और 1980-81 के लिए वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित है :

1980-81	1536.9 रु.
1979-80	1316.0 रु.
1978-79	1249.9 रु.

वर्ष 1979-80 और 1978-79 की तुलना में वर्ष 1980-81 में आय में वृद्धि अर्थ-व्यवस्थ के कृषि और अन्य क्षेत्रकों में निष्पादन में अत्यधिक सुधार होने के कारण हुई है।

(ग) सभी राज्यों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम उपलब्ध पूर्ण राज्यवा आंकड़े वर्ष 1979-80 के लिए हैं। ये आंकड़े वर्तमान कीमतों पर निम्नलिखित हैं :—

राज्य	प्रति व्यक्ति आय (रु.)
आंध्र प्रदेश	1148
असम	1083
बिहार	795
गुजरात	1658
हरियाणा	1867

1	2
हिमाचल प्रदेश	1288
जम्मू और कश्मीर	1254
कर्नाटक	1246
केरल	1141
मध्य प्रदेश	877
महाराष्ट्र	2021
मणिपुर	822
उड़ीसा	848
पंजाब	2273
राजस्थान	1011
तमिलनाडु	1274
त्रिपुरा	उ. न.
उत्तर प्रदेश	994
पश्चिम बंगाल	1330
दिल्ली	2498
गोवा, दमण और दीव	2426
पांडिचेरी	2747

(घ) छठी पचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास की गति में क्षेत्रीय असमानताओं और शिल्प विज्ञान के लाभों के विस्तार में असमानताओं को उत्तरोत्तर कम करना है। यह अनेक तरीकों से प्राप्त किया जाना है जिनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :—

(i) पिछड़ेपन को संसाधनों के अंतरण में एक उपादान के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 1979 में लागू किया गया आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले में पिछड़े राज्यों के भाग को दुगना करने से हाल ही के वर्षों में पिछड़े राज्यों के पक्ष में संसाधनों के वितरण में आशोधन करने के लिये किए गए प्रयत्नों का पता चलता है।

(2) पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असामानताओं की समस्या के प्रति एकीकृत नीति उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय आयोजना की व्यवस्था अपनाई गई है और उप आयोजना नीति का विकास किया गया है। विशेष जनजातीय संघटक योजना और पहाड़ी क्षेत्र स्कीमें तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी विशिष्ट कार्यक्रम ये सभी इन नीतियों से तैयार किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में इन सब पर अधिक बल दिया गया है।

(3) केन्द्रीय नीतियां भी इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे कि रियायती वित्त बीज/

उपांत राशि स्कीम केन्द्रीय निवेश राज सहायता स्कीमों, कर राहत, विशेष ब्याज राज सहायता आदि के जरिए निजी उद्यमों को पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकें।

बजाज-पिएग्गिओ समझौता

1542. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजाज स्कूटर्स की मार्च 1971 में इटली की पिएग्गिओ से समझौता समाप्त होने के बाद निर्यात से कितनी आमदनी है;

(ख) क्या योरोपियन और हांगकांग के बाजार में इटालियन फर्मों को बजाज स्कूटर्स के साथ प्रतियोगिता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वह बाजाज स्कूटरों के निर्यात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ग) क्या इटालियन फर्म ने विदेशों में बजाज स्कूटर्स के विरुद्ध अनेक मामले दायर किए हैं;

(घ) क्या इटली की पिएग्गिओ फर्म ने किन्हीं भारतीय फर्मों के साथ सहयोग समझौता किया है, यदि हाँ, तो उन भारतीय फर्म के नाम क्या हैं और सहयोग का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सहयोग के समझौते में कुछ आवश्यक पुर्जों का सात वर्ष तक आयात किए जाने की व्यवस्था है;

(च) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार सहयोग के इन समझौतों पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि आयात किये जाने वाले पुर्जे भारतीय निर्माताओं के पास आसानी से उपलब्ध हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बजाज आटो लिमिटेड ने बताया है कि मार्च, 1971 से मार्च, 1982 की अवधि में उन्होंने स्कूटरों के निर्यात से 51.99 करोड़ रुपये कमाया है।

(ख) तथा (ग) बजाज आटो लिमिटेड ने बताया है कि उनके भूतपूर्व सहयोगी मैं. पिएग्गिओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग समेत कुल देशों को बजाज स्कूटर निर्यात किये जाने पर आपत्ति की है और उन्होंने कानूनी कार्यवाही भी की है।

(घ) होहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर ने 100 सी. सी. के स्कूटरों का निर्यात करने के लिये इटली की मै. बिएग्गिओ के साथ तथा मै. आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि. ने 800 सी. सी. के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए इटली के मै. पिएग्गिओ के साथ सहयोग करने का निर्णय किया है।

(ङ), (च) तथा (छ) इस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सहयोग करार आयात किये जाने वाले हिस्से-पुर्जों का निर्माण देश में करने के लिए एक अवस्थाबद्ध कार्यक्रम पर आधारित है। इसमें लगने वाली विदेशी मुद्रा की राशि उत्पादन शुरू होने की तिथि, किये गये उत्पादन के वास्तविक स्तर और किसी वर्ष में आयात किये जाने वाले हिस्से-पुर्जों के मूल्यों पर निर्भर होगी। हिस्से-पुर्जों की देश में उपलब्धता को ध्यान में रखकर इनका निर्धारण किया जाता है।

भारी पानी का आयात

1543. श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल भारत विभिन्न स्रोतों से भारी पानी का आयात कर रहा है ।

(ख) यदि हां, तो भारी पानी का किन-किन देशों से और कितना-कितना आयात किया जा रहा है; और

(ग) देश में भारी पानी के आन्तरिक उत्पादन से कुल मांग की किस हद तक पूर्ति होती है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों में सोवियत संघ से नीचे लिखी मात्रा में भारी पानी मंगाया गया है :—

वर्ष	मात्रा
1980	41 टन
1981	40 टन
1982	40 टन

(ग) भारी पानी की कुल आवश्यकता चालू बिजलीघरों की अनुरक्षण सम्बन्धी आवश्यकता और नए बिजलीघरों को चालू किए जाने के कार्यक्रमों के अनुसार समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहती है । इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आन्तरिक उत्पादन के बाद रही कमी को आयात से पूरा किया जाता है।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना कॅडरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1544. श्री कुम्भाराम आर्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सवर्गों के स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का (संवर्ग-वार और पद-वार) ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 1979 से आज तक विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में उप-प्रबन्धकों (भण्डार) के संवर्ग में बनाये गये पदों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित और उनके द्वारा भरे गये पदो की संख्या का संवर्ग-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मार्च, 1982 के दौरान विज्ञापन संख्या 1/82 के द्वारा भर्ती के लिए कितने पदों को विज्ञापित किया गया है और कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किये गये और उनके द्वारा भरे गये;

(ङ) क्या सरकार के आरक्षण सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार आरक्षणों और अन्य

रियायतों के क्रियान्वयन के बारे में शिड्यूल्ड कास्ट्स अपलिफ्ट यूनियन द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के प्रबन्धकों को दिए गए अभ्यावेदनों के बारे में केन्द्रीय सरकार को जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माता

1545. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक रूप से रंगीन टेलीविजन सेटों के कितने निर्माता हैं; और

(ख) रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माताओं को कितनी आयात-सहायता दी जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) अब तक दी गई तदर्थ अनुमति के अनुसार, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माताओं की संख्या क्रमश: 53 और 16 हैं।

(ख) रंगीन दूरदर्शन किटों के आयात के लिए प्रति दूरदर्शन सेट पर अधिकतम 1250 रुपए (जहाज पर्यन्त नि:शुल्क भाड़ा) की आयात सहायता दी जा रही है।

कलपाक्कम परमाणु संयंत्र के लिए भारी जल

1546. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम परमाणु संयंत्र के प्राधिकारियों ने 240 टन भारी जल की सप्लाई की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि संयंत्र चार महीने के अन्दर उत्पादन शुरू कर सके ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में गैर पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना को चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी का भंडार बनाने के वास्ते आवश्यक कदम उठा रही है, जिनमें भारी पानी के ग्रेड को बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के मामलों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन

1547. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मंत्रालय और विभाग अब भी संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन करके कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं न कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। इन अनुदेशों का भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सामान्य रूप से अनुपालन किया जाता है। जब कभी इन अनुदेशों का अनुपालन न करने का कोई मामला इस विभाग के ध्यान में लाया जाता है, तो सम्बन्धित मंत्रालय/विभागों को इससे सम्बन्ध में सही स्थिति की उपयुक्त सलाह दी जाती है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

1548. **श्री. के. राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 को 100 आधार मानकर भारत का समग्र रूप में तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़िसा और असम जैसे पूर्वी भाग के राज्यों में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का गत दस वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई;

(ग) क्या उक्त दोनों क्षेत्रों में पूर्वी भाग तथा सम्पूर्ण देश के बीच कोई अंतर है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) औद्योगिक उत्पादन के वर्ष 1971 से 1981 तक का सामान्य सूचकांक विवरण-1 में दिया गया है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों का राज्यवार संकलन नहीं करता है।

(ख) और (ग) भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों की समग्र अचल पूंजी के वर्ष 1973-74 से 1978-79 के अन्त तक के आंकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं। पूर्वी राज्यों से संबंधित अचल पूंजी के आंकड़े विवरण-3 में दिए गए हैं, किन्तु उनका स्वामित्व कैसा है, इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) अल्पविकसित क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थापना स्थल के लिए लाइसेंस आदि जारी करने में प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकरण के मामले में भी विशेष ध्यान रखा जाता है।

विवरण-1

भारत के औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार-1970-100)

वर्ष	सामान्य सूचकांक (अनन्तिम) मासिक औसत
1971	104.4
1972	110.6
1973	111.1

1	2
1974	113.1
1975	119.2
1976	133.7
1977	138.3
1978	147.7
1979	149.5
1980	150.6
1981	164.6

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

विवरण-2

वर्ष 1973-74 से 1978-79 के अन्त तक अचल पूंजी समग्र भारत

(लाख रु.)

कारखाना क्षेत्र

क्र.सं.	वर्ष	सरकारी क्षेत्र	संयुक्त क्षेत्र	पूर्णतया निजी क्षेत्र	अनिर्दिष्ट क्षेत्र	योग
1.	1973--74	646985	59921	368949	2	1075857
2.	197475	704150	72467	415600	23	1192240
3.	1975-76	809362	79330	492289	21929	1402910
4.	1976-77	1016357	108609	491999	91	1617056
5.	1977-78	12 0862	117314	557955	260	1946491
6.	1978-79	1567616	127312	594641	29	2288593

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

विवरण-3

वर्ष 1973-74 से 1978-79 के अन्त तक अचल पूंजी (कारखाना क्षेत्र)—पूर्वी राज्य

(रुपये लाखों में)

वर्ष	असम	बिहार	उड़िसा	पश्चिम बंगाल
1973-74	12250	73-99	41681	95469
1974-75	12882	79131	41925	103602
1975-76	28281	177426	43303	116988
1976-77	29495	200427	49239	128902
1977-78	30844	295620	53844	139049
1978-79	31446	323304	58457	150221

टिप्पण : सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

पर्वतीय क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन

1549. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) देश के पहाडी क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं में 20 सूत्री कार्यक्रम के अतर्गत स्कीमें शामिल हैं। वर्ष 1982-83 में पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य योजनाओं से धनराशियों की उपलब्धता नीचे सारणी में बताई गई है :—

(करोड़ रू.)

राज्य/कार्यक्रम	विशेष केन्द्रीय सहायता .982-83	राज्य योजनाओं से धन-राशियों की उपलब्धता 1982-83	जोड़
असम	13.70	1 .00	30 70
पश्चिम बंगाल	5.00	9.69	15 89
उत्तर प्रदेश	70.00	50.00	120 00
तमिलनाडु	4 81	निर्धारित नहीं	4.18
पश्चिमी घाट	14.02	×	14 02
समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं	4.10	—	4.10
	112.00	76.89	188.89

× इसका अनुमान नहीं लगाया गया है।

दिल्ली में गिरफ्तार की गई वेश्यायें

1550. **श्री उत्तमभाई एच. पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न वेश्यालयों वाले क्षेत्रों और आलीशान होटलों आदि से अनेक वेश्यायें और औरतें गिरफ्तार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1982 के बीच की गई इन गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का विचार इन वेश्याओं और महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें; और

(ङ) क्या सरकार के पास इस बुराई को देश से समाप्त करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1980 की अवधि के दौरान लड़कियों और महिलाओं में अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली के विभिन्न भागों 130 से लड़कियां/महिलाएं, 29 पुरुष गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये 73 मामलों से से 52 मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गए हैं और शेष 21 मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गयी लड़कियों को नारी निकेतन भेजा जाता है। उन्हें मुफ्त खाना, कपड़ा और बिस्तर दिया जाता है। व्यवसायिक कार्यक्रमों में दर्जी और संगीत की कक्षाएं लगायी जाती हैं। उचित छानबीन के बाद उपयुक्त व्यक्तियों स उनकी शादी भी की जाती है।

(ङ) दिल्ली में वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध है और इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। . देश के शेष भाग के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के कार्यकरण की पुनरीक्षा

1551. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सांख्यकीय संस्थान के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या इस प्रकार की पुनरीक्षा समिति पहले कभी गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पहले वाली समिति ने क्या सिफारिशें की थीं;

(घ) उन सिफारिशों पर कहां तक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वर्तमान समिति गठित करने के क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण : (क)) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की पहली समीक्षा समिति की सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5493/82)

(ङ) उद्देश्य जिनके लिए वर्तमान समीक्षा समिति का गठन किया गया है, वैसे समिति के विचाराधीन विषयों में दिया गया है। उनकी एक प्रति संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 5493/72)

हरिजन और आदिवासी छात्रों को छात्र वृत्तियां

1552. **श्री आर एन राकेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में हरिजन और आदिवासी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि छात्रवृत्ति का लाभ भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक पृथक है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार छात्रवृत्तियों के मामले में हरिजन और आदिवासी छात्रों को बराबर लाने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी करने का है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख जाएगी।

मोदी टायर्स द्वारा टायर की मूल्यों में वृद्धि

1553. **श्री ईराअनबारासु** : क्या उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी टायर्स ने वर्ष 1978 के मूल्यों की तुलना में, टायरों के मूल्यों में अपने आप 16 गुणा वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो टायरों के निर्माण संबंधी आदानों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मैसर्स मोदी रबर लिमिटेड 1978 से समय समय पर मोटरगाड़ियों के टायरों के अपने मूल्य बढ़ाता रहा है। टायरों के उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्ठियों के मूल्यों पर किसी प्रकार का कानूनी नियंत्रक नहीं है।

टायर उद्योग के लिए कच्चा माल

1554. **श्री के. ए. राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायर उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों का देश में प्रत्येक कच्चे माल की उपलब्धता और माँग का ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को टायर उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की किसी प्रकार की कमी होने का पता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में 20 सूत्री कार्यकम के क्रियान्वयन के प्रयास

1555. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सफलता के लिए अब तक जिला वार क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए बिहार के मयूरमंज जिले में क्या कार्य किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से उपेक्षित चना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और यह सूचना उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर जाएगी।

छठी योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति

1556. डा. ए. यू. आजमी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों को जुटाने में राज्य सरकार की असफलता और बढ़े हुए वेतनों तथा महंगाई भत्ते के कारण व्यय में वृद्धि राज्य बिजली बोर्डों और सड़क परिवहन निगमों को बढता हुआ घाटा जिससे अधिकांश राज्यों के ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि हुई है छटी योजना की धीमी प्रगति के लिये दोषी है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की ओर से उपरोक्त असफलता को रोकने और अधिक से अधिक जहाँ तक सम्भव हो सके सरकारी व्यय में मितव्ययिता बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनका व्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार छठी योजना के पहले दो वर्षों, 1980-81 और 1981-82 का सभी राज्यों का मिलाकर योजना व्यय के अनुमोदित योजना परिव्यय की अपेक्षा अधिक होने की आशा है। लेकिन उनकी 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने में उनके अपने संसाधनों में काफी कमी रही है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजनों से पूरा किया गया है। 1982-83 के लिए वार्षिक योजना के दस्तावेज के पैरा संख्या 3.3 और 3.9 की ओर ध्यान आकृष्ठ किया जाता है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है।

रंगीन टेलिविजन के पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस

1557. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
डा सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री धर्मदास शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए विदेशों से पुर्जे आयात करने हेतु हाल में लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष जारी किये गए लाइसेंसों का कुल मूल्य क्या है;

(ग) अगस्त, 1982 तक देश में ऐसे आयात किये गये पुर्जों का मूल्य क्या है; और

(घ) किन किन व्यक्तियों और फर्मों को ये लाइसेंस जारी किये गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) एशियाड-82 खेलों की अवधी के दौरान तात्कालिक आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए एक सामायिक एवं तदर्थ व्यवस्था के रूप में रंगीन दूरदर्शन सेटों का संयोजन करने के लिए कल पुर्जों की किटों का आयात करने के उद्देश्य से हाल ही में लाइसेंस जारी किए गए हैं और इस समय भी जारी किए जा रहे हैं।

(ख) लग-भग 12.90 करोड़ रुपये मूल्य के (कुछ अभी भी जारी किए जा रहे हैं)।

(ग) शून्य।

(घ) रंगीन दूरदर्शन किटों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से जिन फर्मों की सिफारिश की गई है, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रंगीन दूरदर्शन किटों के आयात लाइसेंस जारी किए जाने के लिए जिन फर्मों की सिफारिश की गई है उनके नाम

1. मेसर्स बुश इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।
2. अपट्रोन इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
3. मेसर्स विडियो इलेक्ट्रानिस प्राइवेट लिमिटेड, साहिबाबाद।
4. मेसर्स डिस्को इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली।
5. मेसर्स जुपिटर रेडियोज (रजिस्ट्रर्ड), नई दिल्ली।
6. मेसर्स डाइनाविजिन, मद्रास।
7. मेसर्स विलियन, मद्रास।
8. मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली।
9. मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स, कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
10. मेसर्स टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
11. टी. वी. काम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।
12. मेसर्स टेलिराम (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता।
13. मेसर्स सोनोडाइन टी· वी. कम्पनी, कलकत्ता।
14. मेसर्स इ. सी. आई. एल., हैदराबाद।
15. मेसर्स बेलटेक इलेकट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
16. मेसर्स उड़ीसा स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, (कोनार्क)।
17. मेसर्स केरला स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. त्रिवेन्द्रम।
18. मेसर्स भारत टी. वी. हैदराबाद।
19. मेसर्स पोलीस्टार इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि., बम्बई।
20. हाई-बीम इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि. मद्रास।
21. बी. एल. आर. एस., मद्रास।
22. ओ. ई. एल, मद्रास।
23. मेसर्स किंगस्टोन इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली।
24. मेसर्स अमर इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली 18.
25. मेसर्स केनन इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
26. मेसर्स आर. के- इलेक्ट्रानिक्स, नारोदा।
27. मेसर्स ओंकार इलेक्ट्रानिक्स पाखोवाल, लुधियाना।
28. मेसर्स वी. वी. रामा राव एण्ड कम्पनी, हैदराबाद।
29. मेसर्स नावको इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड लुधियाना।
30. मेसर्स आचार्य इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नागपुर।
31. मेसर्स कोसर इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लिमिटेड बम्बई।

32, मेसर्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेपपलमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि. जयपुर।

33. मेसर्स सुदर्शन इलेक्ट्रानिस एण्ड टी. वी. लिमिटेड, बम्बई।

34. मेसर्स एस. के. इलेक्ट्रानिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

35. मेसर्स जोली रेडियो एण्ड साउन्ड सर्विस रामपुर।

36. मेसर्स जम्मू एण्ड काश्मीर स्टेट इण्डस्ट्रीयल कश्मीर।

37. मेसर्स कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. बंगलौर।

38. मेसर्स अनादीगी इन्स्ट्रमेन्ट्स (प्रा.) लि. हैदराबाद।

39. मेसर्स सिम्पलेक्स वाटवा (अहमदाबाद)

40. मेसर्स विडियो टेकनिक प्रा. लि. बंगलौर

41. मेसर्स सकुरा इलैक्ट्रानिक्स प्रा. लिमिटेड मद्रास।

42. मेसर्स अम्बर टेलिविजिन प्रा. लिमिटेड बम्बई।

43. मेसर्स मस्टाँग इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास।

44. मेसर्स जेम्रोरसी इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बंगलौर।

45. मेसर्स पंजास्टार स्टैन्डर्ड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबबादा अजीत सिंह नगर।

46. मेसर्स वैबल, टेलीविजन लिमिटेड, कलकत्ता

47. मेसर्स कोसमिक रेडियो, बम्बई।

48. मेसर्स कासमिक इलेक्ट्रानिक्स, वडोदरा।

49. मेसर्स बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना।

50. मेसर्स सालिडेयर इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड पंजाब।

51. मेसर्स डाल पिनार, मद्रास।

52. मेसर्स हिलमैंन विडियो कलर (प्रा.) लिमिटेड, अलमोड़ा।

53 मेसर्स विन्टेक इलेक्ट्रानिक्स (इण्डिया) प्राइवेट, लिमिटेड, दिल्ली।

54. मेसर्स केलकॉम इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लिमिटेड दिल्ली।

55. मेसर्स महाराष्ट्रा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई।

56. मेसर्स बेलट्रान इलेक्ट्रानिक्स एन्ड इलेक्ट्रीकल, मोहाली।

57. मेसर्स के. डी. एण्ड सन्स दिल्ली।

58. मेसर्स लोनियल इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

59. मेसर्स ग्रेवाल रेडियो कम्पनी (प्रा.) लि. लुधियाना।

60. मेसर्स जे. एस. एन्टरप्राइजिज, अमृतसर।

61. मेसर्स सिंह रेडियो कम्पनी (इण्डिया) लि. नई दिल्ली।

62. मेसर्स सुपरन विजन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास।

63. मेसर्स जी. सी. जी. रेडियो करपोरेशन नई दिल्ली।

64. मेसर्स एम्पायर ट्रेडिंग कम्पनी, नई दिल्ली।

65. मेसर्स हरियाणा टी. वी. लिमिटेड, फरीदाबाद।

66. मेसर्स प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रानिक्स कलकत्ता।

67. मेसर्स एपट्रो इलेच्ट्रानिक्स प्रा. लिमिटेड (सेटविन) हैदराबाद।

68. मेसर्स मॉडर्न रेडियों एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, फगबाडा।

69. मेसर्स यू. एम. एस. रेडियो फैक्ट्री प्रा लिमिटेड कोयमबेतूर।

पश्चिमी समुद्र तट क्षेत्र का विकास

1558. **श्री बापू साहिब परूलेकर :**
श्री मोतीभाई आर. चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी समुद्र-तट क्षेत्र के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब और किन स्थानों पर किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को कोई सर्वेक्षण रिर्पोट मिली है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

काजू के छिलकों के तेल का उपयोग

1559 : **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू उद्योग के उप-उत्पाद काजू के छिलकों के तेल का पूर्ण उपयोग और पूर्ण दोहन करने के लिये कोई कदम उठाया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस तेल का निर्यात जापान, ब्रिटेन और अमरीका को क्रेताओं द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर किया जा रहा है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबंध करने का विचार किया जा रहा है तथा किये जाने का विचार है कि उस तेल का उपयोग अपने देश में भली भांति किया जाये और निर्यात बाजार में उसका उचित मूल्य रखा जाए ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, रेल मत्रालय, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना और केन्द्रीय भवन अनुसंधान-संस्थान, रूड़की ने विभिन्न औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए काजू के छिलकों के उपयोग की विभिन्न प्रक्रियायें विकसित की हैं।

(ख) काजू के छिलकों का तेल निर्यात किया जा रहा है और इसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी विद्यमान कीमत के संदर्भ में लगाई गई है। जनवरी से मई, 1982 के दौरान 1986 मी. टन काजू के छिलकों के तेल का निर्यात किया जबकि वर्ष 1981 की इसी अवधि में 3577 मी. काजू के छिलकों के तेल का निर्यात किया गया था। इससे इस वस्तु के निर्यात में आई काफी गिरावट का पता चलता है। 1982 की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन, इंगलैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका को बिल्कुल निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) काजू के छिलकों के तेल का देश में पहले ही पेंट और वार्निस, संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) रेनिज, कागज और लिनियोयिम वाउन्डर तथा फर्श पर बिना जोड़ के लगाने एवं तेल टैंकरों पर लाइनिंग लगाने हेतु एपोक्सी रेजिन कोलतार मिश्रण तैयार करने और अन्य औद्योगिक

कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है तेल की केवल फालतू मात्रा का ही निर्यात किया जा रहा है।

महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के लिए न्यायालयों की स्थापना

1560. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और अत्याचारों की जांच के लिये अलग न्यायालय स्थापित करने पर सहमत हो गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ग) क्या केन्द्र ने उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के विरूद्ध किये गए अपराधों के लिये अलग न्यायालय स्थापित करने के लिये कहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य शरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश द्वारा दिल्ली के ऊपर जिला तथा सत्र न्यायधीश श्री जे डी कपूर के न्यायालय का दहेज सबधी ऐसे सभी मामलों के विचारण के लिए अलग किया है जो इस समय विभिन्न न्यायालयों में पड़े हैं। दहेज के कारण हुई मौतों से संबंधित नए मामले भी श्री जे डी कपूर के न्यायालय को सौंपे जाएंगे । उत्तर पूर्व, पश्चिम केन्द्रीय तथा दक्षिण (नई दिल्ली समेत) पुलिस जिलों के लिए मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पांच न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामलों के विचारण के लिए अलग किए गए हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्र में मदी

1561. **प्रो. रूप चन्द्र पाल** :
श्री बापू साहिब परूलेकर :
श्री रामावतार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दी से अनेक उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार इस संकट पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही करने का हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (अन्तिम) के आधार पर समग्र सूचकांक में अप्रैल-जून, 1982 में अप्रैल-जून, 1981 की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में सामान्यतः बढ़ोतरी दिखाई दी है, फिर भी, कुछ उद्योगों में पूर्ति और मांग के बीच कुछ अल्पकालिक सामन्जस्य स्वाभाविक प्रक्रिया का एक पहलू समझा जा सकता है।

कोकिंग कोल का आयात

1562. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोल का वर्ष 1981-82 के दौरान कितना आयात किया गया था और 1982-83 में कितना आयात किया जायेगा ;

(ख) देश में कोकिंग कोल का वर्ष 1982-83 में कुल कितना उत्पादन हुआ था और वर्ष 1982 83 की कुल आवश्यकता कितनी है; और

(ग) कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों के इस्तेमाल के लिए 6.47 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया गया था । वर्ष 1982-83 में लगभग 16 लाख टन कोककर कोयला आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कोल इंडिया लि० का कोककर कोयले का कुल उत्पादन लगभग 243.14 लाख टन था । वर्ष 1982-83 के दौरान कोककर कोयले का उत्पादन 263 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) : बढ़िया किस्म के कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए झरिया की कोयला खानों का पूर्ननिमाण करने तथा बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की नई खानें खोलने तथा कोयला शोधनशालाएं लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं । मध्यम किस्म के कोककर कोयले की शोधनशालाएं लगाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है ।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाना

1563. **कमल नाथ :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या उड़ीसा में रूस के सहयोग से एक नया इस्पात संयंत्र खोलने के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं,

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1982 में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की मास्को में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने उड़ीसा में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के निर्माण में सोवियत सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में विचार-विनिमय किया था ।

दिल्ली में स्कूटरों की चोरियां

1564. **श्री नवीन रवाणी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में स्कूटरों की चोरियों में उल्लेखनीय वद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 और 1982 में जून तक कुल कितने स्कूटरों की चोरी हुई है ;

(ग) उनमें से कितने स्कूटर बरामद किये गए;

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस स्टेशनों के बीच समन्वय की कमी के कारण ह्विकिल्स गाड़ियों की विशेष रूप से टू ह्वीलरों की उनके मालिकों को ढूंढने का प्रयत्न किए बिना नीलामी कर दी जाती है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि में कितने टू ह्वीलर बरामद किए गए और कितनों की नीलामी की गई और उनकी नीलामी किस प्रकार की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमन। पिछले वर्ष के छ: महीनों की अवधि, जब 525 स्कूटरों की चोरी के मामले सूचित किये गये थे, की तुलना में चालू वर्ष में इसी अवधि के दौरान सूचित किये गये स्कूटर चोरी के मामले 443 थे।

(ख) तथा (ग) - आंकड़े नीचे दिये हैं :—

वर्ष	सूचित की गई स्कूटर चोरियां	बरामद किये गये स्कूटर
1981	1059	656
1982 (30-6-82तक)	443	283

(घ) बरामद किये गये स्कूटर को नीलाम किये जाने से पहले उसके मालिक का पता लगाने का हर प्रयास किया जाता है।

(ङ) बरामद किये दो पहिये वाले स्कूटरों की संख्या उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में बताई गई है। बिना दावे वाले 11 स्कूटर 1981 में नीलाम किये गये थे और बिना दावे वाले 4 स्कूटर 1982 में (30-6-1982 तक) नीलाम किये गये हैं।

नैनीताल में एच. एम. टी. घड़ियों की फैक्ट्री खोलना

1566. **श्रीकृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स नैनीताल (उ. प्र.) में 44 करोड़ रूपये की पूंजी से घड़ियों की एक फैक्ट्री खोल रहा है, फैक्ट्री स्थापित करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा और यह किस तारीख से काम शुरू कर देगी ; और

(ख) क्या वह सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण रखेंगे ?

उद्योग यथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एच. एम. टी. लिमिटेड 20 लाख घड़ियां/घड़ी उपकरण बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में रानी बाग में एक नया कारखाना स्थापित कर रहा है। इस सम्बन्ध में एच. एम. टी. के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

2. कुल 44.71 करोड़ रूपये पूंजी लगने का अनुमान है। कारखाने को 1985 में

परीक्षण उत्पादन शुरू होने जाने और उत्पादन शुरू होने के पश्चात चौथे वर्ष अर्थात् 1987-88 में पूरी क्षमता अर्थात् 20 लाख घड़ी उपकरण सैट प्रति वर्ष प्राप्त कर लेने की आशा है। घड़ी उपकरण सैट के उत्पादन का 50 प्रतिशत लघु उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत एच. एम टी. की कैप्टिव एसेम्बली एककों में जोड़ा जाएगा। लगभग 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के अलावा इस योजना से लघु उद्योग और ऐसिलरी घड़ी असैम्बली यूनिटों में पर्याप्त रूप में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे ।

13 अक्तूबर, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्म निर्भरता

1567. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु बिजली केन्द्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि आणविक ऊर्जा के चेयरमैन के हाल दो वक्तव्य के अनुसार परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्म निर्भरता न केवल अपेक्षित लक्ष्य है बल्कि भारत के लिए यह अभिन्न आवश्यकता बन गई है; और

(ख) देश में इस समय परमाणु बिजली पैदा करने की कितनी अधिष्ठापित क्षमता है और इसमें कितनी बिजली पैदा की जा रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) देश में इस समय परमाणु बिजली घरों के जो यूनिट लगाए जा रहे हैं उनके लिए आयात पर किया जाने वाला खर्च पहले ही घटाकर यूनिटों की लागत का लगभग 10% कर दिया गया है। और भी ज्यादा स्वदेशीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) परमाणु बिजली के उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता यह है कि तारापुर में दो यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 210 मेगावाट है, और रावतभाटा में भी दो यूनिट हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है।

पिछले दो वित्त-वर्षों में प्रत्येक बिजलीघर का यूनिट-वार सकल उत्पादन निम्नलिखित रहा है :—

बिजली घर	वर्ष/सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	
	1980-81	1981-82
तारापुर परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	1140.55	875.81
दूसरा यूनिट	632.82	1090.88
राजस्थान परमाणु बिजलीघर		
पहला यूनिट	1034.80	380.50
दूसरा यूनिट	*	676.70

* दूसरे यूनिट में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1.4.81 से ही शुरू हुआ है।

कर्नाटक में इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव

1568. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होसपेट (बेल्लारी जिला, कर्नाटक) के नजदीक पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से एक इस्पात सयंत्र लगाने का प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग अथवा विदेशी सहयोग के बिना अविलम्ब परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) और (ख) विजयनगर में इस्पात कारखाना लगाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है। निम्न-लिखित प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं :—

(1) कारखाने के लिए भूमि-अर्जन (धातुमल के ढेर के लिए भूमि को छोड़कर)
(2) स्थालाकृतिक सर्वेक्षण
(3) भभौतिकीय सर्वेक्षण।
(4) मिटटी की जांच।
(5) जल को स्थायी आपूर्ति हेतु आरम्भिक जांच कार्य।
(6) कच्ची सामग्री की जांच तथा परीक्षण।
(7) निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री की जांच तथा परीक्षण।
(8) रेलवे द्वारा यातायात तथा इंजीनियरी के सम्बन्ध में पारम्भिक सर्वेक्षण।
(9) इस्पात नगर का विकास तथा इसकी वृहत्त योजना।
(10) कारखानों के लिए अर्जित भूमि के चारों ओर बाड़ लगाना।

कारखाने का निर्माण-कार्य निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा।

हरिजनों के साथ विवाह करने वाली संवर्ण महिलाओं को हरिजनों के रूप में मान्यता

1569. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न जाति के व्यक्ति से विवाह करने वाली ऐसी सवर्ण महिला को इस तथ्य के बावजूद हरिजन के रूप में मान्यता न देने के क्या कारण हैं जिसे समाज में हरिजन के रूप में स्वीकार कर लिया है और जिसके बच्चों को हरिजनों के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ख) क्या सरकार कानून में संशोधन करने के लिए कार्यवाही करेगी ताकि जो महिला हरिजन के साथ विवाह करती है उसे हरिजन के रूप में मान्यता दी जाये और उसे वे सभी सुविधाएं मिलें जो हरिजनों को उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति केवल इसी कारण से किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाता है कि उसने किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के पुरुष/महिला से विवाह किया है। इसको दृष्टि में रखते हुए "उच्च" जाति की कोई महिला जो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करती है, को किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। जहां तक ऐसे विवाहों से हुए बच्चों का संबंध है, वर्तमान स्थिति यह है कि जहां किसी बच्चे का अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के

रूप में ऐसे समुदाय में पालन पोषण किया जाता है तो उस बच्चे को अनुसूचित जाति का सदस्य समझा जायगा। इस समय गैर अनुसूचित जाति समुदाय की किसी महिला जिसने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, को अनुसूचित जाति के एक सदस्य के रूप में मान्यता देने और अनुसूचित जातियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिला अभियुक्तों को हाल में पूछताछ के लिये और हिरासत में रखने के लिये पुलिस स्टेशन ले जाने के बारे में राज्यों को आदेश

1571. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के इन मार्ग निदेशों का पालन किया जा रहा है कि महिला अभियुक्तों को रात में पूछताछ के लिए तथा हिरासत में रखने के लिये पुलिस स्टेशन न ले जाया जाय; और

(ख) क्या ये अनुदेश राज्य सरकारों को भेजे गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में न ले जाने और रात्रि में उन्हें नजरबंद न रखने के बारे में कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं। तथापि पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई अथवा पूछताछ के लिए रोकी गई महिलाओं के साथ दुर्व्यहार के बारे में बारम्बार आरोप को देखते हुए 14 मार्च 1980 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को व्यापक अनुदेश दिये गये थे कि वे पुलिस को महिलाओं के साथ अनादर अथवा दुर्व्यवहार करने से रोकने के लिए आवश्यक कारगर कदम उठायें। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार न किया जाय।

लाइसेंस जारी करना

1572. **श्री के राममूर्ति :**

श्री अजय विश्वास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये आशय-पत्रों के राज्यवार आँकड़े तथा इस प्रकार के आशय-पत्रों के उद्योग-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के आशय-पत्रों में से कितने औद्योगिक लाइसेंस होगये हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरानी जारी किए गए आशयपत्रों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण I संलग्न है। सभी आशयपत्रों का उद्योगवार ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1979 से 1981 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए आशय पत्रों में से औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किए गए आशयपत्रों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण-संलग्न है।

विवरण 1

वर्ष 1979 से 1981 की अवधि में जारी किए गए आशयपत्रों का राज्यावार ब्यौरा बताने वाला विवरण :

राज्य	आशयपत्र 1979	1980	1981
1. आन्ध्र प्रदेश	44	78	69
2. अंडमान और निकोबार	...	...	...
3. अरुणाचल प्रदेश	...	...	1
4. असम	...	2	7
5. बिहार	6	19	17
6. चंडीगढ़	...	...	1
7. दादरा और नगर हवेली	...	...	...
8. दिल्ली	2	2	9
9. गोवा, दमन और द्वीव	2	9	8
10. गुजरात	118	148	131
11. हिमाचल प्रदेश	6	11	15
12. हरियाणा	26	59	59
13. जम्मू और काश्मीर	...	12	8
14. कर्नाटक	34	73	58
15. केरल	11	22	25
16. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अण्डमान द्वीप समूह	...	...	...
17. मध्य प्रदेश	34	4[illegible]	30
18. महाराष्ट्र	105	175	144
19. मणिपुर	...	...	...
20. मेघालय	1	...	11
21. मिजोरम	...	...	...
22. नागालैण्ड	...	...	6
23. उड़ीसा	5	14	32
24. पांडिचेरी	1	1	3
25. पंजाब	26	38	46
26. राजस्थान	34	45	42
27. तमिलनाडु	35	52	68
28. त्रिपुरा	...	...	...
29. उत्तर प्रदेश	30	80	77

30. पश्चिम बंगाल	28	55	43
31. राज्य जिनको निर्दिष्ट नहीं किया गया है/एक राज्य से अधिक	2	4	6
कुल :	550	946	916

विवरण 2

वर्ष 1979 से 1981 के दौरान स्वीकृत किए गए आशयपत्रों में से औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किए गए आशयपत्रों का राज्यावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण :

राज्य/संघशासित क्षेत्र	1979	1980	1981
1. आन्ध्र प्रदेश	21	35	6
2. अरूणाचल प्रदेश	...	...	...
3. अंडमान और निकोबार	...	...	...
4. असम	...	1	...
5. बिहार	3	5	2
6. चंडीगढ़	...	...	...
7. दादरा और नगर हवेली	...	...	...
8. दिल्ली	...	1	2
9. गोवा, दमन और द्वीव	2	5	...
10. गुजरात	63	55	2
11. हिमाचल प्रदेश	2	3	...
12. हरियाणा	12	12	6
13 जम्मू और काश्मीर	...	...	...
14. कर्नाटक	21	29	6
15. केरल	6	5	4
16. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अण्डमान द्वीप समूह	...	.	...
17. मध्य प्रदेश	11	9	...
18. महाराष्ट्र	74	74	15
19. मणिपुर		...	...
20. मेघालय	...	...	...
21. मिजोरम	...	...	...
22. नागालैण्ड	...	...	...
23. उड़ीसा	1	3	2
24. पांडिचेरी	1	...	...
25. पंजाब	14	1	4

1	2	3	4
26. राजस्थान	20	4	2
27. तमिलनाडु	19	24	4
28. त्रिपुरा	...	...	...
29. उत्तर प्रदेश	11	18	3
30. पश्चिम बंगाल	12	21	6
31. एक राज्य से अधिक	1	3	2

बिजली उद्योग को बढ़ावा देना

1573 : **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बिजली उद्योग को बढ़ावा देने, विशेषकर कुटीर उद्योग जैसे उद्योग को सहायता मिलती है, के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में मशीनरी और तकनीकी सलाह के बारे में आयात सुविधायें प्रदान करने का है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) लघु उद्योगों का संवर्धन करने के लिए सरकार ने देश के करीब 2 सभी राज्यों और संघसाशित क्षेत्रों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है। एककों की स्थापना करने और उनके दैनदिन कार्यों से संबंधित अनेक दूसरे तकनीकी पहलुओं के लिए उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु इन संस्थानों और विस्तार केन्द्रों को सामान्यतया से विभिन्न कार्यों के तकनीकी विशेषज्ञों से मुक्त किया गया है। वित्त और कच्वी सामग्री के आवंटन आदि के लिए दिए गए सामान्य प्रकार के प्रोत्साहनों के अलावा, लघु क्षेत्र में बिजली उद्योगों का संवर्धन करने के लिए केवल लघु एककों द्वारा उत्पादन करने हेतु 62 वस्तुओं का आरक्षण कर दिया गया है। सरकारी खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा केवल लघु क्षेत्र से खरीद करने हेतु 31 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है।

(ख) कुटीर उद्योगों सहित लघु उद्योगों को देश में अनुपलब्ध उपकरणों, कच्ची सामग्री और जानकारी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

ट्रकों का उत्पादन

1574 : **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी ट्रक निर्माता कारखानों ने अपना उत्पादन कम करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) गत वर्ष कितने ट्रक बनाये गये और इस वर्ष कितने बनाये जाने की सम्भावना है;

(ग) कारखानों में डिलीवरी के लिए कितने ट्रक तैयार हैं तथा बाजार में विक्रय एजेंसियों के पास कितने ट्रक हैं; और

(घ) क्या ट्रकों की खरीद के लिए कोई प्रतीक्षा-सूची तैयार की गई है और यदि हां तो प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कुछ निर्माताओं ने अपना उत्पादन कम कर देने की सूचना दी है।

(ख) वर्ष 1981-82 में सम्पूर्ण उद्योग द्वारा कुल लगभग 93,000 वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन किया गया। वर्तमान रूख से ऐसा प्रतीत होता है कि चालू वर्ष में लगभल 89,500 गाड़ियों का उत्पादन होगा।

(ग) टेल्को और अशोक लेलैंड ने सूचित किया है कि उनके डीलरों के पास जमा स्टाक समेत उनके पास अन्तिम रूप से तैयार लगभग 6000 गाड़ियों का स्टाक है।

(घ) टेल्को ने लगभग 65,000 और अशोक लेलैंड ने लगभग 17,000 की प्रतीक्षा सूची होने की सूचना दी है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के एकक की स्थापना

1575. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) फिल्मों का उत्पादन कब तक आरम्भ करने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिलमस मैन्यूफैक्चरिंग क. लि. की विस्तार और विविधीकरण की तथा सिने कलर पाजिटिव फिल्मों को उत्पादन करने सम्बन्धी क्षमता स्थापित करने की योजनाएं हैं। यदि इस अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने का निर्णय ले लिया जाता है तो विभिन्न तकनीकी-आर्थिक तथा नीति विपयक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थापना स्थल के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

उड़ीसा को लोहे तथा इस्पात के सामान की सप्लाई

1576. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोहे और इस्पात के सामान के नियतन और सप्लाई के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने क्या-क्या मांगे की हैं; और

(क) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) उड़ीसा की सरकार ने अपने तूफान तथा बाढ़ राहत कार्यों के लिए लोहे तथा इस्पात की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा था कि उन्हें जून, 1982 से तूफान राहत कार्यों के लिए 4003 टन लोहा और इस्पात सप्लाई किया जाए। "सेल" ने पूरी सप्लाई करने की पेशकश की है। पता चला है कि राज्य सरकार ने अब तक केवल 659 टन माल ही उठाया है।

सितम्बर, 1982 में उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के लिए 5160 टन लोहे तथा इस्पात की मांग की थी। "सेल" ने अब तक केवल 1011 टन माल देने की पेशकश की है तथा शेष मात्रा जल्दी देने को कहा है। पता चला है कि राज्य सरकार ने अब तक केवल 380 टन माल उठाने का प्रबन्ध किया है।

राज्य सरकार को आश्वासन दिया गया है कि सहायता कार्यों के लिए उनकी लोहे तथा इस्पात की आवश्यकता की पूरी तरह पूर्ति की जायेगी।

पाली जिले में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

1577. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पाली जिले के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है, यदि हां, तो कब;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, यदि हां, तो क्या विकास कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) क्या सरकार बताएगी कि इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कितने प्रतिशत राशि निवेश की जायेगी; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने आदिवासियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान। राजस्थान सरकार ने पाली जिले में पाली तहसील के एक आदिवासी क्षेत्र के लिये अक्तूबर, 1978 में प्रस्ताव भेजे थे।]

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) भारत सरकार ने राजस्थान के सघन आदिवासी क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कुल राशियां दी हैं :—

वित्तीय वर्ष	दी गई राशि (रु. लाखों में)
1979-80	190.00
1980-81	210.00
1981-82	206.79

1978-82 के दौरान पाली क्षेत्र को 17.24 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। 1982-83 के लिए 3.77 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) काफी संख्या में जनजातीय व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1979-82 के दौरान 386 परिवारों को लाभ हुआ है।

पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

1578. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में बड़ा अथवा मध्यम उद्योग लगाने पर विचार करेगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए जिनमें राजस्थान के क्षेत्र भी शामिल हैं, राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किये जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय निवेश राजसहायता' रियायती वित्त, करों में रियायत आदि जैसे प्रोत्साहन देती है।

(ग) केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए स्थापना स्थल का निर्णय तकनीकी और आर्थिक आधारों पर किया जाता है और जहां संभव होता है, पिछड़े हुए क्षेत्रों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है।

कर्नाटक में ब्लेड परियोजना की स्थापना

1579. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक में एक ब्लेड परियोजना की स्थापना के लिए 1000 लाख रुपयों से अधिक की विदेशी मुद्रा मजूर की है;

(ख) क्या इस परियोजना के उत्पादनों का मूल्य इतना अधिक होगा कि आम आदमी उसका प्रयोग नहीं कर सकता; और

(ग) यदि हां, तो केवल शहरी अमीरों के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सेपटी रेजर ब्लेडों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है तथा प्रत्येक विनिर्माता को अपने ब्लेड के गुणों एवं बाजार में उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्य स्वयं निर्धारित करना होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजना के समाजिक-आर्थिक पहलुओं का सर्वेक्षण

1580. **डा: बसन्त कुमार पडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में किये गये आदिवासी उप-योजना के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के सर्वेक्षण से किन-किन निष्कर्षों और आंकड़ों का पता चला है, पहचान किये गये गांवों और जिलावार विभाजन का ब्योरा क्या है;

(ख) उपरोक्त गांवों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु पल्ली स्तर पर और परिवार स्तर पर क्या-क्या विशेष योजनायें तैयार की गई हैं और 1982-1983 तथा 1984 के लिए उसकी क्या समय-सारणी है;

(ग) केन्द्र द्वारा कितना वित्तीय नियतन किया जायेगा और अगले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उसमें मध्य प्रदेश राज्य की वित्तीय भागीदारी कितनी होगी;

(घ) आदिवासी उत्थान के लिए इन विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किन एजेंसियों को नामनिर्देशित किया गया है और उनको क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ङ) क्या सरकार उन योजना के लक्ष्यों का कुछ उत्तरदायित्व वहन करने के लिए इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाओं को आमंत्रित और शामिल करेगी, यदि हां, तो मध्य प्रदेश से सम्बन्धित ब्यौरा दीजिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में प्रत्येक खंड में 5 गांवों में नमूने के आधार पर बेंच मार्क सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार तैयार कर रही है। रिपोर्टें प्राप्त होने पर आगे कारवाई की जाएगी।

बदायूं और एटा (उत्तर प्रदेश) जिलों को सीमेंट का आवंटन

1581. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदायूं और एटा (उत्तर प्रदेश) जिलों को वर्ष 1980, 1981 और 1982 में (मासवार या तिमाही-वार) कितना सीमेंट आवंटित किया गया और इन जिलों को उक्त अवधि में मांग की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने सीमेंट की सप्लाई की गई;

(ख) क्या बदायूं और एटा जिलों में सीमेंट की कमी के कारण कार्य रुक गया है और यह कार्य कब से रुक गया है;

(ग) बदायूं और एटा जिलों को कम सीमेंट देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सीमेंट की अतिरिक्त सप्लाई शीघ्र करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) लेवी सीमेंट वितरण की वर्तमान योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करने के लिये सीमेंट के इकट्ठे आवंटन किये जाते हैं। सीमेंट की उक्त उपलब्धता में से और नई नीति के अधीन, लेवी सीमेंट के वितरण के मानदंडों के अनुसार विभिन्न जिलों में सीमेंट का वितरण करना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का कार्य है। लेवी सीमेंट का जिले-वार आवंटन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा नई नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। किन्तु देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ निर्माण कार्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। देश में सीमेन्ट की उपलब्धता बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है किन्तु लेवी सीमेन्ट के आवंटन में वृद्धि तभी सम्भव होगी जब देश में सीमेन्ट की उपलब्धता में समग्र रूप से सुधार होगा।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के दो डिवीजनों के कलकत्ता से स्थानांतरण

1582. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के दो डिवीजनों यथा,

कोयला डिवीजन तथा तटदूर समुद्री संसाधन डिवीजनों को कलकत्ता से हटाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के अनेक संसद सदस्यों ने उनसे इन डिवीजनों को कलकत्ता में बनाए रखने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोयला प्रभाग तथा तटदूर समुद्री स्रोत प्रभाग को कलकत्ता से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति बताते हुए उन्हें समुचित उत्तर भेज दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों को सहायता

1583. **श्री बी. आर. नहाटा :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक राज्य को 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कर प्रयास (टैक्स एफर्ट) और विशेष समस्याओं के आधार पर किए गए नियतन पर प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की सहायता दी गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : छठी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार आवंटन का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। वर्ष 1980-81 के लिए सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या 9264 के उत्तर में लोक सभा में 29-4-81 को प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए इस प्रकार की सूचना क्रमशः 1981-82 के लिए और 1982-83 के लिए वार्षिक योजना के प्रकाशित दस्तावेजों में उपलब्ध है जो सदन में प्रस्तुत किए गए थे। पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन 1982-83 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में अनंतिम रूप से 215.13 करोड़ रु. बताया गया है और अन्तिम रूप में अनुमोदित 490 करोड़ रु. की योजना के रूप में इसे अब अन्तिम रूप से 290 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है।

छठी योजना के लिए राज्यवार आवंटन का आधार छठी योजना के दस्तावेज (1980-85) के पैरा 5.55 और 5.57 में बताया गया है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। केन्द्रीय सहायता का वर्षवार आवंटन मुख्य रूप से छठी योजना के आवंटनों के दायरे के भीतर किया जाता है और यह किसी विशिष्ट मापदंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है।

विवरण

राज्य	राशि (करोड़ रु.)
1	2
(क) **विशिष्ट श्रेणी के राज्य**	
1. असम	827.02
2. हिमाचल प्रदेश	437.35

3. जम्मू और कश्मीर	1009.00
4. मणिपुर	240.50
5, मेघालय	196.00
6. नागालैंड	209.50
7. सिक्किम	119.50
8. त्रिपुरा	204.13
जोड़ (क)	3243.00
(ख) अन्य राज्य	
1. आँन्ध्र प्रदेश	905.70
2. बिहार	1260.50
3. गुजरात	599.68
4. हरियाणा	234.85
5, कर्नाटक	539.20
6. केरल	430.16
7. मध्य प्रदेश	1013.39
8. महाराष्ट्र	875.91
9. उड़ीसा	659.53
10. पंजाब	300.00
11. राजस्थान	626.31
12. तमिलनाडु	664.80
13. उत्तर प्रदेश	1929 04
14. पश्चिम बंगाल	680 26
जोड़ (ख)	10719.33
(ग) पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, उत्तरी-पूर्वी परिषद् कार्यक्रम आदि	1387.67
कुल जोड़ (क+ख+ग)	15350.00

बिहार में एक कागज के कारखाने की स्थापना

1584. **श्री रणजीत सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने का है जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के छतरा सब डिवीजन में बांस मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सरकार का विचार वहां कागज का कारखाना लगाने का है; और

(घ) क्या यह सच है कि बिहार के पलामू और हजारीबाग जिलों में "फायर क्ले" और अन्य कच्चा माल प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार की आम नीति स्थानीय कच्ची सामग्री के उपयोग पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है।

(ख) से (घ) पलामू और हजारी बाग बिहार के उन जिलों में से हैं जहां कागज उद्योग के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध है। किन्तु इन जिलों के अधिकांश बांस वनों को विद्यमान कागज मिलों को दीर्घकालिक पट्टे पर दे दिया गया है, तथा इनकी मांगों को पूर्णतः पूरी करने के बाद दूसरी कागज मिल की स्थापना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं होगी।

जनजातीय विकास के लिए उप-योजनाएं

1585. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित जनजातीय विकास के लिए उप-योजनायें बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ये उप-योजनायें कहां-कहां लागू की गई हैं ?

गृह मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ये योजनाएं 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में सघन जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

सोवियत रुस द्वारा वापस खरीदे जाने की सुविधा सहित भारत में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना

1586. **श्री बापू राव परांजपे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रुस के प्रथम उप प्रधान मंत्री ने सोवियत रुस द्वारा वापस खरीदे जाने की सुविधा सहित भारत में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) भारत-रूस संयुक्त आयोग के हाल के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रूस की सहायता से भारत में कुछ परियोजनाओं की स्थापना करने और रूस द्वारा अन्तिम उत्पादों की फिर से खरीद करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई है। ठोस प्रस्ताव बनाने के लिए दोनों पक्षों के सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा इस मामले में और आगे जांच की जानी है।

दिल्ली प्रशासन में कार्य कर रहे अभियोक्ताओं (प्रोसीक्यूटरों) के लिए चयन ग्रेड

1589. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री दिल्ली प्रशासन में कार्य कर रहे अभियोक्ताओं (प्रोसीक्यूटरों) के लिए चयन ग्रेड के बारे में 28 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ट अभियोक्ताओं के खाली पदों को उन अभियोक्ताओं को पदोन्नत करके भर लिया गया है जिनके पदोन्नति के अवसर 20% हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पदोन्नत किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने अभियोक्ताओं को चयन ग्रेड देने के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने और लागू किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार वरिष्ठ अभियोक्ता का पद अभियोजन निदेशालय के अभियोक्ताओं में से पदोन्नति पर भरा जाता है। इस समय वरिष्ठ अभियोक्ता ग्रेड में केवल एक रिक्त स्थान है, जिसके लिए अभियोक्ताओं में से पदोन्नत करने के मामले पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है। चयन ग्रेड प्रारंभ करने के विषय में दिल्ली प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है और प्रस्ताव को उनके वित्त विभाग को विचार करने के लिए भेजा गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पादन उपकरण का निर्माण

1589. **श्री रामप्रसाद अहिरवार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों के दौरान तथा पांचवी योजना अवधि के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कितने विद्युत उत्पादन उपकरणों (मेगावाट में) का निर्माण किया गया और चालू किया गया तथा वहां कितने कर्मचारी काम कर रहे थे;

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इस अवधि के दौरान कितने-कितने रुपये मूल्य का निर्यात किया;

(ग) उक्त निर्यात-कार्य के लिये कितने सामान और पुर्जों का आयात किया गया तथा उसमें कितना शुद्ध लाभ कमाया गया; और

(घ) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित कुल निर्यात में से कितने मूल्य का वास्तविक देशी निर्यात किया गया तथा इन कार्यों को करने के लिये कितने मूल्य के सामान और पूर्जों का आयात किया गया तथा कितना शुद्ध लाभ कमाया गया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बी. एच. ई. एल. द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान और पांचवीं योजना की अवधि में निर्मित किए गए और चालू किए गए विद्युत जनित्रण उपकरण और इन वर्षों में बी. एच. ई. एल. में कर्मचारियों की संख्या विवरण I में दी जाती है।

(ख) पाँचवीं योजना की अवधि में और पिछले तीन वर्षों के दौरान बी. एच. ई. एल. का निर्यात निम्न प्रकार था :—

अवधि	निर्यात (लाख रु. में)
पांचवीं योजना अवधि (1974-79	20850
पिछले 3) वर्ष (1979-82)	33500

(ग) तथा (घ) निर्यात संविदाताओं के मामले में आयातित सामग्री और हिस्से पुर्जे ग्राहक की विशिष्टियों और आवश्यकताओं के आधार पर एक कार्य से दूसरे कार्य में भिन्न होते हैं। औसतन, निर्यात कार्य में प्रयुक्त आयातित सामग्री और हिस्से पुर्जे लगभग 35% से 40% तक हैं।

इन अवधियों में किए गए वास्तविक निर्यात का मूल्य निम्नलिखित था :—

अवधि	भारत से बाहर वास्तविक निर्यात (लाख रु. में)
पांचवीं योजना (1974-79	17150
पिछले तीन वर्ष	10245

इन कार्यों को पूरा करने के लिए आयात किए गए सामान और हिस्से-पुर्जों का मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है। तीन करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य वाली छः प्रमुख टर्न-की परियोजनाओं को पूरा करने में हुआ लाभ और हानि विवरण-2 में दी जाती है।

विवरण-1

बी. एच. ई. एल. में विद्युत जनित्रण उपकरणों का उत्पादन और कर्मचारियों की संख्या

अवधि	बी. एच. ई. एल. द्वारा निर्मित और चालु किए गए विद्युत जनित्रण उपकरण	
	थर्मल सेट	हाइड्रो सेट
पांचवीं पंचवर्षी योजना (1974-79)	5910 (मे. वा.)	2867 (मे. वा)
पिछले 3 वर्ष (1979-82)	3960 (मे. वा.)	1081 (मे. वा.)

बी. एच. ई. एल. में कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	संख्या
1974-75	47700
1975-76	52000
1976-77	53600
1977-78	56137
1978-79	59718
1979-80	63087
1980-81	68333
1981-82	69500

विवरण-2

विद्युत जनित्रण उपकरणों का उत्पादन

लाभ/हानि

क्रमांक	परियोजना	लाभ(+)/हानि(—) (लाख रु. में)
1.	टुग्रांकू जाफ्टर पावर स्टेशन स्टेट II मलवेशिया	(—)136
2.	टी. जे. पी. एस. स्टेज-III, मलयेशिया	(—)225
3.	मोरोगोरों ट्रांसफार्मर्स, तजानिया	(—)13
4.	प्राई पावर स्टेशन, मलयेशिया	(—)133
5.	वादी जीजान इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, सऊदी अरब	(+)527
6.	त्रिपोली वेस्ट पावर स्टेशन, लीबिया	(—)2304

"स्कूटर एक्सपोर्टस हिट बाई पियाग्गियों मूव', शीर्षक से समाचार

1590. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1982 के टाइम्स आफ इन्डिया नई दिल्ली में "स्कूटर एक्सपोर्टस हिट बाई पियाग्गियों मूव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 'पियाग्गियों ने नया सहयोग करार अन्य किन किन दो भानतीय फर्मों के साथ किया है तथा क्या इसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी;

(घ) यह करार उस करार से किस बात में भिन्न है, जो इस फर्म ने एक उस भारतीय फर्म के साथ कर रखा है जिसका मिनी मोटर साइकिल बनाने का नया उद्यम विफल हो गया; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाली विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने की अनुमति देने सम्बन्धी अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले का सम्बन्ध मै. बजाज आटो लिमिटेड और इटली की मै. पियाग्गियों के बीच वाणिज्यिक विवाद से है।

(ग) सरकार ने दो पहिए वाले स्कूटरों का निर्माण करने के लिये इटली की मै. पियाग्गियो के साथ सहयोग करने हेतु लोहिया मशीन्स लिमिटेड और मै आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि. के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

(घ) इन दो कम्पनियों के प्रस्ताव का सम्बन्ध एक ऐसे उत्पाद के निर्माण करने से है जो बजाज आटो लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद से भिन्न है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पर लागू करना

1591 **श्री एन. गांजागिन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मणिपुर के छः स्वायतशासी जिलों की परिषद के चेयरमैंन की ओर से संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पर लागू करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामले पर मणिपुर सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

देश में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वे..ण

1593. **श्री जय नारायण रौत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग परमाणु खनिजों के निक्षेपों का जिनमें यूरेनियम के निक्षेप भी शामिल हैं, पता लगाने के लिए पूरे देश में व्यापक रूप से भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है। इस कार के सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, विहार मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, कर्नाटक त्तरी पूर्वी क्षेत्र, आदि में यूरेनियम के निक्षेपों के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा की है।

अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "बी" सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा

1594. **श्री शिवचरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 तक अनुभाग अधिकारी अशुलिपिक ग्रेड 'बी,' ीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 50 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित थी परन्तु वर्ष ›82 में होने वाली परीक्षा में यह आयु सीमा हटा दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आशुलिपि की परीक्षा को हटाने के बारे में पहले भी अभ्यावेदन ाप्त हुए थे और

(घ) यदि हां, तो इसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां,।

(ख) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड "ख" के ग्रेडों में पदोन्नतियां सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा तथा वरिष्ठता के आधार पर समान अनुपात में की जाती हैं। चूंकि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा की शर्त नहीं थी, इसलिये इस वर्ग की परीक्षा के सम्बन्ध में यह शर्त हटाई जानी उपयुक्त समझी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) किसी वरिष्ठ आशुलिपिकीय पद के लिए किसी उम्मीदवार के योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए उसकी तकनीकी कुशलता (अर्थात आशुलिपि) सहित परीक्षा में उसके कार्य निष्पादन की समस्त रूप में परीक्षा करनी होती है।

क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों का केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति भण्डारों का दौरा

1595. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा विभिन्न आवासीय कालोनियों में चलाये जा रहे स्टोरों का समय समय पर तथा अचानक दौरे करने के लिए कहा है ताकि किसी शिकायत या अनियमितताओं को विभाग के ध्यान में लाया जा सके और समिति के कार्यकरण में सुधार के लिए सुझाव दिये जा सकें और केन्द्रीय कर्मचारियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो शेयर होल्डरों का एक निर्वाचित निकाय होते हुये इस आदेश की क्या आवश्यकता है और अपने अधिकारियों को दिए गए निदेश वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इसकी खुदरा दुकानों पर अनिवार्य वस्तुयें तथा राशन की चीजें न मिलने के क्या कारण हैं और वे चीजें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एन. आर. लास्कर) (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की स्थापना दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न आवासीय कालोनियों में बहुत बड़ी संख्या में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को दैनिक आवश्यकताओं की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के विचार से एक कल्याणकारी उपाय के रूप में की गयी थी। इसलिए सरकार की यह देखने में रूचि है कि यह समिति उन उद्देश्यों को पूरा करती रहे जिनके लिए इसका गठन किया गया था। आदेश का प्रयोजन समिति के दैनिक कार्यकलापों में बाधा डालना नहीं है बल्कि खुदरा स्टोरों के उचित कार्यकरणों के बारे में सूचना का स्वतन्त्र स्रोत प्राप्त करना है। इसलिए आदेश वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) यह समिति सारी दिल्ली/नई दिल्ली में फैले 37 खुदरा स्टोर चलाती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती हैं कि इन सभी स्टोरों में दैनिक उपयोग की सभी अनिवार्य वस्तुएं (राशन की वस्तुओं सहित) हर समय उपलब्ध रहें। किन्तु जब किन्हीं

वस्तुओं की भारी मांग होती है तो कभी कभी कमी पड़ जाती है लेकिन नये माल की पूर्ति शीघ्र ही कर दी जाती है ।

कागज के मूल्यों में वृद्धि

1596. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज मिल मालिकों ने गत दो वर्षों के दौरान कागज के मूल्यों को 2750 रुपए प्रति मी. टन से बढ़ा का 4200 रुपए प्रति मी. टन कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कागज मिलों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने कागज के मूल्य बढ़ाए हैं; और

(ग) कागज का मूल्य जब 2750 रुपये प्रति मी. टन था तब प्रति मी. टन उत्पादन लागत (श्रमिकों की मजूरी, विद्युत और कच्चा माल) कितनी थी और अब यह बढ़ कर कितनी हो गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कागज (नियन्त्रण) आदेश, 1979 में यथा परिभाषित छपाई के सफेद कागज को छोड़ कर विभिन्न किस्म के कागज पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है । कागज उद्योग ने अगस्त, 1974 में 2750 रुपये प्रति मी. टन की दर से छपाई के सफेद कागज का संभरण करने का प्रस्ताव किया था । इसके पश्चात, कागज (नियन्त्रण) आदेश 1979 के द्वारा छपाई के सफेद कागज के कारखाने से निकलते समय के मूल्य, समय समय पर निम्न प्रकार से बढ़ा दिए गए :

तिथि	प्रति मी. टन मूल्य
30-9-1979	3000/-रु.
29-11-1980	3500/-रु.
24-12-1981	4200/-रु.

(ग) वर्ष 1974 में छपाई के सफेद कागज के संभरण के लिए जब 2750/- रुपये प्रति मी. टन का प्रस्ताव किया गया था, तब इसकी औसत लागत लगभग 2300 रु. प्रति मी. टन थी 4200 रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक मूल्य कुशलता वाले एककों के उत्पादन की भारित औसत लागत पर आधारित है जिसमें लागत अध्ययन के लिये चुने गए छपाई के सफेद कागज के उत्पादक एककों का दो तिहाई उत्पादन शामिल है ।

विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

1597. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कितने इस्पात का उत्पादन किया गया और प्रत्येक संयंत्र में इस्पात की कितनी अनबिकी मात्रा पड़ी हुई है; और

(ख) इस समय संयंत्र में पड़े इस्पात का मूल्य कितना है और इसे विदेशी बाजार में बेचने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों तथा इस वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 1982) के दौरान "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा "टिस्को" का विक्रेय इस्पात का उत्पादन इस प्रकार है :

(हजार टन)

वर्ष	सेल के कारखाने	टिस्को
1979-80	4635	1447
1980-81	4766	1537
1981-82	5651	1605
1982-83 (अप्रैल-सितम्बर, 1982)	2553	760

1.9.82 को कारखानों में स्टाक की मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार था :

	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1. सेल के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	3.37	130
2. टिस्को	0.66	29.7

जुलाई, 1982 में "सेल" ने 10,974 टन गर्म बेलित क्वायलों का निर्यात किया था। गर्म बेलित क्वायलों का और अधिक निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अन्तराष्ट्रीय बाजार में इस समय मन्दी की स्थिति को देखते हुए निर्यात के लिए कोई नये करार करना सम्भव नहीं हो सका है।

कर्नाटक में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ी बनाने वाले कारखाने की स्थापना

1598. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में घड़ियों तथा मशीनों के लिए नई परियोजनायें स्थापित करके हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अपने विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो विस्तार प्रणाली योजनाओं का स्वरूप क्या है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भविष्य में राज्य से बाहर कितने कारखाने स्थापित करने का विचार कर रहे हैं; और

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) एच. एम. टी. को कर्नाटक राज्य में स्टेपर मोटर्स के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस और क्वार्ट्ज डिजिटल घड़ियों के निर्माण हेतु एक आशयपत्र दिया है। एच. एम. टी. को हिमाचल प्रदेश में फ्यूल इंजक्शन उपकरणों ओर आसाम में मिनियेचर बटल बैटरी सेलों के

निर्माण के लिए भी आशय पत्र दिए गए हैं। एच. एम. टी. की उत्तर प्रदेश में एक घड़ी कारखाना लगाने की भी मंजूरी दी गई है।

रंगीन दूरदर्शन के उपकरणों का आयात

159. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1982 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इलेक्ट्रानिक उपकरण उद्योग ने दावा किया है कि वह रंगीन दूरदर्शन के लिए भारी मात्रा में उपकरणों की मांग को पूरा कर सकता है;

(ख) क्या सरलार से अनुरोध किया गया है कि यदि सरकार स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक उपकरण उद्योग को जीवित रखना चाहती है तो रंगीन दूरदर्शन के उपकरणों का आगे आयात बन्द किया जाये; कौर

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) रंगीन दूरदर्शन रिसीवर की दीर्घकालीन औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक नीति बनाते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण और अनुदान

1600 **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी मशीनरी के आधुनिकीकरण और इसे बदलने के लिए कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया है; और

(ख) इस योजना से कितनी कम्पनियों को लाभ हुआ और उनके नाम क्या हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने के प्रयोजन से जो ऋण सहायता मंजूर की गई वह नीचे दर्शाई गई है

वर्ष	सुलभ ऋण योजना के अंतर्गत		आधुनिकीकरण/पुनर्वास योजना के अतर्गत	
जुलाई-जून	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की राशि	स्वीकृत संख्या
1979-80	77	94.2	20	11.6
1980-81	62	73.2	14	48.8
1981-82	77	92.3	19	37.4
योग	216	259.7	43	97.8

(ख) साहूकारों (बैंकरों) में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुरूप प्रत्येक बैंकों के हिस्से से संबोधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती। अतः आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक कंपनी को मिलने वाली बैंक सहायता से संबंधित जानकारी को प्रकट करना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा रेल, तथा सड़क संचार का विकास

1601. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद् के इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में रेल तथा सड़क संचार संबंधी प्रस्ताव क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने इन समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेल और सड़क सचार के बारे में समस्याओं के अध्ययन के आधार पर, उत्तर पूर्वी परिषद के कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है जिनमें अन्तर्राज्यीय सड़कें, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें, मुख्य नदियों पर पुल और रज्जूमार्ग के लिए सर्वेक्षण और रेलवे तन्त्र का विस्तार/विकास सम्मिलित है पांचवीं योजना अवधि में परिषद ने मुख्यतः अन्तर्राज्यीय सड़कों पर ध्यान दिया और 400 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए खर्च/वित्त प्रबन्ध किया और वर्तमान 1100 किलोमीटर निम्नस्तर की सड़कों का सुधार किया। उत्तर पूर्वी परिषद की छठी योजना के कार्यक्रमों के लिए अभी तक 1080 किलोमीटर नई सड़कों, 797 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 1300 किलोमीटर (लगभग) आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के कार्य को अनुमोदित किया है। उत्तर पूर्वी परिषद लगभग 67 करोड़ रुपये की लागत से भी भोरागुरी (तेजपुर) के नजदीक ब्रहमपुत्र नदी पर एक सड़क पुल के निर्माण की वित्त व्यवस्था कर रहा है। वे डिब्रूगढ़ में ब्रहमपुत्र पर एक दूसरे रेल एवम् सड़क पुल के सर्वेक्षण के लिए धन दे रहे हैं।

उत्तर पूर्वी परिषद ने पांचवी योजना अवधि के दौरान 8 रेलवे लाईनों (211 किलोमीटर) के ट्रेफिक एवं इंजीनियरिंग सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कदम उठाए। इनमें से 6 रेल सम्पर्क कार्य निष्पादन के लिए स्वीकृत कर दिये गए हैं। उत्तर पूर्वी परिषद छठी योजना सर्वेक्षण के दौरान, अन्य रेलवे लाईनों के विस्तार/निर्माण के लिए, जागी सड़क से बदरपुर तक बड़ी लाइन, कुमारघाट से अगरतल्ला तक मीटर गेज, पंचरत्नाघाट से गोहाटी तक बड़ी लाईन के सर्वेक्षण को पूरा करने और चापरमुख से डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाईन का सर्वेक्षण लालघाट से वेरंगगेट, दीमापुर से चेमूकडिया, लेखापानी से खारसंग और जिरीबाग से मकर तक मीटर गेज लाईन के लिए भी धन की व्यवथा कर रही है।

1980 और 1981 में आयोजित पूर्वोतर परिषद की बैठकें

1602 **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोतर परिषद् की वर्ष 1980 और 1981 में कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वोतर परिषद को सुदृढ़ बनाने की योजना बनाई है ताकि परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके; और

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री निहार रंजन लास्कर : (क) 1980 और 1981 के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद की चार बैठकें हुई हैं।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी परिषद, जो संसद के एक अधिनियम (उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971) द्वारा अस्तित्व में आई, के निष्पादन के लिए कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसे आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, अन्तर राज्य परिवहन तथा संचार, विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में इस क्षेत्र का विकास तेज करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए समान तथा समन्वित क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करना है। परिषद इन कार्यों का विधिवत निष्पादन कर रही है और इस समय इसकी रचना में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

छठी योजना परिव्यय का पुनरीक्षण

1603. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **योजना मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना परिव्यय का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित छठी योजना परिव्यय की राशि कितनी होगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इस मूल्यांकन के पूरा होने के लिए परिव्यय में कोई संशोधन करने के बारे में विचार किया जाएगा।

छोटे इस्पात संयंत्रों को कम बिजली की सप्लाई

1604 **श्री चिंतामणी जेना :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ छोटे इस्पात संयंत्र एककों को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें चालू रखने में भारी परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार ऐसे कितने संयंत्र हैं जिनकी ओर से सिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) बिजली की कमी के कारण राज्यवार कितने संयंत्र बन्द हो गये हैं; और

(घ) इस उद्योग को बताने के लिए छोटे इस्पात संयंत्रों की बिजली की आवश्कता को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्यों में लघु इस्पात कारखानो को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है लेकिन इस संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकार को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि बिजली न मिलने के कारण कोई इकाई बन्द हो गई है।

(घ) चूंकि बिजली राज्य सरकार के अन्तरगत आती है इसलिए इस्पात विभाग ने राज्ज सरकारों से अनुरोध किया है कि वे लघु इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करें।

नई इलेक्ट्रानिक नीति की रूपरेखा

1605. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री नवीन रवाणी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार देश में नयी इलेक्ट्रानिक नीति की मुख्य-मुख्य बातों के बारे में घोषणा करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक घोषित किये जाने की आशा है तथा यह देश के लिए कैसे सहायक सिद्ध होगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम

1606. **श्री एन. ई. होरो :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयत्र तथा दामोदर घाटी निगम दोनों ने संयुक्त रूप से वन महोत्सव चलाने का निर्णय लिया है जिसमें गंगा जलाशय के किनारे जो लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र और दामोदर घाटी निगम द्वारा अलग अलग कुल कितनी राशि व्यय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या उन्होंने अपने-अपने बजट में इस व्यय की वित्तीय व्यवस्था कर ली है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाने ने गंगा जलाशय के तटों पर वनरोपण करने हेतु लगभग 2,000 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। इससे गंगा बांध जलाशय के तल में जमने वाली मिट्टी को कम करने और गंगा नदी के तट पर भूमि-कटाव को रोकने में सहायता मिलेगी। दामोदर घाटी निगम ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया था। वनरोपण कार्यक्रम और इस पर आने वाली अनुमानित लागत के बारे में जानकारी दामोदर घाटी निगम से प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में सीमेंट कारखाने

1607. **श्री एन. ई. होरो :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने सीमेंट कारखाने कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी उद्यमों से प्राप्त कुछ आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बिहार राज्य में 6 सीमेंट संयंत्र हैं जो सभी निजी क्षेत्र में हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स, बंजारी।
2. ए. सी. सी. लि., चाइबासा,
3. ए. सी. सी. लि., खालारी
4. ए. सी. सी. लि., सिन्दरी,
5. सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट, जापला और
6. रोहतास इण्डस्ट्रीज लि., डालमियां नगर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या

1608. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री राम बिलास पासवान : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 के दिन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ग) आगामी 2 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाना है?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) 31 अगस्त, 1982 को गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता व्यय का नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध है जिस पर गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं। लेकिन छठी योजना के पहले दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि (लगभग 6 प्रतिशत प्रति वर्ष) को और गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के भाग के रूप में किए गए विभिन्न पुनर्वितरणात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981-82 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 28.0 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 2259.30 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और 560.70 लाख शहरी क्षेत्रों में होंगे।

(ग) 1981-82 की तुलना में छठी योजना के अन्त में लगभग 670 लाख व्यक्तियों को गरीबी के स्तर से ऊपर लाने की आशा की जाती है।

अमेरिका में रह रहे भारतीयों का तकनीक स्थानान्तरित करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव

1610. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि।

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने भारत में उद्योग लगाने के लिए तकनीक स्थानान्तरित करने हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं;

(ग) आयातित तकनीक से किस प्रकार के उद्योग लगाने का विचार है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) समय समय पर अमरीका सहित विदेशों में रह रहे, गैर निवासी भारतीयों द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन भारत में उन क्षेत्रों में जहां विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति है उद्योगों की स्थापना के बारे में पूछताछ की गई है और इस बारे में प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। इस प्रकार की पृच्छाएं और प्रस्ताव विभिन्न हैं और उन्हें किसी विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, उन्हें सुस्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जांचा और अनुमोदित किया जाता है।

(घ) सरकार गैर निवासी भारतीयों से प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए किये जा रहे उपक्रमों का स्वागत करती है और उपस्करों और सामग्री के आयात करने की सुविधा जैसे कुछ विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं।

उद्योग और प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य

1611. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी यूनिटों के उद्योग और प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय स्थापित कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी,, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारंपरिक स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) उद्योगों और प्रौद्योगिकी के बीच सन्निकट समन्वय और सम्पर्क स्थापित करने की ओर सरकार द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता के अनुसरण में, सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

(1) राष्ट्रीय संस्थानों/प्रयोगशालाओं में विकसित प्रक्रियाएं और जानकारियों, नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन (एन. आर. डी. सी.) जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है—के माध्यम से उद्योगों/उद्यमियों को निर्मुक्त की जाती हैं।

(2) राष्ट्रीय संस्थानों/प्रयोगशालाओं की अनुसंधान सलाहकार परिषदों के अंतर्गत उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है ताकि अनुसंधान और उद्योगों के बीच सन्निकट समन्वय बनाए रखा जा सके।

(3) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डलों के अन्तर्गत सामान्य रूप से कुछ व्यावसायिकों/वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को भी शामिल किया जाता है।

(4) एफ. ई. आर. ए./एम. आर. टी. पी. के अंतर्गत न आने वाले औद्योगिक एककों को लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जाती है जब उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी का विकास किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में किया गया हो।

(5) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों उद्योगों, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों को संस्थांगत अनुसंधान और विकास एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मान्यता प्राप्त संस्थांतर्गत अनुसंधान और विकास एककों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के खुला सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एम. ई. सी. ओ. एन., एफ. पी. डी. आई. एल. ई. आई. एल., एन. एस. आई. डी. सी., आदि जैसी परामर्शदाता फर्मों को प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सम्बन्धी क्रियाकलापों को हाथ में लेने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उन्हें कुछ कर प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन उपलब्ध हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) व्यय के वर्ष में शत प्रतिशत तक बट्टे खाते में डालने की अनुमति देकर उद्योगों में अनुसन्धान और विकास में पूंजीगत परिसम्पितियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन।

(ख) अनुमोदित संस्थानों में अनुसन्धान परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए 133% तक भारित कर कटौती प्रदान करना।

(ग) संस्थातंर्गत अनुसंधान और विकास एककों में अनुनोदित अनुसंधान कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 125% तक की भारित कर कटौती प्रदान करना।

(घ) देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सन्यन्त्र और मशीनरी पर किए गए व्यय पर वर्धित पूंजी-निवेश छूट प्रदान करना।

जनजाति-कल्याण योजना

1612. **श्री चिंतामणि जैना :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने जनजातियों के कल्याण की योजनाएं कब शुरू की थीं;

(ख) जनजातियों के कल्याण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और जनजातियों को इनसे क्या लाभ हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने नौकरशाही से कहा है कि वे आदिवासियों के उत्थान की सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के पीछे भावना को समझें और उन्हें उत्साह से लागू करें और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जनजाति कल्याण कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गये थे परन्तु जनजाति उप-योजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी।

(ख) जनजाति विकास के लिए योजनाएं दो श्रेणियों में आती हैं। एक श्रेणी में वे योजनाएं हैं जो परिवार अभिमुख हैं और आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों से संबंधित

है। दूसरी श्रेणी में वे योजनाएं आती हैं जिनमें मूल संरचना का विकास करने की व्यवस्था है। छठी योजना अवधि के दौरान चार व्यापक उद्देश्य (क) अर्थ व्यवस्था अर्थात् कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन उद्योग, लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना (ख) शिक्षा का प्रसार करना (ग) मूल संरचना का विकास करना (घ) शोषण समाप्त करना निर्धारित किये गये हैं। ये कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किये गये हैं कि इनके लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनजातियों को पहुंचे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) जी हां, श्रीमान। परिणाम सामने आने में अधिक समय लगेगा।

"लोहिया मशीन्स टु एंटर मार्केट"

1613. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लोहिया मशीन द्वारा 565 लाख रुपये के 13.5 प्रतिशत ब्याज पर 2.82 लाख परिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी करते समय, जिनमें प्रत्येक का मूल्य 200 रुपये है, लिए गए इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि वेस्पा स्कुटर के वार्षिक उत्पादन की 25 प्रतिशत मात्रा तरजीह के तौर पर आवंटन हेतु रिजर्व रखी जाएगी और प्रत्येक ऋण पत्र को एक स्कूटर बुक कराने का अधिकार होगा, जैसाकि 14 अगस्त, 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "लोहिया मशीन्स टू एन्टर मार्केट" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की गई थी और इसका कम्पनी को जारी किए गए आशय पत्र/लाइसेंस में उल्लेख है; और

(ग) क्या धन इकट्ठा करने के लिए पहले भी किसी कम्पनी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) पूंजी का निर्गम कम्पनी अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के द्वारा विनियमित होता है। द्विपहियों के विक्रय और वितरण पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है और उपयुक्त वाणिज्यिक नीतियों को अपनाना सम्बन्धित कम्पनियों का काम है। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ने शेयरों के प्रारम्भिक निर्गम के दौरान अपने शेयरधारियों को स्कूटरों का तरजीही आवंटन किया था। लोहिया मशीन्स ने बताया है कि उनके निर्णय का आशय इस परियोजना में बड़ी संख्या में छोटे निवेशकर्त्ताओं को शामिल करने से है।

टायरों के मूल्य में वृद्धि

1614. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी जैसे कुछ टायर निर्माताओं ने अभी हाल ही में टायरों के मूल्य बढ़ाए हैं, यदि हां तो वे निर्माता कौन-कौन हैं और उन्होंने मूल्यों में कितनी वृद्धि की है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ट्रक का उपयोग करने वाले टायर के मूल्य घटाने की मांग कर रहे हैं, और

(ग) मूल्यों में बार-बार वृद्धि करने वाले एकाधिकार वादियों से निपटने के लिए

सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है क्योंकि इससे प्रयोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। अप्रैल, 1982 से टायर उत्पादकों द्वारा टायरों/ट्यूबों के मूल्यों में की गई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। टायर उत्पादकों के अनुसार मूल्यों में वृद्धि निविष्टयों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) विद्यमान में आटो मोबाइल टायरों और ट्यूबों के मूल्यों पर कोई भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक नियन्त्रण नहीं है। देश में इस समय 13 कंपनियाँ मोटर गाड़ियो के टायरों ट्यूबों का उत्पादन कर रही है।

विवरण

अप्रैल, 1982 से आगे टायरों के थोक मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण

मूल्य रूप में प्राप्त इकाई

क्र. सं.	कार टायर स्टंडर्ट रेयम एस. डब्ल्यू :	अप्रैल, 1982	मई, 1982	जून, 1982	जुलाई, 82	अगस्त, 82	सितंबर 82
1.	6-70.156 प्लाईरेटिंग सी-49	660-00	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोईपरिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
2.	5-90-15 " " " "	544.00	" "	" "	520.004	515.00 ×	" "
3.	5-20-14 " " "	426.00	" "	" "	4-0.004	435 00 ×	" "
4.	4-60-13 " " "	510.00		" "	520.00 ×	520.00 ×	" "
	ट्रक टायर रेशम						
5.	8-25-20 12 पी आर एन डब्ल्यू, 105	2140.00	" "	" "	2230.004	2150.00 ×	" "
6.	9-00-20 12 " " एम के 11	2480 00	" "	" "	2480 00	2480.00	" "
	मोटर साइकल टायर						
7.	3-25-19 4 प्लाई	210.00	" "	" "	216.00+	216 00	" "
	स्कूटर टायर						
8.	3-50-105 प्लाई	130.00	" "	" "	132.004	132.00	" "
	ट्रैक्टर टायर						
9.	11-2-28/10-28 जी. जी. 6 प्लाइरियर	1615.00	" "	" "	1663.00*	1663.00	" "
10.	12-4-28/11-28एटी एफ एण्ड आर/एफ-206	1982.00	" "	" "	2041.00*	2041.00	" "

1	2	3	5	5	6	7	8
हवाइ जहाज के नाइलोन टायर							
11.	12-00 24/25	16 प्लाई	6930.00	कोई परिवर्तन	6930.00	6930.00	" "
12.	18-00 24/25	12 प्लाई	16147.00	नहीं	16147.00	16147.00	" "
13.	28-1½	रोडस्टार "99"	17.10	" " " "	17.10	17.10	" "

+2.7.1982 से लागू
* 5.7.1982 " " / × 28.8.1982 से लागू

क्रमांक	कोटि	अप्रैल, 1982	मई, 1982	जून, 1982	जुलाई, 1982	अगस्त, 1982	सितम्बर, 1982
	ट्यूबें						
1.	5 90-15(जी-15)कार	61.00	अप	अप	63.00×	61.00	अप.
2.	9.00-20 (ट्रक)	233.00	"	"	242.00×	235.00=	233.00*
3.	3-25 से 16 (मोटर साइकिल)	40.00	"	"	41.00×	40.00=	अप
4.	3-50-10 (दो पहिए वाले स्कूटर)	30.00	"	"	31.00×	30.00	"
5.	ट्रेक्टर 124-26 (11.28) जी. जी.	252.00	"	"	252.00×	अप	"
6.	13-6-28(12-28) ए· ए. एफ. टी. एल. आर.	327.00	"	"	327.00×	"	"
7.	आफ दी हाई वे नाइलोन	420.00	"	"	420.00×	"	"
8.	12.00-24/15						
8.	आफ दी हाई वे नाइलोन 18 00-24/25	1134.00	"	"	1134.00×	"	"

नोट :— ×2.7.82 से प्रभावी
=27.8.82 से प्रभावी
* 15.9.82 से प्रभावी
अप० अपरिवर्तित

लेवी तथा खुली बिक्री की सीमेंट योजनाओं के कार्यकरण का निर्धारण

1615. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक लेवी और खुली बिक्री सीमेंट योजनाओं के कार्यकरण का कोई निर्धारण किया है और यह वस्तु जनता को उचित दरों पर कहां तक तुरन्त उपलब्ध हो रही है;

(ख) क्या निर्माताओं द्वारा कमाए जा रहे लाभ के बारे में कोई लागत लेखा परीक्ष की गई है, क्योंकि इन दोनों के मामले में पूंजीगत लागत ढांचा भिन्न-भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) खुली बिक्री के सीमेंट में निमाता के लाभांश को कम करने और इसका ला: प्रयोक्ताओं को देने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट की आंशिक विनियन्त्रण सम्बन्धी योजना के कार्य की जाँच से पता चला है कि खुले बाजार में मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त सीमेंट की बिक्री से उपभोक्ताओं को सीमेंट की उपलब्धता में सुविधा हुई है। देश के अनेक क्षेत्रों में निर्माण कार्य मरम्मत कार्य तथा रख रखाव, सम्बन्धी कार्यों में सामान्यतया से प्रगति हुई है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्ग नियन्त्रित मूल्यों पर सीमेंट प्राप्त करते रहेंगे। आंशिक विनियन्त्रण सम्बन्धी योजना के लागू होने के बाद सीमेंट उत्पादन में मार्च-अगस्त, 1982 की अवधि के दौरान वर्ष 1981 की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उसके अलावा, सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण सम्बन्धी योजना में सीमेंट एककों के विस्तार, पुनर्स्थापना और आधुनिकी-करण में और पुनर्निवेश करने एवं अपने लाभ को पुन: नियोजित करने के लिए सीमेंट उत्पादकों को प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चय करने के लिए कि ऐसी कंपनियों द्वारा लेखा-बहियों को उचित रूप से रखा जाये कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कंपनी कार्य विभाग द्वार कंपनियों की लागत लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया है। लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का लक्ष्य लागत प्रलेखों और लागत नियन्त्रण प्रलेखों का समुचित ढंग से रख-रखाव करना है। सीमेंट उद्योग के मामले में 24 कंपनियों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

(घ) खुले बाजार में बेचे जाने वाला सीमेंट मूल्य और वितरण नियन्त्रण से मुक्त होता है। किन्तु सीमेंट उत्पादक संघ (सी. एम. ए.) ने खुले बाजार में सीमेंट का अधिकतम बिक्री मूल्य निम्न प्रकार होने की जानकारी दी है :—

स्थानीय कर और बिक्री कर को छोड़ कर सीमेंट की 50 कि. ग्राम की प्रति बोरी का मूल्य	राज्य का नाम
60 रुपये	महाराष्ट्र कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्य
56 रुपये	अन्य सभी राज्य।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

1616. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ने दण्ड प्रक्रिया सहिता के कतिपय संशोधनों को स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथकता को समाप्त करने तथा आरोप-पत्र प्रस्तुत न करने की अवधि को बढ़ाकर अभियुक्त की गैर जमानती अवधि को दुगना करने की व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन संशोधनों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ङ) संभवतः प्रश्न में बिहार विधान सभा द्वारा यथा पारित दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक का उल्लेख किया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। विधेयक सरकार के विचाराधीन है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5494/82]**

मशीन निर्माण के लिये ईरान को तकनीकी जानकारी देना

1617. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान को मशीन निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो ईरान सरकार से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) अगस्त, 1982 में भारत-ईरान व्यापार वार्ता के दौरान, दोनों देशों के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। ईरान ने मशीनों के विनिर्माण प्रौद्योगिकी में कम से कम समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। भारतीय पक्ष की तरफ से इस अनुरोध के गुण दोष विवेचन करने के पश्चात इस प्रकार की किसी भी उपलब्ध जानकारी की पेशकश की गयी। अनन्तिम रूप से ईरान ने कृषि सम्बन्धी मशीनों और औजारों और कार्यान्वय कागज बनाने की मशीनों, गडाई और ढलाई आदि क्षेत्रों में अपनी रूचि दिखाई।

राजस्थान में केन्द्रीय पूंजी निवेश

1618. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में केन्द्रीय सरकार का पूंजी निवेश कितना है और अन्य राज्यों की तुलना में वह कितना है!

(ख) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान का पिछड़ापन कम करने तथा उसे उन्नतशील बनाने में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से और अधिक पूंजी निवेश करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) राजस्थान तथा अन्य राज्यों में वाणिज्यिक

और विनिर्माण उद्यमों (विभागीय उद्यमों को छोड़कर) में 31-3-1981 को सकल खंड मूल्य के रूप में भारत सरकार के निवेश का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों से समय-समय पर सम्बंधित राज्यों में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि करने के लिए पत्र प्राप्त होते हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विकास क्षमता तथा परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में निवेश किया जाता है।

विवरण

31 मार्च, 1981 को वाणिज्यिक और विनिर्माण उद्यमों में सकल खंड मूल्य के रूप में केन्द्रीय निवेश का राज्यवार वितरण।

(करोड़ रु.)

क्रम संख्या	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	सकल खंड का मूल्य
1.	आंध्र प्रदेश	987.56
2.	असम	666.88
3.	बिहार	3,541.40
4.	गुजरात	1,068.45
5.	हरियाणा	261.15
6.	हिमाचल प्रदेश	147.80
7.	जम्मू और कश्मीर	10.03
8.	कर्नाटक	844-64
9.	केरल	481.96
10.	मध्य प्रदेश	2,634.67
11.	महाराष्ट्र	1,826.80
12.	उड़ीसा	1,038.99
13.	पंजाब	416.64
14.	राजस्थान	361.55
15.	तमिलनाडु	922.57
16.	उत्तर प्रदेश	1,017.90
17.	पश्चिम बंगाल	1.731.11
18.	दिल्ली	604.16
19.	गोवा	6.94
20.	अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	276.43
21.	अनाबंटित	2,422.14
	जोड़	21,171.78

पश्चिमी बंगाल के इन्जीनियरी उद्योग में संकट :

1619. **श्री चित्त बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल, इन्जीनियरी उद्योग को माल की भरमार मन्दे बाजार और उत्पादक की प्रति युनिट लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को इस संकट से उभारने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इन्जीनियरी उद्योग में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में माल की भरमार के सम्बन्ध में कोई भी बात सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। किन्तु मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में प्राप्त हुई प्रत्यक्ष सफलता के बाद और इन उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ अन्य विशिष्ट कारणों से कुछ इन्जीनियरी उद्योगों में राष्ट्रीय आधार पर मांग और पूर्ति के बीच कुछ समायोजन किया जा रहा होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रोद्यौगिक का आयात

1620. **श्री बी. बी. देसाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिक विकास को समेकित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रौद्योगिकी के आयात को समर्थन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) प्रौद्योगिकी का कितना आयात किए जाने की संभावना है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) विद्यमान नीति के अनुसार सरकार जटिल प्रकार के और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, निर्यात परक या आयात प्रतिस्थापन के उत्पादनों में या उपभोक्ता की बदलती अधिमानताओं को प्रभावी ढ़ग से पूरा करने और/या निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने में स्वेदेशी उद्योगको समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देती रही है। 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह माना गाया था कि जहां कहीं वृहत्तर उत्पादन आधार से भारतीय उद्योग की विदेश में प्रतिस्पर्धा बढेगी, सरकार उन्नत्ति प्रौद्योगिकी आरम्भ करने के वारे में अनुकूल रूप से विचार करेगी।

उड़ीसा में इस्पात संयत्र का निर्माण

1621. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अरब पौड की लागत से उड़ीसा में बनाए जाने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्र का निर्माण अपनी एजेंसियों से करवाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी

हां, । कारखाने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और भूमि अर्जन मिट्टी की जांच आदि जैसे निर्माण पूर्व कार्य शुरू कर दिए गए हैं । उपस्करों की खरीद के बारे में योजना तैयार की जा रही है और वित्तीय प्रबन्धों के बारे में विचार किया जा रहा है । इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मेटलजीकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है ? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने तथा उपस्करो की खरीद के लिए व्यवस्था करने के पश्चात ही परियोजना की लागत का पता चल सकेगा ।

बन्द किये गए उद्योगों की संख्या

1622. **श्रीकृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों से बन्द पड़े उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है और पिछले दो वर्षो के दौरान कितने और उद्योग बन्द किए गए; और

(ख) इन उद्योगों में कितना पूंजी निवेश किया गया है और क्या इस संबंध में पूर्ण ब्योरा सभा पटल पर रखा जाएगा;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) देश में बंद पड़े औद्योगिक एककों और उनसे संबंधित ब्यौरों की जानकारी केन्द्रीय रूप से इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती । कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत काफी समय से अथवा कुछ समय से बन्द पड़े कारखानों के सम्बन्ध में जो जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से एकत्र की जाती है वह मानकीकृत तालिका के रूप में "इण्टियन लेबर जर्नल" में प्रकाशित की जाती है जो लेबर ब्यूरो, भारत सरकार का एक मासिक प्रकाशन है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना

1623. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या क्या है जिनकी स्थापना के लिए गत चार वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को लाइसेंस प्रदान किए गए तथा उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हे ये लाइसेंस दिए गए; और

(ख) इन एककों की स्थापना के लिए इन्हें कितना समय दिया गया है तथा इस सम्बन्ध ने पूर्ण ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए वर्ष 1979 से 1980 (अगस्त) तक की अवधि में निम्नलिखित संख्या में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए —

वर्ष	आशय पत्रों की संख्या	औद्योगिक लाइसेंस की संख्या
1979	6	1
1980	11	2
1981	15	1
1982 (अगस्त तक)	6	5

(ख) एक औद्योगिक लाइसेंस की एटामिक वैधता अवधि दो वर्ष की होती है जिसे पर्याप्त न्यायोचित आधार पर आगामी दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। साधारणतया किसी औद्योगिक लाइसेंस को फली भूत होने में तीन संचार वर्ष तक का समय लगता है।

एकक का नाम, स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु, क्षमता आदि सहित औद्योगिक लाइसेंसों के सभी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा (मंझली न्यूज लेटर) में प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस

1624. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** :क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कारखानों का ब्यौरा क्या है तथा किन जिलों से वे आवेदन प्राप्त हुए थे; और

(ख) उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी है और उन पर कितना खर्च आएगा;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 1979, 1980 और 1981 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रस्तावित स्थापना स्थल	प्रस्तावित क्षमता लाख मी. टन	आवेदन पत्र में दर्शाया गया निवेश रु. लाख में
1	2	3	4	5
1.	एच. पी. मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि., शिमला।	जिला चम्बा	6	4320
2.	श्री कृष्ण कश्यप, रोपड़।	जिला मण्डी	0.66	440
3.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि., नई दिल्ली।	जिला सिरमूर	2	1700
4.	-वही-	जिला चम्बा	8	6750
5.	-वही-	जिला कांगड़ा	0.66	742
6.	श्री विनोद कुमार, चंडीगढ़।	जिला सिरमूर	0.66	445
7.	श्री अकर आफशोर (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	जिला सिरमूर	0.66	540
8.	श्रीमती मुनमाला राजगढ़िया, नई दिल्ली।	जिला सोलन	0.66	370

1	2	3	4	5
9.	अग्रिमा प्रोजेक्ट इन्जी. एण्ड कंसलटैन्सी सर्विसेज लि., बंबई।	जिला कांगड़ा	0.66	450
10.	श्री रमेश चन्द जैन, दिल्ली।	जिला सिरमूर	0 66	312
11.	श्री आर. एन. जैन, मेरठ।	जिला सिरमूर	0.50	221
12.	एच. पी. मिनरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेव. कार. लि. शिमला।	जिला कांगड़ा	0.60	167
13.	-वही-	जिजा सिरमूर	0.60	167
14.	-वही-	जिला शिमला	0.60	167
15.	हिमालय सीमेंट्स, मुजफ्फरनगर	जिला सिरमूर	0.33	140
16.	श्री सन्त जय नारायण (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	जिला कांगड़ा	0.33	186
17.	श्री जी. पी. नायर, आगरा। (डसीला)	जिला कांगड़ा	0.36	180

घटिया कारों का बेचा जाना

1625. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 सितम्बर, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि मूल्यों और वितरण पर कोई नियंत्रण न होने से निर्माताण घटिया कारें बेच रहे हैं और जो प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ गई हैं उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कारों की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) निर्मित कारों की क्वालिटी उनके मूल्यों अथवा वितरण पर नियंत्रण होने अथवा न होने से सम्बन्धित नहीं है। सरकार ने नई बाडी स्टायलिंग तथा सुधरे हुए स्टीअरिंग, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन इत्यादि वाली नये माडल की यात्री कारों के उत्पादन हेतु मे. हिन्दुस्तान मोटर्स एण्ड प्रीमियर आटोमोबाइल लि. को स्वीकृति दे दी है। निर्माताओं ने यह भी बताया है कि ईंधन क्षमता में सुधार होगा। सरकार ने मोटरगाड़ी उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यक्ता के बारे निर्माताओं पर बलदिया है।

दिल्ली नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

1626. **श्री राम प्यारे पणिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में बहुत समय से कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं; और वे कब से इस विभाग में काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद वहां कर्मचारी अब भी दैनिक वेतन के आधार पर कार्य कर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी सेवाओं को शीघ्र नियमित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, जहां तक उनके सामान्य सकन्ध का संबंध है अभी तक निगम के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे विभिन्न वर्गों में लगभग 10,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो 1974-1982 की अवधि से दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। निगम ने सभी दैनिक मजदूरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चरणों में नियमित करने के लिए एक योजना बनाई है, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदण्ड के अनुसार कार्य के लिए अपेक्षित पदों की संख्या पर निर्भर होगी और दिल्ली नगर निगम के साधनों के अनुरूप होगी।

रुग्ण इकाइयां

1627. श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े मझोले और लघु पैमानों के उद्योगों के रुग्ण इकाइयों की सख्या कितनी है और उनमें कितनी पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) उनके संकट निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) 1982-83 और 1983-84 के दौरान विभिन्न पैमानों की कितनी रुग्ण इकाइयों का संकट निवारण किए जाने की संभावना है, और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कितनी इकाइयों को रुग्णता से मुक्त किया गया था;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार 30-6-1981 को, बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और बैंकों की बकाया राशि निम्न प्रकार है।

	एककों की सख्या	बकाया राशि (करोड़ रु.)
(1) बड़े एकक (अर्थात् एक करोड़ रुपये या अधिक के बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले एकक)	422	1453
(2) मझौले एकक (एक करोड़ रुपये से कम के बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले एकक जो लघु एकक न हो	960	137
(3) लघु एकक	22,360	322
योग	23,742	1,912

(ख) औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्ग-दर्शन के लिए कुछ नीति विषयक अभ्युपायों की घोषणा की है। मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं लोक सभा में दिनांक 21-7-1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2085 के भाग (ग) के उत्तर में सदन में प्रस्तुत कर दी गई थी।

(ग) इस बारे में कोई अनुमान देना संभव नहीं होगा।

(घ) भारतीय रिजंव बैंक द्वारा बड़े रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों की (अर्थात् कुल एक करोड़ रुपये या अधिक के बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले उपक्रम) की गई संवीक्षा के अनुसार, रुग्ण एककों की सूची में से निकाले गए एककों की संख्या निम्नलिखित है

वर्ष	एककों की संख्या
1979	24
1980	39
1981 (जनवरी-मार्च 1981)	5

मार्च, 1981 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा लौंड्री साबुन के उत्पादन पर रोक

1628 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लांड्री साबुन का उत्पादन लघु क्षेत्र में आरक्षित होने के परिणाम स्वरूप यूनी-लीवर यू. के. की सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लि. ने लांड्री साबुन के उत्पादन पर रोक लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा ईस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कपड़े धोने के साबुन (लांड्री सोप) को लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 1967 में आरक्षित किया गया था। उस समय कंपनी पर भी स्तर पर इसका उत्पादन रोकने की कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आतंकवादी

1629. **श्री पी. एम. सईद** :

श्री के. मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वोतर क्षेत्र आतंकवादियों की गतिविधि के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ है जिससे केन्द्रीय सरकार को बड़ी चिन्ता है;

(ख) क्या इन आतंकवादियों ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया है और वे उन व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं जिन्हें वे भ्रष्ट पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके कार्यकरण के तरीके में और क्या परिवर्तन हुए हैं जिन का सरकार को पता चला है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन आतंकवादियों की गतिविधि से निपटने के लिए और कोई उपाय करने का सुझाव दिया है; और

(ङ) इस आतंक को रोकने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के तरीके में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। किन्तु मणिपुर में एक संगठन जो अपने को "टेरोरिस्ट सुसाइडल सर्विस" कहता है, मन्त्रियों और सरकारी अधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजने के संबंध में जुलाई, 1982 में ध्यान में आया है। इस संगठन ने दो अधिकारियों की हत्या करने तथा जून-जुलाई, 1982 में एक अन्य अधिकारी को मारने का प्रयास करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। मणिपुर सरकार को घटना की जानकारी है और इस संबंध में उसने निवारक उपाय किये हैं।

अरुणाचल प्रदेश से ऐसी कोई गतिविधि सूचित नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों का उत्थान

1630. **श्री एन. के सेजवलकर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 13,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार के क्या प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये लघु उद्योग बोर्ड की स्थायीसमिति

1631 : **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये लघु उद्योग बोर्ड की एक स्थायी सिमिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कार्य क्या हैं तथा उसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) स्थायी समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में क्या कार्यवाहियां की हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त समिति की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(ङ) अब तक की नई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं. औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए लघु उद्योग

बोर्ड की कोई स्थायी समिति गठित नहीं की। किन्तु, सितम्बर, 1931 में लघु उद्योग बोर्ड ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास की योजनाओं का मार्ग-निर्देशन करने और मोनिटर करने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग उप मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की थी। स्थायी समिति के सदस्यों की एक सूची और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) : दिसम्बर, 1981 और जुलाई, 1982 में हुई दो बैठकों में स्थायी समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की है :—

(1) सिक्कम राज्य और संघ प्रशासित प्रदेश अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह को पूंजी निदेश राजसहायता की बढ़ी हुई दर का समय बढ़ाना।

(2) क्षेत्र में प्रतिबन्धित उद्योगो की सूची के प्रयोग में लाये जाने का स्थगन।

(3) केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए स्थानीय सहवर्ती स्रोत वाली और वृद्धि क्षमता वाली वस्तुओं का पता लगाना।

(4) सिलीगुड़ी से बैरोनी और हावड़ा नाभिकीय प्वइंट को हटाकर परिवहन राजसहायता योजना में सुधार करना और रेल शीर्षों (रेलहैड़स) से जिस जिले में एकक स्थिति है, वहां तक वस्तु के लाने और ले जाने पर इस राजसहायता को उपलब्ध कराना।

(5) संस्थागत और विस्तार स्थापनाओं को सुदृढ़ बनाना अर्थात स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि. द्वारा नये स्टाकयार्डों का खोला जाना और लघु उद्योग सेवा संस्थान के रिक्त पदों को भरा जाना।

(6) राज्य सरकारों/संघ प्रशासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई औद्योगिकरण की विभिन्न योजनाओं को सभी अभिकरणों से आवश्यक सहयोग और सहायता का सुनिश्चय कर और उनके समन्य के लिए विशेप अभ्युपाय द्वारा कार्यान्वित करना।

17 और 18 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली में हुई लघु उद्योग बोर्ड की 36वीं बैठक में बोर्ड ने स्थायी समिति की उपर्युक्त सिफारिशों का अनुसमर्थन किया। केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभाग, राज्य सरकारें और संघ प्रशासित प्रदेश इन सिफारिशों के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए विचार कर रहे हैं।

(ङ) परिवहन राजसहायता का पुन: रुपायन कर लघु एककों को देने का प्रश्न वर्तमान सरकार के विचाराधीन है। उन वस्तुओं की जिन्होंने देश के शेष भागों में प्रोत्साहन दिया गया है, नई क्षमता स्थापित करने और विद्यमान क्षमता में विस्तार करने की अनुमति चयनात्मक आधार पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और सघ प्रशासित प्रदेशों को दी गई हैं। इस क्षेत्र में एककों को किस प्रकार की और कितनी सुविधाएं लघु उद्योग विकास संगठन से उपलब्ध की जायें इसकी संवीक्षा के लिए अध्ययन किया गया है और लघु उद्योग सेवा संस्थानों, विस्तार केन्द्रों, जहां आवश्यक हो, में रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। वर्कशापों को पुन: साजसामान से युक्त बनाया जा रहा स्टील अथारिटी आफ इन्डिया ने एककों की लोहा और इस्पात वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने और पूर्ति में शीघ्रता लाने के लिए त्रिपुरा के धर्मनगर में और नागालैण्ड के दीमापुर में दो और डिपो खोलने के प्रस्ताव को मान

लिया है। वर्कशांप सुविधाओं सहित लघु उद्योग सेवा संस्थानों की तीन शाखाएँ दीपू, तेजपुर (आसाम) और तूरा (मेघालय) स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

स्थायी समिति के सदस्यों की सूची और विचारार्थ विषय

अध्यक्ष :

1. श्री पी. ए. संगमा
केन्द्रीय उद्योग उप मंत्री, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

सदस्य :

2. उद्योग मंत्री, आसाम
3. —वही— , नागालैण्ड
4. —वही— , मेघालय
5. —वही — , त्रिपुरा
6. —वही— , मिजोरम
7. —वही— , अरूणाचल प्रदेश
8. —वही— , मणिपुर
9. — वही— , सिक्किम
10. उद्योगों के परामर्शदाता पार्षद, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर।
11. अध्यक्ष, एन. एस. आई. सी. , नई दिल्ली।
12. इन्डियन काउंसिल आंफ स्माल इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधि।
13. एफ ए आई आई का प्रतिनिधि
14. लघु उद्योग एसोन आसाम का प्रतिनिधि।
15. लघु उद्योग एसोशिएशन नागालैण्ड का प्रतिनिधि।
12. कार्यकारी निदेशक, खादी ग्रमोद्योग आयोग, बम्बई।
17. विकास आयुक्त लघु उद्योग नई दिल्ली।

—सदस्य सचिव

स्थायी आमन्त्रित

18. निदेशक, लघु उद्योग बोर्ड, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली।
19. मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, गोहाटी।
20. प्रवन्ध निदेशक, एन. ई. आई. टी. सी. ओ. , गोहाटी।
21. कार्यकारी निदेशक, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.।
22. कार्यकारी निदेशक, राज्य व्यापार निगम।
23. महा प्रबन्धक उत्तरी पूर्वी रेलवे, गोहाटी।
24. महा प्रबन्धक, उत्तरी पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, गोहाटी
25. कार्यकारी निदेशक, रास्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।
26. सचिव, उत्तरी पूर्वी परिषद, शिलांग
27. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान लेबोरेटरी, जोहरात।

28. कार्यकारी निदेशक, आई डी वी आई, बम्बई।

29. विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली।

30. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली।

विशेष रूप से आमन्त्रित

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ प्रशासित प्रदेशों के संसद-सदस्य।

विचारार्थ विषय

(क) क्षेत्र में लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए चल रहे कार्यक्रमों की प्रगति की सवीक्षा।

(ख) लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास से सम्बन्धित केन्द्र और राज्यों के संगठनों के कार्यकलापों के समन्वय के मार्गोपाय सुझाना।

(ग) क्षेत्र के सप्रभावी विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तनों सहित समन्वित योजना की सिफारिश करना।

योजना के कार्यान्वियन की प्रगति की पुनरीक्षा

1632. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजनामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)-क्या योजना आयोग योजना के कार्यान्वियन की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पुनरीक्षा किस वर्ष तक की गई है;

(ग) पिछली पुनरीक्षा तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई थी;

(घ) बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में हुई राज्यावार प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1981-82 तक

(ग) से (ङ) : राज्यावार प्रगति का एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथाबड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में राज्यावार प्रगति

क्रम सं.	राज्य	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं	
		लाभग्राहियों की संख्या		लाख श्रमदिवसों में सृजित रोजगार		प्राप्त अतिरिक्त संभाव्य उपलब्धि "000 हेक्टेयर	
		1980-81	1981-82	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	166483	238846	476.99	503.55	101	141
2.	असम	5594	22145	14.85	53.20	19	22
3.	बिहार	138556	276199	343.96	58.32	73	84

1	2	3	4	5	6	7
4. गुजरात	105477	216215	9.75	56.55	17	21
5. हरियाणा	46877	79605	157.17	44.42	16	15
6. हिमाचल प्रदेश	48090	34877	36.47	12.38	3	3
7. जम्मू और कश्मीर	9357	27989	34.77	11.00	12	13
8. कर्नाटक	63906	87460	16.32	233.94	31	51
9. केरल	80088	96832	130.97	128.32	21	37
10. मध्य प्रदेश	135598	231861	661.31	365.43	112	115
11. महाराष्ट्र	125969	153330	430.77	468.00	83	109
12. मणिपुर	276	3627	बताया नहीं गया	0.20	3	9
13. मेघालय	5267	6045	शून्य	शून्य	...	...
14. नागालैंड	16721	12565	166.30	1.36	...	...
15. उड़ीसा	100749	138367	321.67	194.31	41	32
16. पंजाब	60888	86867	6.40	33.48	28	29
17. राजस्थान	82683	120205	259.25	95.48	16	29
18. सिक्किम	29	262	0.47	1.00	...	...
19. तमिलनाडु	219688	358225	147.53	746.80	12	8
20. त्रिपुरा	11006	10145	77.45	14.90	...	...
21. उत्तर प्रदेश	1310716	540160	479.36	467.15	252	281
22. पश्चिम बंगाल	37415	67338	328.51	195.38	37	23
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	...	...	5.58	2.02	...	...
2. अरूणाचल प्रदेश	उ. न.	8667	0.18	0.07	...	...
3. चंडीगढ़	उ. न.	...	...	...	...	...
4. दादरा और नगर हवेली	उ. न.	...	...	...	...	...
5. दिल्ली	2561	2040	...	...	...	...
6. गोवा, दमन और दीव	5117	5259	...	...	...	...
7. लक्षद्वीप	उ. न.	...	...	...	...	...
8. मिजोरम	480	2000	0.55	1.41	...	...
9. पांडिचेरी	272	2591	1.26	0.24	...	...
जोड़ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	2782755	2829393	4208.11	3588.91	877	1022

बताया नहीं गया।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस

1633. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए किन किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) किन किन उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए गए और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) किन किन स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करने का कार्य आरम्भ हो गया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1979 से 1981 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत 66 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए थे। पार्टी का नाम, स्थापना स्थल उत्पादन की वस्तु क्षमता आदि सहित सभी औद्योगिक लाइसेसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जा रहा है इस प्रकाशन की प्रतियाँ संसद पुस्कालय में प्राप्त हैं।

(ग) 1979 से 1981 तक की अवधि के दौरान गैर सरकारी पार्टियों को स्वीकृत किए गए 66 औद्योगिक लाइसेंसों में से 18 औद्योगिक लाइसेंस कार्य जारी रखने के लिए थे। शेष 48 में से 13 लाइसेंसों को उत्तर प्रदेश के कानपुर' गाजियाबाद, आगरा, बुलन्दशहर, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों में क्रियान्वित किया गया है। बाकी औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थिति में हैं।

हिन्दुस्तान लीवर के पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन

1634. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकाश तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर लि. को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उत्पादन क्षमता के पृष्ठांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो लांड्री साबुन, लाईफ बाय, नहाने के साबुन के उत्पादन के लिए पृष्ठांकित अलग अलग टनभार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि. के सी. ओ. बी. लाइसेंसों पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन पूरा कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि. द्वारा लांड्री साबुन का उत्पादन निर्यात देयता, जो इस बारे में 75 प्रतिशत हैं, के निर्धारित स्तर के अनुसार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं' तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं'

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, साबुनों और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियो के उत्पादन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के पास कार्य चालू रखने का कोई भी लाइसेंस नहीं है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग

1635. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार विदेशी सहयोग तथा इक्विटी पूंजी को भागीदारी के लिए अनुमति देने पर बिचार कर रही है;

(ख) क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में अगले तीन वर्षों के दौरान ऐसे लघु संयंत्र कितने और किन किन स्थानों पर लगाये जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

उद्योग तथा इपात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत-रूस सहयोग

1636 : **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के दौरान भारतीय उद्योगपतियों के सोवियत रूस की राजधानी के दौरे के समय सोवियत संघ ने पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों की एक व्यापक सूची प्रस्तुत की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने के लिए सोवियत संघ ने भारत के गैर सरकारी क्षेत्र के साथ कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत के गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने सोवियत संघ के प्रस्ताव का लाभ उठाने का प्रायास किया है और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें सोवियत संघ ने भारत के गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

उदयोग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सोवियत संघ ने पारस्परिक सहकारिता और सहयोग के कुछ क्षेत्रों की सूची पेश की थी।

(ख) सोवियत संघ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सहमत हो गया था जिनमें निजी क्षेत्र में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग स्थापित किया जा सकेगा।

(ग) 1982 के दौरान भारत सरकार को हारवेस्टर कम्बाइनों आयल तेल और पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन करने के लिए सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त करने हेतु दो निजी भारतीय फर्मों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं

काले और सफेद चित्रों वाले टेलीविजन को रंगीन टेलीविजन में बदलना

1637. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 सितम्बर, 1982 के दी टाइम्स आफ इन्डिया, (बम्बई संस्करण) में प्रकाशित "ब्लेक एण्ड व्हाईट" टी. वी. केन बी. कन्वर्टेड "शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार बम्बई के एक ईलेक्ट्रानिक्स के प्रोफसर का दावा है कि काले सफेद चित्रों वाले टेलीविजन को रंगीन चित्रों वाले टेलीविजन में बदला जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रोफेसर से यह पता किया है कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए क्या तकनीक विकसित की गई है अथवा करने का विचार है जिससे एक रंगीन टेलीविजन की लागत आयातित रंगीन टेलीविजन की लागत से लगभग 50 प्रतिशत कम हो जाएगी; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किसी अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी जो अन्ततः टेलीविजन दर्शकों के लिए सहायक होगी और टेलीविजन सेटों के उत्पादन/परिवर्तन को भी प्रोत्साहन देगी और इस प्रकार इस उद्योग के लिए भी सहायक होगी, और यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) : सरकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है क्योंकि इस प्रकार का रूपान्तरण तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं माना गया है।

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण संबंधी समिति की सिफारिशें

1638. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गठित औद्योगिक विकेन्द्रीकरण संबंधी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई और सिफारिशों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस संभावित तारीख तक क्रियान्वयन आरम्भ किया जाएगा और किस संभावित तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई औद्योगिक प्रकीर्णन संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकारों वित्तीय संस्थाओं और सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रचालित की गई थी। इस बारे में उत्पन्न विचारों के आधार पर, सरकार इस रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हेतु राज्यों को प्रतिनिधित्व

1639. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विभिन्न स्तरों पर भर्ती का ढांचा और प्रक्रिया क्या है;

S

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस प्रबन्ध से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन राज्यों के प्रतिनिधत्व को सुनिश्चित करने के बारे में कोई विशेष प्रबन्ध किए जाते हैं जिनमें केन्द्रीय औद्योगिक सरकारी उपक्रम अथवा उनकी पर्याप्त संख्या नहीं है;

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री निहार रंजन लास्कर : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में विभिन्न पदों पर भर्ती स्थानीत रोजगार दफ्तरों के माध्यम से तथा व्यापक प्रचार के बाद की जाती है ताकि इस बल में रोजगार से सम्बन्धित मामलों में सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सकें।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) से (ङ) भर्ती के उद्देश्य से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अलग कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक उपबन्धों के प्रतिकूल होगा। तथापि इस आधार पर कि किसी राज्य में कोई या पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में योजना मूल्यांकन तंत्र के कार्यचालन का मूल्यांकन

1640. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में योजना मूल्यांकन तंत्र के कार्यचालन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा मूल्यांकन निकट भविष्य में कराया जाएगा?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चाव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में नकली आटो-मोबाइल पुर्जों के निर्माताओं की पटुता

1641. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में नकली आटोमोबाइल पुर्जों के निर्मामाओं की पटुता का पता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि दिल्ली में बैकवार्ड आटोमोबाइल यूनिटों का इस्तेमाल कर रहे निर्माता नकली आटो पुर्जों का लाइसेंस शुदा आटोनिर्माताओं के हितों के प्रतिकूल भारी धंधा कर रहे हैं; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक को और निर्माताओं को न ठगा जाए, क्या करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) दिल्ली में मोटरगाड़ियों के नकली हिस्से-पुर्जों के निर्माण के बारे में कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

"मणिपुर ब्यूटीज ट्रेप्ड इन एशियाड फ्लैश ट्रेड" शीर्षक से समाचार

1642. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 सितम्बर, 1982 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित "मणिपुरी ब्यूटीज ट्रेप्ड इन एशियाड फ्लैश ट्रेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें एक थियेटर मालिक पर एशिया खेलों के अतिथियों का मनोरंजन करने के लिए युवतियों को विवश करके धन कमाने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में थियेटर मालिक के विरुद्ध आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) इस संबंध में दिल्ली पुलिस में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और इसलिए कोई जांच नहीं की गई है।

20 सूत्री कार्यक्रम पर मासिक प्रगति रिपोर्ट

1643. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या योजना मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम पर जनता मासिक प्रगति रिपोर्ट न लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ट्रैक्टरों का उत्पादन, मूल्य और आयात

1644. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1981 तक की अवधि के दौरान भारत में निर्मित ट्रैक्टरों की कुल संख्या क्या है;

(ख) ट्रैक्टर निर्माण में लगी फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) विभिन्न निर्माताओं द्वारा लिया जाने वाला प्रति ट्रैक्टर मूल्य क्या है और क्या ऐसा मूल्य औचित्यपूर्ण है;

(घ) क्या 1977 से 1981 की अवधि के दौरान ट्रैक्टरों का कोई आयात किया गया था; और

(ङ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने ट्रैक्टरों के स्थान पर किसी सस्ते उपकरण का निर्माण किया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1977 से 1981 तक भारत में निर्मित ट्रैक्टरों की कुल संख्या इस प्रकार हैं—

1977	34729 नग
1978	53046 नग
1979	60142 नग
1980	67627 नग
1981	84320 नग

(ख) तथा (ग) ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम और 1-2-1982 को विभिन्न निर्माताओं द्वारा लिए जा रहे (माडलवार) प्रति ट्रैक्टर मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं। समय-समय पर विभिन्न अन्तर्वस्तुओं की लागत को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न ट्रैक्टरों के मूल्य लिए जाते हैं। फिर भी सरकार ने ट्रैक्टरों के मूल्य पर कोई औपचारिक नियन्त्रण नहीं लगाया है।

(घ) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1977 से 1981 की अवधि में कोई ट्रैक्टर आयात नहीं किया गया था।

(ङ) 5 से 12 अश्व शक्ति की रेंज के पावर टिलर देश में पांच एककों द्वारा बनाये जाते हैं। देशी माडल भी विकसित किये गये हैं और बाजार में उपलब्ध हैं। इससे आगे बैलों से चलने वाली बहुउद्देश्यीय व्हील्ड टूल कैरियर का विकास किया गया था जिसे बैंचों में बनाया जा रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयुक्तता देखी जा रही है। पावर टिलर के प्रतिस्थापन के रूप में बैलों से चलने वाला इंजन संचालित रोटरी टिलर भी विकसित किया गया था। परन्तु इसकी पर्याप्त रूप से माँग नहीं हुई।

विवरण

कृषि ट्रैक्टर बनाने वाली फर्मों के नाम और 1-2-1882 को प्रति ट्रैक्टर लिये गये मूल्य

क्रम स.	निर्माता का नाम	माडल/अ.श.	1-2-1982 को मूल्य (एफ.ओ.आर.) रुपये
1-	मैं. एस्कार्टस लि, फरीदाबाद,	ई-335 (ए.डी.डी.सी.)35 अ.श.	63,099
		ई-335 (एम.डी.सी.) 35 अ.श.	58,510
		ई-345/45 अ.श.	64,035
2-	मैं. एस्कार्टस ट्रैक्टर लि, फरीदाबाद,	फोर्ड-3600/46 अ.श.	86,398
?-	आयशर गुडअर्थ लि, फरीदाबाद	आयशर/26 5 अ.श.	45,170

1	2	3	4	
	4- महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. बम्बई,	बी.-275/35 अ.श.	65,050	
		444/45 अ.श.	69.624	
	5- एच एम.टी.लि. बंगलौर	जीटर-2511/25 अ.श.	52,630	
		जीटर 3511/3: अ.श.	6,3815	
		जौटर 5911/55अ.श.	85 245	
	6- पंजाव ट्रैक्टर्स लि., रोपड़	स्वराज-735/35 अ.श.	61,415	
		स्वराज सरताज/18 अ.श.	38,700	
	7- ट्रैक्टर एन्ड फार्म इक्विपमैंट लि. मद्रास	एम एफ -1035/35 अ.श.	63,324	उत्पादन शुल्क छोड़कर कारखाने से निकलते समय
		एम.एफ -1035/35 (डीलक्स)	69,485	
		एम.एफ.-245/45 अ.श.	87,125	
	8- गुजतात ट्रैक्टर कारपोरेशन लि. बदोदरा,	एच.डब्यू.डी.-50/50 अ.श.	82,532	
		जी.-453/45 अ.श.	80,532	
	9- हर्ष ट्रैक्टर लि., गाजियाबाद,	टी-25/25 अ.श.	61,315	कारखाने से निकलते समय
	10- किर्लोस्कर ट्रैक्टर लि, नासिक	डी-4006 के/43 अ.श.	81,455	
		डी-6006 के/75 अ.श.	2,12.405	
	11- यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर लि.नई दिल्ली	यू-445/45 अ.श.	78,882	
	12- पित्ती ट्रैक्टर लि. पूना	पित्ती-4000/37 अ.श.	उपलब्ध नही	
		पित्ती-4500/39 अ.श.		
	13- बी.एस.ए.आई डी. सी., पटना,	जीटर-1511/25 अ.श.	59.866	
	13- आटो ट्रैक्टर लि., प्रतापगढ़	प्रताप-284/28 अ.श.	56,335	कारखाने से निकलते समय
	15- आयशर फार्म मशीनरी लि., चण्डीगढ़	24 अ.श.	44,870	कारखाने से निकलते समय

नकली शराब की बिक्री पर मृत्यु दण्ड

1645. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार नकली शराब (हूच) की बिक्री के लिए मृत्युद ण्ड देने का है ?

(गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) इस प्रयोजन के लिए भारतीय दण्ड संहिता में सन्शोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पालामाऊ जिले में चन्दवा और लटिहार में लघु एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए वाकसाइट का सर्वेक्षण

1646. **श्री रणजीत सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि पालामाऊ जिले में चन्दवा और लटिहार में एक लघु एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वॉक्साइट की यात्रा का दोबारा सर्वेक्षण किया जायेगा;

(ख) क्या अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से वाक्साइट हेतु फिर से सर्वेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। एक लघु एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

राजस्थान परिमाणु उर्जा संयंत्र के दूसरे यूनिट का बंद होना

1647. **डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावतभाटा (कोटा के पास) का राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दूसरा यूनिट 1 सितम्बर, 1982 से बन्द कर दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस यूनिट के उष्म विनियम टयूबों से बहुमूल्य पानी रिसा है, यदि हां, तो इस प्रकार रिसे गये भारी पानी का कुल मूल्य कितना है और उसकी लागत कितनी है;

(ग) इस यूनिट में भारी पानी रिसना कब से आरम्भ हुआ और रिसना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या पहले भी इस प्रकार पानी रिसा था यदि हां, तो सभी ट्यूबों की क्या स्थिति है और क्या उनके स्थान पर नये ट्यूब लगा दिये गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिए रोकथाम की क्या कार्यवाही की गई ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा गैर ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर का दूसरा यूनिट उसके एक हीट एक्सचेंजर के एक जगह से रिस जाने की वजह से 4 सितम्बर, 1982 को बन्द कर दिया गया था और अब उसे 6 अक्तूबर, 1982 को ग्रिड के साथ फिर से मिला दिया गया है।

(ख) से (ग) क्योंकि रिसे भारी पानी को इकट्ठा कर लिया गया था' इसलिए उसकी कोई क्षति नहीं हुई है। सिस्टम में रिसने की कोई ऐसी घटनायें हो ही सकती हैं और इस तरह की रिसने वाली जगहों का पता लगाने, रिसने को बन्द करने और भारी पानी को सुरक्षित रखने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

यमुना जल प्रदूषण

1648. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स द्वारा यमुना में डी. डी. टी. और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाने से यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है और यह प्रदूषित पानी दिल्ली के निवासियों को सप्लाई किया जा रहा है,

(ख) क्या इस प्रदूषित जल से दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ग) यदि हां' तो यमुना जल को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली ने बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किया है और वे अब विधिवत उपचारित बहिस्राव नजफगढ़ नाले में छोड़ते हैं।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए अध्ययन दल का गठन

1649. **श्री जनुल बशर :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए कोई अध्ययन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन दल गठित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने से लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन समस्या को निम्नलिखित तरीके से समाधान करने का प्रयत्न किया गया है,

(1) संसाधन अन्तरण द्वारा

(2) पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, प्रवृत्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, आदि जैसे विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रमों द्वारा।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले उपायों द्वारा।

सांम्प्रदायिक दगों को रोकने के लिये मार्ग निर्देश

1650. **श्री जनुल बशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों का कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) किन राज्यों ने इन मार्ग निर्देशकों का पालन किया है और किन राज्यों ने इन मार्ग निर्देशों को स्वीकार नहीं किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) मार्ग निर्देश अस्थाई सिफारिशों के रूप में हैं और इनमें अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न पहलू जैसे आसूचना सम्बन्धी प्रबन्ध, निवारक कार्यवाही में गैर सरकारी व्यक्तियों का भाग लेना आकस्मिक नियोजना सहित प्रशासनिक उपाय, आग्नेय शास्त्रों पर नियन्त्रण, कार्मिक नीति, मामलों की जांच पड़ताल, अभियोजन और विचारण तथा पुनर्वास आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को निगमित करते हुए एक नियमावली प्रकाशित करने और अपने अनुभव की दृष्टि से उसमें परिवर्द्धन/संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

कठिनाइयां महसूस कर रहे आणविक बिजली संयंत्र

1651. **श्री बी. वी. देसाई : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक बिजली परियोजनाओं की कुछ कठिनाइयां अधिकतम देशीकरण के प्रयासों के कारण बताई गई हैं,

(ख) क्या भारत भारी पानी रूस से आयात कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना भारी पानी आयात किया गया है

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) चालू वित्त वर्ष में सोवियत संघ से लगभग 40 टन भारी पानी का आयात किया गया है।

पर्यावरण सम्बन्धी कार्यवाही के लिये प्रायोगिक परियोजनाएं

1652. **श्री बी. वी देसाई :**

श्री पी. एम. सहीद :

श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण योजना संबंधी राष्ट्रीय समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी राज्य सरकारों से कहा जाय कि वे पर्यावरण सम्बन्धी कार्यवाही के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के विचार से समुचित पर्यावरण संगठन गठित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण योजना सबंधी राष्ट्रीय समिति की अगस्त 1982 में बैठक हुई थी और उसने अनेक निर्णय किए थे;

(ग) यदि हां, तो जो निर्णय किए गए और सरकार को सूचित किए गए, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने सरकार द्वारा स्वीकार किए गए हैं;

(ङ) क्या नवीनतम प्रस्ताव कि सभी राज्य सरकारों को समुचित पर्यावरण संगठन गठित करने को कहा जाए, राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो कितनी राज्य सरकारों ने ऐसे संगठनों को गठित कर लिया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पर्यावरणीय कार्यक्रमों में समन्वित प्रयास के लिए राज्य स्तर पर उपयुक्त संगठनों की स्थापना करने की सिफारिश समिति ने की थी, जैसे कि स्पीशीज के समुचित चुनाव के द्वारा अनाच्छादित क्षेत्रों में वनस्पति आच्छादन का पुनरूद्धार करना, नर्सरियों की रचना करना, चराने तथा वनो के अधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण करना और इन परियोजनाओं में जनता को शामिल करना। समिति विशिष्ट सिफारिशों के व्यौरे तैयार कर रही है जो कि शीघ्र ही सरकार को सूचित कर दिये जायेंगे।

(ङ) तथा (च) पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए नौडीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए ससुचित प्रशासनिक यंत्र की स्थापना करने के लिए पर्यावरण विभाग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। अभी तक पांच राज्यों में पर्यावरण विभागों की स्थापना की गई हैं।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र का निर्माण

1653. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत-रूस संयुक्त आर्थिक आयोग के दो दिन के सम्मेलन की समाप्ति पर उड़ीसा में नए इस्पात संयंत्र के निर्माण तथा अन्य राज्यों में बहुत सी अन्य परियोजनाओं में रूस के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो रूस की सहायता से कौन-कौन से इस्पात संयंत्र बनाए जा रहे हैं;

(ग) रूस कितनी राशि और सहायता देने को सहमत हुआ है; और

(घ) क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र भी इस समझौते के अधीन आयेगा?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1982 में भारत सोवियत संयुक्त आयोग की मास्को में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने उड़ीसा में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के निर्माण में सोवियत सहयोग की संभावनाओं के बारे में विचार-विनिमय किया था। इसके अलावा आयोग ने सोवियत सहयोग से भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम स्थित इस्पात कारखानों में चल रहे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की थी। बर्नपुर स्थित इस्को के कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए सोवियत सहयोग के प्रस्तावों पर भी बातचीत की गई थी।

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए सप्लाई किये जाने वाले उपस्करों और सेवाओं से संबंधित लागत को पूरा करने के लिए सोवियत रूस ऋण देगा।

(घ) जी, नहीं।

मशीन उद्योग का आधुनिकीकरण

1654. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मशीन उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा मशीनरी की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, क्या आधुनिकीकरण करने की योजनाएं बना रही हैं;

(ख) क्या सरकार इसके लिए तकनीकी जानकारी और मशीनरी का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या देश के स्वदेशी मशीन निर्माता मांग के अनुसार सामान सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(घ) इस प्रकार के आयात से भारत के मशीनरी निर्माताओं को नुकसान न पहुंचने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) देश के स्वदेशी मशीन निर्माता सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में हैं। उनमें से बहुत से निर्माताओं को प्रसिद्ध विदेशी सहयोगकर्ताओं से प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी गई है जिससे वे विश्व मानकों के अनुकूल हो सकें। किन्तु वुलन और वर्सटिड टेक्सटाइल इण्डस्ट्री के लिए मशीनों के कुछ वस्तुओं और मानव-निर्मित रेशा वस्त्र उद्योग की कुछ वस्तुओं का स्वदेशी मशीन निर्माताओं द्वारा अभी निर्माण शुरू किया जाना है।

मशीनों की जिन वस्तुओं का देश में ही निर्माण किया जाता है, या तो उनके आयात पर प्रतिबन्ध है या वे लाइसेंस देने योग्य हैं और इसलिए लाइसेंस देने योग्य वस्तुओं के मामले में आयात की सिफारिश स्वदेशी उपलब्धता के सम्बन्ध उचित जांच के बाद की जाती है। इससे मशीन निर्माताओं को आयात के कारण नुकसान न होने का सुनिश्चय हो जाता है।

तटदूर खनिज स्रोतों की खोज और दोहन

1655. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटदूर क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज स्रोतों की खोज और दोहन के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार कर रही है;

(ख) क्या लागत और समय संबंधी ढांचा तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यह कार्यक्रम कब से प्रभावी होगा और इसका ब्यौरा क्या है.

विज्ञान तथा प्रद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर परम्परकि ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) इस संबंध में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और महासागर विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना

1656. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशी इस्पात संवर्द्धन और विकास के लिए मार्गनिर्देश के लिए एक शीर्षस्थ संगठन के रूप में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी केन्द्रीय संगठन की स्थापना का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) इस

प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु "सेल" द्वारा आन्तरिक रूपांकन संगठन के रूप में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के एक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

यह दल संयंत्रों में फेर-बदल करने, उनको सशक्त बनाने और उनमें और मशीनें लगाने के बारे में शक्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन आदि से सम्बन्धित कार्य करेगा।

तारापुर लाइट वाटर रिएक्टर का कार्यकरण

1657. **श्री बी. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर लाइट वाटर रिएक्टर के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और वे कहां तक पूरे हुए हैं; और

(ग) क्या पुनरीक्षा से यह पता चला है कि ऊर्जा के उत्पादन के एक सक्षम स्रोत के रूप में इस संगठन को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) भारत का पहला परमाणु बिजलीघर तारापुर में लगाया गया था तथा उसमें हल्के पानी को मन्दक के रूप में और समृद्ध यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले रिएक्टर लगाए गए थे, ताकि परमाणु बिजलीघरों के निर्माण और प्रचालन के बारे में आरम्भिक अनुभव अर्जित किया जा सके और परमाणु बिजलीघरों की आर्थिक सम्भाव्यता को भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में प्रमाणित किया जा सके। यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

रंगीन टेलीविजन सेटों की लागत

1658. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री जगन्नाथ पाटिल :

श्री राम जेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रंगीन टेलीविजन की कुल लागत का 29 प्रतिशत इसके पुर्जे और इसे जोड़ने पर खर्च होता है, 50 प्रतिशत करों के रूप में सरकार को और प्रतिशत कमीशन के रूप में विक्रेताओं को चला जाता है;

(ख) क्या काले और सफेद चित्रों वाले टेलीविजन को रंगीन टेलीविज... बदलने के इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरों के सभी प्रयत्नों को हतोत्साहित करने की निरन्तर कोशिश की जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रयोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार करों में कटौती करने अथवा काले और सफेद चित्रों वाले टेलीविजन को रंगीन टेलीविजन में बदलने में *सहायता* करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेट के संघटक-पुर्जों की लागत लगभग 29 प्रतिशत है; रंगीन दूरदर्शन सेट की लागत का लगभग 50 प्रतिशत सरकार को करों तथा प्रभारों के रूप में दिया जाता है और लगभग 6.7 प्रतिशत भाग विक्रेताओं को मिलता है। स्थानी करों के कारण इन सभी में थोड़ा-बहुत अन्तर हो सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं।

छठी योजना में संसाधन-अन्तराल जुटाना

1859. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने संसाधनों में कमी पूरी करने के लिए पेट्रोल के मूल्य में "स्लेक्टर" समायोजन करने, निधि से राज सहायता में कमी करने, रेलवे किराये में समायोजन करने, विद्युत् उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क द्वारा समायोजन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने उपरोक्त सुझाव एक तरफा दिये थे या उसने राज्यों को विश्वास में लिया था क्यों कि प्रत्येक सुझाव में कुछ मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति विद्यमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त सुझावों का अन्तिम रूप से अनुमोदन करने से पूर्व राज्यों से परामर्श लिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : योजना आयोग केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को समय-समय पर योजना तैयार करने और कार्यान्वयन के बारे में सुझाव देता है जिसमें योजना के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपयुक्त उपाय शामिल हैं। इन सुझावों के ब्यौरे बताना संभव नहीं होगा क्योंकि वे सरकार की निर्णय करने की प्रक्रिया का भाग हैं। इन सुझावों पर निर्णय करना संबधित प्राधिकारियों का काम है और केन्द्रीय सरकार जहां आवश्यक हो राज्य सरकारों से परामर्श करेगी।

अपराधों को रोकने के लिये नई नीति

1660. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः रोज ही डकेती और हत्याओं की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस की संख्या में वृद्धि के बावजूद अपराधों में नियत्रंण नहीं पाया जा सका है; और

(ख) क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कोई नई नीति बना रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेबार है। अपराध सहित कानून और व्यवस्था चूंकि राज्य का विषय है अतः डकैती और हत्या की घटनाओं के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं। तथापि

अपराध स्थिति सतत पुनरीक्षणाधीन है और जब कभी इस संबंध में आवश्यकता होती है उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि

1661. **श्री राम लाल राही :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है; और

(ग) वर्ष 1981-82 के वास्तविक उत्पादन की तुलना में उत्पादन में अनुमानित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उत्पादक. उद्यमों को वर्ष 1982-83 के दौरान अपने उत्पादन में कम से कम 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने की सलाह दी गई है।

(ग) चालू वर्ष अर्थात (1982-83) के प्रथम पांच महीनों (अप्रैल से अगस्त, 1982) के दौरान संचित उत्पादन में वर्ष 1981-82 की इसी अवधि में हुए उत्पादन के मूल्य की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कम संख्या

1662. **श्री भीखा भाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, सरकारी स्वामित्व की कोल फील्ड्स लि. तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी स्वामित्व की खानों में विद्यमान इस कमी की ब्यौरे-वार जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खान विभाग के सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में विभिन्न अंशों में कमी है। जहां तक हिन्दुस्तान जिंक लि. और हिन्दुस्तान कापर लि. का सम्बन्ध है, उनके यहां यह कमी समूह 'क' और 'ख' के पदों के प्रसंग में है। यह कमी खान विभाग के अन्य सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी है। इस कमी का मुख्य कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति समुदायों के प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों का न मिलना है।

(ग) खान विभाग के सभी सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को समय-समय पर कहा जाता

रहा है कि वे आरक्षिण सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इस सम्बन्ध में अनेक प्रतिष्ठानों ने अन्य अनेक उपाए भी किए गए हैं, यथा इन समुदायों के लिए स्तर में छूट देना, अलग साक्षात्कार करना, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ही अलग से विज्ञापन निकालना, जयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को सदस्य बनाना तथा सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करना।

इस्पात और कोयला विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

1663. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा सरकारी उपक्रमों अथवा सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया;

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम के बारे में कोई उल्लेख है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

नारियल जटा उद्योग को ट्रेड यूनियनों से ज्ञापन

1664. **श्री ए. नीलोलोहिथादसन नाडार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को केरल के नारियल जटा उद्योग की विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 12 अगस्त, 1982 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नारियल जटा बोर्ड ने 8 फरवरी, 1982 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से सरकार से अनुरोध किया था कि नारियल जटा की चटाइयां यांत्रिक करघों पर बनाने की अनुमति न दी जाए क्योंकि इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि मशीनीकृत करघों पर बिछावन बनाने के लिए (तमिलनाडु में एमेन्डीविलाई स्थित फ्लूरको) एक एकक को दी गई अनुमति से हथकरघा क्षेत्र में कयर बिछावन के उत्पादन में नियोजित 20,000 कामगारों का

भविष्य गम्भीर संकट में पड़ गया है। उन्होंने उद्योग मंत्रालय से निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है :—

(क) सरकार की स्वीकृत नीति के प्रतिकूल फ्लूरको में कयर बिछावनों के मशीनीकृत उत्पादन के लिए किस प्रकार लाइसेन्स दिया गया इसकी न्यायिक जांच कराने के लिए आदेश देना;

(ख) हथकरघों पर तैयार किये जाने वाले कयर के बिछावनों का मशीनीकृत करघों पर उत्पादन करने पर प्रतिबन्ध लगाना;

(ग) मशीनीकृत करघों पर कयर के बिछावन बनाने के लिए फ्लूरको को दिए गए लाइसेन्स का नवीकरण न करके कयर बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करना और लाइसेन्स देने के लिए सरकार के निदेश पर पुनर्विचार करना।

इस एकक के पंजीकरण का नवीकरण करने पर विचार करते समय संयुक्त ज्ञापन में दी गई बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) 8 फरवरी, 1982 को हुई बैठक में कयर वोर्ड ने सरकार से यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि वह मे. एलेप्पी कं. लि. (तमिलनाडु में एन्मेडीविलाई टैंक फ्लूरको) के एकक द्वारा मशीन निर्मित कयर के बिछावनों का उत्पादन और उनका निर्यात करने की अनुमति देने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। सरकार ने इसकी जांच की थी तथा यह देखा गया था कि पंजीकरण का नवीकरण करने के लिए 1980 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से लेकर अब तक इस मामले के तथ्यों में कोई परिवर्ततन नहीं हुआ है जिसके कारण निर्णय पर पुन: विचार करने की आवश्यकता हो। हथकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए इस कम्पनी द्वारा मशीन-निर्मित बिछावनों पर पहले ही 100 प्रतिशत निर्यात दायित्व लागू कर दिया गया है। कयर बोर्ड को जून, 1982 में तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

केरल के विधेयकों की स्वीकृति

1665. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :**

श्री ई. बालानन्दन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विधान सभा द्वारा पारित कितने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) लम्बित पड़े विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) और (ख) 30 सितम्बर, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केरल के निम्नलिखित 4 विधेयक लम्बित पड़े हैं :—

1. केरल आकस्मिक, अस्थाई और बदली मजदूर (मजदूरी) विधेयक 1977.
2. सार्वजनिक सम्पत्ति (बरबादी तथा क्षति की रोक) विधेयक, 1978.

3. केरल काजू श्रमिक राहत तथा कल्याण निधि विधेयक, 1979.

4. केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1980.

(ग) और (घ) ये विधेयक केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। इनमें से तीन विधेयकों के बारे में राज्य सरकार की टिप्पणी प्रत्याशित है। प्रत्येक मामले में निर्णय लिये जाते ही राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

इलैक्ट्रानिक पूर्जों का आयात

1666. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के टी. वी. निर्माता हावी हो गए हैं और इलैक्ट्रानिक संघटक उद्योग एसोशिएशन ने सरकार से माँग की है कि इलैक्ट्रानिक पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध को उठाया जाए और उन्हें आयात करने की अनुमति दी जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलैक्ट्रानिक पुर्जे भारत में बहुतायत से बनते हैं और उपलब्ध है;

(ग) क्या इलैक्ट्रानिक पुर्जों के आयात की अनुमति देने से इलैक्ट्रानिक पुर्जे बनाने के उद्योगों को जो केरल के केलट्रान और पंजाब औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, भारी कठिनाई पैदा हो जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के आयात के संदर्भ में सरकार की आयात-नीति के रूख के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। हाँ, कुछ विशिष्ट मदों की स्थिति के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन अवश्य प्राप्त होते रहे हैं। इन अभ्यावेदनों पर सतर्कतापूर्वक जांच की जा रही है।

'प्रोग्रेस रिपोर्टस आफ 20-पाइन्ट प्रोग्राम विदहेल्ड' शीर्षक समाचार

1667. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :**

श्री एन. के. शेजवलकर :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अगस्त, 1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' के पहले पृष्ठ में, "प्रोग्रेस रिपोर्टस आफ 20-पाइन्ट प्रोग्राम विदहेल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) "इण्डियन एक्सप्रेस के दिनांक 15 अगस्त 1982 के अंक में प्रोग्रेस रिपोर्टस आफ 20-पाइन्ट प्रोग्राम विदहेल्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सूचना प्रेस रिलीजों और विशेष लेखों के रूप में नियमित रूप से समाचार पत्रों को भेजी जाती है।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981 की स्वीकृति

1668. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981 को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) यह मान लिया जाता है कि उल्लेख "पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981" के संबध में है। विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

शराब पीकर वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों का पता लगाने के लिए प्राप्त की गई मशीनें

1669. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने परीक्षण के लिए ऐसी कुछ मशीनें प्राप्त करने का हाल में ही निर्णय किया है जो शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का पता लगा सकती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका उपयोगिता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने टेलिडाइनें ब्रेथ एनालाइजर नामक इलेक्ट्रोनिक यंत्र प्राप्त किया है। ड्राई सैलों द्वारा संचालित इस यंत्र में एक माउथपीस होता है जिस पर शराब पीने वाला संदिग्ध व्यक्ति अपनी सांस छोड़ता है। यंत्र को आजमाइसी तौर पर प्राप्त किया है और यदि यह उपयोगी सिद्ध हुआ तो इसके व्यापक प्रयोग पर विचार किया जाएगा।

एशियाड खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा का प्रबन्ध

1670. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड खेलों के आरम्भ होने से पूर्व तथा खेलों के दौरान दिल्ली में क्या अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं;

(ख) क्या विदेशों से आने वाले खिलाड़ियों की पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं कि खेलों के दौरान दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बाधा न पड़े ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) एशियाई खेलों के दौरान विधि और व्यवस्था को बनाए रखने और भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जन शक्ति, वाहन तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र इस्पात संयंत्रों का भविष्य

1671. डा. कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन भिलाई बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर और राउरकेला इन पांच सरकारी क्षेत्र इस्पात संयंत्रों की क्या सम्भावनायें हैं, जिनके लिए चालू वर्ष के दौरान 64.7 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो सम्भव प्रतीत नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक उनका कितना कार्य निष्पादन है और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह निष्पादन कितना है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या उपचारी उपाय किये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1982 की अवधि में "सेल" के कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 25.5 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसका उत्पादन 26.4 लाख टन हुआ था :

उत्पादन में कमी मुख्यत: लोकोपयोगी संस्थानों से बिजली की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई के कारण हुई है। बिजली की कठिनाइयों के कारण उपर्युक्त अवधि में "सेल" के कारखानों के उत्पादन में 3,20,800 टन की कमी हुई है। कोककर कोयले में राख की मात्रा अधिक होने तथा उपस्करों में कुल खराबियाँ होने के कारण भी उत्पादन में कमी हुई है।

(ग) "सेल" के कारखानों के उत्पादन पर "सेल" तथा मंत्रालय के स्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। बिजली की सप्लाई में सुधार हो जाने के फलस्वरूप सितम्बर, 1982 में उत्पादन में गिरावट का रूख बदल गया है। वर्ष के शेष छ: महीनों में उत्पादन में वृद्धि का रूख बनाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

बम्बई में धूल के बादल का छाना

1672. डा. कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उन छह नगरों में से एक है जो मैक्सिको के बढ़ते हुए ज्वालामुखी एल चिचोन द्वारा निर्मित धूल के बादल की छाया में है, जिसकी वजह से धरती तक सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में आ पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त क्षेत्र में वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बम्बई सहित, विभिन्न मौसम केन्द्रों से उपलब्ध विकिरण आंकड़ों की जांच और 1981 के सदृश आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करने से, धूल के बादलों के कारण धरती तक सूर्य के प्रकाश के पहुंचने में कोई सुस्पष्ट

न्यूनता निर्दिष्ट नहीं होती है। मई और जून, 1982 के लिए उपग्रह चित्रों से बंबई के निकट ज्वालामुखीय घूल का कोई बादल दिखाई नहीं देता है।

(ख) तथा (ग) ऊपर उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं होता है।

(घ) प्रभावों को देखने के लिए, पुणे से वायुमण्डलीय धुन्धलापन की अपारदर्शिता का घंटेवार अवलोकन करने के प्रबन्ध किये गये हैं। किसी परिवर्तन को देखने के लिए, उपग्रह चित्रों का अध्ययन भी किया जा रहा है। अन्य देशों से अतिरिक्त सूचना भी एकत्र की जा रही है।

मद्रास में अवैध ग्रेनेड फैक्टरी

1673. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु पुलिस ने 3 अगस्त 1982 को मद्रास शहर के बीच एक आवासीय फ्लैट में एक अवैध ग्रेनेड फैक्टरी का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो जब्त किये गये माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास विषयक राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1674. **श्री ईरा अनबरासू** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों का विकास विषयक राष्ट्रीय समिति द्वारा, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के विशेष सन्दर्भ में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही कीं गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में पात्र संवृद्धि केन्द्रों का चयन और बड़े तथा मझौले उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रत्येक चुने हुए संवद्धि केन्द्र में एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना सहित अनेक परस्पर-संबंधित सिफारिशें की है। लघु उद्योगों के विकास के लिए समिति ने, अन्य बातों में औद्योगिक संपदा (बस्ती) कार्यक्रम को सक्रिय बनाने की सिफारिश की है। विभिन्न सिफारिशों से संबंधित ब्यौरे औद्योगिक प्रकीर्णन से संबंधित रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं जिसकी प्रतियां 2 सितम्बर, 1981 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

(ख) सिफारिशों की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

सड़क परिवहन निगम की हानियों को पूरा करने के लिए योजना निधियों के परीवर्तन को रोकने के कदम

1675. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा अपने सड़क परिवहन निगमों के 650 करोड़ रुपयों के संचयी घाटों को पूरा करने के लिये योजना राशियों का परीवर्तन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क परिवर्तन निगमों के घाटों को पूरा करने के लिये योजना धनराशियों के परावर्तन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) योजना धनराशियों का इस प्रकार का परावर्तन अनुगेय नहीं है और हमें राज्य सरकारों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1676 **श्री जयनारायण रौत :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री भैरों सिंह शेखावत के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए मामला राजस्थान के राज्यपाल को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मंत्रालयों/विभागों में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटान

1677. **डा. ए. यू. आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर न तो तुरन्त ध्यान दिया जाता है और न ही उनकी प्राप्ति की सूचना दी जाती है, जहां विलम्ब होने का पूर्वानुमान हो जाता है और जिन पत्रों का तुरन्त उत्तर नहीं दिया जाता है उनका अन्तरिम उत्तर नहीं दिया जाता है और सामान्य स्वरूप की जानकारी भी किसी न किसी बहाने से नहीं दी जाती है यद्यपि संसद सदस्यों के पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के लिए पहले आश्वासन दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों तथा कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों की दृढ़ अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) पत्रों के शीघ्र निपटान पर निगरानी रखने के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का पृथक रजिस्टर बनाये रखने का क्या परिणाम निकला; और

(घ) प्रत्येक कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में 3, 6, 9, और 12 महीनों से अधिक समय से कितने पत्र विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रादि के तुरन्त उत्तर देने की आवश्यकता को सरकार स्वीकार करती है। मंत्रलयों में संसदीय कार्य करने की नियम पुस्तिका और केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका दोनों में ही संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान के बारे में कतिपय विस्तृत और विशिष्ट उपबन्ध मौजूद हैं। न केवल इस प्रयोजन के लिए बल्कि उन्हें *मांगी गई सूचना*

देने के बारे में भी समय समय पर अलग से अनुदेश भी जारी किए गए हैं। निर्धारित कार्यविधि का ईमानदारी के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के अलावा कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में अनुभागों का वार्षिक निरीक्षण करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस निरीक्षण के दौरान संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रादि के तेजी के साथ निपटान की आवश्यकता के बारे में कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के संगत पैराग्राफों और अन्य अनुदेशों की ओर सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित करते हुए अभी 26 अप्रैल, 1982 को उन्हें दोबारा से व्यापक अनुदेश जारी दिए गए हैं। विभिन्न विभागों, विशेष रूप से सम्बन्धित संयुक्त सचिव/निदेशक की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन अनुदेशों का ईमानदारी के साथ अनुपालन किया जाता है।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रादि के लिए अलग रजिस्टर इस प्रयोजन से रखे जाते हैं कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इन आवतियों के निपटान पर बराबर निगरानी रखी जा सके। ये अधिकारी समय समय पर इन रजिस्टरो की जांच कर सकते हैं और उनके कैफियत वाले खाने में उनके तेजी के साथ निपटान के लिए निदेश दे सकते हैं। अतः पत्रादि के निपटाने में यदि कोई देरी होती है तो उस पर कड़ा नियन्त्रण रहता है

(घ) अपेक्षित सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

इन्जीनियरी उद्योग का आधुनिकीकरण

1678. : **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्जीनियरी उद्योग के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिये विकास निधि बनाने की आवश्यतता पर गंभीरता से विचार कर रही है,

(ख) क्या औद्योगिक विकास एक ऐसे समेकित प्रक्रिया है जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति होती है; और

(ग) यदि हां तो उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं,

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) 23 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत विकास को पहले ही एक साधन के रूप में मान्य किया जा चुका है। इस नीति के अनुसार सरकार ने उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं

(1) पांच वर्ष की अवधि में अधिकतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त के साथ 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वतः विकास के लिए व्यवस्था।

(2) आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों और साथ ही निर्यात संभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना।

(3) 100 निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना तैयार करना।

(4) लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देते हुए क्षमताओं के पृष्ठांकन हेतु उत्पादन को आधार मानना।

(5) उद्योग रहित जिलों और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।

(6) ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विदोहन की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।

(7) निर्यात के उद्देश्य से किये गये उत्पादन को लाइसेन्सीकृत क्षमता से अलग मानना

(8) सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उत्पादकता वर्ष 1982 में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक सरकारात्मक उत्पादनोन्मुख दिशा देना सम्भव होगा। इस योजना की प्रमुख बातों की घोषणा उद्योग मत्रालय के प्रेस टिप्पण संख्या 10/97/81-एल. पी. दिनांक 21 अप्रैल, 1982 में पहले ही की जा चुकी है।

छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

1679. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना पर मध्यावधि मूल्यांकन करने पर यह पता चला है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान छठी योजना का कार्यान्वयन आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) क्या यह सच है कि आशा के अनुरूप प्रगति न होने के कारण राज्य सरकारें उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें प्राप्त करने थे यदि हां' तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है और सही स्थिति का केवल मूल्यांकन के पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। मध्यावधि मूल्यांकन से विभिन्न क्षेत्रकों में कठिनाइयों का यदि कोई हों, तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों का पता चलेगा।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों के मिलाकर छठी योजना के दो वर्षों, 1980-81 और 1981-82 में योजनाओं पर व्यय अनुमोदित योजना परिव्ययों की अपेक्षा अधिक होने की आशा हैं। लेकिन उनकी 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए उनके अपने संसाधनों में काफी कमी रही है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजनों से पूरा किया गया है। 1982-83 के लिए वार्षिक योजना के दस्तावेज के पैरा संख्या 3.3और 3.9 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है

दिल्ली में दहेज निषेध अधिनियम के अधीन अभियुक्त व्यक्ति :

1680. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान दहेज निषेध अधिनियम के अधीन 1981 और 1982 के दौरान कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से ऐसे कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया जिन्होंने दहेज की मांग की थी;

(ख) उनको दी गई सजा का व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसकी एक सूची सभा पटल पर रखी जयेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दहेज निषेध अधिनियम के अधीन 1981 में 31 व्यक्तियों और 1982 (15-9-82 तक) में 13 व्यक्तियों का चालान किया गया है। उनके विरूद्ध मामले विचारण के लिए लम्बित हैं।

(ग) चूंकि मामले न्यायाधीन हैं अतः ऐसे अभियुक्तों जो न्यायालय द्वारा अभी दोषी नहीं पाए गए हैं की सूची प्रस्तुत करना ठीक नहीं होगा।

इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की किस्म तथा उनकी विश्वसनीयता

1681. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिकी विभाग ने उपभोक्ताओं को देश में निर्मित इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की किस्म और विश्वसनीयता के बारे में विश्वास दिलाया है और यदि हाँ तो देश भर में इसको कैसे कार्यान्वित किया जाएगा (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाँक 21 अगस्त, 1982),

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मानक संस्थान (आई. एस. आई.) के चिन्ह लगी वस्तुओं की उदाहरण के रूप में साइकिलें तथा अनेक इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के मामले में उनकी किस्म सुनिश्चित करने में अब तक असफल रहा है; और

(ग) क्या सरकार अभी निर्मित वस्तुओं के लिए 'गुड हाउस , कंपनी के सामने एक संस्था बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एस. एस. सन्जीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के प्रति जागरुकता पैदा करके हमारे इलेक्ट्रानिकी उत्पादों के मानक को ऊंचा उठाने में उद्देश्य से मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से देश के भीतर लघु तथा मझोले क्षेत्र को सहायता देने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार ला सकें और उन्हें स्वीकार्य मानकों के अनुरूप स्तर तक ला सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूचे देश में अंशांकन तथा परीक्षण केन्द्रों का एक जाल बिछाया जा रहा है। गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता विषय पर अनेक विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही है। इन केन्द्रों पर उद्योग को नाममात्र की दरों पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(ख) तथा (ग) इस मामले पर विचार किया जाएगा।

इण्डिया इन्टरनेशनल सेंन्टर का प्रदूषण विषयक अध्ययन दल

1682. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि राजधानी में इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर द्वारा प्रदूषण, जल प्रदाय, मल निस्सारण तथा यातायात खतरों की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए एक दल आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समूह को कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता दी जानी है; और

(ग) इसके सदस्यों के चुनाव, इसके विस्तार तथा उप-समूहों द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बारे में क्या मानदंड नियत किये गये हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली में जनता में पर्यावरणीय मुद्दों के सम्बंध में जागृति उत्पन्न करने के लिए इंडिया इन्टर-नेशनल सेन्टर में 1980 में निर्मित एक पर्यावरणीय समूह पेनल विचार-विमर्श की एक श्रृंखला और विशेषज्ञों द्वारा चर्चाओं का आयोजन करता रहा है।

(ख) तथा (ग) एक समन्वित पर्यावरणीय कक्ष का विकास करने के लिए 1982-83 के दौरान पर्यावरण विभाग ने इण्डिया इन्टर-नेशनल सेन्टर को 1.12 लाख रूपये की राशि स्वीकार की है। यह कक्ष विचार-गोष्ठियों, दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन और पर्यावरण से सम्बंधित अन्य कार्यवाहियों का आयोजन करेगा। विशेषज्ञों को अन्तंग्रस्त करने के साथ-साथ, पर्यावरण विभाग इस कक्ष के कार्यकलापों के साथ निकट से सम्बंध भी स्थापित रखेगा।

राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम के अधीन उपग्रह केंन्द्रों की स्थापना करना

1683. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम के अधीन जोधपुर, जैसलमेर तथा बाडमेर नगरों में उपग्रह केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरे क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा उर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) डाक और तार विभाग ने केवल जोधपुर में एक उपग्रह संचार भू-केन्द्र की स्थापना की है।

(ख) जोधपुर स्थिति भू-केन्द्र तैयार है तथा इसके इस महीने के अन्त तक कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है।

बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्य-निष्पादन

1684. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा किये गए तथा किये जाने वाले ठोस उपायों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक इस कार्यक्रम के कार्य निष्पादन की क्या स्थिति रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के त्वरित तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षण समितियां स्थापित करना और राज्यों में मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों के स्तर पर पुनरीक्षण समितियां स्थापित करना, और विभागीय पुनरीक्षण समितियां स्थापित करना तथा जिला और तालुका स्तर पर समितियां स्थापित करना शामिल है। जिला और तालुका स्तर की समितियों में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल

किता जाता है। विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी तथा राज्य अधिकारी 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति देखने और प्रभावी तथा त्वरित कार्यान्वयन में बाध्यकारिताओं को दूर करने के उपाय करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करते हैं केन्द्र में, प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 20-सूत्री कार्यक्रम संबंधी एक मंत्रिमंडल समिति भी गठित की गई है।

(ख) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक लक्ष्यों और अप्रैल-अगस्त, 1982 में उपलब्धियों की नमीनतम सूचना के बारे में विवरण संलग्न है।

विवरण

अखिल भारतीय निष्पादन-लक्ष्य और उपलब्धियां अप्रैल-अगस्त, 1982

सूत्र	इकाई	1982-83 लक्ष्य	उपलब्धियां	
			अगस्त तक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	हजार परिवार	3102.7	498.72	16.0
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	3383	954.00	28.2
भूमि सुधार	हजार एकड़	908.9	79.05	7.0
बंधुआ मजदूर	संख्या	35828	9846	27.5
अनुसूचित जातियों के परिवार	लाख संख्या	23.50	3.57	15.2
अनुसूचित जातियों के परिवार	लाख संख्या	13.3	2.20	16.5
पेय जल	गांवों की संख्या	33737	11864	35.1
मकान बनाने के लिए स्थान	लाख संख्या	10.62	2.11	19.9
निर्माण कार्य के लिए सहायता	लाख संख्या	7.53	1.40	18.6
गंदी बस्तियों जनसंख्या	लाख संख्या	19.22	3.98	20.7
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मकान	लाख संख्या	1.99	0.49	24.3
बिजली लगाए गए गांव	गांवों की संख्या	26304	5785	21.9
बिजली चालित पंप सैट	लाख संख्या	3.78	0.95	25.3
पौध लगाना	करोड़ संख्या	193.94	125.70	64.8
बायो गैस संयंत्र	संख्या	75838	8575	11.3
नसबंदी	हजार संख्या	4478	841.4	18.8
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	213	49	...
उप केन्द्र	संख्या	8218	3808	...
एकीकृत सामुदायिक विकास स्कीम खड	संख्या	312	282	...

उपलब्धि के आंकड़ों में त्रिपुरा में जुलाई, 1982 तक और पश्चिम बंगाल में जून 1982 तक हुई प्रगति शामिल है।

'मेल' में मजदूरी समझौता :

1685. **श्री के. ए. राजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मेल' में मजदूरी समझौते की अवधि इस वर्ष 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अवधि के समाप्त होने की तारीख से पहले नया समझौता किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) बी. एच. ई. एल. की संयुक्त समिति जो कि कम्पनी का शीर्षस्थ द्विपक्षीय मंच है, में अभी भी बातचीत चल रही है।

बिहार में पिछड़ापन दूर करने की योजनाएं

1686. **श्री राम विलास पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में पिछड़ापन दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत शामिल की गई अनेक स्कीमें/परियोजनाओं/कार्यक्रमों से बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलेगी। इनमें निम्नलिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है :

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा प्रकृत क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसे गरीबी दूर करने के कार्यक्रम/स्कीम

(2) मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।

(3) जनजातीय उपयोजना।

(4) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना।

दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि

1687. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 सितम्बर, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि देश में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या पिछले सात वर्षों के दौरान दुगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार दहेज के कारण होने वाली मौतों को सारे देश में संक्षेप तथा जमानत न दिए जाने वाला अपराध बनाने का है; और

(ग) सरकार ने देश में दहेज से होने वाली मौतों को कम करने के लिए अन्य क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तारीख 6 सितम्बर, 1982 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार जिसमें यह कहा गया है कि देश में दहेज के कारण होने वाली मोतें सात वर्षों में दुगनी हो गई हैं।

(ख) अस्वाभाविक परिस्थितियों में दहेज के कारण हुई मौत भारतीय दण्ड संहिता के अधीन हत्या (धारा 302) या आपराधिक मानववध, या आत्महत्या का प्रयास (धारा 306), आदि होगा। इन सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। दहेज निशेध अधिनियम, 1961 के संबंध में संयुक्त समिति, जिसने अधिनियम के उपबन्धों पर विचार किया है, ने सिफारिश की है कि अधिनियम के अधीन सभी अपराधों को संज्ञेय बनाया जाय किन्तु यह शर्त होगी कि वारंट अथवा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यदि दहेज के कारण हुई मौतें संज्ञेय अपराध के रूप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 304, 306 के अन्तर्गत आती हैं, तो उनके वर्गीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। 13.8.82 को इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों (जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर) को व्यापक अनुदेश जारी किए गए थे। जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाती है।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल, 5495/82

इन्सेट 1-ए के विफल हो जाने के कारण टेलीविजन उद्योग को हानि

1688. **श्री तारिक अनवर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन्सैट 1-ए के अचानक विफल हो जाने के कारण देश में टेलीविजन उद्योग को गहरा धक्का लगा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवा राव) : भारतीय उपग्रह (इन्सेट) 1-ए की असफलता के फलस्वरूप दूरदर्शन उद्योग को कोई भारी धक्का पहुंचा हो, इस सम्बन्ध में दूरदर्शन विनिर्माण उद्योग की ओर से इलेक्ट्रानिकी विभाग को कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए हैं।

पश्चिम बंगाल से रेडियो तथा इलेक्ट्रानिकी कारखानों का पलायन

1689. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पहले ही से विद्यमान ऊंचे बिक्री कर के अतिरिक्त कुल वसूलियों पर कर भी लगा देने से वहां से काफी बड़ी संख्या में रेडियो तथा इलेक्ट्रानिकी कारखाने बाहर जा रहे हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के इस उद्योग में लगे लगभग 200 पंजीकृत लघु उद्योग लगभग ठप्प हो गये हैं, और दिल्ली के आस पास काम करने लगे हैं जहां कुल वसूलियों पर कर नहीं है और विक्रय कर की दर भी नीचीं हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) और (ख) सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है।

खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार प्रदान करना

1690. **डा. बसंत कुमार पन्डित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योगों की ग्रामीण गतिविधि के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की छठी योजना का लक्ष्य गत दो वर्षों के दौरान पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना अवधि के शेष तीन वर्षों में खादी का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामोद्योग व्यवस्था का प्रसार करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये द्रुत कार्यक्रम के रूप में सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र ने खादी तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये संस्थागत तथा संगठनात्मक समन्वय ढांचा स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामोद्योगों, कुटीर तथा खादी क्षेत्र के लिये नियत किये गये उत्पादों का उत्पादन करने पर संगठित क्षेत्र पर रोक लगाने का है;

(ङ) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अधिक वित्तीय सहायता तथा संस्थागत ऋण की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की छठी योजना में रोजगार के 20.30 लाख अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे क्षेत्र में रोजगार का स्तर वर्ष 1979-80 के 27.33 लाख से बढ़कर वर्ष 1984-1985 में 50.50 लाख हो जायेगा। गत दो वर्षों (1980-81 और 1981-82) में लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार रहीं :—

(आंकड़े लाखों में)

	1980-1981		1981-82	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. खादी	11.90	12.06	12.70	13.10
2. ग्रामोद्योग	20.60	18.10	23.80	19.61
कुल	32.50	30.16	36 50	32.71

(*) दिए गए लक्ष्य छठी योजना के लिए हैं और इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आने वाले लाभानुभोगी शामिल हैं। उपलब्धियों सम्बन्धी आँकड़ों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित आँकड़े शामिल नहीं है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कर्नाटक के बीजापुर चित्रदुर्ग जिलों में खादी तथा

ग्रामोद्योगों के गहन विकास की एक विशेष योजना आरम्भ की है। आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के रायबरेली और सुलतानपुर जिलों में भी इसी प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। आयोग का देश के चुने हुए "उद्योग रहित जिलों" में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने का विचार है। आयोग द्वारा पता लगाए गए संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से आयोग का वर्ष 1982-1983 में 200 प्रखंडों और वर्ष 1983-1984 में 300 प्रखंडों में कार्य करने का प्रस्ताव है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और आयोग और राज्य बोर्डों से सहायता प्राप्त करने वाले विभिन्न संस्थान आते हैं) में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने सम्बन्धी विद्यमान संगठनपरक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) खादी तथा ग्रामाद्योग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति तथा अपेक्षित विधियों की समय समय पर संवीक्षा की जाती है और अधिक वित्त सहायता देने के प्रश्न पर जब आवश्यक होगा, विचार किया जायेगा।

प्रत्येक गांव में पक्की सड़कों की व्यवस्था करने के लिये दस वर्षीय योजना

1691. **डा, बसन्त कुमार पंडित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के कार्यकारी दल ने प्रत्येक गांव में पक्की सड़कों की व्यवस्था करने के लिए एक 10-वर्षीय योजना का सुझाव दिया है;

(ख) मध्य प्रदेश में इस योजना के पता किए गए उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनमें (एक) 1000 से कम जनसंख्या है (दो) 1000 से 1500 के बीच जन संख्या है और (तीन) जो पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में हैं और जिन्हें इस प्रकार की पक्की सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा;

(ग) इस योजना के अंतर्गत 1982-83 और 1984 में मध्य प्रदेश में जिले-वार बनाई जाने वाली पक्की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी होगी; और

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को इस योजना के साथ समन्वित किया जाएगा और आगामी तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितने रोजगार पैदा होंगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हान) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांवों की श्रेणीवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

जनसंख्या श्रेणी	गांवों की कुल संख्या	1990 तक जोड़े जाने वाले गांव
1500 और इससे अधिक	2990	2990
1000-1500	4347	2174
1000 से कम 1/	63546	उपलब्ध नहीं 2/

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य/उपलब्धियां मुख्य रूप से सड़कों से जोड़े गए गांवों से संबंधित होते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बाई के अनुसार और जिलावार सड़कों के निर्माण के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण से समन्वय करने की साध्यता की जांच करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।

1. न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार 1500 और इससे अधिक जनसंख्या की श्रेणी में आने वाले सभी गांवों को तथा 1000 से 1500 की श्रेणी में आने वाले 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1990 तक सभी मौसम की सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाना है। पहाड़ी, जनजातिय, रेगीस्तानी और तटीय क्षेत्रों को छोड़कर जहां उपर्युक्त जनसंख्या के मानदंड को गाँवों के समूहों पर भी लागू किया जा सकता है सामान्यत: 1000 से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में आने वाले गांव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग नहीं है।
2. मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के गांवों की संख्या के बारे में सूचना सुलभ नहीं है।

मिनी संयंत्रों में बिजली की कमी

1692. **श्री पी. एम. सईद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादों की मांग कम होने और उनके बड़ी मात्रा में आयात के कारण कुल मिनी इस्पात संयन्त्रों को निरन्तर नुकशान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ यूनिटों में विजली की कमी के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई है–

(ग) इसके अन्य क्या कारण उत्तरदायी हैं;

(घ) लघु इस्पात इकाइयों पर इस्पात आयात का किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हो सकता है कि बिजली की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण कुछ राज्यों में लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन में कमी हुई हो लेकिन पिछले दो वर्षों में देश में इन कारखानों के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दी गई तालिका को देखने से पता चलता है :—

1980-81	19,53,656 टन
1981-92	20,31,907 टन
अप्रैल-अगस्त, 1982	8,63,879 टन

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिषद का गठन

1693. **श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री की अध्यक्षता में हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन, सदस्यता, निर्देशपद, सौंपें गये कार्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त परिषद के गठन से पूर्व इस बारे में कोई मूल्यांकन किया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा **महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) :** (क) जी, हां। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है।

(ख) सम्बन्धित विस्तृत जानकारी, भारत सरकार के संकल्प संख्या वी-12012 (1)/82-प्रशा.-1, दिनाँक 17 मई, 1982 में दी गई है। इसकी एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या** एल. टी. 5496/82)

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अंत: मंत्रालयी कार्यबल ने देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जानकारी के प्रभावी प्रसार के लिए तन्त्र की व्यवस्था करने के बारे में गहन रूप से विचार किया है। साथ ही उसने इस जानकारी के प्रसार के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के उपयोग और नीति और वैज्ञानिक स्वभाव के सृजन के लिए उपायों की आवश्यकता आदि पर भी विचार किया। छठीं योजना के प्रलेख के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्याय में इन पहलुओं के बारे में स्पष्ट पैराग्राफ दिये गये हैं। कार्यबल की कार्यवाही और मूल्यांकन पर आधारित तथा मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा इसके समर्थन और सिफारिश के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने वाले सीमेंट कारखानों की संख्या

1694. **श्री मनमोहन टुडु : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने सीमेंट कारखानों की स्थापना की जानी है;

(ख) क्या उपरोक्त वर्ष में उड़ीसा में कुछ सीमेंट कारखाने स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उड़ीसा में सीमेंट कारखानों की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट उद्योग की क्षमता को मूर्त रूप दिये जाने के लिए जो आंकलन किया गया है उससे यह पता चलता है कि वर्ष 1982-83 के दौरान विस्तार सहित 18 सीमेंट संयन्त्र स्थापित किये जाने की आशा है।

(ख) से (घ) 1982-83 के दौरान इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड के राज्य के सरकारी क्षेत्र के एकक मैसर्स हीरा सीमेंट वर्क्स के विस्तार को कार्यरूप दिये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए मै. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. को आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	वार्षिक क्षमता	स्थापना स्थल		टिप्पणी
स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	21.40 लाख मी. टन	चिलहटी/राउरकेला (जिला-बिलासपुर) मध्य प्रदेश	(जिला-सुन्दरगढ़) उड़ीसा	सम्भाव्यता रिपोर्ट के आधार पर संशोधित प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड	0.65 लाख मी. टन	कटरा क्रिंगसेरा (जिला-सुन्दरगढ़), उड़ीसा		तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट को अद्यतन कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है।

अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

1695. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज के तीन कारखानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने में तथा बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता के कारण देश में समाचार पत्र उद्योग ठीक कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन संयन्त्रों की कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स का उत्पादन बढ़ रहा है और हाल ही में मैसूर पेपर मिल्स तथा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की अखबारी कागज परियोजनाएं भी चालू कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) तथा (ग) नई परियोजनाओं में संयन्त्र के विभिन्न भागों के परिचालन को अभी सुस्थिर किया जाना है और क्षमता का इष्टतम उपयोग तदुपरांत ही किया जा सकेगा। जहां

तक नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स का प्रश्न है उपकरणों के सक्षम परिचालन में कठिनाईयों को दूर करने के लिए तथा कैप्टिव जनरेटर लगाकर बिजली की आपूर्ति को पूरा करने हेतु एक आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इस्पात का जमा होना

1696. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत कुछ महीनों से इस्पात का भण्डार जमा हो गया बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के इस प्रकार जमा होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। सेल के कारखानों और स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात के स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

(हजार टन)

	1-5-1982	1-7-1982	1-9-1982
कारखानों में	320.6	310.1	337.8
स्टाकयार्डों में	798.5	773.4	724.6
कुल :	1119.1	1083.5	1062.4

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आटोमोबाइल उद्योग में मन्दी

1697. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में आटोमोबाइल उद्योग की मन्दी के कारण अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आटोमोबाइल उद्योग को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांगों पर विचार करने के लिए समिति का गठन

1698. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग पर विचार करने और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दिए जाने की आशा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने लोहे और इस्पात के बारे में एक कार्यकारी दल का गठन किया

है जो दीर्घावधि आधार पर इस्पात की मांग की रूपरेखा और इस शताब्दी के अंत तक इस्पात उद्योग के विकास का कार्यक्रम तैयार करेगा। आशा है यह कार्यकारी दल अगले वर्ष के मध्य तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

हल्दिया में तट पर आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

1699. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हल्दिया में तट पर आधारित इस्पात संयन्त्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वित्तीय और अन्य कठिनाइयों और छठी योजना के अन्तर्गत पहले से किए गए वायदों को देखते हुए इस समय हल्दिया में एक इस्पात कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

अक्तूबर 13, 1982 को उत्तर देने के लिए एप्पल उपग्रह का कार्यकरण

1700. **भीखा भाई :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि एप्पल उपग्रह दो वर्ष के लिए बनाया गया था और अब इसके कार्यकरण के 15 महीने पूरे हो गए हैं;

(ख) एप्पल उपग्रह के कार्यकरण को निर्धारित अवधि समाप्त होने पर ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाएगा; और

(ग) क्या एप्पल उपग्रह का कार्यकरण इसके कार्यकरण की निर्धारित अवधि के बाद भी जारी रखने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एप्पल उपग्रह एक भू-स्थायी प्रायोगिक संचार उपग्रह है तथा कई प्रकार के उन्नत उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी परीक्षणों को करने के लिये इसका उपयोग किया जा रहा है। अत: एप्पल की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) जब तक एप्पल में ईंधन उपलब्ध है, इसके प्रचालन कार्य जारी रहेंगे।

भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अर्थ सेवा में तदर्थ आधार पर कार्यरत ग्रेड-4 के अधिकारी

1701. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-4 के पदों पर बहुत से अधिकारी पिछले कई वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की 1 जनवरी, 1982 को संख्या कितनी थी;

(ग) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अर्थ सेवा में ग्रेड-4 पदों की "फीडर लिस्ट" का प्रयोग नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इन अधिकारियों के हितों की सुरक्षा के लिए तथा इन्हें नियमित रूप से नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-4 पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त तथा 1 जनवरी, 1982 को ऐसे पदों पर काम कर रहे फीडर पद धारकों की संख्या क्रमश: 146 तथा 201 है ।

(ग) तथा (घ) अनुमानत: यह सन्दर्भ पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के लिए प्रवर सूचियों का है। ये प्रवर सूचियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की जा रही हैं । जिन अधिकारियों के नाम प्रवर सूची में शामिल हैं उन्हें इन सेवाओं के ग्रेड-4 में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा ।

पंचकूइया रोड, नई दिल्ली के उन दुकानदारों को क्षतिपूर्ति जिनकी दुकानें आग में जल गईं

1702. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

श्री सज्जन कुमार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली की फर्नीचर और रंग की दुकानों के मालिकों की, जिनकी दुकानें हाल की आग में जल कर नष्ट हो गई हैं, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पंचकुइयां रोड की फर्नीचर तथा रंग की दुकानों के मालिकों को जिनकी दुकानें हाल की आग में जल कर नष्ट हो गई थी, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण

1703. **श्री रणजीत सिंह :** :क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी अनेक अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना शेष हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के गया जिले के परमालू और डुमरिया मण्डल के डालूमठ और लानेहर उपमण्डल में अभ्रक और 'फायर क्ले' पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वहां अभ्रक और फायर क्ले पर आधारित कारखाना स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) बालूमठ तथा लातेहर उप-मंडलों में पत्थर क्ले के भंडार होने की सूचना है। डुमरिया मंडल में अभ्रक के छुटपुट तथा बिखरे हुए भंडारों का पता चला है।

(ग) जी नहीं।

सी. एस. आई. आर. के प्रकाशन और सूचना निदेशालय का स्थानांतरण

1704. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधिकारियों और स्टाफ की संयुक्त परिषद् ने वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् के प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय इसके हिलसाइड रोड स्थित वर्तमान स्थल से स्थानांतरित कर महरौली (दिल्ली) ले जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी मांग के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां, इससे सम्बन्धित ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रति संलग्न है. [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5497/82**]

(ग) और (घ) सम्प्रति, प्रकाशन और सूचना निदेशालय (पीआइडी) को स्थानांतरित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. जहां तक पी. आइ. डी. और इन्सडॉक के विलय का प्रश्न है, इसके विविध पहलुओं को समझने के लिए सी एस आइ आर की शासी सभा ने एक समिति का गठन किया है और इसके सुझावों की प्रतीक्षा है.

समस्या मूलक क्षेत्रों का पता लगाने हेतु विशेष समन्वय कक्ष की स्थापना

1705. **श्री पी· राजगोपाल नायडू :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और कोयले का उत्पादन बढ़ाने और परिवहन में सुधार के लिए समस्या मूलक क्षेत्रों का पता लगाने हेतु एक विशेष समन्वय कक्ष बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कक्ष की सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) विद्युत कोयला, इस्पात, रेल तथा नौवहन जैसे प्रमुख आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रकों के निष्पादन की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों के जरिये सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में वर्ष 1980 में सृजित समन्वय एकक इस कार्यकलाप के समन्वय

में सहायता करता है यह एकक प्रमुख आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रकों के प्रचालनात्मक निष्पादन का प्रबोधन करता है और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से उनके निष्पादन में बाध्यकारिताओं का समाधान करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देता है।

औद्योगिक विकास में सुधार के उपाय

1706. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास में सुधार के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी हां, । 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार सरकार ने औद्योगिक विकास में सुधार और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है

1. पांच वर्ष की अवधि में अधिकतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त के साथ 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वत: विकास के लिए व्यवस्था।
2- आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों और साथ ही निर्यात सभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना।
3. 100 निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना तैयार करना।
4. लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देते हुए क्षमताओं के पृष्ठांकन हेतु उत्पादन को आधार मानना।
5. "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना ।
6. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विदोहन की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।
7. निर्यात के उद्देश्य से किये गये उत्पादन को लाइसेंसीकृत क्षमता से अलग मानना।
8. सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत उत्पादकता वर्ष 1982 में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक उत्पादनोन्मुख दिशा देना संभव होगा। इस योजना की प्रमुख बातों की घोषणा उद्योग मत्रालय के प्रेस टिप्पण संख्या 10-9 -81- एल. पी दिनांक 21 अप्रैल, 982 में पहले ही की जा चुकी है।

कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र का बार बार बन्द होना

1707. **श्री भीम सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र बार बार बन्द हो जाने से राजस्थान को बिजली की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की नियमित सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह : (क) तथा (ख)

हालांकि राजस्थान परमाणु बिजलीघर द्वारा बिजली उत्तरी ग्रिड को दी जाती है, न कि किसी राज्य विशेष को, फिर भी राजस्थान परमाणु बिजलीघर के बंद होने का प्रभाव राजस्थान को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में समीपवर्ती सिस्टमों से यथासंभव सहायता मांगी जाती है।

अमेरिकी और जापानी महिलाओं को दी गई आवासीय अनुमति

1708. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और अगस्त, 1982 के बीच कितनी अमेरिकी और जापानी महिलाओं, को दिल्ली में रहने के आवासीय परमिट दिए गए हैं;

(ख) इन विदेशी महिलाओं में कितनी महिलाओं को भारत में रहने के लिए अपने प्रथम वर्ष के दौरान काम करने की अनुमति मिल गई है; और

(ग) दिल्ली में रहने के आवासी परमिट प्राप्त कितनी विदेशी महिलाएं भारतीय रक्त अथवा वैवाहिक सम्बन्धों की हैं और आय के प्रत्यक्ष स्रोतों के बिना कितनी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजर लास्कर) : (क) 98 अमेरिकी और 8 जापानी महिलाएं।

(ख) भारत में विदेशियों को काम करने के परमिट जारी करने की पद्धति शुरू नहीं की गई है तथा इसलिए इन विदेशी महिलाओं को भारत में काम करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं।

रूस द्वारा परमाणु संयंत्र की पेशकश

1709 **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस अथवा किसी अन्य देश ने सरकार के पास परमाणु संयंत्र लगाने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं और संयंत्र की क्षमता कितनी होगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारत में एक परमाणु बिजलीघर लगाने की संभावना पर सोवियत विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पहले सरकार को इस पेशकश का अध्ययन विस्तार से करना होगा। अन्य किसी देश ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है।

रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य

1710. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के लिए लोग रंगीन टेलीविजन सेट उचित दामों पर प्राप्त कर सकते हैं; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि गैर सरकारी निर्माता मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न कर सके ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में विनिर्माताओं से एक वचन-बद्धता ली जा रही है जिसके अनुसार टरेट समस्वारित्र (टयूनर) वाले रंगीन दूरदर्शन सेट का अधिकतम कारखानागत वाह्य मूल्य 5200/-रुपए तथा इलेक्ट्रानिक समस्वरित्र (टयूनर) वाले रंगीन दूरदर्शन सेट का अधिकतम कारखानागत मूल्य 5600 रुपए निर्धारित किया गया है। तदनुसार, दिल्ली में उपभोक्ता के लिए इनका अन्तिम बिक्री मूल्य क्रमशः 7500/-रुपए और 8000/-रुपए होगा अन्य राज्यों में ये मूल्य दिल्ली की तुलना में उन राज्यों में प्रचलित स्थानीय करों (बिक्री कर, चुंगी आदि) की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। उसी प्रकार विनिर्माता भी अपने डीलरों से वचन पत्र लेंगे जिसके अंतर्गत उपभोक्ता के लिए अन्तिम बिक्री मूल्य को उपर्युक्त मूल्य तक सीमित रखा जाएगा।

देश में अखबारी कागज का उत्पादन

1¯11. **श्री बी· डी. सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 से देश में अखबारी कागज उद्योग में गतिरोध आ गया है और उसे लगातार अपर्याप्त उत्पादन, खराब किस्म के कागज का उत्पादन और निकट भविष्य में अपना उत्पादन बढ़ाने की असमर्थता के दौर से गुजरना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग की अपेक्षा 1979, 1980 और 1981 के दौरान अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन कितना रहा है तथा क्षमता से उत्पादन कितना कम रहा है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपचारी उपाय किये हैं,

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में अखबारी कागज के उत्पादन की देशी अधिष्ठापित क्षमता 30,000 टी. पी. ए. से बढ़कर 2.30 लाख टी. पी. ए. हो गई हाल ही के वर्षों में उत्पादन की किस्म और मात्रा दोनों में भी सुधार हुआ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अखबारी कागज की मांग और उत्पादन निम्न प्रकार रहा—

वर्ष	माँग	देशी उत्पादन
		(टन में)
1979-80	3,50,000	47,385
1980-81	3,56,000	51,283
1981-82	3,60,000	64,306

(ग) देश में अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए गए हैं

1. नेपा मिल्स में परिचालन की कमियों को हटाने के लिए एक आधुनिकीकरण सह पुनर्नवीकरण योजना कार्यान्वित की जा रही है।

2. हाल ही में चालू किए गए मैंसूर पेपर मिल्स और केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट के एककों की विद्यमान क्षमता के उपयोग में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. 1.74 लाख मी. टन वार्षिक अतिरिक्त क्षमता लाइसेंसीकृत स्वीकृत की गई है जो कार्यन्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पूरे किये जाने के निर्धारित अवधि से पीछे रहने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1712. **श्री बी. डी. सिंह :**

श्री दौलत राम सारण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम क्या हैं जो अपने पूरे किये जाने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं और इनके पूरे होने में हो रहे विलम्ब के परिणामस्वरूप उनकी लागत में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास तथा विभागों में ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना, जिनमें से प्रत्येक में 235 मेगावाट क्षमता के दो. दो यूनिट हैं, अपने पूरे किए जाने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं। इनमें से प्रत्येक के मामले में मूल्य बढ़ने से लागत में हुई वृद्धि निम्नलिखित है।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

पहला यूनिट	46.76 करोड़ रुपए
दूसरा यूनिट	41 89 करोड़ रुपए

नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना

पहला तथा दूसरा यूनिट	126. 66 करोड़ रुपए

प्रयोग में न लाए गए औद्योगिक लाइसेंस

1713 **डा. वसन्त कुमार पंडित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1 अप्रैल 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गए हैं;

(ख) उपर्युक्त में से कितने लाइसेंसों का लाइसेंस धारकों ने उपयोग नहीं किया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) क्या प्रयोग में लाई गई औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्षमता का उत्पादन न होने और दोषपूर्ण लाइसेंस नीति के कारण औद्योगिक उत्पादन गिरावट को रोकने के लिए सरकार की सामान्य नीति क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1980-81 1981-82 और 1-4-82 से 30-9-1982 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अधीन जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित रही

अवधी	दिये गये औद्यौगिक लाइसेंसों की सख्या
1980-81	463
1981-82	5:0
1-4-82 से 30-9-82 तक (अनतिम)	339

(ख) और (ग) उपर्युक्त में से दो औद्योगिक लाइसेंस पार्टियों द्वारा समर्पित कर दिये गये थे और इन्हें समाप्त कर दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस आरंभ में 2 वर्ष की वैद्यता के लिये दिया जाता है जिसे पर्याप्त न्यायोचित आधारों पर आगामी दो वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है। साधारणतया एक लाइसेंस को फलीभूति होने में 3 से 4 वर्ष तक लगते हैं। इस प्रकार 1980-81 में दिये गये लाइसेंस अब क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे। अतः अप्रयुक्त लाइसेंसों की संख्या बनाना अभी समय पूर्व होगा। किन्तु अधिशासी मंत्रालय लाइसेंस के क्रियान्वयन की स्थिति को मानिटर करते हैं और बढावाई गई अवधि यदि कोई हो तो उस अवधि सहित वैद्यता अवधि में क्रियान्वित न किये जा पाने वाले लाइसेंसों को समाप्त कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित क्षमताओं का किस सीमा तक कम उपयोग हुआ है इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं करवाया गया है। किन्तु सरकार की नीति के सभी तंत्रों और प्रक्रियात्मक प्रणालियों को उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में मोड़ा जा रहा है। यह तथ्य कि वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है स्वयं इस बात का द्योतक है कि आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को तीव्रतर करने की दृष्टि से सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में क्षमता के अधिकतम उपयोग पर अत्याधिक बल दिया है। सरकार नेप्रगति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बहुत से कदम उठाए हैं जैसे कि मूल और आधारभूत उद्योगों के स्वत: विकास की व्यवस्था, आधारभूत तथा जन उपभोग के उद्योगों में स्थापित क्षमता से ऊपर की क्षमता को मान्यता देना, अनुमोदन प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना, उत्पादन की मानिटरिंग करना और अवस्थापना सुविधाओं को सुनियोजित करना। क्षमता निर्धारण और अनुबंध-1 को पुनर्परिभाषित करने संबंधी सरकार के हाल ही के नीतिगत अभ्युपायों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन का सकारात्मक नवीकरण करना है। ये नीतिगत उपाय इस तथ्य को मान लेने पर किये गये हैं कि सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों तथा नीति संबंधी अड़चनों के अतिरिक्त सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने वह योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत क्षमता का निर्धारण उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। इससे इष्टतम उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि क्षमता विकास में अवरोधक नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना

1714. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना *किस तारीख* को शुरू की गई थी;

(ख) उन कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिन्हें अब तक इस योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण से सम्बंधित योजना सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 में प्रारंभ की गई थी। अक्टुबर, 1955 में यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई।

(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है

श्रेणी (घ) प्रबोध	1,37,329
श्रेणी (ग) प्रवीण	1,72.403
श्रेणी (ख) प्राज्ञ	1,47,099
कुल संख्या	4,56,831

(ग) इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग में अब तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है।

हिन्दी आशुलिपि	6,139
हिन्दी टाइपिंग	31,440
कुल योग	37,579

अभियोजकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देना

1715. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री दिल्ली प्रशासन में अभियोजकों के पद के बारे में 11 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5118 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियोजकों की वरिष्ठता सूची को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभियोजकों के शेष 28 पदों के मामलों में स्थायीकरण के लिए दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने का विचार इन मामलों में अभियोजकों के रूप में दस वर्षों से अधिक की सेवा वाले अभियोजकों को कब तक स्थायी करने का है; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने इन मामलों में कोई समय-सीमा निर्धारित की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इन 28 अभियोजकों के स्थायीकरण की कुछ प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और शेष औपचरिकताओं को जल्दी पूरा किए जाने की आशा है। स्थायीकरण करने के उनके मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर उपभोक्ता तथा राशन मदों की उपलब्धता

1718. **श्री शिव चरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को वेतन मिलने वाले दिन केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के अधिकांश खुदरा बिक्री-केन्द्रों पर 1,2 और 4 किलोग्राम के डालडा के डिब्बों, 1 और 2 किलोग्राम के रथ ब्रान्ड घी के "डिब्बों पोस्टमैन रिफाइन्ड आयल" पाम आयल रैप-सीड आयल, देशी घी के छोटे डिब्बों तथा राजमा दाल आदि का कोई भण्डार उपलब्ध नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह सामान खुले बाजार से, केन्द्रीय भन्डार से सम्बन्धित खुदरा बिक्री केन्द्रों के मूल्यों की तुलना में अधिक मूल्यों पर खरीदने के लिए विवश होना पड़ा और इससे समिति की बिक्री पर परिहार्य असर पड़ा;

(ख) यदि हां, तो रोजमर्रा प्रयोग में आने वाले आवश्यक पदार्थों का उपयुक्त भण्डार न रखने तथा उनकी अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ता और राशन मदों की हर वक्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. आर. लास्कर) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि 30 सितम्बर, 1982 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड- के अधिकांश खुदरा बिक्री केन्द्रों पर माल उपलब्ध नहीं था, किन्तु एक या दो खुदरा बिक्री केन्द्रों (समिति द्वारा चलाए जा रहे 37 केन्द्रों में से) में 30 सितम्बर, 1982 को कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं थीं । जब कभी किसी विशेष वस्तु की भारी मांग होती है, तो कभी-कभी कमी हो जाती है, लेकिन नये माल की पूर्ति यथाशीघ्र कर दी जाती है ।

कलकत्ता ग्रामोफोन कम्पनी द्वारा रंगीन टी. वी. सेट का विकास किया जाना

1719. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता ग्रामोफोन कम्पनी ने 37 से. मी. स्क्रीन वाले रंगीन टी.वी सेटों का विकास किया है और सभी करों तथा अन्य प्रभारों सहित 5000/ रु. से कम मूल्य पर बेचने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वही कम्पनी 52 से. मी. स्क्रीन के रंगीन टी. वी. सेट को केवल 6000/ रु. में बेचने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डिवलपमेंट कारपोरेशन कलकत्ता ग्रामोफोन कम्पनी के लिए भी रंगीन टी.वी. के उपस्करों की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है, जो कम कीमत पर और एशियाड के आयोजन से पहले रंगीन टी. वी. की सप्लाई के लिए गारन्टी देने को तैयार है;

(घ) क्या खरीदारों का शोषण करने के लिए यह निर्माताओं और सरकार की सांठ गांठ नहीं है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जै
पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों और अन्य अनेक पत्रों के माध्यम से दावा किया गया है
इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि मेसर्स कलकत्ता ग्रामोफोन एजेन्सी ने 37
के आकार वाले रगीन दूरदर्शन सेट का विकास कर लिया है अथवा नहीं।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) दिनांक 31 अगस्त, 1982 को ज.री की गई प्रेस विज्ञाप्ति के अधीन
नीति में दी गई ढील के बाद उक्त फर्म एशियाड के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों
की हकदार हो गई है। उद्योग निदेशक, दिल्ली ने उक्त फर्म के नाम की सिफा
तथापि, उक्त फर्म ने अभी तक आयात संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया
उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

बिहार में लघु उद्योग संस्थान

1720. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार में तीन और उत्तर बिहार में केवल एक लघु उद्योग

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र से कितने व्यक्तियों और क्षेत्र की सेवा की ज

(ग) क्या दरभंगा और कोसी प्रभागों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए
कम से कम एक और संस्थान खोलने की बार बार मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या का

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क)
बिहार में पटना, रांची और मुजफ्फपुर में तीन लघु उद्योग सेवा संस्थान हैं . इन से
सेवा प्राप्त क्षेत्र (1) औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर (आरा), गया, नालन्दा, नव
सन्थाल, परगना (डुमका) रोहतास, मुंगेर, (2) पलामू (डाल्टनगंज), रांची,
गिरीडीह, धनबाद, सिंहभूम (3) चम्पारन (पूर्व), चम्पारन (पश्चिम) दरभंगा
मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारन, सिवान, गोपालगंज, वैशाली,
बेगूसराय, सहरसा, माकोपुरा और खगारी, जिलों के हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों की जन
(क) 2, 45, 29, 986, (ख) 1, 38, 65, 368, और (ग) 3, 14, 27, 800, है।

(ग) और (घ) दरभंगा में एक लघु उद्योग सेवा संस्थान शाखा की स्था
लिए अक्तूबर, 1977 में उद्योग मंत्रालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अनुरोध
के समय बिहार में पटना में एक लघु उद्योग सेवा संस्थान और रांची, मुजफ्फरपुर अ
स्थित तीन लघु उद्योग सेवा संस्थान शाखाएँ कार्य कर रहीं थीं। मुजफ्फरपुर स्थित
सेवा संस्थान शाखा दरभगा जिले के अधिक निकट होने के कारण वह इस क्षेत्र में
के हितों को भी देख रही थी। बाद में रांची और मुजफ्फरपुर स्थित शाखा संस्था
बढ़ाकर उन्हें पूर्णतः लघु उद्योग सेवा संस्थान कर दिया गया है। दरभंगा जिले और
में लघु उद्योगों की देखभाल लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर द्वारा की जा रह
जिले में जिला उद्योग केन्द्र की स्थपना करके इन जिलों को सहायता सुकर बनाई ग

अभयारण्यों की स्थापना के लिये वड़ौदा के समीप मीनी नदी के बीहड़ संवारना

1721, **श्री नवीन रवाणी :**

श्री आर. पी. यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वड़ौदा के समीप मीनी नदी के बीहड़ को अभयारण्य और पक्षी विहार की स्थापना के लिए सवारने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि इडिण्यन पेट्रोकेमिकल कारर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मीनी नदी में छोड़े जाने वाला कचरा, काई तथा हरे पौधों के विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं होता है।

गेंडे के सींगों का अवैध व्यापार

1722. **श्री जगदीश टाइटलर** । क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैंडों के सींगों का व्यापार विशेषकर अवैध व्यापार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि गंड़े की नस्ल समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने गैंडों को मारने तथा तस्करी को बाहर भेजने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने हमारे पूर्वी क्षेत्रों में गैंडों को मारने की अनुमति न देने और उनकी वृद्धि होने देने तथा इनकी कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मत्री (श्री दिग्वजय सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय विशाल गैंडों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस नस्ल के अथवा इसके किसी उत्पादन के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) कानून के अन्तर्गत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और इसे लागू करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

ग्रे-पेलीकन और रंगीन सारस की नस्ल समाप्त होने का खतरा

1723. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या **प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रे पेलीकन और रंगीन सारस के रहने के क्षेत्र को उद्योगीकरण के कारण उनकी नस्ल समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या ग्रे-पेलीकन तथा रंगीन सारस को सरकारी रूप से "संकटग्रस्त नस्ल" घोषित किया जायेगा तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है कि इनकी नस्लें समाप्त न हो जाएं ?

पर्यावरण विभग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) तथा (ख) ये दोनों नस्लें वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 4 में सम्मिलित की गई हैं, इस प्रकार इनके लिए कानूनी संरक्षण की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से इन नस्लों के आवासों को संरक्षण की व्यवस्था करने और साथ ही इस प्रयोजन के लिए कानून को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

वन सबंधी नीति का पुनर्निर्धारण

1724. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पर्यावरण योजना समिति ने वर्तमान वन नीति का पुनर्निर्धारण करने की सिफारिश की है ताकि पर्यावरण की तथा भूमि और जल स्रोतों के प्रबन्ध आदि की समस्याओं का सामना किया जा सके; और

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण योजना समिति की उप-समिति द्वारा तैयार की जाने वाली नई वन-नीति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) समिति ने वर्तमान वन नीति के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरे एक उप-समिति के माध्यम से तैयार किये जा रहे हैं। इनके निकट भविष्य में सरकार को प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

शाहदरा के लिये महानगर परिषद

1725. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा के निवासियों ने सितम्बर, 1982 में उनसे अनुरोध किया था कि शाहदरा के ब्लाकों के लिये एक अलग महानगर परिषद का गठन किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

सर्प विष उपचार सोसायटी, केरल का ज्ञापन

1726. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्प विष उपचार सोसाइटी पप्पीनेसरी जिला कन्नूर केरल के अध्यक्ष से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा चलाये जा रहे स्नेक पार्क तथा अनुसन्धान केन्द्र के लिये सहायता देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, इस प्रकार के निजी संस्थानों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहय्या करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, केरल सरकार से सोसाइटी की प्रार्थना की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा में शेरों के प्रजनन पर प्रयोग

1727. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा में शेरों के प्रजनन के लिये प्रयोग किये गये हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सफारी पार्क स्थापित करने और उनमें शेरों प्रजनन करने की कोई योजना शुरू कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में शुरू की गयी इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने एक बन्दी प्रजनन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई योजना प्रारम्भ नहीं की है। राज्य सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के सहयोग से, नन्दनकानन, उड़ीसा, में एक सफारी उद्यान स्थापित किया है।

विदेशी व्यापारियों के माध्यम से जानवरों के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रतिरोध

1728. **श्री नीरेन घोष :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापारियों के माध्यम से जानवरों के आदान-प्रदान पर प्रतिबन्ध लगाने की केन्द्र सरकार की नीति से अलीपुर चिड़िया घर के लिए जानवर प्राप्त करने में प्रतिकूल असर पड़ेगा;

(ख) क्या चिड़िया घर के अधिकारियों ने कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) चिड़ियाघर के अधिकारियों ने अपने विरोध के लिए क्या कारण बताये हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार देश और विदेशों में विख्यात चिड़ियाघरों के बीच जन्तुओं के आदान-प्रदान की अनुमति दी जा रही है। जन्तु व्यापारियों जैसे बिचौलियों को उस प्रकार के लेन-देन के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) क्योंकि एक कार्यविधि निर्धारित कर दी गई है, इसलिए इस सम्बन्ध में किसी विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

कोयला खानों में "क्रॉस स्लाइसिंग" की नई पद्धति का प्रयोग

1729. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. एम. आर. एस. ने "खनन स्टीप" और "थिक कोल सीम" में 'क्रॉस स्लाइसिंग' का सफलता पूर्वक प्रयोग किया है;

(ख) इससे खनन उद्योग को कैसा लाभ हो रहा है; और

(ग) क्या इस पद्धति को अन्य कोयला खानों में भी लागू किया जायेगा, और कब ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां, केन्द्रीय

खनन अनुसन्धान स्टेशन (सी.एम.आर.एस.), धनबाद ने नदी के नीचे अथवा पृष्ठ संरचनाओं के ढालू और मोटे कोयला संस्तरों के खनन की नई क्रांस स्वइसिंग विधि विकसित की है। तथापि, अभी संस्तरों पर केवल प्रयोगशाला मॉडल के स्तर पर कार्य किया गया है।

(ख) और (ग) यह विधि, क्षेत्रीय परीक्षण करने पर, झरिया कोयला क्षेत्र के बाउंड्री फॉल्ट क्षेत्र, जहां 10 करोड़ टन से भी अधिक बढ़िया गुणता का कोयला दवा पड़ा है, से कोयले की प्राप्ति में वृद्धि की सम्भावना है। इस पर भारत कोकिंग कोल के तसरा खान और इन्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के चासनसाला खान में भी क्षत्रीय परीक्षणों के लिए वार्ता जारी है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में संशोधन

1730. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा संशोधित रूप में एक श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजूरी क्या है;

(ग) यह संशोधित मजूरी किस तारीख से लागू की गई है; और

(घ) इससे मजूरी के बिल में कितनी वृद्धि होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोयला खनन उपकरण परियोजनाएं स्थापित किया जाना

1731. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोवियत संघ की सहायता से कुछ कोयला खनन उपकरण परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सोवियत संघ ने भारत में कोयला खनन उपकरणों का उत्पादन करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भावनगर के निकट अतांग में शिप-ब्रेकिंग इन्डस्ट्री

1732. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने भावनगर के निकट अतांग में शिप-ब्रेकिंग इन्डस्ट्री की स्थापना के लिए गुजरात सरकार की योजना स्वीकृत कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जानी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम (गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन) ने भावनगर के निकट अलांग नामक स्थान पर जहाज तोड़ने का एक यार्ड स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के बारे में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

बच्चों को जबरदस्ती हिजड़ा बनाना

1733. **श्री ए. यू. आजमी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1982 के इण्डियन टूडे" के पृष्ठ 84-85 पर प्रकाशित "फीयर इज दी की" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि हिजड़े बच्चों को जबर्दस्ती हिजड़ा बना देते हैं और उनके लिंग को जबर्दस्ती और निर्दयता से काट देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस अमानवीय व्यवहार और इस गिरोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 15 सितम्बर, 1982 के इण्डिया टूडे के पृष्ठ 84-85 पर "फियर इज दी की" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई विशिष्ट रिपोर्ट अथवा सूचना नहीं है कि हिजड़े छोटे बच्चों को जबर्दस्ती हिजड़ा बना देते हैं और उनके लिंग को जबर्दस्ती और निर्दयता से काट देते हैं। मामला सम्बन्धित राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

पुरानी दिल्ली और यमुनापार क्षेत्रों में गैर लाइसेंस शुदा रिक्शा चालक

1734. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुरानी दिल्ली और यमुनापार क्षेत्रों में बहुत से गैर लाइसेंस शुदा रिक्शा चालक रिक्शा चलाते हैं जिन से यातायात में बाधा पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतम रिक्शा चालक अप्रशिक्षित हैं जो यात्रियों के लिए एक खतरा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कुछ गैर लाइसेंस शुदा साइकिल रिक्शा चालक हैं जो पुरानी दिल्ली तथा यमुनापार के क्षेत्र में अपनी रिक्शाएं चलाते हैं दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर रिक्शा चलाने से कभी कभी यातायात और पैदल चलने वालों के सुचारू रूप से आने जाने में बाधा होती है। फिर भी, यातायात पुलिस सड़कों पर साइकिल रिक्शाओं को नियमित करने के लिये अपने पूरे

प्रयत्न कर रही है। दिल्ली में रिक्शा चलाने से सम्बन्धित कुछ मामले दिल्ली के भिन्न भिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में मेम्बर पार्लियामेंट के साथ बदतमीजी की है और पिटाई की है। फ्रीडम आफ प्रेस और वोट की अवहेलना की गई है। लोगों को असेम्बली नहीं करने दी जाती है, लाठी चार्ज किया गया। मैंने इस बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका मेरे पास आ गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न न किया जाए (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न न पूछा जाए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों और कानूनों के अनुसार कार्यवाही करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री नारायण दत्त तिवारी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा पैट्रोलियम (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 की प्रति

उद्योग और इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 648(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और मैसर्स जो इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिम बंगाल के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18चक की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 649(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंग्रेजी सस्करण), जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता. के प्रवंध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये एल. टी· संख्या 5478/82]

(3) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 661 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल. टी. संख्या 5479/82]

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि., भुनेश्वर का 31.3.1982 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रतिवेदन तथा समीक्षा

उद्योग और इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं श्रीमती दुलारी सिन्हा की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी तथा संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल. टी. संख्या 5480/82)**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

50वां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)*

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, क्या आप यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि वे कौन से नियम हैं जिनके अधीन आप इस सभा के सदस्यों को बिहार में उन पर हमला किए जाने पर आप उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते ?

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अभी दे सकते हैं। मुझे विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना मिली है। मैं इसके तथ्य प्राप्त कर रहा हूं···। (**व्यवधान**) मैं पहले ही तथ्य मांग चुका हूं। तथ्य प्राप्त किए बिना मैं निर्णय नहीं कर सकता।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, क्योंकि आपने अभी कहा है कि आप केवल नियमों अनुसार चलेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा आपसे केवल यह अनुरोध है कि हमें वे नियम बताएं, जिनका सभा के उन सदस्यों की रक्षा करने में उल्लंघन होगा जिन्हें पीटा गया है क्योंकि वे पत्रों की स्वतन्त्रता का पक्ष ले रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक सूचना दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या श्री जगपाल सिंह, सदस्य ··। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। मैंने पहले ही इसे ध्यान में रखा है। मैंने पहले ही गृह मंत्रालय से कह दिया है कि वह तथ्य प्रस्तुत करें जिन पर मैं निर्णय लूंगा। अब श्री हरिकेश बहादुर। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)*

श्री ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, पिछले 9 महीने से बम्बई में हमें समूचे उत्पादन की हानि हो रही है···। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत आपको नोटिस दिया है। यह जो श्री जगपाल सिंह···।

अध्यक्ष महोदय : आपके पहले ही मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले ही तथ्य मांगे हैं और मैं यह निर्णय करूंगा कि क्या इससे विशेषाधिकार उल्लंघन होता है अथवा नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री हरिकेश बहादुर। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। श्री हरिकेश बहादुर।

अध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद, क्या अकेले आपने बोलने का ठेका ले लिया है? मैंने श्री हरिकेश बहादुर को अनुमति दी है। (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप हर चीज पर एकाधिकार नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : लोगों ने उन्हें निर्वाचित किया है। लोगों ने उन्हें वहां बिठाया है। लोगों ने सरकार को वहां बिठाया है। विधान है, कानून है। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलेंगे अथवा नहीं। (**व्यवधान**)*

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा छोड़ कर चले गए)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बहस नहीं करता। मैं उससे संबंधित नहीं हूं। मेरा संबंध... ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलना नहीं चाहते तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)*

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : मुझे एक निवेदन करना है। मेरे नाम से एक विधेयक कार्यसूची में तीसरे नम्बर पर है। मुझे कल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। मैं चाहता हूं कि विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी कर ली जाए। यदि सभा सहमत हो तो उसे पहले ले लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे पहले लेने के लिए सभा सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों. विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय, में बढ़ते हुए असंतोष और हड़तालों का समाचार।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शिक्षा और संस्कृति मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों. विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय, में बढ़ते हुए असंतोष और हड़तालों का समाचार।

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जैसा कि सदन को मालूम है, इस समय देश में सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये हैं : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती।

इनमें से प्रत्येक विश्वविद्यालय एक ऐसा समुदाय है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र, अध्यापक और अन्य कर्मचारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से हैं। इस प्रकार की बहुत प्रणालियों के कार्यकरण से एक अथवा दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इनका उचित समाधान ढूंढने का विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का सदा प्रयास होता है। पिछले कई महीनों में ये सभी विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार की गम्भीर अव्यवस्था के बिना कार्य करते रहे हैं, विशेषकर दिल्ली

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय में इस दौरान दाखिल किए गए हैं और परिक्षाएं निर्विघ्न आयोजित की जाती रही हैं।

इस वर्ष के आरम्भ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में असंतोष की कुछ घटनाएं घटीं। जनवरी में एक आम हड़ताल के आवाहन में परिसर में हिंसक झड़पें हुई और आगजनी की वारदतें हुई। इससे विश्वविद्यालय को मजबूरन अस्थायी तौर पर बन्द करना पड़ा। बाद में, चिकित्सा विज्ञान संस्थान में छात्र वार्ड की पुन: बहाली के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुआ। कुछ छात्रों ने जुलाई, 1932 में परीक्षाओं में बाधा डालने का प्रयास किया और उनमें से 12 छात्रों को भारी दुर्व्यहार के लिए विश्वविद्यालाय के विशेषाधिकारों से निलम्बित कर दिया गया। इसके बावजूद विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को सामान्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने समय बद्ध पदोन्नति योजना को लागू करने के मामले पर जुलाई, 1982 के उत्तरार्द्ध में प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय को लगभग एक सप्ताह के लिए बन्द करना पड़ा। बाद में कुछ छात्रों ने मूल्यांकन पद्धतियों में अनियमितताओं के विरुद्ध एक आन्दोलन छेड़ दिया। विश्वविद्यालय ने उनकी समस्याओं पर विचार किया और आंदोलन वापस ले लिया गया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय में गैर अध्यापन कर्मचारी संघ ने वेतनमानों के संशोधन, पदोन्नति योजना को लागू करने आदि की अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगस्त-सितम्बर में प्रदर्शन तथा हड़ताल की। अब हड़ताल वापस ले ली गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी सघ समय-समय पर अनेक मांगे प्रस्तुत करता रहा है। विश्वद्यिालय ने जनवरी-फरवरी, 1982 में सघ से बातचीत करके एक करार किया जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय जहां कहीं आवश्यक होगा, गैर -अध्यापन कर्मचारियों के लिए समय बद्ध पदोन्नति योजना को लागू करने, विश्वविद्यालय प्रेस के कर्मचारियों को 20% वोनस की अदायगी, परिसर में स्कूल भवन के निर्माण, कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए क्वाटरोंका निर्माण, अध्यापकों और कर्मचारियों के ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारण "काम नहीं तो वेतन नहीं" से सम्बन्धित भेद-भाव के प्रश्न की पुन: जांच करने और उनकी कठिनाइयों दूर करने के लिए तंत्र की स्थापना सम्बन्धी मांगों की उपयुक्त प्राधिकारियों के परामर्श से जांच करने के लिए सहमत हो गया।

इनमें से कुछ निर्णयों के कार्यान्वय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन मामलों को आयोग के साथ उठाया था। आयोग ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा वेतनमानों और पदोन्नति योजनओं में किसी प्रकार की असमानता अथवा विकृतियों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक समिति नियुक्त की है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर लागू होने वाली एक समान पदोन्नति की योजना इस समिति द्वारा विचार कर लिए जाने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के लिए संसाधनों को पर्याप्त रूप से बढाने के प्रश्न को विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से जीवन बीमा निगम, हुडको इत्यादि के साथ उठाया गया है। भविष्य/निधि निवेश से ऋण लेने का

वैकल्पिक प्रस्ताव भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विश्वविद्यालय द्वारा ये सभी प्रयास किए जाने के बावजूद कर्मचारी संघ ने 6 सितम्बर, 1982 से प्रदर्शन करके, धरना देकर, ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर अपना वर्तमान आन्दोलन आरम्भ कर दिया। क्योंकि कुलपति द्वारा की गई अपीलो पर कर्मचारियों द्वारा कोइ ध्यान नहीं दिया, गया अतः विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहेने वाले कर्मचारियों के वेतन रोक दिए जाएगें। इसके बाद, कर्मचारियों ने उन पूरक परीक्षाओं में बाधा डालने की कोशिश की, जो सितम्बर-अक्तूबर 1982 में होनी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षाओं के वास्ते की गई व्यवस्था में कोई बाधा न पड़े, विश्वविद्यालय को पुलिस की सहायता मागनी पड़ी। क्योंकि कर्मचारियों ने परीक्षा शाखा में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, अतः प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही पुलिस तथा कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, इसके बाद कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (दि. वि. शि. सं.) ने वेतन-मानों के संशोधन, पदोन्नति योजना के कार्यान्वयन आदि की मांगों को लेकर 12 अक्तूबर 1982 से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने का निर्णय 8 अक्तुबर, 1982 को लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ को हड़ताल न करने के लिए समझाने-बुझाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं और वे हड़ताल पर हैं। इसी बीच, मुझे पता चला है कि अधिकांश छात्र इसके लिए उत्सुक हैं कि इस समय चल रही परीक्षाएं बिना किसी बाधा के होनी चाहिए।

मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के काम काज की जांच करने के लिए हाल ही में एक समिति नियुक्त की है। यह समिति अन्य बातों के साथ साथ, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति, परिसरों में आवधिक उपद्रवों के कारणों और उसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई की भी जांच करेगी। समिति इन विश्वविद्यालयों में तन्त्र की पर्याप्तता की भी जांच करेगी, ताकि यह छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ की तकलीफों को दूर कर सके और विश्वविद्यालयों में सामूहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझा सके। समिति का कार्य चल रहा है और मैं यह आशा करती हूं कि इसकी सिफारिशें शीघ्र उपलब्ध हो जायेंगी आशा है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि हमें किसी भी ऐसी समस्या, जिनसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों में असंतोष फैलता है, का समाधान खोजने के सम्बन्ध में कार्रवाही शुरू करने से पहले इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

हमारा प्रयास विश्वविद्यालयों के सभी वर्गों की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजना है। उनके साथ हमारी सहानुभुति है। तथापि, सदन इस बात से तो सहमत होगा ही कि अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों से अलग विश्वविद्यालय/कालेज के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की गई सभी मांगों को संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत, स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा।

मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय तथा कालेजों के कर्मचारियों तथा शिक्षकों से यह अपील करती हूं कि वे अपना आन्दोलन/हड़ताल बन्द कर दें तथा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम को बनाए रखने, परीक्षाएं आयोजित करने और शान्तिपूर्ण वातावरण में अपनी समस्याओं का समुचित समाधान खोजने में विश्वविद्यालय प्रधिकारियों को अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीया मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखा, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हम लोग लगातार इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में विचार करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका नतीजा इस रूप में हमारे सामने नहीं आता है कि भविष्य में जो अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के असतोष हैं, उनका कोई ठोस समाधान निकाला जाए, जिससे कि इस प्रकार के आन्दोलन न हों। इस प्रकार के आन्दोलनों के होने से हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इससे जो नुकसान होता है, वह छात्रों का होता है छात्र वर्ग इससे हमेशा पीड़ित होता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सवाल है, वे हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन आए दिन वहां पर जो बढ़ता हुआ असंतोष है, यह लोगों के लिए चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में अपने वक्तव्य में कहा है कि अनेक विश्वविद्यालयों में किसी न किसी बात को लेकर असंतोष पैदा हुआ और हड़तालें वगैरह हुई। कुछ जगहों पर हड़ताले वापिस ले ली गई हैं और कुछ जगहों पर हड़ताले चल रही हैं। मैं इन विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी ओर से कुछ दो-एक बातें कहना चाहता हूं। प्रशासन को शायद ऐसा लगे कि वे उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर प्रशासन इन तमाम बातों पर ध्यान दें तो उससे कुछ सुधार होगा। इसलिए मैं केवल आलोचना न करते हुए सुझाव देना उचित समझता हूं। क्योंकि मैं माननीय मंत्री जी के बारे में ऐसा समझता हूं कि वे ध्यान देंगी और विचार करेंगी।

दिल्ली के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां कर्मचारियों की जो हड़ताल शुरू हुई तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जो प्रशासन बात कहता है, उसमें और कर्मचारी जो कहते हैं, उसमें कुछ फर्क है। कर्मचारियों का कहना यह है कि 4 जनवरी, 1982 और 12 फरवरी, 1982 को आपस में कुछ समझौते हुए थे। जैसा कि मंत्री महोदया ने अपने वक्तव्य में कहा है कि समझौते हो नहीं गए थे, बल्कि इसमें कुछ आश्वासन दिए गए थे। उन्होने बताया कि समयबद्ध प्रमोशन करने की योजना को लागू करने के बारे में बातचीत हुई थी और उसके बारे में जांच करने के लिए सहमति हो गई थी लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्मचारी यह समझते रहे और उन्हें बताया गया था कि जो बातें हो रही हैं उन बातों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सहमत हो गया है। पदोन्नति का जो तरीका इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी में अपनाया जाता है, वही पैटर्न अपनाया जाएगा। इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी में हर 8 वर्ष के बाद प्रमोशन दिया जाता है, कर्मचारियों को बताया गया कि आपको भी इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। आवास सुविधा के बारे में उनसे कहा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन

ने इसके लिए साढ़े चार करोड़ रुपया सेंक्शन किया है और धीरे धीरे आपको यह सुविधा दी जाएगी। यही बात अध्यापकों से भी कही गई थी और कर्मचारियों से भी कही गई थी। उन दोनों बातों की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि इन बातों को स्वीकार नहीं किया गया था। हमने कहा था कि इन पर विचार करेंगे, कमेटियां बनेंगी और वे कमेटियां जो सुझाव देंगी, उनके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बात की जाएगी, जिसको आज भी वे कह रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग थी कि अध्यापक हड़ताल पर जाते हैं तो उनको हड़ताल के समय का वेतन दिया जाता है, जबकि कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। उनका कहना यह है कि इस सुविधा से उनको वंचित न किया जाए। प्रत्येक काम करने वाले की आमतौर से यह मांग है कि हड़ताल के समय का पैसा दिया जाए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की बात क्यों होती है, यह बात समझ में नहीं आती। हड़ताल करना मौलिक अधिकारों की परिधि में आता है। इसलिए उनको हड़ताल के समय का पैसा दिया जाना चाहिए। साथ ही उसी विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ग के लोग जब हड़ताल पर जाते हैं, उनको यह सुविधा दी जाती है। इसलिए कर्मचारियों के साथ यह अन्याय है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने कहा कि 4 जनवरी और 2 फरवरी की बैठकों में यह तय हुआ था कि अध्यापकों को और कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व गवर्निंग बाडी में दिया जायेगा, लेकिन अध्यापकों को तो वह प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गई। जबकि देश के कई विश्वविद्यालयों, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की सुविधा कर्मचारियों को दी जाती है।

इसलिए इन तमाम बातों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बात नहीं मानता था। बजाए इसके कि कर्मचारियों की उचित मांगों को माना जाए, उन पर बार बार जुल्म ढाने की कोशिश की गई। नतीजा यह हुआ कि अध्यापकों की भी कर्मचारियों के साथ सहानुभूति हो गई और उनके साथ हड़ताल में वे भी शरीक हो गए। उनके सामने भी पदोन्नति और आवास की समस्यायें थीं। जब कर्मचारियों और अध्यापकों ने मिलकर के इन न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष किया तो दो अक्तूबर गांधी जयन्ती के दिन उन पर बरबरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। यह बड़ी शर्मनाक घटना है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई कर्मचारी जबरदस्ती वाइसचांसलर या किसी अन्य अधिकारी के दफ्तर में घुसे' लेकिन ऐसा लगता है कि कर्मचारियों ने ऐसा प्रयास नहीं किया था, संभवत पुलिस जैसा कि अमतौर से करती है, विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति से उसने लाठीचार्ज किया और बहुत से लोग घायल हुए। अब उनकी एक यह मांग भी बढ़ गई है कि दो अक्तूबर को जो लाठीचार्ज हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए।

आपको इसकी जांच कराने में क्या कठिनाई है। मैं तो चाहता हूं कि अगर किसी अदालत से कोई जज आपको मिल जाए तो न्यायिक जांच करा लें; वह ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें गलती किसकी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी गलती नहीं है। यदि इस मामले की कोई जांच करायी जाए तो वह न्यायिक जांच ही करायी जाए।

पुलिस का जहां तक सवाल है, पुलिस ने होस्टलों में जाकर छात्रों को पीटा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए आपने पहले ही दस मिनट ले लिये हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं, महोदय, सम्भवतः आपने ठीक समय नहीं देखा जब मैंने बोलना आरम्भ किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आपको अपनी घड़ी ठीक करने के लिए दे देनी चाहिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे कम से कम दस मिनट और बोलना है । यह सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए अध्यक्ष ने इसे अनुमति दी है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं यह कह रहा था कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भी पुलिस ने घुसकर के छात्रों की पिटाई की । इन तमाम बातों की जांच करा ली जाए तो इनमें कोई बुराई नहीं है । मेरी मन्त्री जी से मांग है कि वह इसके लिए एक जांच समिति नियुक्त करें ।

अध्यापकगण का जहां तक प्रश्न है, वे भी पदोन्नति के अवसर और आवास की जो कठिनाइयां हैं, उनको लेकर के आन्दोलन पर हैं । विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी इस मांग पर सहानुभूति का कोई रवैया नहीं अपनाया । यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए 6 महीने या साल लग जाएं तब कहीं यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से कोई फैसला हो पावे या शिक्षा मंत्रालय से कोई फैसला हो पावे । लगातार इसमें जो देर हो रही है उससे लोगों में बेचेनी फैल रही है जिससे कि लोग हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं । वास्तविकता यह है कि न तो कर्मचारी और न छात्र कोई भी हड़ताल करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। लेकिन जब उनके सामने इस प्रकार की कठिनाईयां आती हैं, प्रशासन उदासीनता दिखाता है तब उस समय मजबूर होकर उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ता है ।

मान्यवर, यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली की एग्जीक्यूटिव काउन्सिल है, उसने सन 1973-74 में एक प्रस्ताव पास किया था कि एम्पलाईज को भी एग्जीक्यूटिव काउन्सिल में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, उसमें साथ साथ अध्यापकों के लिए भी था । लेकिन अध्यापकों को तो मिला लेकिन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया । मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या कर्मचारियों को भी विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समितियों में भागेदारी या हिस्सेदारी देने के बारे में कुछ सोच रही हैं ? क्या वह जांच अयोग गठित करेगी जो कि 2 अक्तूबर को हुए लाठी चार्ज की जांच करे । इसके अतिरिक्त मैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं । वहां भी हड़ताल हुई । वहां की समस्या यह है कि वहां पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार इंजीनियर्स वगैरह डेपुटेशन नियुक्त किए गए हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं । ऐसी हालत में लोगों की बेचेनी है कि इन लोगों को विश्वविद्यालय से हटाया जाये । जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं जिन्हें कि पदोन्नति मिल सकती है और उन पदों पर काम कर सकते हैं, उन्हें यह मौका दिया जाए। इन बातों को लेकर के वहां पर भी आन्दोलन हुआ ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जामिया मिलिया के बारे में भी वहां की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाने का प्रयास किया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का जहां तक प्रश्न है, मान्यवर मैं लगभग साढ़े सात वर्षों तक वहां का छात्र रहा हूं। उससे मेरा इमोशनल अटेचमेंन्ट है, भावात्मक लगाव है। उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि जब आप वहां थे तो आपने कभी भी किसी भी आन्दोलन में भाग नहीं लिया था।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। मैंने कभी भी छात्रों को हुल्लड़बाजी के लिए उकसाने का प्रयास नहीं किया था। यह मननीय मन्त्री भली भांति जानती हैं क्यों कि उस समय वह मेरा समर्थन करती थी। मननीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी भी जानते हैं। वह उस समय मुख्य मन्त्री थे और वह भी मेरा समर्थन करते थे। उनको भली भांति पता है कि उस समय मेरा दृष्टिकोण क्या था।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल कुछ ही समय पहले आप बदले हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : अब मैं बहुत बदल गया हूं।

जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वहां भी छोटी मोटी हड़ताल आए दिन होती रहती हैं। कुछ समय पहले भी हुई है। उसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि एक अध्यापक के ऊपर छात्रों ने आक्रमण किया था। इस प्रकार की घटनाओं की जितनी निन्दा की जाए कम है। किसी भी स्थिति में किसी अध्यापक पर हमला करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिन विद्यार्थियों ने यह काम किया है उनकी भी मैं निन्दा करना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। अभी पहली, दो और तीन अक्तूबर की लगातार इंडियन एक्सप्रैस में वहां की घटनाओं के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। वहां पर एक पत्रकार ने जाकर लोगों से, अध्यापकों से तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बात करफ काफी ब्यौरेवार बातें लिखी हैं। और उन पर पूरी तरह से अमल किया जाए, वहां की स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो उस विश्वविद्यालय की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। उस विश्वविद्यालय की सब से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वहां जातिवादी प्रवृत्तियां को बढ़ावा मिला है, जातीय आधार पर वहां ग्रुप और समूह बन गए हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से लड़ते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा होती है। इस चीज को लेकर विश्वविद्यालय के अशान्ति भड़काने की कोशिश भी की जाती है कारण यह है कि उनके निहित स्वार्थ इसके पीछे जुड़े होते हैं। इन सब बातों की समीक्षा अखबार में की गई है। मैं समझता हूं कि उस विश्वविद्यालय की पूरी स्थिति की जांच करवानी बहुत आवश्यक है। वहाँ पर रेक्टर का एक पद अभी तक भी भरा नहीं गया है। इसका कारण यह है कि वहाँ के कुलपति के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। किसी एक जाति के व्यक्ति को वह रेक्टर बना देंगे तो दूसरी जाति के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और विश्वविद्यालय में अशान्ति फैलाएंगे। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मन्त्रालय के पास सम्भवतः प्रस्ताव किया है कि और भी रेक्टर के पदों का सृजन किया जाए ताकि तमाम कास्ट ग्रुप्स को एडजस्ट किया जा सके। यह तो नहीं कहा है कि इनको एडजस्ट किया जा सके लेकिन

इसके पीछे मूल भावना यही है जबकि उन्होंने दलील दी है कि विश्वविद्यालय चूंकि बहुत बड़ा है, वहां का प्रशासन चलाना आसान काम नहीं है, उन्हें कुछ योग्य सहायक चाहियें, इसलिए वह चाहते हैं कि दो या तीन रेक्टर के पदों का और सृजन किया जाए। लेकिन वास्तव में वहां चीज यह है कि वह विश्वविद्यालय जातिवाद के अन्दर झुलस रहा है, जातिवाद की आग को शान्त करने के लिये इस प्रकार के पदों का सृजन वह चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सही ढंग से इस सब की जांच होनी चाहिये कि क्या वजह है कि एक रेक्टर के पद की जगह कई रेक्टरों के पदों की उन्होंने मांग की है मेरा अनुरोध है है कि उस विश्वविद्यालय की भी तमाम समस्याओं का निदान करने का आप प्रयास करें। अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों, सब को मिलाकर साढ़े 28000 लोग उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं तथा उस विश्वविद्यालय का बजट भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के बजट से अधिक है और इस सदन का बजट जोकि लगभग 6 करोड़ वार्षिक है इसके मुकाबले में उसका बजट ढाई गुना से भी अधिक है यानी 16 करोड़ के करीब है। इतना रुपया अगर सरकार उस विश्वविद्यालय पर खर्च करती है तो क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह देखे कि उसका सदुपयोग भी होता है या नहीं, वहां पर पढ़ाई भी ठीक ढंग से होती है या नहीं? इन सब बातों की जांच होनी चाहिए।

एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अन्य विश्वविद्यालयों की तरह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी, अलीगढ़ को आप ले लें, बनारस को ले लें या अन्य विश्वविद्यालय को ले लें, छात्रावासों में कुछ ऐसे लोग आकर ठहरते हैं जिन के चरित्र के बारे में निष्ठा के बारे में लोगों को शक होता है। ऐसे लोग भी कभी कभी छात्रावासों में आकर ठहर जाते हैं जिनका सम्बन्ध अपराध जगत से होता है। इसकी जरूर जांच होनी चाहिये। विश्वविद्यालयों को आज की हालत में छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर छोड़ा गया तो राष्ट्र का न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी तबाह हो जायेगा और बढ़ती हुई अराजकता, हिंसा भ्रष्टाचार आदि पर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकेगा, नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार की किसी भी प्रकार की उदासीनता चिन्ता की बात होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय के रहते हुये इस प्रकार की उदासीनता की स्थिति नहीं रहेगी।

डी. ए. वी. डिग्री कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। लेकिन वहां अध्यापकों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, न वे मिलती है जो केन्द्रीय विश्वद्यालयों के अध्यापकों को मिलती है और न राज्य सरकारों के अध्यापकों वाली। मेरा अनुरोध है कि या तो उसको बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के साथ पूरी तरह सम्बद्ध कर दिया जाये ताकि वहां के अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को वही सुविधायें मिल सकें जो बी. एच. यू. के छात्रों, कर्मचारियों और अध्यापकों को मिलती हैं और अगर सरकार के सामने ऐसा करने में कोई कठिनाई है तो उसे राज्य सरकार के साथ सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिये ताकि वहां पर अध्यापकों को वह सुविधा मिल सके जो राज्य सरकार के अध्यापकों को मिलती हैं।

अन्तिम बात यह है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का विधेयक अभी तक नहीं आया है, और पिछले कई सालों से मांग हो रही है मैं वहां गया हुआ था तो छात्रों और अन्य लोगों ने कहा कि यह बिल क्यों नहीं आता है वह चाहते थे कि इस बात को लेकर मैं सदन में *हंगामा* करूं। छात्रों ने तो मुझसे कहा कि आवश्यक हो तो सदन में धरना दीजिए। मैंने *कहा कि नहीं*

मैं माननीय मन्त्री जी से सारी बातें कहूंगा और मौका मिला तो बात को जरूर उठाऊगा। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक कब आ रहा है ? और अन्तिम बात का अन्तिम हिस्सा है

उपाध्यक्ष महोदय: कठिनाई यह है । जब आप इतनी अधिक बातें कहेंगे तो मन्त्री जी उत्तर कैसे देंगे ? बात यह है ।

श्री हरिकेश बहादुर : विश्वविद्यालयों को पुलिस और नोकरशाहों के माध्यम से नहीं चलाया जाना चाहिये । आज हर विश्वविद्यालय में या तो पुलिस है या नौकरशाह को वाइस चांसलर बना कर भेज दिया जाता है । जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, जो लाठी, गोली चलाने वाले हैं और इसी की ट्रेनिंग करने वाले है, जीवन भर इसी प्रकार की मनः स्थिति बनाने वाले हैं

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस मामले पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ? कृपया मुझे केवल यही बताएं । मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं । आप किस मामले पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ? (व्यवधान) नियम यह है कि आप मत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। नियम इस प्रकार है। परन्तु आपने एक लम्बा भाषण दे दिया है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने अनेक प्रश्न किए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने किस बात पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है ? मैं केवल यह जानना जाहता हूं । बस यही ।

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया मेरी बात सुनिए । मैं अन्तिम कुछ वाक्य कहने जा रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : कुछ वाक्य, अन्तिम नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम अब आप माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कीजिए । आपने पूरे भारत की यात्रा की है ।

श्री हरिकेश बहादुर : इस प्रकार की जो यह परम्परा चल रही है विश्वविद्यालयों में इसको बन्द किया जाना चाहिये । और खासतौर से किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किसी भी नौकरशाह को वाइस-चांसलर नहीं बनाया जाना चाहिए । यह खुशी की बात है कि ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन इस बारे में मंत्री जी को राज्य सरकारों को लिखना चाहिये कि वह इस बात को अपने यहां न करें ।

अन्त में जो प्रश्न हैं, में फिर से दोबारा कह दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने सब को समझ लिया है और उत्तर देंगी, आज जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे अलीगढ़ हो, दिल्ली या जामियां मिलिया हो, वहां जो स्थिति है उसमें आप क्या सुधार करने जा रहीं हैं ? कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों की जो मांगें हैं उसके बारे में क्या करने जा रही हैं ? क्या आप न्यायिक जांच कराने के लिये जा रही हैं। और अंतिम सवाल कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल आ रहा है कि नहीं ? यही मैं जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहरहाल आपने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। अन्त में

उन्होंने कहा है, इन मुद्दों पर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अब माननीय मंत्री उत्तर दे सकती हैं।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, हरिकेश जी बनारस यूनीवर्सिटी के छात्र रहे हैं और बड़े काबिल छात्र रहे हैं। मैं आज इनकी तारीफ कर रही थी जब मैं पूछताछ कर रही थी अपने क्वेश्चन के बारे में और मुझे पूरा यकीन था कि ऐसे ही सवाल वह पूछेंगे जिसमें कोई रेजीटेसन की बात नहीं होगी, समझौते की बात होगी, समझदारी की बात होगी। और इसके लिये मैं उनकी आभारी हूं

जो देहली यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र किया है, समझौता हुआ था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से और यूनिवर्सिटी से तो वहां जो प्रोमोशन का आपने जिक्र किया है आई. आई. टी. की प्रमोशन स्कीम की लाइन्स पर, मेरा निवेदन है कि आई. आई. टी. के जो तरीके हैं वह अपने ढंग के हैं, और उसको एकदम से और यूनिवर्सिटीज से मिलना, इस बारे में एक कमेटी बैठाई गई है। वेतनमान और पदोन्नतियोजना में असमानता और विकृति जब कमेटी इन चीजों के बारे में फैसले पर आ जायगी तब इसका फैसला लिया जायगा। यह कहना कि खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिये हम बनायें, तो वह भी मुनासिब नहीं होगा। इसके ऊपर हम कार्यवाही कर रहे हैं, यह बात हमारे ध्यान में है।

लोगों के आवास के लिये हम खुद कन्सर्न्ड हैं कि वहां के लोगों के लिये रहने की जगह होनी चाहिये। यूनिवर्सिटी ने हुडको से एल. आई. सी. से भी पूछा है कि किस तरह से वह इसमें मदद कर सकते हैं। लेटेस्ट वह चाहते हैं कि अगर प्राविडेंड फंड का इस्तेमाल कर सकें लोगों की इजाजत से, तो उसको भी वह करने को तैयार हैं। लेकिन यह मामला अण्डर कंसीडरेशन चल रहा है, यह कहना कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह सही नहीं है।

यह जो कहा गया है कि कर्मचारी ने जो स्ट्राइक की या जिस तरीके से बिहेव करना चाहिये, वह नहीं किया, इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि 2 अक्तूबर को एग्जामिनेशन केआफिशल्स यूनिवर्सिटी आफिस में गये थे एग्जामिनेशन का मैटीरियल लेने के लिये। वहां के एम्पलाई ने उनको रोका, रेंजिस्ट किया कि वहां न जायें। उनको ख्याल था कि ऐसा करेंगे, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी इसलिये उन्होंने पुलिस से कहा था कि आप आइये और देखिये कि क्या होता है

जब यह अन्दर गये तो वहां एग्जाम ब्रांच के कर्मचारी थे। उन्होंने देखा कि उनके साथ और कर्मचारियों ने भी घुसने की कोशिश की जिनकी वहां जरूरत नहीं थी। इनको रोकने की कोशिश की गई, इस पर वहां पुलिस ने 48 लोगों को पकड़ा।

इसके बाद 3 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन वाले भी आ गये, जैसा कि आप कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दिया जाये।

बाकी जो इनकी सैलरीज का कहा कि वह भी मिलनी चाहिये। मैं यह कहना चाहती हूं, कि आप भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज का परपज यह है कि हम बच्चों को पढ़ायें। अगर यह जगह ऐसी बन जायेंगी जिसमें पढ़ाई न हो, और अखाड़े जैसी बन जायें तो कहां तक यह मुनासिब होगा ? खासतौर पर झगड़े तब शुरू होते हैं जब कि इम्तहान नजदीक आ रहे होते

हैं। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सालभर उन्होंने मेहनत की है, जब वह इम्तहान देने जाते हैं तो कैसे यह झगड़े शुरू हो जाते हैं यह किस्सा इम्तहान के बाद भी हो सकता है, जैनविन केस है तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जब इम्तहान हो रहे होते हैं, तो यह होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इनको रोकना चाहिये। इसमें पौलिटिक्स नहीं होनी चाहिये, बच्चों को इम्तहान देने का मौका मिलना चाहिये। यह बहुत बड़ी चीज हमारे सामने है।

जामिया मिलिया के बारे में जो आपने कहा, वैसे तो वह हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वह डीन यूनिवर्सिटी है। उससे इस तरह डील नहीं करते जैसे और यूनिवर्सिटीज से करते हैं, लेकिन वहां के चांसलर ने इन्क्वायरी बैठायी है कि एलीगेशन्ज को देखे और मध्य प्रदेश के रिटायर जज से कहा है कि वह इसे देखें। इस समय जामिया-मिलिया में कोई स्ट्राइक नहीं चल रही है।

बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहा है कि अमैंडमैंट कब होगा। मैंने अपने स्टेटमैंट में भी कहा है, पहले भी हाउस में कहा था कि यू. जी. सी ने एक कमेटी बनाई है और वह अपने नतीजे पर आ रही है। जब तक वह अपनी फाइंडिंग्ज तय न कर ले, बीच में हम कोई चीज लायें तो वह ठीक नहीं होगा, फिर बाद में हमें चेन्ज करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने इतना इन्तजार किया है, थोड़ा और करें जिससे उनका आइडिया हमें मालूम पड़ जाये कि कहां किस तरह से करना चाहिये, जो यू. जी. सी. की कमेटी बातें रखेंगी, वह हम कर सकेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मुझे एक बूढ़े शेर से, जो लड़ते लड़ते अब थक गया है मेरी मंशा श्री एस. एम. बनर्जी से है, जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं और जब वह डा. लोहिया के साथ इस सदन में बोला करते थे, तो लोक सभा में जीवन आता था — जिन तथ्यों का पता लगा है, उन्हें मैं मंत्री महोदय के सामने रखूंगा।

अच्छा होता कि बहन जी अपना बयान हिन्दी में पढतीं। अगर कोई और मंत्री होता, तो में रोक देता और उसे हिन्दी भाषा में सुनाने के लिए कहता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम बागड़ी, इसका हिन्दी संस्करण आपको दे दिया गया था। वह सब ठीक है फिर आप विषय पर आइए।

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कम बोलेंगे, तो शायद काम अच्छी तरह चलेगा। अगर आपने भाषण करना है, तो में बैठ जाता हूं।

शिक्षा हर कौम के लिए जरूरी है और हर कौम शिक्षा के लिए अपना रास्ता और पथ बनाती है। भारत की यह परम्परा रही है कि शिक्षा में वह समूचे संसार का गुरू रहा है। शिक्षा ही देश को बनाती है और बिगाड़ती है। भारत की शिक्षा भारत को बिगाड़ रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही है, तनाव पैदा कर रही है।

शिक्षा चार पैरों पर खड़ी होती है : (1) विद्यार्थी, (2) शिक्षक, (3) कर्मचारी और (4) प्रबंधक यानी कुलपति बगैरह। लेकिन भारत में एक पांचवी टांग सरकार ने अड़ा रखी है और वह इसमें सब से ज्यादा हिस्सा ले रही है। शिक्षा का सीधा सम्बन्ध विद्यार्थी से है। जिस शिक्षा से विद्यार्थी का हित न हो, उस शिक्षा से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

भारत में सुदामा और कृष्ण एक-साथ पढ़े हैं। भारत में लड़ाई पौरस और सिकन्दर की नहीं हुई थी, बल्कि सुकरात और चाणक्य की हुई थी। भारत की वर्तमान शिक्षा में चार बुनियादी ऐसे दोष, हैं : शिक्षा महंगी है, शिक्षा का माध्यम एक विदेशी भाषा है, शिक्षा यानी दाखले की सीमा है और यह शिक्षा बेरोजगारों की पल्टन तैयार करती है। शिक्षा में सुधार करने के लिए पहले विद्यार्थी के सवाल पर विचार करना होगा और फिर शिक्षक और कर्मचारी के सवाल पर।

दिल्ली का दिमाग अडोस-पड़ोस से भी बिगड़ता है। डा. लोहिया ने इसी सदन में कहा था कि संस्थाओं के उन नामों को खत्म कर दिया जाए, जिनसे शिक्षा में जहर घुलता है, जैसे हिन्दू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और क्रिस्चियन यूनिवर्सिटी वगैरह। जिस राष्ट्र के विश्व-विद्यालय जाति और धर्म के नाम पर चलेंगे, वहां पर फिर्कापरस्ती का जहर होगा। लेकिन ये नाम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं।

गांधी जी जब बनारस गए, तो उन्होंने तांगे वाले से कहा कि मुझे ले चलो विश्व-विद्यालय। तांगे वाले ने कहा विष-विद्यालय। गांधीजी ने बाद में कहा कि मैं सोचता जा रहा था कि यह विष विद्यालय क्यों कह रहा है लेकिन जब जाकर अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम देखा, तो मैंने समझ लिया कि यह वाकई विष-विद्यालय है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में जहर घोल रहा है। बनारस जहां पर विश्व को ज्ञान प्राप्त होता था वहां अब गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि आप इस अन्तर को तो मिटा नहीं सकोगे। शुरू में कुछ हो सकता था, अगर शाशन और समाज कुछ करता लेकिन आज तो समाज भी टूट गया, भाषा नीति और शिक्षा नीति भी खत्म हो गई। आज गैर-बराबरी और ज्यादा बढ गई है, बेकारी और ज्यादा बढ़ गई है, बेकारों की एक फौज तैयार हो गई है।

मैं मत्री जी से तीन-चार सवाल जानना चाहूंगा। आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि पहले भवन बनता है, फिर शिक्षक आते हैं, फिर नौकर आते हैं और फिर विद्यार्थी आते हैं। लेकिन इस देश में होता यह है कि अस्पताल बन गया लेकिन वहां पर दवाई और डाक्टर नहीं हैं। इसी तरह से भवन तो बन गया लेकिन वहां पर शिक्षक और कर्मचारियों के रहने के लिए जगह नहीं है। यहां दिल्ली में डी. डी. ए. मकान बनाती है लेकिन वहां पर, जो छोटे मुलाजिम हैं उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं। यह जो आपने चिन्ता व्यक्त की है यह चिन्ता कब तक रहेगी ? आपको चाहिए कि कोई दिन मुकर्रर कर दें जब तक कि उनको मकान दे दिए जायेंगे।

इसके अलावा यहां पर एक पक्षपात भी हो रहा है। मास्टर जब हड़ताल करेंगे तब उनकी तनखाह बढ़ेगी लेकिन वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। ऐसा अन्तर क्यों है ? मास्टरों की तनखाह भी आप बन्द करदें, ऐसा मैं नहीं कहता। जहां तक हड़ताल का सम्बन्ध है, वह एक जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन हड़ताल भी तभी होनी चाहिए जबकि उसके बगैर काम ही न चले।

दो अक्तूबर, जोकि महात्मा गांधी का जन्म दिन है उस दिन अगर यह जिन्दा कौम होती तो जिन्हें फांसी की सजा मिली थी उनको भी इस दिन मुक्त कर दिया जाता। यहां दिल्ली में बहुत से झगड़े होते रहते हैं। मेरे ऊपर भी यहां 302 लगाई गई लेकिन जाती मुचलके

पर छोड़ दिया गया। फिर उन कर्मचारियों और मास्टरों पर इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूट पड़ा। कमीशन की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि उन पर जो मुकदमे हैं उनको वापिस लो। वे लोग गरीब हैं, छोटी तनखाह वाले हैं। आज इस सदन की तरफ वे आस लगाकर बैठे हुए हैं कि उनके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि दो बातें उनके हक में कह दें और दो उनके खिलाफ कह दें। एक फैसला इस बात का भी होना चाहिए कि गांधी जी के जन्म दिवस, 2 अक्तूबर को कोई हिन्सा या एजिटेशन नहीं होगा। (व्यवधान) इस घटी से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अधिक समय ले रहे हैं। आप तीन या चार प्रश्न पूछना चाहते थे आपके इस प्रश्न की संख्या क्या है? (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : बहनजी, शिक्षा जगत में एक नयी आस्था आयेगी जब आज आप यहां पर यह एलान करेंगी कि उनके खिलाफ मुकदमे वापिस ले लिए गए हैं। जेलखाने किसी को दंडित करने के लिए नहीं होते हैं। गांधी जी कहते थे कि वह दिमागी सन्तुलन ठीक करने के लिए है। अध्यापकों ने समानता की बात कही है। जो पंचायती चौखम्भा राज्य है वह सिर्फ इस सदन में ही नहीं चलेगा, विश्वविद्यालयों में भी चौखम्भा राज्य होना चाहिए। राज्य कर्मचारी भी होंगे और विद्यार्थी भी होंगे, मैनेजमेंट भी होगा तथा अध्यापक लोग भी होंगे। एक प्रकार से चौखम्भा राज होगा। जहां तक आप करनी हैं, मैं आपके काम को अच्छा मानता हूं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक आपको कड़वी लगे। एक नारी बहन होती है, मां होती है, बेटी होती है और पत्नी भी होती है-नारी के चार रूप है। चारों उत्तम रूप है। उस के किसी रूप से कटुता नहीं आती है, प्रेम आता है, ममता आती है और आदर्श आता है। इसलिए आप सिर्फ मंत्री ही नहीं हैं, आप थोड़ा आदर्श का रूप दिखायें। इनकी कोई ऐसी मांग नहीं है, पांच मांगें जो कि नज यज हों आप फैसला करके एलान करिए कि आप इन पर से मुकद्दमें वापिस लेती हैं। हो सकता है इसके लिए इम्तिहान आगे या पीछे दो दिन हो जायें। मानवता तरक्की कर चुकी है, शिक्षा तरक्की कर चुकी है आप उसको पीछे मत ले जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को सरकार पीट रही है और पुलिस जनता को पीट रही है। इस प्रकार पुलिस के अन्दर समाज की सेवा करने की भावना पैदा नहीं हो सकती है। यह हो सकता है कि छोटी-मोटी गलतियां हों, खामियां हों और एक-दो घटनायें घट सकती है। शिक्षा से पुलिस को दूर देखिए। अनपढ़ के हाथ में लाठी देकर भेज देते हैं। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप एलान करें कि कभी यूनिवर्सिटी के अन्दर पुलिस का दाखिला नहीं होगा, जब कि वहां कोई हिंसा की बात न हो। यह शिक्षा है, जो आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हो और विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हों। रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा, गौतम की शिक्षा, महावीर में शक्ति कबीर की शिक्षा और नानक की शिक्षा ने ही यह काम किया है, जो न हाइड्रोजन बम्ब कर सकता है और न एटमबम्ब कर सकता है। आप शिक्षा के माध्यम से चलिए। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पर थोड़ा हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, विचार करेंगी।

श्रीमती शीला कौल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री बागड़ी जी ने अपने विचार प्रगट किए हैं। मुझे याद नहीं कि वे उस वक्त यहां सदन में थे या नहीं थे. जब इस

मुद्दे पर दो-तीन बार बहस हुई थी। और यह भी हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए। उस वक्त मुझे बताना पड़ा कि यूनिवर्सिटियां जितनी होती हैं, वे आटोनामस बाड़ी होती हैं और उनके बीच में हम दखल नहीं देते हैं और न हम देना चाहते हैं। वहां जो लोग काम करते हैं, वे काबिल लोग होते हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं। हम समझते हैं कि वे लोग भी ऐसा ही काम करेंगे जो मुल्क की तरक्की के लिए होगा। जैसा कि लोगों का ख्याल होता है कि हम यहां पर बैठकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ठीक कर लेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी को ठीक कर लेंगे या कहीं साउथ की यूनिवर्सिटी को ठीक कर लेंगे-यह होता नहीं है। सैन्टर सिर्फ सात यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत कर सकती है, जिनको हम पैसा देते हैं और हमारी हैं । बाकी यूनिवर्सिटीज औटोनामस बाडी हैं। मैं इस बात को यहां नहीं कहना चाहती थी, लेकिन झगड़ा जो हुआ, आपको जानकर अफसोस होगा कि एक कर्मचारी जो कि काम करना चाहता था, क्वश्चन पेपर बंट जाएं वह चाहता था, एक बुजुर्ग आदमी जो दो महीने बाद रिटायर होने वाला था, उसको खींचकर, गिराकर बाहर लाया गया। इस बात का मैं सदन में जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब कोई चीज सीमा से परे हो जाए तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, उसके बारे में उसी वक्त आदमी को फैसला करना होता है। बाद में हम लोग बैठ कर बातें करते हैं कि होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सिचुएसन को देखते हुए उसी समय फैसला करना होता है।

जो केसेज चलाए गए हैं, वह मैंने नहीं चलाए हैं। अगर मैं एक पार्टी होती तो इनके कहने पर वापिस ले लेती, लेकिन यह कर्मचारियों और पुलिस का झगड़ा है। वे आपस में बैठकर फैसला करें। उसमें यूनिवर्सिटी को भी पावर नहीं है और मैं भी इसमें चाहूं तब भी दखल नहीं दे सकती।

आवास के बारे में जिक्र किया गया। जैसा कि हरिकेश जी को मैंने बताया है कि किस तरीके से पूरी कोशिश की गई है कि आवास की सुविधा मिलनी चाहिए । अगर 25 फीसदी घर भी बनाते हैं तो उनके लिए 4 करोड़ रुपया चाहिए। चार करोड़ ज्यादा नहीं है अगर कुछ राहत दी जा सके। इसलिए उन्होंने यह सुविधा देने के लिए पूरी कोशिश की है।

श्री मनी राम बागड़ी : आप चाहें तो केसेस विथड्रा हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें। अब, डा. आजमी वास्तव में नियमानुसार ध्यानाकर्षण डेढ़ घंटे तक सीमित है हम उससे अधिक समय तक बैठ रहे हैं क्योंकि सदस्यों ने अधिक समय ले लिया है। हम उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं हमें इसे पूरा करने के बाद सभा को स्थगित कर देना चाहिए।

डा ए. यू. आजमी (जौनपुर) : इन्सान जब पैदा होता है तो कोशिश की जाती है कि उसको अच्छी सजा दी जाए, उसकी अच्छी तरह परिवरिश की जाए, ताकि उसके अखलाक को बेहतर बनाया जा सके। उसके अखलाक को बेहतर बनाने के लिए और उसके किरदार और जहन को संभालने के लिए तालीम जरूरी है। इसके लिए हमारे मुल्क में स्कूलों और विश्वविद्यालयों का इंतजाम किया गया है, लेकिन अफसोस है कि कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो बड़े दुःख का विषय हैं। मसलन अभी जो स्ट्राइक दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टाफ की चल रही है और इससे पहले नान टीचिंग स्टाप का धरना और स्ट्राइक चल चुकी है। उसके बारे में

आप देखिए कि नवंबर 1979 में कर्मचारियोने कुछ मुतालबात पेश किए। उसमें सबसे अहम था प्रमोशन/और हाउसिंग फेसिलिटीज। गुफ्तगू चलती रही, बातचीत होती रही और चार जनवरी तथा 12 फरवरी 1982 को एक एग्रीमेंट साइन हो गया।

सवाल यह है कि अगर कर्मचारियों ने गलती की है, तालीम में रुकावट पैदा की है जैसा कि अभी वजीर-ए-तालीम ने अपने जवाब में फरमाया है तो 1979 से लेकर 1982 तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जब उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे। फरवरी 1982 से लेकर 21 सितंबर तक वे बार-बार लैटर लिखते रहे, वी. सी. से मिलते रहे. जिम्मेदार लोगों से मिलते रहे। उनसे वादे किए जाते रहे कि इंप्लीमेंट करेंगे। उस वक्त ऐसा नहीं कहा गया कि इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, अब जैसा कि वजीरे तालीम ने कहा है कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था।

उनका कहना है कि जब हम वाइस चांसलर से मिलते तो वह बराबर कहते रहे कि एग्रीमेन्ट का इम्पलीमेन्टेशन एक हफ्ते या दो हफ्ते में कर दिया जाएगा यह कभी नहीं कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ अब गुजरात की तरफ से नई बात कही जा रही है कि कोई फैसला नहीं हुआ कोई एग्रीमेन्ट साइन नहीं हुआ। जब यह टालने वाली बात उनके सामने आयी तब वे मजबूर हुए कि धरना देकर प्रैस करें और एग्रीमेन्ट का इम्पलीमेन्टेशन कराएं सब कर्मचारियों की नीयतें खराब नहीं थी वरना नवम्बर, 79 और सितम्बर, 82 के बीच की एक बहुत लम्बी मुद्दत है। इनकी नीयतें खराब होतीं तो बहुत कुछ हंगामा कर सकते थे। उन्होंने बड़े स्कूल से गुफ्तगू और मीटिंग के जरीए अपने ख्यालात को मनवाया और जब इस पर अमल बरामद के बावजूद इनके बार-बार इसरार और ध्यान के टलमटोल होती रही तब उन्होंने मजबूर होकर धरना दिया इसका मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट होगा उसको इम्पलीमेन्ट किया जायेगा। एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी इन्सटीट्यूट का हेड या किसी स्टेट का हेड जैसा भी होता है उसका रिफलैक्शन लोगों पर जरूर पड़ता है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं। सन 1955-56 तक डा. हुसैन साहब मरहूम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर रहे। मैं उनके जमाने में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेन्ट था मैंने वहां देखा था चूंकि मैं वहां रहता था। मैंने देखा कि डा. जाकिर हुसैन साहब जिस तरीके से लिबास पहनते हैं, बगैर किसी के समझाए हुए लड़के उस लिबास पर आ गए। डा. हुसैन साहब की जैसी चाल थी, जैसा कहते थे, मिलते थे उसी तरह लड़कों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। दुनिया जानती है कि डा. हुसैन साहब की एक आंख में तकलीफ थी उसकी वजह से वह एक काला चश्मा लगाया करते थे। काला चश्मा डाक्टर साहब रात में भी लगाया करते थे वहां के लड़कों पर भी उसका असर हुआ और लड़कों ने काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया बहुत से लड़के रात में भी काला चश्मा लगाया करते थे यह कोई लतीफा नहीं है हंसने के लिए मैंने समझाने के लिए अर्ज किया है।

सवाल यह है कि कर्मचारियों की बेचैनी, तालीम की रूकावट उस वक्त क्यों नहीं होती थी। उसकी वजह यह है कि उस वक्त की सरकार ने हमेशा यह कोशिश की कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कालेज का वाईस चान्सलर या प्रिंसीपल बहुत अच्छा एजूकेशनिस्ट हो, बहुत अच्छी जिन्दगी गुजारने वाला अच्छा सीधा इन्सान हो ठीक है। वाईस चान्सलर का नाम मैं नहीं लूंगा। हम देखते हैं वाइस चान्सलर का रोल अच्छा नहीं है सुबहा होता है कि वह पढ़े-लिखे हैं या नहीं, उनके बाल-बच्चे हैं या नहीं। आपको याद होगा, कुछ चंद महीने पहले

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोली चली। उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाईस चान्सलर एक रिटायर्ड I. A. S. हैं। उनको वाईस चान्सलर बना दिया गया। वहां गोली चलने के पहले मैं चंद जिम्मेदार लोगों के साथ गया था ताकि स्टूडेन्टस यूनियन और वाईस चान्सलर से मीटिंग कराकर मसाइल को हल करा दिया जाए। वे सब लोग जानते नहीं थे कि मैं किस पार्टी से हूं। इससे पहले जो हड़ताल वहां पर हुई थी, वह खत्म हो चुकी थी और लडके इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। अचानक ही वाईस चान्सलर ने यूनियन को डिजाल्व कर दिया, उसका रिएक्शन हुआ लड़कों पर। पी. वी. सी. जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि लड़कों का आफिसियल स्टेट्स तोड़ने के लिए हमने स्टूडेन्ट यूनियन डिजाल्व कर दिया, देखें कि अब कैसे सामने आते हैं।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो भी हैड आफ इन्स्टीटयूट होगा उसको इतनी सैन्स होनी चाहिए कि लड़कों की साइकोलाजी क्या है। लड़कों की जरूरत क्या है टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ की जरूरत डिमान्ड्स क्या हैं। मैं समझता हूं कि आइ. ए. एस. आफिसर या जो एजूकेशनिस्ट न हों, वे यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते।

मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां गोली चल गई और एक लड़का जान से हाथ धो बैठा और पुलीस ने उस गोली खा कर मरे हुए लड़के की टांग पकड़कर के एक फर्लांग तक खींचा और ट्रक पर लाश डालकर उठा ले गए। खून पड़ा हुआ था जितनी दूर तक लडके को पुलिस ने खींचा था उतनी दूर तक वहां लड़कों ने ईंट से गहरा निशान बना दिया और खून पड़ा हुआ पूरा एरिया महफूज कर दिया ताकि जिम्मेवार लोग देख सकें। होम मिनिस्टर साहब गए, उन्होंने नहीं देखा उसको। यहां एम. पीज गए, किसी ने तकलीफ नहीं की उसको देखने की। उसका कोई बहन भाई नहीं था। मां बाप का वह इकलौता बेटा था। मेरठ का वह रहने वाला था। वाइस चांसलर से मैंने दूसरे तीसरे रोज मिलकर बात की पूछा कि उनके बंगले की बगल में जहां गोली चली थी, उस जगह को उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूछा कि उसके मरने के बाद आप उसके सामने उसको देखने गए थे, लाश देखने गए थे तो उन्होंने कहा नहीं तब मैंने वाइस चांसलर से कहा कि हिन्दुस्तान के कोने कोने से लोग अपनी गोद से बच्चों को उठा कर आपकी गोद में डाल देते हैं। अब ऐसे बच्चों के साथ इस तरह का सलूक आप करेंगे तो फिर मां बाप किसके भरोसे पर किस इतमाद पर अपनी औलाद को आपकी गोद में देंगे और आपके पास भेजेंगे। जब मैं ने उनसे यह सवाल किया तो वह कोई जवाब नहीं दे सके। मुहत्तरम वजीर ए तालीम साहिबा मैं चाहता हूं कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, टीचर्ज का जब आप एप्वाटइंटमेंट करें तो आपका उसमें कोई दखल हो तो आप इस असूल पर जरूर नजर रखें कि हैड आफ दी इन्स्टीट्यूशन का जो रोल और करेक्टर होना चाहिये क्या उसको अदा करने के वह काबिल है या नहीं उसकी शखसियत कैसी होनी चाहिये किसी इरादे को मुहतरमा वजीर ए-तालिम साहिबा चलाने की सहलायित है या नहीं।

4 जनवरी और 12 फरवरी 1982 तक कोई एजीटेशन नहीं हुआ। उस तारिख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नान टीचिंग स्टाफ और वाइस चांसलर के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया। 21 सितम्बर से फिर उन्होंने धरना देना शुरू किया है। सवाल यह है कि 1979 से ले कर सितम्बर 7, 1982 तक उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया, कोई झगड़ा क्यों नहीं किया और धरना

और एजीटेशन और हंगामा उस वक्त होता है ? जब आदमी के कहने, सुनने, मनवाने के तमाम जरिये खत्म हो जाते हैं तो मजबूर हो कर उसको इनका सहारा लेना पड़ता है। आजादी लड़ने वालों ने भी ऐसा ही किया था। ऐसी नौबत ही न आए इसकी आपको कोशिश करनी चाहिये। उनको धरने, हड़ताल, कानून को तोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े इसकी आपको कोशिश करनी चाहिये।

आप देखें कि 2 अक्तूबर को जिन पचास साठ आदमियों ने दिल्ली युनिवर्सिटी में धरना दिया था उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। दो अक्तूबर को गांधी जयन्ती मनाई जाती है। उस दिन किसी जानवर तक का खून बहाने के लिए मना कर दिया जाता है और हिन्दूस्तान की जो पब्लिक जानवरों तक का खून बहाना उस दिन पसन्द नहीं करती है, उस दिन तशदद देखना पसन्द नहीं करते, उस दिन हमारी पुलीस ने जिसके जिम्मे लोगों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेवारी है, इज्जत और आबरू की हिफाजत का जिम्मा है, कानून की हिफाजत का जिम्मा है, इनके बेगुनाहों का खून बहाने की कोशिश की और इसकी मैं सख्त मजमत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी इनक्वायरी करें।

अब टीचर्ज हड़ताल पर चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी जायज मांगों पर भी आप ध्यान दें।

जे. एन. यू. में एक कम्प्यूटर सेंटर है। मुझे मालूम हुआ है कि सालाना उस पर एक करोड़ खर्च होता है। लेकिन कोई कम्प्यूटर वहां पर इन आर्डर नहीं है। उसके खिलाफ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। स्टुडेंट्स में इस वजह से अनरेस्ट है। लेकिन कोई तसल्लीबख्श जवाब उनको नहीं मिला है। सरकार ख्वामख्वाह उस पर एक करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है।

जे. एन. यू में हर जगह फेवरिटिज्म है। यह सही है कि अपने रिश्तेदारों, भाईयों, भतीजों के बारे में आदमी सोचे लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि दूसरों का हक मार कर उनको बिठा दिया जाए। जे. एन यू में यही हो रहा है। 87 आदमियों का एडहाक एप्वाइन्टमेंट हुआ है स्टेचूट 28 के मुताबिक अगर कोई बहुत ही एमीनेन्ट शख्सीयत हो तो उसका एडहाक मुकरर किया जा सकता है। लेकिन इसका सहारा लेकर अड़तीस ऐसे लोगों का तकरर कर दिया गया जिनका न कोई पब्लिकेशन है और न ही कोई एकेडमिक केरियर। वहां पर मियां और बीवी के 18 जोड़ों का तकरर भी इसी धांधलेबाजी का नतीजा है। यही वजह है कि जिनसे अदम इतमीनान और बैचेनी फरोग पाती है का हो सकता है लेकिन 38 का कर दिया गया है। यह कहा गया है कि कोई बहुत ही एमीनेट फिगर हो, बहुत लम्बा प्रोसीजर हो तो एप्वाईटमेंट किया जा सकता है लेकिन जो 38 फिगर गए हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका कोई पब्लिश्ड वर्क हो, जो एमीनेट फिगर हो। मियां बीवी के 18 जोड़े हैं जो नहीं होने चाहिये थे। एक* जो हिन्दुस्तानी नागरिक नहीं बल्कि कनाडा की सिटिजन है और उनसे अच्छा हिन्दुस्तानी नागरिक मिल सकता था, उसको न रख कर उसको रख लिया गया है, अपने नागरिकों को रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको रख लिया गया है। इससे भी बड़ा अनरेस्ट पैदा हुआ है। रजिस्ट्रार के मुताल्लिक यह मालूम हुआ है कि उनको ऐसे ही जबरदस्ती बना

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया गया है जब कि वह बी. ए. थर्ड क्लास हैं। क्या यह फेवरेटिज्म नहीं हैं ? क्या इससे अच्छी क्वालिफिकेशन्स का और कोई आदमी नहीं मिल सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. आजमी, आपने कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया है। इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

डा. ए. यू. आजमी : अगर मैंने नाम लिया है तो मुझे खेद है। रजिस्ट्रार के अपाइंटमेंट के सिलसिले में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मिनट्स चेंज की गई। दो प्रोफेसर्स जो ऐग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर भी हैं उन्होंने वाइस चांसलर से शिकायत भी की है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। माननीय रशीद मसूद एम. पी. ने एक सवाल पूछा था जिसके बारे में मुहतरमा वजीर तालीम आपने इस इवान में कहा कि गलत इन्फोरमेशन प्रोवाइड की गई है, वह मामला अभी मिस्टर स्पीकर के पास पेंडिंग है आपके यहां प्रिवलेज मोशन की शक्ल में। उस पर भी कोई ऐक्शन नहीं हो रहा है। तो अनरेस्ट क्यों न पैदा हो जब यह हालात हैं ? एक जायज बात सामने ला कर कही जाती है, इस सिलसिले में 161 एम. पीज ने प्रेसीडेंट आफ इण्डिया को लेटर लिखा था 4 मई 1981 को। उसके बाद डेलीगेशन मिला मौजूदा प्रेसीडेंट से जिसमें मैं खुद था, रशीद मसूद थे और राजेश कुमार सिंह जी भी थे। हमको कहा गया कि इनक्वायरी कमेटी बैठायी गई है। मैं भी एक इनक्वायरी कमेटी में हूं, मैंने तमाम लोकल पार्टीज को लिखा, लोकल पैपर्स में दिया कि मुझको लोग अपने ग्रीवारीज बतायें : लेकिन इस कमेटी ने यह नहीं किया। यह कमेटी वहां गई भी, लेकिन लोगों को जब मालूम ही नहीं है कि कमेटी आयी है तो वह किससे क्या कहें ? इसलिये आप इस कमेटी से कहें कि वह लोगों को बताये कि किस काम से आयी है ताकि लोग अपनी बातें आ कर कह सकें।

जामिया मिलिया में गबन हुआ है। जे. एन. यू, में भी हुआ है, वहां बिल्डिंग कस्ट्रक्शन के सिलसिले में 5.6 लाख का गबन बताया जाता है। इसके मुताल्लिक भी आप गौर करें और कोशिश करें कि अगर गबन हुआ है तो उसकी जांच कराकर दोषी आदमी को सजा दी जाय। और अगर नहीं हुआ है तो उसको भी क्लीयर करना चाहिये। जामिया मिलिया में भी बेचैनी है। सवाल है कि ऐसा क्यों है ? यह कहना, जैसा कि मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि वह तो अटोनाक्स बाडी है, सही है, लेकिन आप पौलिसी तो बना सकती हैं। आखिर यह अनरेस्ट क्यों है ? उसका क्या इलाज है।

बी. एच. यू. में अभी तीन महीने पहले छत पर सोये हुए स्टूडेंट को गोली मार दी। आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक, दो महीने पहले फिर गोली मार दी गई। आपने कहा है कि कोई अनरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया है कि रोज धरना दिया जाता है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप इस पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने बीस मिनट ले लिए हैं। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस बात पर मंत्री जी का ध्यान दिला रहे हैं।

डा. ए. यू. आजमी : हैड आफ दी इन्स्टीटयूट को रखने में आप तमाम पहलुओं पर गौर कर लें। आप यह भी बताये कि आइन्दा क्या आप ऐसा करेंगी, खासतोर से हैड आफ दी इन्स्टीट्यूट को रखने में, कि उस वक्त तमाम चीजों पर गौर किया जायगा ? या जैसा मौजूदा दौर है, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, गोली चलायी जा रही है, ऐसे ही चलायेंगी आप ?

श्रीमती शीला कौल : डा. आजमी ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कर्मचारियों समझौते के बारे में जिक्र किया था। मैनेजमेंट ने खाली एग्री नहीं किया था, उन्होंने उनसे कहा था कि उनकी प्राबलम्स को लेकर हम अथौरिटीज से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह बातचीत की हैं और कर रहे हैं। यह कहना कि सारे दरवाजे बन्द हैं, कोई दरवाजा बन्द नहीं है, बातचीत हो रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपकी दिल्ली के अध्यापकों से बात हुई है ?

डा. ए. यू. आजमी : दरवाजे बन्द होने की बात नहीं कही, हम अपनी बात समझा दें, आपने गौर नहीं फरमाया। उनका कहना है कि एग्रीमेंट साइन किया है. हम उसके इम्पलीमेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्थिति यह है।

श्रीमती शीला कौल : उन्होंने कहा है कि जो उनकी डिमांडज हैं, रहने के लिये मकानात और उनकी प्रमोशन्स की स्कीम हैं, इसके बारे में सब चीजों पर सिलसिलेवार कार्यवाही हो रही है। यही नहीं, बल्कि यह कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह कार्यवाही की जाये।

ए. एम. यू. के बारे में जो आपने फरमाया कि वहां मई, 1981 में फायरिंग हुई थी, उसका जिक्र हाउस में किया था और आप सबने मिलकर इस पर रोशनी डाली थी। यू. पी. गवर्नमेंट ने उस पर इन्क्वायरी बैठायी है, जब तक वह किसी नतीजे पर नहीं आ जायेगी, उसके बारे में हमारे लिये कुछ कहना ना-मुमकिन होगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई निर्णय करेगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी तभी मैं सभा में कुछ कह सकूंगी।

इस वक्त ए. एम. यू. में इम्तहान अच्छे तरीके से हो रहे हैं और हमें बताया गया है कि वहाँ पढ़ाई कायदे से चल रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि इसी वक्त वाइस चांसलर ने वहां की मुश्किलात के बारे में हमसे जिक्र किया था और यह भी कहा था कि वह लड़कों के रहने के लिये जगह कम है। इसलिये "00 लड़कों के रहने के लिये मकान बनाने के लिये हमने उनसे कहा है, वह 500 कमरे बच्चों के लिये बना रहे हैं।

श्री ए. यू. आजमी : जवाब सही नहीं आ रहा है, टालने की बात हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें उत्तर देने दीजिए। आपने अनेक मुद्दे उठाए हैं। यही कठिनाई है। वह भ्रमित हो जाएंगी।

श्रीमती शीला कौल : यह सच है कि अनेक बातों का उत्तर देना है। मैं विषय से भटक भी सकती हूं।

जे. एम. यू. के एपाइंट्मैंट्स के बारे में इन्होने फरमाया कि स्टेटूयट 28 में वहां एपाइन्टमेंट्स हुई थी। उनको हुए कई साल हो गए हैं। पिछले 3,4 साल में कोई ऐसा एपाइन्टमेंट नहीं हुआ है जिसका धारा 20 से संबंध हो। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कांउसिल ही यह करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रत्येक बात का उत्तर चाहते हैं, तो आप मंत्री जी को लिखिए। मैं आपको ऐसे अनुमति नहीं दूंगा। ध्यानाकर्षण में भाग लेने का यह कोई तरीका

नहीं है आपको उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो मंत्री जी को लिखिए।

डा. ए. यू. आजमी : यह जवाब गलत दे रही हैं, यह क्या तरीका हुआ ?

श्रीमती शीला कौल : सभी नियुक्तियां धारा 28 के अन्तर्गत की गई हैं। वे कई वर्ष पहले की गई थीं। पिछले तीन या चार वर्ष में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। वह काम कार्यकारी परिषद ही करती है। पिछली बार कार्यकारी परिषद् के नियंत्रण पर ही नियुक्तियां की गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता था कि सब को भूख लगी है…

श्रीमती शीला कौल : मुझे तो लग रही है। आप जल्दी कर दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो इसको लंच के बाद रख दीजिए।

मैं शिक्षा मंत्री की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ने लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वे राजनीति में हिस्सा लेने लगते हैं। हमें इस प्रवृत्ति पर दुख है, इसे रोकना चाहिए।

देश भर में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले जितने विश्वविद्यालय हैं, उनकी अवस्था बहुत बुरी है। इसके दो कारण हैं। आंतरिक परिस्थितियां और बाहरी परिस्थितियां। आंतरिक परिस्थितियों में विश्वविद्यालय का प्रशासन और व्यवस्था जैसे अन्य अनेक प्रश्न हैं और बाहरी परिस्थितियों में मुख्य रूप से राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई है, जो विचार करेगी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा को किस प्रकार कारगर बनाया जाय, प्रशासन को किस प्रकार अधिक सक्षम बनाया जाए, विश्वविद्यालयों में अशांति के क्या कारण हैं, क्या उनमें राजनैतिक हस्तक्षेप है; अगर है तो उसे किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, इस बारे में कोई आचार-संहिता कैसे बनाई जाए, कुलपति, उपकुलपति और स्टाफ़ की नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वह इस कमेटी को निर्देश दें कि वह देश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापकों, रीडरों, प्रोफेसरों और अन्य अनुभवी लोगों से मिलें। जिन शहरों में ये विश्वविद्यालय हैं, वह वहां के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। वह गार्डियन्ज को भी आमंत्रित करें और उनसे सुझाव मांगे। हो सकता है कि यह कमेटी हमारे लिए एक आशा की किरण साबित हो, इससे हम लोगों को एक नई दिशा मिले और हमें अपनी समस्याओं को हल करने में सहायता मिले।

मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है काशी विद्यापीठ, जिसका देश में एक अपना इतिहास है। मैं वहां का विद्यार्थी रहा हूं। वहां से बनारस यूनिवर्सिटी एक मील पर है। बनारस यूनिवर्सिटी की दशा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से

कम खराब नहीं है। वहां भी गुंडई का वातावरण है। वहां पर अध्यापकों का एक अलग ही रवैया है। मुझे यहां आए हुए तीन वर्ष हो गए हैं। मंत्री महोदय सामने बैठी हुई हैं। उनको कम से कम 150 पत्र मैंने लिखे हैं।

श्रीमती शीला कौल : मेरे पास 150 नहीं आए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यूनिवर्सिटी को और आपको, सबको मिला कर मेरे पास रिकार्ड है। मैंने हर पत्र में कोई नया केस भेजा है और कहा हैं कि यह जातिवाद का शिकार है, यह भाई-भतीजावाद का शिकार है, आदि। जब मंत्री महोदय से इस बात के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं जितना हमसे होता है, वह मैं करती हूं। आपने बताया कि इन सब यूनिवर्सिटीज की एक आटोनामस बाडी है जो अपने आप काम करती है और हमारा कन्ट्रोल कम है। आपने कहा कि राष्ट्रपति जी का कन्ट्रोल है और फिर क्या क्या होगा, उसके लिए एक चैनल बना हुआ है।

मैं आपके द्वारा मन्त्री जी जो बताना चाहूंगा कि मैं बनारस से आया हुआ हूं, हरिकेश जी भी यहां पर थे और हमारे सामने बिहार से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, या उस तरफ के जो भी लोग हैं उनके सामने एक बड़ी प्राब्लम है कि वहां पर हमेशा ही कोई न कोई अन्याय और शोषण की बात होती रहती है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं बनारस यूनिवर्सिटी में बाटनी के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने 7-8 साल अमरीका में पढ़ा-लिखा और डिग्रियां लीं और वहां पर वे कमा रहे थे। फिर वे यहां पर बनारस यूनिवर्सिटी में चले आए लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जितना वे अमरीका में कमाते थे उसका आधा अंश भी ठीक प्रकार से यहां पर उनको नही मिल रहा था। इसके बावजूद जब उनके प्रमोशन की बात आई तो, मैं बड़े साफ शब्दों में कहूंगा कि उनके साथ इतनी बड़ी बेईमानी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोगों ने की कि आज वह बेचारा रोता हुआ घूम रहा है। आज वह इस बात से परेशान है कि क्यों वह अमरीका से यहां पर चला आया। ऐसी स्थिति में यहां पर अच्छे शिक्षक कैसे मिल सकते हैं? अमरीका के मुकाबले में यहां पर शिक्षक को भले हीं कम तनख्वाह मिले लेकिन उनके प्रमोशन और अन्य सुख सुविधाओं में तो बेईमानी न की जाए।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आटोनामस बाडी की बात कही है उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक विधेयक यहां पर जरूर प्रस्तुत करें। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को इतना स्वतन्त्र कर देने से ही सारी की सारी बुराइयां फैलती चली जा रही है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी के द्वारा, या जैसे भी हो, जो भीप्रक्रिया हो उसके द्वारा आप इस बात को लायें, हम उसका समर्थन करेंगे। विश्वविद्यालयों को स्वतन्त्र रूप से छोड़ देना ठीक नहीं होगा।

बनारस के बारे में ही मैं एक शब्द और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पास यह अखबार की एक कटिंग है जिसकी हेडिंग है :

"महामना मालवीय को दान में मिली सम्पदा की सस्ते दामों पर रहस्यमय बिक्री"

यह देख कर बड़ा ताज्जुब होता है कि महामना मालवीय जी ने देश-विदेश घूम कर जो धन प्राप्त किया था और इस यूनिवर्सिटी को इतना अच्छा शिक्षा संस्थान बनाया था, वहां के

लोग इतने घृणित और जलील हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की लाखों की प्रापर्टी लखनऊ में सस्ते दामों पर बेच दी और बनारस में बेच दी। वह प्रापर्टी यूनिवर्सिटी के परिसर में नहीं है और लोगों को उसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है। यह एक बड़ा सनसनीखेज समाचार है इसकी चार-पांच लाइनें मैं इस सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"बताया जाता है कि विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों ने हजारों एकड़ भूमि और मकान आदि विश्व-विद्यालय के निर्माण हेतु दान के रूप में दिये थे लेकिन उचित देखभाल तथा रखरखाव के अभाव में अधिकांश जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया तथा कई कीमती विशाल भवनों की सस्ते दामों में बिक्री कर दी गई है।"

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पता लगावें कि प्रापर्टी को कौन बेच रहा है? हमने तो यह भी सुना है कि एक लाख की प्रापर्टी दस हजार में बेची गई है और 25 हजार से ऊपर अपनी जेब में ले लिए गए हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला है।

विश्वविद्यालय में जो रोज घटनायें हो रही हैं उनका जिक्र मैं यहां पर नहीं करना चाहता ' 19 जनवरी, 1982 को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा, औरतों को भी पीटा यह सब तो साधारण बातें हो गई हैं, इनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। यहां दिल्ली विश्व-विद्यालय में तो 10-11 साल से झगड़ा चल रहा है, रोज ही किचकिच हो रही है। मैंने फोल्डर निकाल कर देखा तो वह फाइल इतनी बड़ी हो गई है कि उसको यहां पर लाने में परेशानी होगी। हमने यह देखा कि वहां के झगड़े बहुत ही निराले ढग के हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का झगड़ा देखा। उसमें यह है कि पूर्वी दिल्ली परिषद् की स्थापना हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें परेशानी की क्या बात है और क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम तो समझते हैं कि शिक्षा मत्रालय को गुमराह किया जाता है। इसकी स्थापना होनी चाहिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

दूसरी बात उत्तर पुस्तिकाओं के नम्बर मूल्यांकन की है। इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति का जवाब है कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है और वक्त नहीं है। इस प्रकार की खबरें आपको अखबारों में देखने को मिल जायेंगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां का स्टाफ बढ़ा दीजिए। यदि कोई विद्यार्थी नियमानुसार 10 या 20 रुपए देकर फिर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना चाहता है, तो इसमें यूनिवर्सिटी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आवासीय सुविधा के बारे में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कर्मचारियों को सुझाव दिया गया है और दूसरे लोगों ने बताया है और यह कहा है कि हम इसलिए इसको नहीं कर पा रहे हैं कि पैसे का अभाव है। 6 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है। इसके बाद उन्होंने एक करोड़ 20 लाख रुपया वापिस कर दिया। यह रुपया क्यों वापिस दिया गया, जो कि आवास के लिए दिया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें वास्तविक रूप से कोई कमी थी या कोई और कारण था? मैं समझता हूं कि इसमें पूरे तरीके से विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही है।

शिक्षकों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहता हूं कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, मैं आपसे इस बारे में कोई

उतर नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे सिर पर जो कलंक लगा हुआ है, उसको धोना चाहिए। भगतसिंह कालेज में अर्थ-शास्त्र का प्रोफेसर नहीं है, देशबन्धु गुप्ता कालेज में कोई अध्यापक नहीं है, गर्गीकालेज में रसायन शास्त्र की परीक्षायें इसलिए विलम्ब से हुई क्योंकि वहां पर अध्यापक नहीं था, श्रीराम कालेज आफ कामर्स में शिक्षक नहीं थे। विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, इन अध्यापकों की नियुक्ति न होने की वजह से विद्यार्थीयों को सफर करना पड़ रहा है। यह एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग बराबर हस्तक्षेप करते हैं। कभी देखा जाता है इन विश्वविद्यालयों में कैन्टीन का झगड़ा होता है। एक घटना यह भी देखने को मिली कि 31 दिसम्बर को पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन वहां के प्राध्यापक लोग युनिवर्सिटी के कुलपति की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर लास्ट डेट है, पर हम काम नहीं करेंगे। कुछ कालेजों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं आप के ध्यान में और लाना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने खेल-कूद का सामान खरीदने के लिए कुछ रुपया दिया है। स्टेशनरी के लिए दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया था कि वाइस चांसलर को यहां सामानों की खराब खरीद हुई थी। मुझे उसमें बताया गया कि कुछ लोगों से दुगनी कीमत पर सामान खरीदा जाता है और फिर वही सामान छात्रों को न देकर जिम्मेदार लोगों द्वारा ही बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है और इसके प्रमाण भी हैं। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

आज एक चीज और हर जगह देखा जा रहा है चाहे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्व वद्यालय हो, या दक्षिण भारत में हों और यह चीज हमारे मुल्क को बरबाद कर रहा है। अभी मैं इलाहबाद गया था। वहां पर मैंने कुछ पोस्टर देखे थे, जिनको मैंने हाउस में दिखाया भी था। उस समय माननीय अध्यक्ष जी कुर्सी पर थे उन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि हमको अलग मुल्क चाहिए। अनुसूचित जातियों का मामला था। मान्यवर कैसे यहां पर लोग रह सकते हैं? यह एक कटिंग है, इसको अभी मैं टेबिल पर रख दूंगा। "नेहरू विश्वविद्यालय में हरिजनों को प्रवेश प्राप्ति की छूट बंद करने की शिफारिश।" यह बहुत लंबी है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक हरिजन छात्र था। उसको बाथरूम में कमोड के बर्तन से मारा गया और उसी से ढक दिया गया। हमारे ही मुल्क में हमारा ही अपमान।

मैं इस हाउस में कई बार इस मामले को उठा चुका हूं और आज भी मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों और कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और उनको कब तक भरा जाएगा। इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। हमारे मुल्क में हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा?

मैं इन कटिंगों को हाउस में रखूंगा अभी इसका जवाब नहीं चाहता हूं। एक दो महीने में आप इनका जवाब देना।

अन्तिम बात में मैं मन्त्री जी का ध्यान एक कटिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। "शिक्षा के केन्द्र या ऐशो आराम का अड्डा" अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो देश के नाम पर यह एक कलंक

होगा। क्या ये शिक्षा संस्थाएं इस लिए हैं। इसको पढ़ने से लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में यहां खुले आम प्रास्टीट्यूशन चल रहा है। यह कटिंग भी मैं आपको दूंगा।

दूसरा कटिंग है 'फैक्लटी क्लब या जुए का अड्डा" इसके बारे में मैं क्लेरफिकेशन चाहूंगा। एक-दो महिने में आप इसकी जानकारी मुझे दे सकती हैं।

श्रीमती शीला कौल : आप मुझे भेज दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं टेबल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नो।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है मैं आपके पास भिजवा दूंगा। हड़ताल के बारे में आधा मिनट बात करूंगा। जैसा कि बागड़ी साहब ने कहा कि हर यूनिवर्सिटी में दो-तीन तरह के कर्मचारी होते हैं। एक 4-5 हजार वेतन वाले, एक डेढ़-दो या एक हजार वेतन वाले और कुछ गरीब कर्मचारी होते हैं, जैसे चपरासी, क्लर्क। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं फोर्थ क्लास और थर्ड क्लास के।

कर्मचारियों पर 2 अक्तूबर को जो दुर्घटना हुई है, हमको यह पता लगा है कि 32 या 36 जेल भेजे गए बेचारे और इसके बाद 42 गिरफ्तार किये गए। कितने लोगों पर बुरे तरीके से लाठी चार्ज किया गया। उनका गुनाह क्या था? वे अपनी मांगे मांग रहे थे और उपाध्यक्ष जी इस डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, अपनी मांग मांगने का। हमारी कर्मचारियों से मुलाकात नहीं हुई। हम चाहते थे कि कर्मचारियों से मुलाकात हो जाती। हमारे पास वह मांग पत्र नहीं है। लेकिन सरसरी ढग से एक अखबार में हमने देखा कि वह मांगें छपी हुई थीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह अनुचित नहीं, है आखिर उसको मनवाने का क्या तरीका है।

आप भारत सरकार की शिक्षा मंत्री हैं और आप हम लोगों की सदन में जो भावना आयी है, वह भावना वहां के पुलिस के लोगों या विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहें और उनको बताने के बाद आप इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। इससे आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपने टरकाने वाली बात कर दी हैं चुंकि आपने कह दिया कि भई हम तो कुछ नहीं कर सकते।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्री के द्वारा जो कि शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार की घटनाएं हुई हो और 2 अक्तूबर को दुर्घटना हुई हो, इस प्रकार का उत्तर सतोषप्रद नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रश्न हैं, इनका एक-दो महीने बाद उत्तर दे दें और जो हमने पूछा है, उसका उत्तर अभी दें।

श्रीमती शीला कौल : सोनकर जी ने सुन्दर सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। उनको भी शिक्षा में बहुत रूचि है, मुझको यह जानकारी है। इन्होंने जिक्र किया कि यू. जी. सी. ने जो रिव्यु कमेटी बनाई है, उसमें किन-किन लोगों से राय लेनी चाहिए। इसके विषय में वह यह पत्र लिखा दें कि कौन-कौन से होने चाहिए तो अच्छा रहेगा। बनारस की जो प्रापर्टी का बिकने का जिक्र किया है, यह तो सुनकर ताज्जुब हुआ है और मैं इसके बारे में

चाहूंगी कि मुझे अगर यह लिख देंगे तो जानकारी लेने में सहूलियत होगी। एक दिल्ली कैम्पस का इन्होंने जिक्र किया है। यू. जी. सी. ने इसके बारे में एक कमेटी बनाई है जो इसको एग्जामिन करेगी और वो जिस नतीजे पर आयेगी, उसकी जानकारी आपको जरूर मिल जायेगी। इन्होंने जिक्र किया था कि यू. जी. सी. जो पैसा देती हैं, 6 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 1.20 वापिस कर दिया। यह जानकारी आपको जो मिली है, वह सही नहीं है। कोई पैसा वापिस नहीं किया गया है। पैसे की तो उनके पास कमी है, वापिस किस लिए करेंगे, वे तो मांगते ही जा रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अखबार की कटिंग हमारे पास है।

श्रीमती शीला कौल : हमारे पास जो इन्फार्मेसन है, इसमें कोई पैसा वापिस नहीं आया है क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं, वे तो फाईल में आ जाते हैं, कोई ऐसा हमको वापिस नहीं मिला है।

आपने जिक्र किया है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। एक्चुअल एडमिशन के वक्त उसमें जो सीट्स रिजर्वड होती हैं, वह 20 परसेंट होती हैं। लेकिन होता यह है कि इतने लोग आते नहीं हैं और केवल 10 परसेंट भरती हैं। इसमें कितनी भरी गई हैं, क्या हुआ है, इसके लिए आप थोड़ा वक्त दे दें तो मैं इन्फार्मेशन दे सकती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह एक बहुत गम्भीर मामला है। आप जैसा कहते हैं एवलेबल नहीं है फिर सुटेबल नहीं है फिर कितने-कितने एबल लगते जा रहे हैं। आप जरूर हमको इसका विस्तृत विवरण बताए।

मैं जानना चाहता हूँ कि जो नौ केन्द्रीय विद्यालय हैं उनमें कुल कितनी पोस्ट्स अलग-अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वड हैं और कितनी उनमें से भरी गई हैं।

श्रीमती शीला कौल : यह हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आप वह सूचना दे देंगी हम अब दूसरे विषय पर विचार करें।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हू मैं आपकी सहायता करने की चेष्टा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दूसरा विषय लेते हैं श्री भगत।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : दिल्ली के अध्यापकों की बैठक के बारे में कुछ नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाया लिखें और भेज दें।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मुलाकात करेंगी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाया शांत रहिये। श्री भगत। अगला विषय

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 50 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बजकर पचास मिनट पर पुन: समवेत हुई

नियम 337 के अधीन मामले

श्री वी. एन. गाडगिल पीठासीन हुए

(एक) आग्न्यास्त्रों के लाइसेंस देने की नीति को युक्तिसंगत बनाना

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, भारत में आजादी के बाद से बचाव और सुरक्षा के नाम पर आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस दिये जाने में अभिवृद्धि की जाती रही है। जिस गति से आग्नेय अस्त्रों का सरकार ने बितरण कराया है, उसी गति से अपराधों की वृद्धि हुई है। आग्नेय अस्त्रों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उन पर से नियन्त्रण हटाने सम्बन्धी सुझाव आते रहे हैं। पर सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर सकी है। जिन हाथों तक आग्नेय अस्त्र पहुंच गये हैं, वह निहत्थे और कमजोर लोगों को भयभीत किये हैं।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की नीति साफ नहीं है। ऐसा लगभग सभी प्रान्तों में है। आग्नेय अस्त्र प्राप्त करने के लिये जनपदों में प्रतिदिन सैंकड़ों लोग जिलाधिकारी को आवेदन-पत्र दे रहे हैं कोर्ट फीस से लेकर बचत पत्र तक खरीदवाये जाते हैं। यही नहीं जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट लिख, उन्हें आग्नेय अस्त्र रखने का पात्र घोषित कर देते हैं, फिर भी

बरसों आवेदन पत्र पड़े रहते हैं और वर्ष के अंतिम दिनों में रद्द कर दिये जाते हैं। हजारों रुपया बर्बाद करने वाले लोग अन्त में निराश हो जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार से मांग है कि वह आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस देने के बारे में कोई स्पष्ट नीति घोषित करे और प्रान्तीय सरकारों को निर्देशित करें।

सभापति महोदय : अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अंश ही रिकर्ड में किया जायगा। केवल वही पाठय।

श्री राम लाल राही : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम 377 के अधीन जो वक्तव्य लिखकर चेयर को दिया, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो आक्षेपात्मक हो।

सभापति महोदय : अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ्य मेरे पास है। केवल वही अंश रिकार्ड किया जायगा और कुछ नहीं।

श्री रामलाल राही : इसमें कौन सी बात मैंने कही है जो निकालने वाली है ? अगर नियम 377 के विपरीत कोई बात उसमें हो, तो निकाल दें। लेकिन अगर उसके विपरीत नहीं है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो शब्द मैंने हाउस में कहे हैं, वे कार्यवाही में शामिल किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : उन्हें रिकार्ड नहीं किया जायगा। जो कुछ अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है, केवल वही रिकार्ड किया जायगा। उसके अलावा कुछ नहीं।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. के हल्दिया एकक, पश्चिम बंगाल, को शीघ्र पूरा करना

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : हल्दिया के लोग तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. के कर्मचारी हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की हल्दिया एकक को तुरन्त चालू करने की मांग कर रहे हैं।

हमारे देश के कृषि, उद्योग, वित्त और वाणिज्य सैक्टरों की अर्थव्यवस्था के लिए इस परियोजना का बड़ा महत्व है। परियोजना का निर्माण कार्य। सितम्बर 1982 को आरम्भ किया गया था उस समय इस परियोजना के चालू होने की तारीख 10 अक्तूबर 1977 निर्धारित की गई थी इसकी अनुमानित लागत 8,802.85 लाख रुपये थी। जुलाई 1982 में वर्तमान अनुमानित लागत बढ़कर 34,865 00 लाख रुपया हो गई है जिस में से लगभग 4296.06 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मांग है।

इस परियोजना ने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। इस परियोजना के लिये 53 मेगावाट बिजली आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिये प्रबंध समिति ने गैस टरबाइन संस्थापित करने के लिये अधिक समय लिया। प्रस्तावित क्षमता का विद्युत संयन्त्र (क्षमता-30 मेगावाट) का निर्माण अभी तक चालू नहीं किया गया है।

प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में हम लोग उर्वरक आयात कर रहे हैं। किन्तु हल्दिया के हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एकक के चालू होने में 5 वर्ष की देरी हो गई है. यहां तक कि उत्पादन आरम्भ होने से पूर्व परियोजना के अनेक अंश दोषी पाये गये। इसी बीच प्रबंध समिति चालू

होने की तारीख नौ बार से अधिक बार बदल चुकी है। परियोजना का हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का एक मात्र कर्मचारी और श्रमिक संघ परियोजना को तुरन्त चालू करने की मांग करते हुए प्रबंधक समिति से कई बार विचार-विमंश कर चुका है। परियोज्ना के कर्मचारी इस परियोजना को चालू कराने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर चुके हैं।

अब यह स्थिति हो गई है कि लोगों ने यह सोचना आरम्भ कर दिया है कि यह परियोजना कभी भी पूरी नहीं होगी।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से यथा संभव सभी उपाय करने का अनुरोध करूंगा जिससे कि सल्दिया का हिन्दुस्तान उर्वरक निगम एकक तुतरं चालू हो जाये।

(तीन) भिलाई इस्पात संयंत्र का दूसरा कैप्टिव एकक शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान भिलाई इस्पात संयंत्र के दूसरे कैप्टिव विद्युत संयंत्र के, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, निर्धारित समय पर चालू न होने के समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 64 करोड़ की लागत के इसी टर्बाइन का 25 अगस्त को इस्पात और खान मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था और इसे 4 अक्तूबर को चालू किया जाना था। संयंत्र के इंजीनियरों के अनुसार इसमें इलेक्ट्रो-मेगनेटिक वाइब्रा फीडर के डिजाइन में गंभीर दोष पाए गए हैं। ये बम्बई की एक निजी फर्म द्वारा सप्लाई किए गए थे। इसकी डिजाइन क्षमता 300 टन कोयला प्रति-घंटे ढोने की निर्धारित की गई थी, किन्तु यह 20 टन से अधिक नहीं ढो सकते हैं।

माननीय इस्पात मंत्री से निवेदन है कि इस बारे में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

(चार) उत्तर प्रदेश में भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देना

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, हमारे देश के किसानों की भूमि का अर्जन लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत हो रहा है। यह 88 वर्ष पुराना कानून है। अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ है। भूमि का मूल्य इस एक्ट की धारा 4 की अधिसूचना के समय का दिया जाता है। किसानों की जब भूमि ली जाती है तो उससे अनेक बर्ष पहले का भाव होता है जब भूमि पर अधिकार किया जाता है उस समय के मूल्य से 10 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होता। सरकार ने इस ऐक्ट में संशोधन का बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया है। उसमें भी बहुत कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6 की अधिसूचना और घोषणा में तीन वर्ष से अधिक का अन्तर न होने के प्रतिबन्ध की अवहेलना अपने अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भी करके मथुरा जिले में भूमि ले रही है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि वह बिल पर शीघ्र विचार करे। संसदसदस्यों के सुझावों के अनुसार संशोधन अपने बिल में करे और शीघ्र पास करके किसानों के साथ अन्याय को रोके और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कानून के खिलाफ कार्यवाही न करने का सुझाव दे।

(पांच) देश में बंधुआ मजदूरों की दशा

डा. बी कुलनदईबेलु (चिदम्बरम) : मैं सदन का तथा उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपने देश के बंधुआ मजदूरों की गंभीर दुर्दशा विशेषकर तमिलनाडु से आये मध्य प्रदेश

और आंध्र प्रदेश में ठेकेदारों के अत्याचारों से पीड़ित बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में दिलाना चाहूंगा।

श्रम मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार 1,44,930 बंधुआ मजदूरों का पता चला है जिसमें से 30.6.1982 तक केवल 84,269 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है। किन्तु राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार बंधुआ मजदूरों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख है। राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान ने 42 जिलों के 572 गांवों का सर्वेक्षण किया और 5,00,000 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया : वस्तुतः यह संख्या कई गुणा अधिक हो सकती है क्योंकि अधिकतर सभी बंधुआ मजदूर लाचार हैं और ठेकेदारों द्वारा निरंतर डराये धमकाये जाते है जिसके कारण बंधुआ मजदूर के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहते है।

तमिलनाडू से मध्य प्रदेश के रायसन और विदिशा में आये बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में गरीब मजदूरों को ठेकेदरों की एजेन्सियों द्वारा अधिक आर्थिक लाभ और तरक्की का झूठा आश्वासन देकर रोजगार देने का लालच दिया गया था। किन्तु यह कितना लोम हर्षक है कि इन निसहाय बंधुआ मजदूरों को अवर्णनीय कष्टों, प्रताड़नाओं और अत्यधिक गरीबी में रहकर ठेकेदारों के अत्याचारों को सहना पड़ता है।

तमिलनाडू की पुलिस बड़ी कठिनाई से उनकी रक्षा कर पाई है। तमिलनाडू से आये आंध्र प्रदेश के बंधुआ मजदूरों की भी यही स्थिति है। पर्याप्त पुनर्वास के उन्हें बंधन से मुक्त कराने से समस्या का निदान नहीं हो जाता।

मेरा अनुरोध है कि श्रमिक कल्याण के विभिन्न अधिनिमों की भाषा और आत्मा के अनुरूप केन्द्रीय सरकार इन अधिनियमों को कार्यान्वित करे।

वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : भोजन काल से पूर्व सभा श्री स्टीधन के इस अनुरोध से सहमत थी कि उनके विधेयक को पहले लिया जाय। अतः अब हम वाणिज्य पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम हमारे अत्यधिक व्यापक कानूनों में से एक है। इसमें वाणिज्य पोत-परिवहन चालन के सभी पहलू-इसका बेड़ा, इस का विनियमन, इसका पजीकरण और नाविकों के पंजीकरण का तरीका और उनका कल्याण सम्मिलित हैं। वर्तमान अत्यधिक व्यापक अधिनियम में सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है... उपबंध करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए और

समय समय पर उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नौवहन उद्योग किसी देश विशेष तक सीमित नहीं है । इसकी प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है यह बन्दरगाह से बन्दरगाह तक चलते है परन्तु गहरे समुद्र में चलते हैं, इसलिए भिन्न-भिन्न देशों के क्षेत्राधिकार में से गुजरते हैं, इतना कि इन पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। यह संशोधन, जिसे मैं मुख्य कानून में कतिपय अभिसमय, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधायों द्वारा स्वीकृत और संशोधन किये जा चुके हैं, लाने के लिए पेश कर रहा हूं का उद्देश्य अधिकांशत: समुद्र के प्रदूषण से संबंधित है । यह वातावरण प्रदूषण की प्रमुख समस्या की भांति बहुत प्रमुख समस्या बन गई है ।

विभिन्न देशों के लगभग 40,000 जलयान गहरे समुद्र में चल रहे हैं । हमारे पास अपने लगभग 404 वाणिज्य जलयानों का एक बेड़ा है । जिसकी संख्या बढ़ रही है । इन जल पोतों द्वारा समुद्र में तेल छोड़ना और समुद्र को प्रदूशित करना, विशेष कक सीमा क्षेत्र के जल में समुद्री सीमा में इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र स्वयं इस समस्या का पल चाहता है।

1954 से तेल के समुद्र का प्रदूषण रोकने के लिए एक अभिसमय आयोजित किया गया था और वह अभिसमय हमारे देश द्वारा अपनाया गया था और उस अभिसमय को एक संशोधन द्वाना, जो 1970 में लाया गया था और जो 1974 में लागू हुआ था, वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम में सम्मिलित किया गया था ।1954 के बाद उस अभिसमय विशेष में तीन संशोधन किए गए थे । एक 1969 में दूसरा 1971 में, जिससे समुद्र में तेल छोड़ने के विरुद्ध प्रतिबंध को और व्यापक बना दिया था । 1954 में, यह किसी देश की समुद्री सीमा तक सीमित था, जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र से लगभग 20 मील तक था जबकि परवर्ती अभिसमय द्वारा इसे और बढ़ा दिया गया था और कतिपय नई संकल्पनाओं द्वारा चालन के तरीके, प्रतिबंध को विनियमित कर दिया गया था । अत: हम उन संशोधनों को वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम में सम्मिलित करना चाहते हैं जो हमें विदेशी पोतों पर नियंत्रण करने का अधिकार और उनके द्वारा तेल छोड़ने को विनियमित करने का अधिकार देता है जो भारत की समुद्र तटवर्ती सीमा कहलाती है और जो हमारे भूक्षेत्र से 200 मील से लेकर उस विशेष तटवर्ती जल क्षेत्र में 50 मील तक बढ़ाई जा सकती है और वहां पर हम अपने बन्दरगाहों पर आने वाले विदेशी पोतों को विनियमित करना चाहते हैं । हम भारतीय पोतों को विनियमित करना चाहते हैं और उस क्षेत्र विशेष में तेल छोड़ने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहते हैं और उस क्षेत्र विशेष के बाद तेल छोड़ने पर कतिपय विनिमय लागू होंगे । इस संशोधन विशेष से हम यह काम करना चाहते हैं उसके बाद 1969 में, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक और अभिसमय आयोजित किया गया था जिसमें समुद्र में तेल छोडने से हुए नुकसान के लिए मुआवजा और नुकसान को अनुबंधित करना चाहा गया था । मालिकों द्वारा एक सीमा निर्धारित की जा सकती है और शेष नुकसान के लिए एक सूत्र है जिससे उसे पूरा किया जाना है, परन्तु उसे इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । इस संशोधन को लाने में मुआवजा निर्धारित करने का यह सूत्र और विनियमन करने और नियंत्रण करने और निदेश देना और तेल, जो छोड़ा जाना है, को विभिन्न बन्दरगाहों पर प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए आवश्यक धन राशि देने के तरीके आदि विभिन्न बातों पर विचार किया गया है इस

कार्य में सर्वेयरों आदि जैसे अनेक विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति की अपेक्षा होगी। समुद्र प्रदूषण के बिना तेल प्राप्त करने के लिए पत्तनों पर भी इन्फ्रास्ट्राचर बनाना पड़ता है जिसके लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता पड़ती है यह हम जहाज मालिकों से एक निर्धारित शुल्क वसूल कर प्राप्त करते हैं और वह निर्धारित शुल्क लाये जाने वाले तेल पर 50 पैसे प्रति टन से अधिक नहीं होता तथा इस राशि को एकत्र कर और इसकी एक निधि बनाकर इस निधि को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग करते हैं तथा प्रदूषण-विरोधी कार्य-कलापों की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा उन्हें नियमित करने के लिये उपयोग में लाते हैं। अधिनियम के अन्य विभिन्न अंशों में एक नया अश जोड़कर हम अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों में वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम को समाविष्ट करना चाहते हैं। वह दूसरा है।

तीसरी बात यह है कि एक समिति थी जो मत्स्य नौकाओं के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी। आज मत्स्य नौकाओं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। आज स्थिति यह है कि इस बात की काई जानकारी नहीं है कि कितनी मत्स्य नौकायें चल रही हैं, सुरक्षा का कोई विनियमन नहीं है, उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की यन्त्रीकृत और गैर यन्त्रीकृत मत्स्य नौकायें चल रही हैं। इसलिये, जो समिति इस पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी उसने यह सिफारिश की कि एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मत्स्य नौकाओं का पंजीकरण किया जा सके और तथा उन पर नियन्त्रण रखा जा सके तथा मत्स्य नौकाओं में जाने वाले मछेरों के हित में उन्हें नियमित किया जा सके। मत्स्य नौकायें तीन प्रकार की होती हैं। हम तीन प्रकार की मत्स्य नौकाओं के बारे में विचार करते हैं एक जहाज के समान होती है जिसे हम केवल पोत परिवहन के लिये प्रयोग करते हैं जिसे निश्चित रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिये। दूसरे प्रकार के तैरने वाले जहाज होते हैं और इन जहाजों को मछली मारने के लिये भी प्रयोग किया जाता है और इसे भी पंजीकृत किया जाना चाहिये। तीसरे प्रकार की विभिन्न प्रकार की छोटी नौकायें होती है जो मछली मारने के लिये काम आती हैं जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है जिसको अधिसूचित करने का अधिकार हमारे पास आरक्षित है क्यों कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है वैसे-वैसे इन मत्स्य नौकाओं को पंजीकृत करना पड़ेगा। इन नौकाओं को तुरन्त पंजीकृत कराये जाने के आदेश जारी किये जाने से उन लाखों मछुओं को परेशानी होजायेगी जो उन्हें चला रहे हैं और इसीलिये इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। एक धारा जोडने की आवश्यकता है जिसके द्वारा मत्स्य नोका की परिभाषा की युक्ति से युक्त किया जा सके। समिति की इस सिफारिश को इस अधिनियम में जोड़े जाने का हमारा प्रस्ताव है।

चौथी बात यह है कि हमें पता चला है कि जब कभी जहाज सदूर समुद्र में जाते हैं तब ऐसे विदेशी जहाज दखल देते हैं जिनका वहाँ कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता और वे कुछ ऐसे प्रलेखों के बारे में पूछ-ताछ करते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय केन्वनशन और प्रथा के प्रतिकूल होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इन जहाजों को वास्तव में क्या करना चाहिये, उसके बारे में निदेश देकर हम इन जहाजों की रक्षा करना चाहते हैं। अपनी प्रभुसता की रक्षा के लिये तथा ऐसे देशों की दखलन्दाजी से अपने जहाजों की रक्षा करने के लिये जिसका न प्राधिकार है और न क्षेत्राधिकार,

एक युक्ति तैयार की जा रही है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में एक दूसरी धारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ये वे चार मुख्य संशोधन हैं जिसकी अनुमति हम चाहते हैं। इसलिये संशोधन लाये जा रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं अधिनियम में उन्हें जोड़ा जाना है। और जैसा कि मैं आरम्भ में कह चुका हूं, इस संशोधन का प्रयोजन अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा और कन्वेंशण, जो अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है के अनुरूप वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम को अद्यतन बनाने का है। और भारत जैसे देश के वाणिज्यिक नौवहन बेड़े के लिये यह समावेशन आवश्यक है. जिसका विकास तेजी से हो रहा है और यह एक ऐसा तथ्य है जिसके लिये हम सच्चा गौरव अनुभव कर सकते हैं और इसके साथ-साथ यह आवश्यक है कि जितनी तेजी से नौवहन बेड़े का विकास हो उसके अनुरूप ही जितनी अधिक संख्या में जहाज हमारी सीमा में आते हैं, उतनी ही तेजी से पत्तन का विकास हो, उतना ही अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सचालन हो, और उसके साथ साथ यह और आवश्यक है कि उस प्रदूषण के विरूद्ध अपने प्रादेशिक समुद्री जल की सुरक्षा के प्रति हम नितांत. सचेत और सजग रहे जिससे अपने देश की भूमि प्रभावित होती है और इसलिये मेरे विचार से अधिनियम ने इन उपबंधों की समाविष्टी अत्यधिक आवश्यक है। इस संशोंधन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में इसे जोड़ना होगा जो अन्ततोगत्वा मेरे विचार से, वाणिज्य नौवहन बेड़े के तेजी से हो रहे विकाश की स्थिति को देखते हुए, अधिनियम में अद्यतन उपबंध लाने के लिये विवादास्पद नहीं है।

इन सब शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और आगे 8 सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

सभापति महोदय : प्रताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वाणिज्यि पोत परिवहन अधिनियम 19:8 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। :

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्वर) : उस प्रकार के विधेयक पर विचार विमर्श करते समय प्रत्येक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पोत चालन की कुछ आधुनिक प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान संशोधन जैसे कुछ संशोधन किया जाय जिससे कि जहाजां के मालिकों की परेशानियों अथवा जहाजों के परिचालन के कारण पारिस्थितिक संतुलन अनावश्यक रूप से न बिगड़ जाये।

तेल के लीक होने की समस्या अन्तराष्ट्रीय समुदाय के लिए सिरदर्द बनी हुई है क्योंकि इसके कारण बड़े समुद्रों और प्रादेशिक समुद्री जल में गंभीर हलचल होती है और इसके कारण विश्व की बहुत बड़ी आबादी समुद्री लाभ से वंचित रह जाती है। तेल के लीक होने से मछली पकड़ने के उद्योग पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसीलिये मंत्री जी ने जिस कन्वेनशन की ओर ध्यान दिलाया है उसमें कुछ मार्गदर्शन दिये गये हैं जिसका पालन उन देशों द्वारा किया जाना चाहिये जो कन्वेनशन में सांझेदार हैं जिससे कि वे देश विदेशों के नियन्त्राधीन होते हुए भी आपने प्रादेशिक समुद्री जल में नौवहन तथा जहाजों पर कुछ न कुछ अनुशासन रखा जा सके। किन्तु यहां कुछ प्रश्न उठाये गये हैं जो इसलिये नहीं उठाये गये है क्योंकि संशोधन समाविष्ट करने की अनुमति मांगी गई है बल्कि इसलिये कि ऐसे कन्वेनशन प्रस्तुत करते समय अथवा उनपर निर्णय लेने की चिंता में सरकार इस बात को भूल जाती है कि अपने ही राष्ट्रिकों के प्रति भी सरकार

का कोई कर्त्तव्य है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक यह कहा है कि यह एक विस्तृत विधेयक है और जिसमें नाविकों के हित कभी ध्यान रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल अधिनियम की कई धारायें नाविकों से संबंधित हैं। किन्तु उसमें कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो नाविकों के हित से अथवा उसके वेतन से संबंधित हो। वर्तमान संशोधन विधेयक में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उस समय क्या स्थिति होती है जब जहाज किनारे पर फंस जाता है। 1 मई 1982 को समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि इंडियन लाइन हिमालयन लाइन का एक जहाज एक महीने से मद्रास के समुद्री तट पर पडा हुआ है. नाविकों को वेतन नहीं दिया गया है और यह कि वे भूखे मर रहे हैं। ऐसे मामले में सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। सरकार जहाज मालिक को वेतन देने के लिये विवश नहीं कर सकती। उसके पास कोई ऐसी विधि नहीं है जैसी कि तेल प्रदूषण के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये इस समय बनाई जा रही है। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है कि आलसन 20.000 मिलीटन तेल लाने वाले टैंकर को 50 पैसे प्रति टन की दर से 10.000/. रुपया देना पड़ता है। सरकार समझती है कि यह बिल्कुल औचित्यपूर्ण है क्योंकि बाद में कभी समुद्र तट पर अथवा हाई' समुद्र में तेल प्रदूषण हो सकना है जिसकी ओर सरकार इस विधि का प्रयोग करके ध्यान रखेगी लेकिन इस देश के 20,000 नाविकों के साथ क्या होता है। यदि उन्हें उनकी मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके पास क्या उपाय है उन्हें न्यायालयों की शरण में जाना पड़ता है और मुकदमा दायर करना होता है और न्यायालय के निर्णय की जिसमें वर्षों लग सकते हैं. तक प्रतीक्षा करनी होती है। सरकार ने उन नाविकों को मजूरी का भुगतान करने हेतु एक कोष बनाना ठीक नहीं समझा है जिन्हें जहाज स्वामियों द्वारा मजूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

इसी प्रकार इन 20,000 नाविकों में से अधिकांश नाविक अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं। एक नाविक समुद्र यात्रा के लिए जहाज स्वामी के साथ एक संविदा करता है जो पांच या 6: महीनों में समाप्त हो सकती है। समुद्र यात्रा के समाप्त होने पर संविदा समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात यदि वह दूसरी सविदा किसी के साथ करता है तो पुनः उसे रोजगार मिल जाता है। अन्यथा वह तब तक बेरोजगार रहता है जब तक कि उसे ऐसा कोई करार नहीं मिल जाता, कभी कभी 12 से 15 महीने तक बेरोजगार रह सकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ? इस देश के नाविक संगठित हैं कम से कम उनका एक वर्ग संगठित है और वे इस बात की मांग करते रहे हैं कि इस प्रयोजन के लिए एक कोष स्थापित किया जाए ताकि उनकी मजबूरन बेरोजगारी जिसमें की उनका कोई दोष नहीं है इस अवधि के दौरान उन्हे बेरोजगारी लाभ का कुछ भुगतान मिल सके। यद्यपि हमारे यहां 20,000 नाविक हैं हम उन्हें कम से कम वर्ष के इतने बड़े भाग के लिए उन सभी को रोजगार नहीं दे सकते। यह स्थिति है आज हमारे नौवहन उद्योग की ओर फिर भी वाणिज्यक नौवहन अधिनियम में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। सभी प्रकार के सरकारी संरक्षण के बावजूद हमारे नौवहन उद्योग ने अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि क्या अन्य कोई सरकार इतना अधिक ऋण देती है। हो सकता है, दूसरे देशों में अन्य ऐसे स्रोतों से ऋण प्राप्त हों जो हमारे देश के स्रोतों से भिन्न है जहां इस पर इस रूप में प्रतिबंध है कि यहां सरकार की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा में ऋण नहीं लिए जा सकते। माननीय मंत्री महोदय

द्वारा दिये गए आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि विश्व भर के 40,000 जल पोतों में से हमारे पास भव्य जल पोत हैं जिसका अर्थ है कि कुल विश्व नौवहन का एक प्रतिशत।

हमारे यहां 20,000 नाविक हैं जो भारतीय जलपोतों पर कार्य करते हैं और अन्य 10,0C0 से 11,CC0 तक नाविक विदेशी जलपोतों में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने कभी भी विदेशी जलपोतों में कार्य कर रहे भारतीय नाविकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया। संभवत: वे यह कह सकते हैं कि जहां विदेशी जल क्षेत्र में कार्य कर रहे अथवा चल रहे विदेशी जलपोतों का सम्बन्ध है उन पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन उन जलपोतों के भारतीय पत्तनों पर आने अथवा हमारे सीमा क्षेत्र मे से होकर गुजरते समय उन जलपोतों पर सरकार का नियत्रण होता है। इनके सम्बन्ध में भी सरकार ने कुछ नहीं किया है।

आपको स्मरण होगा कि फाकलेंड पर ब्रिटिश आक्रमण के समय इस बात का ही हल्ला मचा था कि ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रहे ब्रिटिश जलपोत भारतीय चालकों द्वारा चलाया जा रहा था। दो या तीन दिन पहले समाचार पत्रों में यह समाचार आया कि उम जलपोत में अभी भी भारतीय चालक वर्ग कार्य कर रहे हैं और उन्हें इतने निम्न स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं जैसीकि शायद ही कभी दुनिया ने देखी हों क्यों कि ब्रिटिश लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक के दिनों औपनिवेशिक के वैभव के दिनों को दोहराना चाहते हैं जबकि ये साहब लाई की भांति रहा करते थे और भारतीय लोग गुलामों की तरह रहते थे। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है कुछ नहीं।

इसके बाद जहां तक भारतीय नौवहन के विकास का सम्बन्ध है यह बहुत बड़ी सीमा तक दो बातों पर निर्भर करेगी जिनमें से पहली है निर्यात व्यापार में वृद्धि। निसन्देह माननीय नौवहन मंत्री का उससे सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारतीय निर्यात-कर्ता किस सीमा तक भारतीय जहाजों में निर्यात करने को बाध्य लेते हैं। विश्व के वे सभी देश जिनके पास मर्चेन्ट नौसेना है और जो अपने मर्चेंट नौसेनिक लेने को बढ़ावा चाहते हैं उन पर कानून अथवा किसी न किसी रूप में समझौते के माध्यम से इस बात की वाध्यता होती है कि वे अपने निर्यातों अथवा अपने निर्यातों का पर्याप्त प्रतिशत 50 प्रतिशत या इससे अधिक उनके आने जहाजों द्वारा किया जाना चाहिये। अंकटाड ने भी उन देशों द्वारा इस प्रकार का उपाय अपनाए जाने की सिफारिस की है जोकि अंकटाठ के सदस्य हैं। अंकटाड ने 40 प्रतिशत सामान राष्ट्रीय जहाजों से ले जाए जाने की सिफारिश की। लेकिन भारत ने अभी तक उस सिफारिश को लागू नहीं किया है और अभी तक उस आशय का कोई कानून नहीं बनाया है जिससे कि आज भारत का निर्यात जो विदेशों को किये जा रहे हैं और राजसहायता प्रदत्त निर्यात विदेशी व्यापार जहाजों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। भारतीय जहाज स्वामियों को जिनको कोष से नौवहन उद्योग विकास कोष अथवा इस कोष को जोभि नाम दिया जाए यह कोष किसी जहाज के खरीद मूल्य का 90 प्रतिशत के लगभग धनराशि प्रदान करता है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है भारतीय माल ले जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए. जहाज मालिकों पर इस बात की बाध्यता अवश्य होनी चाहिए कि वे भारतीय मूल्य के माल का कुछ प्रतिशत हो जाए। लेकिन इस प्रकार की बाध्यता लागू की गयी है और इससे भारतीय जहाज मालिक एक विदेशी बन्दरगाह से दूसरे

विदेशी बन्दरगाह तक विदेशी माल ले जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और उससे विदेशी मुद्रा अर्पित करते हैं जो वे देश को प्रेषित नहीं करते अथवा अत्यन्त अल्पमात्रा में प्रेषित करते हैं। इससे उन्हें विदेशी मुद्रा के रूप में हुई अपनी आय को छिपाने का अवसर मिल जाता है जिन लोगों ने ऋण लिए हैं उन पर कोई बाध्यता/अनिवार्यता होनी चाहिये। यदि ऋण पर्याप्त मात्रा में लिया गया है जैसे कि उनके खरीद मूल्य का 90 प्रतिशत तो उन पर भारतीय मूल का माल पर्याप्त मात्रा में ले जाने की बाध्यता होनी चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 1950 में हमने अत्यन्त थोड़े से अपना कार्य प्रारम्भ किया था और आज हमारा बेड़ा यद्यपि यह विश्व के बेड़े का एक प्रतिशत है अभी कुछ अहमियत है। मैं समझता हूं यह 7·5 मिलियन के लगभग है

श्री सी. एम. स्टीफन : 6 मिलियन)

श्री अमल दत्त : ठीक है यह 6 मिलियन है मैं अपनी बातठीक किये लेता हूं। इसमें से 55 प्रतिशत पर अथवा इससे अधिक पर भी हो सकता है ये आंकड़े मैंने सम्भवत: गत वर्ष देखे थे राज्य उपक्रमों भारतीय नौवहन निगम तथा अन्य का स्वामित्व होता है। इसलिए नौवहन किये जाने की इस थोड़ी सी मात्रा पर जो कि गैर सरकारी जहाज मालिकों स्वामित्व में है आवश्यक अनुशासन लागू करना असभव नहीं है वास्तव में यह सरकार की क्षमता के अंतर्गत है और स्वयं को इसके साथ ही सरकार को स्वयं को भी अनुशासित करना चाहिये। भारत के सबसे बड़े निर्यातों में से एक है लौह अयसक और इसका नियातकर्ता है एक सरकारी उपक्रम खनिज तथा धातु व्यापार निगम उसका बड़ा भाग जापान को निर्यात किया जाता है और गत 15 वर्षों में एक औंस भी भारतीय जहाजों में निर्यात नहीं किया गया है। क्या इस निगम को यह निर्देश देना सरकार की क्षमताओं के अन्तर्गत नहीं था कि उसे (निगम को) एक समझौता करना चाहिये कि भारत से निर्यात किएजाने वाले लौह अयस्क का 50 प्रतिशत भारतीय जहाजों से भेजा जाए; उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस आधार पर जापान को कि वह बाजार में हमारे माल का खरीददार है, प्रसन्न रखने के लिए सरकार ने हर बात खनीज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए जाने हेतु छोड़ दी हैं। इसलिए जापानी ही इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि किस जहाज से लौह अयस्क का निर्यात किया जयेगा। लेकिन हमेशा ही ऐसी बात नहीं रही है। आज से अथवा गत एक या दो वर्षों से ऐसी बात हो सकती है लेकिन चार पांच या दस वर्ष पहले से ऐसी बात निशचित हीं नहीं थी ऐसी कोई दलील नहीं है जो ऐसी समीक्षा का आधार बन सके जिससे उस समय सरकार स्वयं का बचाव कर सके जबकि उस पर इस बात हेतु अपने सुझाव का उपयोग न करने का आरोप लगाया जाता है कि कुल मिलाकर भारतीय माल भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया जाये और उन भारतीय जहाज मालिकों पर जिन्होंने जहाज खरीदने के लिए सरकार से ऋण लिए है भारतीय माल को ले जाने के लिये बाध्य किया जाए अन्यथा जब कभी नौवहन उद्योग में मदी आती है तो वहां चूक होगी और वहां चूक होती है तो सरकार को लिए गए ऋणों की पुन: अदायगी का पुन: कार्यक्रम बनाना होता है। केवल गत वर्ष 65 करोड़ रुपए की पुन: अदायगी का पुन: कार्यक्रम बनाया गया है जिससे पर्याप्त मात्रा में व्याज की हानि हुई है। जहां तक नौवहन विकास ऋण का सम्बन्ध है इसमें उस दर की तुलना में दर अत्यन्त कम है जिस दर पर उद्योग को ऋण दिया जाता है। यह सब नौवहन के विकास के सम्बन्ध में नौवहन के नियंत्रण और नियमन के सम्बन्ध में इसके निर्यातों और निर्यातों पर राजकीय अर्थसहायता के सम्बन्ध में और

नौवहन विकास कोष के सम्बन्ध में कि यह वहाँ कैसे और किन शर्तों के अन्तर्गत दिया जाता है जिन्हें उधार लेने वाले द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए समुचित नीति बनाने में सरकार की असमर्थता के कारण है । ये सब बातें इस अधिनियम में शामिल की जानी चाहिए ।

मेरी टिप्पणी है कि जहां तक इस अधिनियम और मौजूदा संशोधन का सम्बन्ध है। कुछ भी आपत्ति करने योग्य नहीं है । इसे शामिल किया जा सकता हैं । लेकिन मैं मंत्री महोदय से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वे इस अधिनियम में और संशोधन लाये । मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल करते हुए एक व्यापक विधेयक लाया जा सकता है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1982 का समर्थन करता हूं । हमारी शिपिंग ट्रांसपोर्ट की जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है । दूसरे कन्ट्रीज के मुकाबले में जितना कार्गो हमको ले जाना चाहिए और जितनी आमदनी हमारे देश को होनी चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे हैं । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बताया कि दुनिया में जो 40 हजार वेसल्स हैं उनमें हमारे पास केवल 404 हैं यानी केवल एक परसेन्ट । इसलिए इस देश में ज्यादा से ज्यादा शिप्स बढ़ाए जाने चाहिए ताकि कम से कम अपनी चीजों का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसको ढोने से जो आमदनी होती है उसको हम प्रोक्योर कर सकें और वाणिज्य पोत परिवहन के आर्थिक विकास को गति दे सकें । ऐसा करना नितान्त आवश्यक है और अभी मंत्री जी जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उससे इसमें कुछ बढ़ोत्तरी होने की गुंजायश नजर नहीं आती है । एक टन पर पचास पैसे की दर से सरकार टैक्स लगाने जा रही है । अगर किसी वेसल में 20 हजार टन भी तेल या दूसरा सामान आता है तो दस हजार रुपया कर के रूप में उसमें उपलब्ध हो सकेगा । इस प्रकार जो पैसा उससे निश्चित रूप से शिपिंग ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा । आज तक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी । आपने खास तौर से जो इस बिल प्रावधान किया है, वह समुद्र के पानी में बढ़ रहे पोल्यूशन को दूर करने के लिए किया है । इसके लिए भी यह आवश्यक है कि इसमें कुछ न कुछ इस प्रकार प्रावधान करना चाहिए, ताकि इस पोल्यूशन को रोका जा सके और एक अच्छा वातावरण बन सके । इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है ।

मैं खास तौर से इसमें जो कमियां हैं, उन कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जैसा कि मेरे से पूर्ववक्ता ने कहा कि शिप्स के अन्दर कार्गो में जो आदमी काम करते हैं, आफिसर्स काम करते हैं या मजदूर काम करते हैं, उनके संबंध में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जो प्राइवेट वैसल्स हैं, उनमें खास तौर से कोई व्यवस्था नहीं है । जो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से व्यवस्था चलती है, उसमें समय पर उन लोगों को काम भी मिलता है और पैसा मिलता है । मगर प्राइवेट पार्टीज की शिप्स में जो काम करते हैं, उनके लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं है । उनके लिए सिर्फ 5-6-7 या आठ महीने का कान्ट्रैक्ट होता है । इस कानून में उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । क्यों कि मजदूर छः महीने खाली रहता है और उसको कोई अन्य काम नहीं मिलता है, तो वह किस प्रकार अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करेगा । हर क्षेत्र में मजदूरों को राहत देने की कोशिश कर रहे

हैं। मजदूरों को मजदूरी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम वेज फिक्स करते हैं, डेज फिक्स करते हैं कि उनको इतना काम करना है। इसलिए इन लोगों के क्षेत्र में भी कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए, ताकि वे लोग भी हर सुविधा का लाभ उठा सकें। जो अन्य कारखानों में उन के विकास के लिए, वैलफेयर के लिए फैसिलिटीज दी जाती हैं, इन शिप्स में काम करने वाले लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जितने भी शिप्स में काम करने वाले लोग हैं, उनके सी. पी. एफ. और ई. एस. आई. के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए अन्य लेबर लांज हैं, लेकिन इन लोगों के लिए इस कानून के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि छः-छः महीने तक लोग शिप्स के अन्दर बाहर जाते हैं। उनके पीछे उन के परिवार की देखभाल, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के संबंध में, कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। आपने केवल पचास पैसे प्रतिटन का टैक्स लगा दिया है और वह भी सिर्फ वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए। मगर इन फैसिलीटीज को उपलब्ध कराने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आपको टैक्स लगाना चाहिए। इस प्रकार का टैक्स लगा कर आप उन लोगों के लिए भी फैसिलीटीज उपलब्ध करा सकते हैं। इस संबंध में निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वेलफेयर के संबंध में और साधन उपलब्ध कराने के संबंध में माकूल प्रावधान किए जाने चाहिएं।

फिशिंग के संबंध में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन हजारों नाविक लोग छोटी-छोटी नावों द्वारा रात-दिन यही धंधा करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने से वे किस तरीके से अपना व्यवसाय ठीक तरीके से चला सकेंगे। बड़े वैसल्स या जहाज जो व्यापारिक दृष्टि से यह काम करते हैं, उनके ऊपर निश्चित तरीके से यह पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो छोटे-छोटे लोग इस व्यवसाय से अपना पेट पालते हैं उनको आप इस कानून के शिकजे में मत जकड़िए। हालांकि इसमें छूट दी है कि उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन रिकार्ड मेंटेन किया जाएगा, उनके संबंध में जानकारी एकत्र की जाएगी कि कितने लोग इस प्रकार का धंधा करते हैं। यह सारा जो प्रावधान आपने किया है उससे उनको जकड़ने का तरीका बन जाएगा और उससे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह का प्रावधान उनके लिए नहीं करना चाहिए।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं देश में शिपिंग ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। हमारे यहां से जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, वह हमारे वैसल्स के अंदर जाए। इससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी। अभी एक माननीय सदस्य ने आयरन ओर का जिक्र किया था कि 50-100 बरष से बराबर इसका निर्यात किया जा रहा है और यह विदेशी वैसल्स के अंदर जाता है। इस आमदनी को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपनी ट्रेड का एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एक शर्त यह भी शामिल की जानी चाहिए कि यह सामान हमारे वैसल्स में जाएगा। इससे काफी फायदा होगा और हमारा जो यह व्यवसाय पिछड़ा हुआ है दूसरे देशों के मुकाबले में उसमें सुधार लाया जा सकेगा। अगर हमको दुनियां के माहौल में जिन्द रहना है तो इस व्यवसाय को सशक्त बनाना आवश्यक है। प्लान्स में ज्यादा अलाटमेंट करके इसको मजबूत बनाया

जाना चाहिए। यह हमारे सिोर्सेस का बहुत बड़ा भाग बन सकता है। देश को ऊपर उठा सकता है। इससे देश की आमदनी बढ़ सकती है। इसलिए सारी व्यवस्थाओं को माकूल तरीके से करना आवश्यक है।

इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने जो कानून संदन में प्रस्तुत किया है, इस आशा के साथ कि आपके नेतृत्व में यह व्यवसाय दिन प्रति दिन उन्नति करेगा, मैं इसका समर्थन करना हूं।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : भारतीय जहाजरानी परिवहन कानून में जो संशोधन लाया गया है वह बहुत छोटा सा है। समय आ गया है जब इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

आप जानते ही है कि अन्य राष्ट्रों के मुकाबले हमारा जहाजरानी परिवहन बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है। प्रारम्भिक अवस्था में होने के कारण इस में तक्लीफें और परेशानियां विशेष रूप से हमारे नागरिकों की और मजदूर भाइयों की अधिक होती हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिये, यह मेरा आग्रह है।

जितनी कोई दिक्कत होती है उस को दूर करने के लिए हम संशोधन ला कर और उसको आगे बढ़ा कर काम चला लेते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि गम्भीरता से इस कानून पर विचार करके संशोधन लाए जाएं ताकि हमारे देश को जो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह उठाना न पड़े।

सभापति महोदय, मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार का घाटा हमें हो रहा है। आपने पढ़ा होगा समाचारपत्रों में कि पिछले तीन वर्ष में वाणिज्यिक पोतों के प्राइवेट मालिक इन पोतों का बीमा करते हैं, उन में पत्थर इत्यादि भर कर उनको समुद्र में लाकर डुबो देते हैं। उनको इस बात की चिन्ता नहीं रहती है कि इस कारण से श्रमिकों और नाविकों की मौत भी हो सकती है। उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। पिछले वर्ष इस प्रकार से एक वाणिज्यक पोत डबोया गया था जिसमें 35 अधिकारियों और नाविकों की मृत्यु हो गई थी उसके बारे में बहुत कुछ लोक सभा में भी कहा गया था और समाचारपत्रों में भी छपा था। परन्तु कानूनी चौखट में से ये लखपति और करोड़पति साफ बच निकलते हैं और कोई मार्ग नहीं मिलता है उन से निपटने का। मेरा सुझाव है कि कानून इस प्रकार से बनाया जाए ताकि इस प्रकार अधिकारियों और नाविकों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मौका इन प्राइवेट पोतों के मालिकों को न मिले।

पिछले चार महीने का किस्सा मैं आपको बताता हूं। किस प्रकार लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। बम्बई की डाक में भोजा मैरिनर एक विदेशी कम्पनी का जहाज आधी डूबी हुई हालत में विक्टोरिया डाक में पडा है चूंकि विक्टोरिया डाक में वह घुस गया था इसलिए आज भी चार महीने के बाद भी विक्टोरिया डाक नम्बर चार काम की हालत में नहीं है। साथ में लगता हुआ पांच नम्बर का डाक भी अन्य पोतों के काम में नहीं आ रहा है। इसी विदेशी कम्पनी का एक जहाज मोजा मैरिनर एफ वर्ष प्रिंसस डाक्स में हमारे अधिकारियों ने इसलिए रोके तखा है कि आधा डूबा जहाज जो है उसका खर्चा, *क्रेन का*

किराया, डैमरेज आदि का रुपया वसूल किया जा सके। कुल मिलाकर तीन डाक्स में जिस जहाज को कैद कर दिया गया है वे तीनों डाक्स आज चार महीने से बेकार पड़ी हुई हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 64 लाख 60 हजार उस जहाज पर हमारे शासन का उधार हो गया है चाहे वह हायर के रूप में हो या क्रेन चार्ज के रूप में हो और प्रतिदिन बीस हजार की इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मजदूर नेता श्री कुलकर्णी ने इस मामले में शासन को एक पत्र भी लिखा हुआ है। देश को रुपयों के रूप में नुकसान तो हो ही रहा है परन्तु तीन तीन डाक्स पर बाहर के जहाज आकर न तो माल उतार सकते हैं और न ही नया माल भर सकते हैं और उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस वास्ते इस मामले पर विचार कर अगर कानून में संशोधन की जरूरत महसूस की जाती है तो वह किया जाना चाहिये।

मद्रास पोर्ट की बात को आप लें। वहां सारा कारोबार एक प्राइवेट कम्पनी के द्वारा आज तक किया जा रहा है। यहां भिन्न भिन्न कारखानों का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किए जाने की बात की जाती है परन्तु मद्रास पोर्ट आज भी एक प्राईवेट एजेंसी के द्वारा रन की जा रही है जोकि अपने आप में एक अजीब बात है। इस पर तुरन्त विचार होना चहिये और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को इसको हस्तगत कर लेना चाहिये और इस काम के लिए अगर कानून में परिवर्तन करने की जरूरत्त हो तो वह भी किया जाना चाहिये। जैसा मैंने कहा मजदूरों के हित की, नाविक जो गुलाम हैं, उनके हित की वात उतनी होती हैं जितने का मामला सामने आज आया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि मंत्री जी चाहते हैं कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो तो वह एक समिति बनायें जिसमें इस सारे कानून की जांच की जाय ताकि लाखों करोड़ों रुपये की जो क्षति भारत को होती है, हमारे नाविकों को जिस प्रकार लूटा जाता है, उस नुकसान से हम बच सकें। यही मैं कहना चाहता हूं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं आपको हमारा अध्यक्ष बनने हेतु सहमत होने के लिए बधाई देता हूं ··

सभापति महोदय (श्री वी. एन. गाडगिल) धन्यवाद

प्रो. एन. जी रंगा : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमें इसे बहुत समय पहले ले आना चाहिए था। एक बहुत बड़ी कमजोरी जिससे हमारा देश पीड़ित है वह है वाणिज्यिक नौपरिवहन का क्षेत्र। नौपरिवहन स्वयं बहुत अविकसित अवस्था में है। हम इसका विकास करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय पूर्व कुछ जलास्युओं के कारण किसी न किसी प्रकार कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई और हमारे लोग संकोची हो गए और हम इसमें ढीले पड़ गए।

मेरे माननीय मित्र, श्री स्टीफन साहब हमारे पत्तनों की व्यवस्था करने के बारे में बोल रहे थे तभी उसके लिए उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास पर्याप्त उपकरण, जहाजों सहित मूलभूत ढांचा नहीं है जबकि शेष विश्व में, विशेषकर पश्चिम तथा जापान के पास बहुत जहाज हैं और वहां मन्दी चल रही है तथा हमें अधिक से अधिक जहाज चाहिए। अतः क्या हमारे लिए यह सर्वोत्तम संभावित समय नहीं होगा कि हम उन देशों से जितने अधिक जहाज संभव हो खरीद ले जोकि उनके पास फालतू पड़े हैं? लेकिन उन्हें किस प्रकार खरीदा जाए और किस धन से? वहां भी, यदि हमारी सरकार इस मामले में सावधानी बरते तो जिन देशों के पास

फालतू जहाज हैं उन्हे वे जहाज उधार तथा आसान किस्तों पर हमें बेचने पर सहमत किया जा सकता है। मुझे पता चला है कि यह संभव है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या योजना आयोग बीच में आएगा या नहीं। योजना आयोग द्वारा हमारे मंत्रालय के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु इन योजनाओं में जो भी प्रावधान किया गया है उसके अलावा मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन उनके साथ बातचीत करें और वह वर्तमान योजना, जिसे उन्होंने हमारे लिए बनाया है, की परिधि से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ समझौता करें और हमारी नौसेना के लिए यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में जहाजों की व्यवस्था करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है इस लिए नहीं कि तेल से समुद्र को प्रदूषित होने से रोकने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व हमने सदन में चर्चा की थी कि किस प्रकार विभिन्न देश, ऐसे देश जो कि बहुत दूर हैं जैसे कि जापान, हमारे मत्स्य क्षेत्रों में चोरी छिपे मछली पकड़ने के लिए जहाज भेजते हैं, जिसके कारण केरल के समुद्री किनारों के लोगों को उनके द्वारा इस प्रकार चोरी छिपे मछली पकड़ने के कारण कठिनाई होती है। हमें बताया गया है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जहाज नहीं हैं जो हमारे समुद्र पर निगरानी रख सकें और इन लोगों को चोरी छिपे मछली पकड़ने से रोक सकें। अतः, इस संबंध में तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है और मैं अपने माननीय मित्र श्री स्टीफन से चाहूंगा कि वह न केवल मंत्री के रूप में अपने प्रभाव का उपयोग करें वरन राजनीतिक प्रभाव का भी उपयोग करें और यह देखें कि हम योजना आयोग पर इस ओर दबाव डाल सकने योग्य हों कि जो देश अपने जहाज बेचने के इच्छुक हैं और ऐसा आवश्यक समझते हैं उनसे बातचीत कर सकें ताकि हमारी समुद्री सीमा की निगरानी रखने के लिए हम बड़ी संख्या में जहाज खरीद सकें। अन्यथा अधिक से अधिक समुद्री क्षेत्रों को हमारी समुद्री सीमा माने जाने देने के लिए अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है। यदि समुद्री सीमा को जो हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत मानी जाती है, तट से 30 से 50 अथवा 70 मील तक बढ़ाया जाता है और यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जहाज नहीं है तो हमें किस बात की संतुष्टि मिलेगी। मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र इस दिशा में विचार करें।

यदि हम ऐसा करते हैं, तब हम अन्तराष्ट्रीय दायित्वों जो कि प्रदूषण के संबंध में हमने स्वीकार किए हैं, को निभाने योग्य हो सकेंगे। हम, हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के काम में लगे हुए अपने लोगों की सेवा भी कर सकेंगे। हम वाणिज्यिक नौपरिवहन तथा नौसेना के संबंध में भी शीघ्रातिशीघ्र न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने में भी समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, माननीय श्री एस. के. पाटिल ने 1958 में जब इस बिल को मूव किया था तो उन्होंने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में कहा था —

"हम भारत को एक सामुद्रिक देश बनाना चाहते हैं।"

प्रो. मधु दंडवते : आप जबकि व्यक्ति सदन में नहीं है, सदन में क्या हुआ उसका संदर्भ नहीं दे सकते हैं। वह इस संसार में भी नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था अतः मैंने यह कहा। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि हमारे पास 404 जहाजों का फ्लीट है, मैं यह जानना चाहता हूं

कि 24 वर्षों के बाद इंडिया को मेरीटाइम कन्ट्री बनाने में कितनी प्रगति आपने कर ली है? क्या इसका कोई लेखा-जोखा आपके पास है और वह बतायेंगे ?

उस समय नम्बर आफ शिप्श 39, कोस्टल ट्रेड में लगे हुए, 84, ओवरसीज में लगे हुए, 55, कुल 178 का टोटल 1958 में जहाजों के सम्बन्ध में था। अब 24 वर्षों में आप 226 की प्रगति कर पाये हैं, अगर आप 404 का अपना फिगर सही मानते हैं।

भारत की तटीय रेखा लगभग 4 हजार मील लम्बी है, उसके हिसाब से कितने जहाज चाहियें, कितना कार्य हमको करना चाहिये, कितना माल ढोने की क्षमता का हमें उपयोग करना चाहिये क्या लक्ष्य आपने बनाये और उसमें कितनी प्रगति हुई यह सब भी इस बिल के साथ आप बता देते तो अच्छा होता। क्योंकि 24 वर्षों के बाद इस सदन को यह जानने का हक है कि 1958 में बिल पास करने के बाद आपने भारतवर्ष को एक मैरीटाइम कंट्री बनाने में क्या तरक्की की, जो आपका लक्ष्य था, जिसकी आपने घोषणा की थी और की जानी चाहिये थी।

मैं अब भी इस व्यू का हूं, यद्यपि यह बिल जिस समय 1958 में प्रस्तुत किया गया था, उस समय ज्वायन्ट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें काफी परिवर्तन किया गया था। 461 धाराओं का यह एक्ट बना था, लेकिन आज भी 24 वर्षों के बाद जो इनकी प्रगति हुई है, उन धाराओं से अधिक लाभ हमको नहीं मिल पाया। इसलिए हम पिछड़ गए हैं। इस कानून को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए इसे फिर से जायंट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए था, ताकि एक बार ही इसमें व्यापक संशोधन किए जाते और एक काम्प्रिहैंसिव बिल हमारे सामने लाया जाता।

जहाजरानी, मर्चेन्ट नेवी, किसी राष्ट्र का जीवन और आत्मा है। जिस तरीके से हम रेलों रोड ट्रांसपोर्ट और वायु-सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे समुद्री यातायात के साधनों का विकास नहीं हो रहा है। गोआ, मजगांव और अन्य डाक्स में हम वे सुविधाएं मुहैया नहीं कर पाए हैं, जिनसे जहाजों का निर्माण या मरम्मत जल्दी हो सके।

अभी गोआ डाक को देखने का मुझे मौका मिला था। वहां पर हमें बताया गया कि किसी सबमैरिन को वहां खड़ा रखने पर हमें एक लाख रुपया प्रति-दिन देना पड़ता है। मान लीजिए कि हम एक जहाज बना रहे हैं। दूसरा जहाज बनाने के लिए वहां स्थान नहीं है और इस लिए एक ही जहाज का अगला, पिछला और बीच का हिस्सा बनाने में बहुत समय लगता है। यद्यपि मजगांव डाक में दो तीन जहाज बनाने की सहूलियत हैं, लेकिन देश की आवश्यकता के हिसाब से अगर हम वहां पर दस पंद्रह जहाज एक साथ बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करेंगे, तो मर्चेन्ट नेवी के सम्बन्ध में हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो सकेंगे।

हमारे देश को फिशिंग बोट्स की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फिशिंग बोट्स बनाने में भी हमें बहुत देर लग रही है। फिशिंग एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे यहां जो नई नावें बनाई गई हैं, उन्हें बनाने में बहुत देर लग रही है और उनकी संख्या भी बहुत कम है। अगर हम फिशिंग का विकास करें, तो यह देश का सबसे बड़ा पैसा पैदा करने का साधन, आमदनी का जरिया, हो सकता है। गोआ में पाचुंगीज ने जो किला बनाया था, उसके सामने अरब सागर है।

हमें बताया गया कि उसमें मछली का सबसे बड़ा भंडार है और जापान और जावा-सुमात्रा के जहाज वहां से हमारी मछली पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन आज तक हम उनका एक भी जहाज या नौका नहीं पकड़ पाए हैं। इतनी दूर से वे हमारी मछली चोरी कर के ले जाते हैं। उसमें से हम मछली नहीं निकाल पाते हैं। मछली निकालना तो दूर रहा, हम अपने समुद्र की रक्षा भी नहीं कर पाए हैं। और ऐसा कई स्थानों पर होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मछली के एक्सप्लोरेशन के लिए आप जो नावें तैयार कर रहे हैं उसमें जल्दी करें। मुझे बताया गया है कि इन नौकाओं के द्वारा समुद्र के ऊपर से ही बता दिया जाता है कि कितनी गहराई पर मछली हैं। ये बहुत अच्छी नौकायें हैं फिशिंग एक्सप्लोरेशन वाली, इनकी तादाद हमें जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के लोग हमारे यहां आकर हमारी मछलियां चोरी कर ले जायें। कोई एक मिनट में तो वे मछलियाँ पकड़ नहीं लेते होंगे, उसमें टाइम लगता होगा। फिर हमारी पुलिस क्या करती है? जैसा कि रंगा जी ने कहा है, काफी पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी इसलिए इस तरफ भी मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। यद्यपि आपने जो पहले का ऐक्ट है, उसमें सीमेन के लिए, समुद्र पर रहने वाले नाविकों तथा अफसरों के लिए कुछ प्राविजन किया है लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आपको इनके लिए एक श्रमिक कल्याण निधि स्थापित करने की आवश्यकता है। सीमेन लेवर वेलफेयर फंड जैसी कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं शहर में, गांव में नौकरी करना, भूमि पर नौकरी करना और एक मायने में हवाई सेवा में नौकरी करना आसान है लेकिन जो हमारी मर्केन्टाइल नेवी है, वाणिज्य जहाजरानी का जहां तक ताल्लुक है, इसमें लोगों को महीनों अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। उनका घर-बार छूट जाता है, कोई बीमार हो जाए, मर जाए या उनका घर गिर जाए या उनकी जमीन पर कोई नाजायज कब्जा करले फिर भी वे जल्दा वापिस लौट नहीं सकते हैं। वे जहाज पर महीनों यात्रा करते हैं। कोई 6 महीने, तो कोई साल भर और कोई डेढ़ साल के बाद अपने घर लौटता है इसलिए उनके लिए आपको विशेष सेवा और सेवा में सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे आसानी के साथ बिना किसी दुःख और तकलीफ के अपनी ड्यूटी दे सकें। इतना ही नहीं, आपको उनके लिए विशेष कानून बनाकर उनकी सम्पत्ति तथा उनके घर वालों की सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करना चाहिए ताकि निर्भीक होकर वे अपनी ड्यूटी पर लग सकें तथा इस देश की सेवा कर सकें। इस प्रकार से वे देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा देश का व्यापार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। जैसा कि हमारे एक मित्र ने भी सुझाव दिया है, बम्बई के बन्दरगाह पर कम से कम दो दर्जन जहाज डूबे अथवा अधडूबे पड़े हुए हैं, क्या उनको हटाया नहीं जा सकता है, क्या उनकी सफाई नहीं की जा सकती है, क्या उनको हटाने के लिए कान्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है या उनको निलाम नहीं किया जा सकता है? उनके वहां पर ऐसी स्थिति में पड़े होने से आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। उन जगहों को देखने में अच्छा नहीं लगता है। क्या आप इन जहाजों का सर्वे करायेंगे, चाहे वे जहाज मद्रास में पड़े हों या किसी भी बन्दरगाह पर पड़े हों। ये उल्टे पड़े रहते हैं। इनमें से कुछ सामान निकाल

ले जाने के लिए लोगों को टैण्डर इंवाइट करते हैं या नहीं या उनके पड़ा रहने की कोई अवधि है. जिसकी वजह से वे पड़े रहते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस काम को करने में बहुत खर्चा होगा, मगर वहां की सफाई करना भी तो हमारा कर्तव्य है। बम्बई के बन्दरगाह पर चार-पांच मील के फासले पर बहुत सारे जहाज इसी तरह से खड़े रहते हैं। इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब वहां पर जहाजों के आने में परेशानी होगी, कष्ट होगा। इसकी सफाई कराने का अभियान तो आपको कराना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी एक बार फिर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें श्रमिकों के सम्बन्ध में, उनकी सुख-सुविधाओं के संबंध में एक बिल लायेंगे और उसको ज्वाइंट कमेटी को भेजेंगे। और फिर उनकी रिकमेंडेशन्स के आधार पर एक अच्छा सा बिल लाकर इस देश की मर्चेन्ट नेवी के उत्थान के लिए और उनकी सुख सुविधाओं को पूरा करें।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय समुद्री जल के दूषण के लिए शुल्क या उपकर वसूली के संबंध में इस संशोधनकारी विधेयक को बहुत पहले ले आया जाना चाहिये था। लेकिन फिर भी अब विधेयक ले आया गया है और मेरा सुझाव है कि इसे तुरन्त प्रभावी बनाया जाना चाहिये और राजस्व के आकलन तथा वसूली को उचित तौर पर किया जाना चाहिए।

प्रदूषण के प्रश्न पर बहुत लंबे समय से चर्चा की जा रही है समुद्रीय जल के प्रदूषण के अलावा यह आवाज भी उठती रही है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों और विभिन्न उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण भी बहुत है लेकिन इस प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

मैंने यह देखा है कि उपकर केवल वाणिज्यक पोत परिवहन के लिए निर्धारित किया गया है और कुछ सीमा तक मत्स्य नौकाओं के लिए भी अन्य पोतों नामत: नौसेना तथा अन्यों से उपकर की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वे भी समुद्र में तेल को छोड़ते हैं। उस पर भी विचार होना चाहिये।

फिर यदि समुद्र में तेल छोड़ना आवश्यक है तो क्या यह इसकी जांच करना उचित नहीं होगा कि समुद्र में तेल छोड़ने के बजाए बेकार तेल का संग्रह करके अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए। मुझे अत्याधिक प्रसन्नता होगी कि यदि यह बताया जाए कि कभी छोड़े गए तेल का संग्रह करके उसका शोधन कर अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं जनाना चाहूंगा कि क्या उसका उपयोग अन्य प्रकार से हो सकता है। तेल गिरने से समुद्री जल प्रदूषित होने के अतिरिक्त इसके प्रदूषित होने के और भी कारण हैं, विशेषकर बम्बई शहर में बहकर मैला समुद्र में चला जाता है क्या इसका समुद्री जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ? लगभग सभी समुद्र तटीय शहरों में मैला आदि बहकर समुद्र में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हमें बताया गया है कि आगरा में अम्ल तथा अन्य मैला नदी के जल में मिल जाते हैं और इससे आगरा स्मारक को क्षति पहुंचने का खतरा है। नदी के जल में भी बहुत सारी गंदगी, अम्ल और सभी किस्म के मैले मिल जाते हैं और बहकर समुद्र में जा मिलते हैं। अत: हमें केवल तेल से होने वाले प्रदूषण

को ही नही देखना है बल्कि नदी के जल के साथ बहकर जाने वाली शहरों की सभी किस्म की गंदगी की ओर भी ध्यान देना है। अतः बेहतर यही होगा एक किस्म के प्रदूषण की ओर ध्यान देने के साथ-साथ अन्य किस्म के प्रदूषण जो,के स्मारकों को सही पहुंचाने के अतिरिक्त अन्त में समूह में जा मिलते हैं की ओर भी ध्यान दिया जाए प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के अतिरिक्त रसायन तथा अन्य तेल प्रदूषण सदस्य हमारे मछली उद्योग को भी नुकसान पहुंचाते हैं समुद्र तथा नदी जल में प्रदूषण से होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर मेरा सुझाव है कि हमें केवल चुंगी तथा शुल्क ही वसूल नहीं करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि क्षति पहुंचाने वाली चीजों को रोका जा रहा है। इसके लिए कुछ कार्यवाही की जनी चाहिए।

मछली उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव के अतिरिक्त गंदगी तेल आदि से होने वाले प्रदूषण से समुद्र तटीय शहरों में रहने वाले लोगों की जीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस बात पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे लोगों पर इन प्रतिकूल प्रभावों को कैसे कम किया जाए।

महोदय नमक समुद्र जल से बनता है क्या ऐसे जहरीले प्रदूषण से समुद्र जल से बनाने वाले नमक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए।

महोदय इस विधेयक में केवल चुंगी तथा शुल्क वसूल करने की प्रक्रिया को ही दिखाया गया है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इस धनराशि का प्रयोग कैसे किया जाएगा और इस राजस्व को किन कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें इसका उल्लेख नहीं है। इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस राजस्व से इस क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के लोगों का क्या लाभ मिलेगा और तेल तथा अन्य गंदगी से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इस राजस्व को किस प्रकार खर्च किया जाएगा।

महोदय इस विधेयक पर मुझ से पहले दो से अधिक व्यक्ति बोल चुके हैं। उन्होंने यहां आने वाली जापानी नौकाओं और जहाजों से किए जाने वाले नुकसान और यहां मछली निकालने के बारे में बताया है। महोदय हमारी समुद्री सेवा में उनके प्रवेश पर कोई रोक लगाई जानी चाहिए। जो अवैध रूप से हमारी समुद्री सीमा में घुसते हैं और मछली पकड़ते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए. वास्तव में इस प्रश्न पर अलग से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि विदेशी विशेषकर जापानी यहां घुसकर मछली पकड़ते हैं इसलिए यह जरूरी है कि उन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

महोदय तेल प्रदूषण करने वालों से जो भी चुंगी या शुल्क लिया जाये उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से मिलने वाले राजस्व का वहां के रहने वाले लोगों तथा प्रदूषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वालों की भलाई के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

महोदय यह विवादास्पद विधेयक नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि राजस्व प्राप्त करने में यह किस हद तक लाभप्रद सिद्ध होगा।

महोदय मंत्री महोदय पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सी नौकाओं का कोई हिसाब नहीं है और धीरे धीरे इनका हिसाब रखा जाएगा। और धीरे धीरे यह कार्य किया जाएगा *यह किया*

जाना चाहिये मैं चाहता हूं कि छोटी नौकाओं को बेकार में परेशान न किया जाए अत. अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मछुओं को इससे छूट दी जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा (जामनगर) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और मुझे खुशी है कि मुझ से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है ।

विधेयक बहुत विस्तृत है और विपक्ष ने इसका अध्ययन किए बिना इसका विरोध किया है । उन्होंने देश के समुद्री इतिहास की चर्चा की है । उन्होंने यह भी बताया कि खराब तथा साफ मौसम में उद्योग कर्ताओं जहाजों के मालिक और नाविक किस प्रकार रोटी रोजी कमाते हैं हमें अपनी जहाज कम्पनियों पर गर्व होना चाहिए पिछले दशक में सारे विश्व में मंदी का दौरा चला है प्रत्येक समुद्री देश में कुछ सिपिंग कम्पनियां बन्द हो गई और कुछ दिवाला निकल गया । केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें मंदी के कारण एक भी जहाज पर तालाबन्दी हुई हो । हमने जहाजों के मालिकों और जहाजों तथा शिपिंग कम्पनियों को चलाने वालों पर गर्व है ।

परन्तु आज कल हमें मंदी का सामना करना पड़ रहा है । मंत्री जी से हमें अनुरोध करना चाहिये कि ऐसे मौके पर अपनी शिपिंग कम्पनियों को उबारने के लिए उनकी सहायता की जाए हमें आधारभूत विकास पर गर्व है । भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और सारे विश्व से आधुनिक उपस्कर मंगाए जा रहे हैं । परन्तु यह कार्य रातों रात नहीं किया जा सकता परन्तु किये जा रहे विकास को देखते हुए मुझे विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में भारतीय पत्तन विदेशों तथा देश के जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य हो जाएंगे।

नाविकों का उल्लेख किया गया है । मुझे उन नाविकों के साथ हमदर्दी है जो मारे गए हैं या विदेशों में बेसहारा हैं । परन्तु मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बात किसने कही है क्या उन्हें पता है कि क्या उन नाविकों को भारत में भर्ती किया गया था या ये वे नाविक हैं जो अपनी मर्जी से विदेश चले गए और उन शिपिंग कम्पनियों में भर्ती हो गए जिन पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ? भारतीय स्वामित्व वाली कुछ ऐसी शिपिंग कम्पनियां हैं जहां ऐसे नाविक मुसीबत में हैं ।

परन्तु क्या हम अपनी जहाज रानी कम्पनियों में नाविकों की भर्ती और प्रशिक्षण देने पर और नियंत्रण करना चाहते हैं ? क्योंकि उन्हें नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । यदि हम इन्डियन मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग शिप -"राजेन्द्र" में भर्ती के लिए आवेदकों की संख्या देखें तो पता चलेगा कि अधिक से अधिक व्यक्ति इसमें नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं । हमारी आज की मांग होनी चाहिये कि केवल नाविकों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी और अधिक ऐसे प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए ।

तेल प्रदूषण की समस्या विश्व के सभी देशों में है विकासशील देश किसी भी जहाज से तेल की एक बूंद भी बेकार नहीं जाने देने चाहते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर भार दण्ड लगाया जाता है ।

यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था । आज लाए जाने वाले विधेयक का हम

स्वागत करते हैं। लेकिन क्या हमारे पत्तन वहां आने वाले पोतों की जरूरतों के अनुसार ढाले गए हैं ? हम कह सकते हैं कि हम फालतू पदार्थों को समुद्र में बहाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन क्या हमारे पत्तनों में सुविधाएं हैं ? उदाहरण के लिये बम्बई पत्तन को ही लीजिए : बम्बई पत्तन में 40,000 मजदूर हैं। इन मजदूरों की आवश्यकता पूरी करने के लिये वहां पर्याप्त पेशाब घर नहीं हैं। आप नौवहन कम्पनियों को अपने पेशाबघर तथा स्नानघर बन्द कर देने के लिए कैसे कह सकते हैं और यह कैसे कह सकते हैं कि पत्तन क्षेत्र में रहने के दौरान उनका इस्तेमाल न किया जाए। हमें उनके लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। लेकिन इन सभी बातों के होते हुए भी इस प्रदूषण रोधी विधेयक को जो काफी समय पहले आ जाना चाहिये था लाया जाना चाहिये और इसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिये। हमें इस विधेयक का लाभ उठाकर नौवहन कम्पनियों को तंग नहीं करना चाहिये। लेकिन उन्हें पूर्ण सुविधाएं देने के बाद ही हमें इस विधेयक को अधिक कड़ाई से लागू करना चाहिये।

जहां तक मत्स्य पोतों और यात्री पोतों का प्रश्न है यह एक अच्छी बात है कि हम उन्हें पंजीकृत करवाना चाहते हैं यह एक अच्छी बात है कि हम उनका सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं ये अनिवार्य कार्य है। लेकिन क्या हमारे पास जनशक्ति है ? क्या हमारे पास सर्वेक्षण और निरीक्षण करने के लिए कर्मचारी हैं ? क्या यह हमारा अनुभव नहीं है कि यद्यपि हमने कार्यालय खोले और अधिकारियों की भर्ती के लिए अनुमति दी लेकिन हमारे पास तकनीकी विशेषता नहीं है, हमारे पास ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिनसे यह आशा की जाये कि वे भारत में उपलब्ध इन पोतों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करें क्योंकि उन्हें यहां जो परिलब्धियां मिलती हैं जो वेतन मिलता है जो सुविधाएं मिलती हैं वे नितान्त न्यूनतम हैं उन्हें जो कुछ विदेशों में मिलता है उसके साथ कोई तुलना नहीं है। पहले हम अपने कार्यालयों में उन तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करें तभी इन विनियमों को कार्यान्वित किया जाये।

मैं जानता हूं कि व्यावहारिक कारणों से एक सेलिंग पोत के निरीक्षण में 8-10 महीने का विलम्ब हुआ था। सेलिंग पोत अथवा मत्स्य नौका एक छोटे व्यक्ति के पास होती है। इस व्यवसाय में समूचा परिवार कार्य करता है और यदि उन्हें 6-8 महीने तक प्रतिक्षा करनी पड़े तो यकीनन इस विधेयक से जिसे हम अपने मत्स्य पोत उद्योग और सेलिंग पोत उद्योग को विनियमित करने के लिए ला रहे हैं इन उद्योगों को हानि होगी।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक काफी समय पहले ही आ जाना चाहिये था और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसे लागू करने से पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग इसे कार्यान्वित करेंगे उनके दिमाग न चढ़ जाये क्योंकि यदि हम उन्हें सभी शक्तियां दे देंगे और सेलिंग पोतों अथवा मछेरों अथवा नौवहन कम्पनियों के हितों को नहीं देखेंगे तो हम जिन लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए यह सेवा उनके हितों के प्रतिकूल होगी।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, तेल प्रदूषण से जो नुकसान की बात है वह सही बात है। इस बिल को तो बहुत पहले ही आना चाहिए था। यह बड़ी जटिल समस्या है खास तौर पर आप कलकत्ता पोर्ट को देखेंगे तो वहां की स्थिति इतनी भयानक है कि जब तेल प्रदूषण की बात आती है तो उसका प्रभाव गंगा नदी पर पड़ता है और काफी लम्बे इलाके

को वह कवर कर लेता है। आपका बिल अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा यह विचारने की बात है। एक माननीय सदस्य बता रहे थे आपके कर्मचारी और अधिकारी कितना इस पर अमल करते हैं यह सोचने की बात है। तेल प्रदूषण करने वाले अपराधियों पर जो पैनाल्टी लगाने की बात कही गई है इसको और बढ़ाया जाना चाहिये, अन्यथा इससे समुद्री जीवों की काफी क्षति होती है जो देश की क्षति है।

जहां तक मछली पकड़ने वाली बात है या मछली पकड़ने वालों के रजिस्ट्रेशन की बात है यह सही है। लेकिन एसा बिल लाते जो हम पढ़ते हैं कि दूसरी जगह के नाविक आ कर मछलियां मार रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आये दिन जो लंका, या अन्य देशों के लोग हमारी समुद्री सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं उस पर रोक नहीं लगेगी। उनको रोका जाना चाहिये। यह जो अवैध व्यापार चल रहा है, इसको बन्द होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

रजिस्ट्रेशन में एक खामी यह है कि जो मछली मारने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां रजिस्ट्रेशन वाली बात आती है तो रजिस्ट्रार के आफिस में उनको बड़ी धांधलियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए इस बात पर भी नजर रखी जाय जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो।

एक बात इन्होंने कही है। असम्यक विदेशी हस्तक्षेप से भारतीय पोत परिवहन के हितों के सरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार में शक्तियों का विनिधान" आप करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। आप विदेश हस्तक्षेप को कैसे रोक लेंगे अपना यह कोई प्रावीजन या कानून बनाकर ? यह तो आपको अपने एटीट्यूड को अडाप्ट करना होगा।

जब आपके पोत विदेशों में जाते हैं. अनावश्यक रूप से उनको हैरेस किया जाता है। आपकी एम्बेसी के लोग और आपकी सरकार तब उस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब विदेशी पोत यहां आते हैं और प्रदूषण करते है, तो कोई दिलचस्पी सरकार रखती है ?

कानून बना लिया, लेकिन उसके बाद अगर कोई गौर नहीं किया कि जो हमारे मर्चेन्ट शिप्स विदेशों में जाते हैं, वहां उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, दस्तावेज मांगे जाते हैं, यह बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है।

आप कोई प्रावीजन अपने यहां बना लें, उसका क्या असर पड़ता है ? अगर आप में शक्ति है तो वह प्रकट करें कि इस मामले में सरकार दिलचस्पी रखती है तब उनको प्रोटेक्शन मिलता है नहीं तो यह कानून कानून की किताबें में ही बनकर रह जायेगा, आपका इससे कोई फायदा होने वाला नही है।

अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सी. एम. स्टीफन : महोदय, चर्चा के उत्तर में मुझे कोई अधिक नहीं कहना है क्योंकि जहां तक विधेयक का प्रश्न है, इसका प्रत्येक ने स्वागत किया है। जैसी कि मेरी आशा थी, इस विधेयक पर कोई विवाद नहीं है। शिकायत यह थी कि यह काफी समय पहले आ जाना चाहिए था। खैर, न आने से विलम्ब से आना बेहतर ही है। अतः विधेयक प्रस्तुत कर

दिया गया है और जब हम इसे लाये हैं, तो इसे कार्यान्वित करने के आशय से लाए हैं क्योंकि इसकी जरूरत महसूस की गई थी।

कुछ मित्र यह मांग कर रहे थे कि अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए। वास्तव में मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक के संबंध में और अधिक व्यापक होने से क्या अभिप्राय है। जहां तक मैं समझता हूं इस संशोधन से मर्चेंट शिपिंग एक्ट, इतना व्यापक और अद्यतन बन गया है जितना कि इसे होना चाहिए।

जिस पद पर आज श्री जादेजा कार्य कर रहे हैं, अर्थात् राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के चेयरमैन के पद पर, मैंने भी कुछ समय के लिए कार्य किया है। उस समय यह प्रस्ताव था कि इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु विस्तार से विचार किया जाए और यह मामला विचाराधीन था। इस कार्य में मैंने लगभग दो वर्ष लगाए। मैंने इस आशा से इसकी गहराई से जांच की कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मैं कोई ऐसी चीज तैयार करके जाऊं जो राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के चेयरमेन के रूप में मेरे कार्यकाल की एक यादगार बनी रहे। मैंने विभिन्न देशों में इसी तरह के अधिनियमों की जांच की। मैंने बर्तानियां में इस अधिनियम से संबंधित उस देश की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की और इस पर विस्तृत कार्य करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अधिनियम में कोई ज्यादा संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसी अनुभव के आधार पर मैंने प्रारम्भ में ही यह कहा था कि इस विषय पर यह विधेयक अत्यधिक व्यापक विधायनों में से होगा और इस अधिनियम के वर्तमान प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखा गया है। इसमें, विभिन्न प्रकार की नौकाओं का ध्यान रखा गया है, नौवहन कम्पनियों के वितपोषण का ध्यान रखा गया है, पंजीकरण का ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, नाविकों का ध्यान रखा गया है, उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी का ध्यान रखा गया है, इस अधिनियम में इन सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। अतः इसे और अधिक व्यापक बनाने की कोई गुंजाईश नहीं रह गई है।

यह एक अच्छी बात है कि इस पर चर्चा हुई, है क्योंकि मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि अनेक सदस्य नौवहन उद्योगों की समस्याओं के प्रति सतर्क हैं अथवा जानकारी रखते हैं, अपने देश के नौवहन बेड़े के विकास की आवश्यकता को जानते हैं, जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने अपने देश को प्रथम स्तर का सामुद्रिक राष्ट्र बनाने की बात कही है। हमारा लगभग 54,00 किलोमीटर लम्बा समुद्र तट होने के नाते यह नितान्त आवश्यक है, यह अनिवार्य है कि हम एक सामुद्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित हों, जैसा हमें होना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नौवहन ही एक मात्र क्षेत्र है जहां हमने एक छोटे से काम चलाऊ ढांचे से शुरूआत की थी। 1947 में जब हमने शुरूआत की थी तो यह उद्योग नकारात्मक स्थिति में था। हमारे दूरदर्शी नेताओं ने जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने समूचे मामले की जांच करने और यह सुझाव देने के लिए कि नौवहन को कैसे विकसित किया जाए, एक अति सुविज्ञ और अति सक्षम समिति गठित की थी, क्योंकि यह कोई सरल कार्य नहीं था। नौवहन एक जोखिम भरा साहसिक कार्य है जिसमें काफी धन निवेश करने की जरूरत होती है। इसे अन्तरराष्ट्रीय होड़ में चलाना पड़ता है। नौवहन उद्योग मात्र अपनी स्वयं की लाइनें

होने से जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो नौभार हम उपलब्ध करा सकते हैं वह हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तक सीमित होता है। अतः नौवहन बेड़े के विकास की पृष्ठभूमि में, अपने बेड़े को बताए रखने के मामले में, कई बाहरी बातें हैं जो पूरे उद्योग में प्रभाव डालती हैं और इस क्षेत्र में बहुत सा धन निवेश करना होता है जो पूर्वानुमानित नहीं होता तथा साथ ही जोखिम भरा होता है। यही कारण है कि समिति ने इसकी जांच की। उन्होंने बहुत सी सिफारिशें की जिनको तत्काल कार्यान्वित किया गया था।

उन सिफारिशों का एक परिणाम यह निकला कि नौवहन विकास निधि समिति बनाई गई। इसे गठित किया गया भारी मात्र में धन इस समिति की निधि में दिया जाता है। उससे हम लोगों को आगे आने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारतीय नौवहन निगम तथा मुगल लाइन्स-दो मुख्य और भीमकाय सरकारी क्षेत्र-उभर कर आए हैं। हमारे देश की कुल पोत परिवहन लाइनों (शिपिंग लाइन्स) में से लगभग 60 प्रतिशत पर उनका अधिपत्य है।

जब हम यह कहते हैं कि हमें तटवर्ती राष्ट्र के रूप में अपना विकास करना है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि कुछ जहाज प्राप्त कर लो और उन्हें चलाते रहो। आपको वे जहाज बनाने की अपनी क्षमता विकसित करनी होगी, अपने पत्तन विकसित करने होंगे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना होगा तथा ऐसे नाविक और विशेषज्ञ तैयार करने होंगे जो उन जहाजों को चलायें। आपको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतियोगिता करनी होगी। कोई भी तटवर्ती राष्ट्र तब तक लम्बे समय तक ऐसा राष्ट्र नहीं बना रह सकता जब तक कि यह अपनी आवश्यकतानुसार जहाजों का निर्माण करने की क्षमता न रखता हो। जहाजों का उत्पादन करने का मतलब है कि जो इस्पात आपको चाहिए उसका उत्पादन करने की क्षमता हो, इंजन आदि बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी आपको चाहिए उसे विकसित करने की क्षमता आप में हो। ये सब साधन हमारे पास नहीं हैं। हमें जहाजों के लिये जिस प्रकार का इस्पात चाहिये वह हमारे पास नहीं है। इसका आयात करना होगा इन सब बातों के बावजूद, अपना बेड़ा स्वयं विकसित करने की अपनी चिन्ता के कारण हमने दो बड़े जहाज निर्माण (शिपबिल्डिंग) यार्ड स्थापित किये हैं। मजगांव गोदी आदि के अतिरिक्त हमने हिन्दुस्तान शिपयार्ड और कोचीन शिपयार्ड बनाये हैं। हमने प्रत्येक जहाज मालिक पर यह प्रभार डाल दिया है कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जहाज खरीदने की अनुमति दिये जाने से पहले वह उनको क्रयादेश दे। इस निर्माण क्षमता को बनाये रखने के लिए वह दूर-दृष्टि है। हमें इसका निर्माण करना होगा। हम इसे बहुत बड़े स्तर पर निर्मित कर रहे हैं। जब हम यह कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के कुल जहाजों में से एक प्रतिशत जहाज हमारे पास हैं तो हम यह बात भूल जाते हैं कि यह संख्या कोई कम नहीं है हमारी संख्या अन्य राष्ट्रों की तुलना में पन्द्रहवीं है। हमने काफी प्रगति की है।

नाविकों के बारे में उल्लेख किया गया था। उनकी अपनी समस्याएं हैं। भिन्न-भिन्न उद्योगों में प्रत्येक श्रमिक या कर्मचारी की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। वह समस्या अन्य उद्योग के श्रमिक की समस्या के समान नहीं है। कुटीर उद्योग के श्रमिक की कोई अपनी अलग समस्या है। परम्परागत उद्योग के श्रमिक की भी अपनी अलग समस्या है। मत्स्य उद्योग के श्रमिक की अपनी अलग समस्या है और नाविकों की अपनी समस्या है जो केवल उनकी ही है। इसलिए

इसका ध्यान रखा गया है। यदि मजूरी के मामले में उनकी कोई समस्या है तो वह इस प्रकार से नहीं है कि वे अदालत में जाकर मुकद्दमा चलायें। परन्तु एक मात्र इस श्रमिक तो यह सुविधा दी गई है कि वह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाये, याचिका दायर करे, संक्षिप्त विचारण करवाये, पंचाट प्राप्त करे और इसे क्रियान्वित करवाये। एक मात्र इसी श्रमिक को यह सुविधा है कि इससे पहले कि वह जहाज पर रवाना होने के लिए हस्ताक्षर करे, जहाज मालिक को शिप-मास्टर के पास उसकी एक महीने की मजूरी जमा करानी होगी जो इसे अपने पास रखेगा। इसी श्रमिक को यह सुविधा है कि जब वह बाहर गया हो तो अपने परिवार को पैसे भिजवा सके। अतः जब श्रमिक बाहर जाने के लिए हस्ताक्षर कर देता है तो सरकारी अधिकारी शिपिंग मास्टर की संतुष्टि से समूची बकाया राशि का निपटान करना होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ऐसे कुछ मामले भी हुए हैं जिनमें चूक हुई है। यह एक समस्या है जिस पर हमें विचार करना है। यह सच नहीं है कि कोई कल्याण निधि नहीं है। एक कल्याण निधि है, यद्यपि यह बहुत बड़ी नहीं है। परन्तु यह बकाया राशियों के भुगतान करने के लिए नहीं है। एक कल्याण निधि है और उसके प्रशासन के लिए एक समिति है जिसमें भिन्न-भिन्न मजदूर संघों, के जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, के सदस्य हैं। वे कल्याण निधि को चलाते हैं। यद्यपि यह बड़ी नहीं है पर कल्याण निधि है अवश्य। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इन सब बातों को नोट कर लिया गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं।

ऐसी बात नहीं है कि हम इस बात के लिए विवश न करते हों कि 40 प्रतिशत माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाये। इस पर आग्रह किया जा रहा है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब भाड़े के संबंध में प्रतियोगिता होने लगती है तो स्वाभाविक ही है कि वे कम भाड़े पर मिलने वाले जहाज से माल भिजवाने की कोशिश करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के तरीके अपनाये जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे माननीय मित्र इस बारे में बोल रहे थे। हाल ही में जब सरकार ने कोरिया से कुछ सीमेंट का आयात करना चाहा तो, चूंकि उनका अपना निगम है इसलिए मुझे एक पत्र मिला है जिसमें कोरियाई जहाजों में आयात करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। सामान्यतया, इसे भारतीय जहाजों में आयात किया जाना चाहिए। कारण यह बताया गया है कि कोरियाई जहाजों में भाड़ा मामूली-सा कम है। अतः उन्होंने कोरियाई जहाजों में आयात करने की अनुमति मांगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ आर्थिक कारण होते हैं जिनसे ऐसा करना पड़ता है। परन्तु जहां तक संभव हो हम यह लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि आयात भारतीय जहाजों में किया जाये। साथ ही हमारे जहाजी व्यापारियों में ऐसी देश भक्ति की भावना होनी चाहिए कि वे अन्य देशों के जहाजों की तुलना में भारतीय जहाजों को प्राथमिकता दें। कुछ निर्णय किये गये हैं और उनको क्रियान्वित करवाया जा रहा है।

यदि हम समूची स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह ऐसी स्थिति है जिससे हमें खुशी होनी चाहिए कि थोड़ी सी अवधि में हमने स्वयं को तटवर्ती राष्ट्र के रूप में उभरने की उत्कण्ठा से मामूली स्तर पर आरम्भ करके आज लगभग 60 लाख टन जहाजरानी और 400 वाणिज्यिक पोत बना लिये हैं, जो समूचे देश में चलते हैं।

मैं अपने माननीय मित्र श्री जदेजा को बताना चाहता हूं कि जब यूनान तथा अन्य देशों

जैसे महान तटवर्ती राष्ट्रों ने अपने अनेक जहाज अलग रख दिये हैं वहां यह वाकई संतोष की बात है कि विश्व में हर प्रकार की मदी के बावजूद, माल की कमी के बावजूद, हमारे जहाज चल रहे हैं और एक भी जहाज अलग नहीं रखा गया है। जहाजों को अलग रखने की सामान्य प्रक्रिया से हम बहुत दूर हैं और इससे दूर ही रह रहे हैं।

ऐसी बात नहीं है कि हम आज कम मूल्य वाले जहाजों का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम इसका लाभ उठा रहे हैं। कुल टनभार क्षमता को गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र ने उसे उसके भाग के रूप में आबंटित हर मद खरीद ली है और यह खरीद करीब-करीब पूरी हो गई है। सरकारी क्षेत्र अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी खरीद करेंगे और लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा।

परीक्षा इस बात की नहीं है कि आपके पास कितने जहाज हैं, इस बात की भी परीक्षा नहीं है कि आपकी टनभार क्षमता कितनी है, परीक्षा इस बात की है कि आपको जितने जहाजों की आवश्यकता है उतने जहाज खरीदने की आपकी सही-सही क्षमता कितनी है, वाणिज्यिक पोतों और अन्तर्राष्ट्रीय बेड़े के बीच सही-सही समन्वय कैसा है, आपके पास जो जहाज और पत्तन हैं उनके आकार के बीच वास्तव में कैसा सह-संबंध है, नई प्रौद्योगिकी अर्थात् कन्टेनर प्रौद्योगिकी जो आ रही है, के अनुसार व्यापार करने में पत्तनों की वास्तव में क्षमता क्या है रेलों द्वारा कन्टेनरों में जो माल आता है, या वह जो कुछ भी है, घर-घर जाकर सेवा करने के लिए तेज ढंग से माल उठाने के लिए देश में जो आधारभूत ढांचा है उसकी वास्तव में क्षमता क्या है इस समय अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली रेल गाड़ियों में ढोये जा रहे कोयले या नमक को इस समय तटवर्ती क्षेत्र में चल रहे जहाजों द्वारा भेजे जाने में कैसा समन्वय है ताकि तटवर्ती पोत परिवहन बढ़ सके। यही वास्तविक परीक्षा है। एक ओर जहां तटवर्ती जहाजों को पर्याप्त माल नहीं मिलता वहां दूसरी ओर गाड़ियों में इतना अधिक माल ढोया जाता है जो इतना अधिक है मानों गाड़ियां टूट जायेंगी। फिर भी कोई भी माल जहाजों से भेजने के लिए तैयार नहीं है। अतः यह समन्वय स्थापित करवाया जाना है आवश्यकता इस बात की है कि हमारा तटवर्ती पोत परिवहन बना रहे, अन्तर्देशीय पोत परिवहन बना रहे। हमें विदेशों में अपनी गतिविधियों को बनाए रखना है। नौवहन के दो अंग हैं, एक हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न नौवहन तथा दूसरी दोतरफा व्यापार में संलग्न नौवहन जो अन्य देशों को जाते हैं और विदेशी व्यापार अथवा जहाज कंपनियों के साथ भारी प्रतियोगिता में जहां पर भी माल मिले उसको लाते हैं और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा इस प्रकार हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है।

नाविकों की बेरोजगारी का प्रश्न उठाया गया था। हाल ही में एक समिति का गठन किया गया था और उसने सिफारिश की है कि हर प्रकार का प्रशिक्षण बंद कर दिया जाये क्योंकि बहुत भारी बेरोजगारी है। इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारी संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उनको हम बाहर भेज सकते हैं प्रश्न यह है कि क्या हम उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दें ताकि वह हमारे जलपोत चलायें, मार्किट में जायें तथा अन्य नाविकों के साथ मुकाबला करें ताकि अपनी जीविका कमा सकें तथा देश में

विदेशी मुद्रा भेज सकें अथवा क्या हम अपने प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करदें ताकि जिसको प्रशिक्षण दिया जा चुका है उनको रोजगार मिल सके और तब बाद में फिर से प्रशिक्षण संस्थाओं को खोला जा सके। जो कुछ कहा गया है वह हल स्वयं प्रश्न है जो अब उठाया गया है और मेरे विचाराधीन है। उनको प्रतीक्षा करनी होगी। काफी संख्या में लोग हैं। हम सभी इन्जीनियरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं परन्तु हम सभी इन्जीनियरों को नौकरी का आश्वासन नहीं दे रहे। हम डाक्टरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं परन्तु हर एक को नौकरी का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। हम तकनीशियनों को प्रशिक्षण देते हैं परन्तु उन सब को नौकरी का आश्वासन नहीं दिया जाता। केवल प्रशिक्षण की सुविधा को देख कर यह नहीं समझा जाना चाहिये कि नौकरी मिलेगी। प्रशिक्षण शिविर को प्रतियोगिता के अन्तर्गत काम करना चाहिए। फिलिपाईन के नाविकों ने हमें मुकाबले में पीछे छोड़ दिया है। आज सिंगापुर के नाविक भी मुकाबले में हमें पीछे छोड़ रहे हैं। जहां तक विदेशी जहाजों का संबंध है विशेषकर ब्रिटिश जलपोतों में हमारे नाविकों की भरती कम हो रही है। यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मजदूर संगठनों के नेताओं को इस बात को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है विदेशी जलपोतों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और यह सुझाव दिया गया था कि जब जलपोत यहां पर आएं तो क्या हम उन पर कुछ शर्तें नहीं लगा सकते। यदि आप उन पर कुछ शर्तें लागू करेंगे तो पोत हमारे बन्दरगाहों को छूना बंद कर देंगे जैसा कि हमारे देश के कुछ बन्दरगाहों पर हो रहा है और इसका यह कोई इलाज नहीं है। एक सीमा तक ही हम कार्रवाई कर सकते हैं और यदि हम जलपोतों को रोकेंगे तो हमारा बढ़ता व्यापार बिखर जायेगा। यह ऐसा सुझाव है जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि आज कुछ बन्दरगाहों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसका कारण यह अदूरदर्शी नीति ही है जलपोत को एक दिन रोकने का अर्थ है लगभग एक लाख रुपये। यदि जहाजों को कुछ दिन तक रोका गया और उस पर मजदूर संगठन की मांग के अनुसार अपना ध्वज फहरा दिया गया तो वह कह सकेंगे कि हम तुम्हारे बन्दरगाहों पर नहीं जाएंगे। भारत में एक ऐसा समय था कि तीन बन्दरगाह थे परन्तु आज हमारे ग्यारह बडे बन्दरगाह हैं यदि किसी एक बन्दरगाह पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई तो वह जलपोत दूसरे किसी बन्दरगाह पर जाकर माल उतार सकता है और परिणाम यह होगा कि जलपोत हमारे बन्दरगाहों पर आना बन्द कर देंगे। इसका लाभ किस को होगा इस पर हमें विचार करना है। अतः इस प्रश्न पर विचार करते समय हमारे सामने विनियमन संहिता होनी चाहिये। यह भी विचार व्यक्त किया गया कि उनको उन कम्पनियों में जिनमें वे काम कर रहे हैं स्थायी क्यों नहीं कर दिया जाये। यह भी निश्चित रूप से ऐसा अच्छा प्रस्ताव है जिस पर विचार किया जा सकता है यदि नौवहन कम्पनियों के अधिकारी स्थायी हो सकते हैं तो नाविक भी स्थायी हो सकते हैं। और यदि उनकी नौकरी छूट जाती तो उनको कुछ प्रतिकारण (भत्त) दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा सुझाव है जो सरकारी नीति के रूप में घोषित नहीं है परन्तु यह एक ऐसा सुझाव है जिसको स्वीकार किया जा सकता है और मैं यह मामला जलपोत मालिकों के साथ उठाऊंगा।

अराजकता की इस स्थिति में अवश्य कुछ सुधार करना होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता

है तो आदयियों को रोजगार देता है और कोई आदमी किसी को निकालना चाहता है तो निकाल देता है और उपयुक्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है इस समय ऐसा ही हो रहा है इस संबंध में कुछ नियत्रण लाया जाना चाहिए ।

मुझे विषय और विधेयक से हटकर चर्चा करनी पड़ रही है क्यों कि इन वक्तव्यों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यहां पर व्यापारिक नौवहन अधिनियम हैं और एक सशोधन लाया गया है इसलिए नौवहन से किस प्रकार विकसित हो सकती है, इसे किस प्रकार विकसित हो सकती है, इसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करने के लिए और अपना दृश्टिकोण रखने के लिए प्रत्येक को अवसर दिया जाता है । जब मैं 1948 के बाद के समय को देखता हूं तो मुझे बहुत सन्तोष होता है जिस ढग से हमने विकास किया है जिस ढंग से हम आगे बढ हैं, जिन पत्तनों का इस बीच निर्माण हुआ है पोत निर्माण उद्योग का विकास हुआ है इस्पात उद्योग ने इसकी मदद में जिस ढंग से सहायता की है और जो जहाजी बेड़ा निर्मित हुआ है तथा जिन नाविकों को हमने प्रशिक्षण दिया है यह अपने पातों पर खड़े हुए महान समुद्रवर्ती देश की महान तस्वीर है और जिसने आगे बढ़ना शुरू किया है इसी प्रयास के कारण हम यह कहने का साहस रखते हैं कि हमारी जल सीमा और जल सीमा से भी अधिक हमारे देश के समस्त समुद्रतटीय सीमा में कोई भी विदेशी जहाज चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो किसी को भी अपना तेल वहां पर छोड़ने और हमारी सीमा को प्रदूसित नहीं करने दिया जायेगा क्यों कि हमारा देश एक समुद्रवर्ती राष्ट्र है । जिसने अपने इर्दगिर्द के क्षेत्र को स्वच्छ रखना है और निगरानी रखने के मामले में जहां तक हमारी क्षमता अनुमति देती है, हम ऐसा करेंगे क्यों कि हमारे पास अपनी क्षमता है ।

मुझे खुशी है कि इस विधेयक में इन संशोधनों को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में पूर्ण सहमति है और सभी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है हम अवश्य ही उन सभी सशोधनों की जांच करेंगे जिन्हें हम लागू करेंगे ।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं, मेरे दोस्त ने कहा है कि बम्बई के समुद्री क्षेत्र में चार जहाज डूब गए हैं, यह सच है कि वहां कुछ जहाज डूबे हैं लेकिन इससे हमारे नौवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । ऐसा सुझाव दिया गया था कि इसे हटा क्यों न दिया जाय ? इसको उठाने और हटाने पर होने वाले व्यय की धन राशि से मैं एक पत्तन का निर्माण करवा सकता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शान्ति से पड़े रहें। मैंने केवल यही नीति अपनाई है मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी

प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 2 से 17 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई, ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए, ।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

" कि विधेयक पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

" कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रबड़ (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम रबड़ (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

यह बहुत साधारण सा विधेयक है। यह कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का उपबंध करता है । यदि अध्यक्ष प्रशासनिक अनुभव प्राप्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है, तो यह आवश्यक नहीं कि कार्यकारी निदेशक भी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही हो । परन्तु यदि अध्यक्ष अंशकालिक है तो कार्यकारी निदेशक रखना जरूरी हो जाता है और यह विधेयक इसी प्रकार का उपबन्ध करता है ।

मुझे आशा है कि सभा के सभी सदस्यों द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा और इसका समर्थन किया जाएगा ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

" कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री एस मुरूगैयन ।

***श्री एस. मुरूगैयन (तिरूपत्तुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वाणिज्य

---

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

मंत्री द्वारा पुरःस्थापित रबड़ (संशोधन) विधेयक पर मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह एक छोटा सा विधेयक है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि रबड़ बोर्ड में कर्मकारी निदेशक की नियुक्ति द्वारा रबड़ नीति में किस प्रकार से आमूल परिवर्तन होगा।

अब मैं प्राकृतिक रबड़ के अंधाधुन्ध आयात पर आता हूं। यह तर्क दिया गया है कि स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ का मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए सरकार प्राकृतिक रबड़ के आयात का सहारा ले रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का एक मात्र हल होना चाहिए। हम प्राकृतिक रबड़ का आयात करके अपने दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधनों को व्यर्थ में खर्च नहीं कर सकते। यदि मांग पूरी करने के लिए देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन पर्याप्त नहीं है तो, जैसा मैंने अभी कहा था, उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिएं। आयातित प्राकृतिक रबड़ पर हम कब तक निर्भर रहेंगे? फिर रबड़ उत्पादक देशों में भारी मात्रा में उत्पादन होने के कारण प्राकृतिक रबड़ बहुत कम मूल्यों पर उपलब्ध है। परन्तु, राज्य व्यापार निगम आयातित प्राकृतिक रबड़ को स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के समान मूल्यों पर बेचता है। इसका कारण क्या है? प्राकृतिक रबड़ की मूल्य नियंत्रित करने का उद्देश्य राज्य व्यापार निगम द्वारा निष्प्रभावी किया जा रहा है। माननीय मंत्री को इसकी भी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे पहले देश के अन्दर प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं और फिर प्राकृतिक रबड़ के आयात को कम से कम सीमा तक कम किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में रबड़ बोर्ड ने कौन से कदम उठाने का विचार किया है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हमारे पास कृत्रिम रबड़ बनाने की इकाई है। यह 1977 में हमारे देश में स्थापित पथ-प्रदर्शक इकाई है। फिर उद्योग मंत्री ने टायर निर्माताओं को सलाह दी कि वे उन्हें अपनी रबड़ की आवश्यकता का 30% भाग इस इकाई द्वारा उत्पादित कृत्रिम रबड़ से पूरा करना चाहिए। सरकार कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के प्रयास में लगी इस स्थानीय इकाई को प्रोत्साहन देना चाहती थी। दुर्भाग्यवश अब टायर निर्मित इकाइयां इस इकाई द्वारा उत्पादित कृत्रिम रबड़ के 4 परसेंट भाग का उपयोग कर रही है। वे कृत्रिम रबड़ का अन्धाधुन्ध आयात कर रही हैं और मुझे यह कहना है कि यह आयात न केवल स्वदेशी इकाई को बरबाद कर रहा है बल्कि हमारे दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधनों को भी व्यर्थ में खर्च कर रहा है। मुझे बताया गया है कि यह स्वदेशी कृत्रिम रबड़ निर्माण इकाई रूग्णता के कगार पर है। माननीय मंत्री को देश के अन्दर ही अधिक कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि इसके आयात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके। देश में उत्पादित सारे कृत्रिम रबड़ का उपभोग टायर उद्योग द्वारा किया जाना है।

मैं समझता हूं कि देश में उत्पादित प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रबड़ का भारी भंडार है। माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए और देश में उत्पादित प्राकृतिक

रबड़ और कृत्रिम रबड़ के उपभोग के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं। यदि आवश्यक हो, तो उनके आयात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

हाल ही में टायरों का मूल्य अनेक बार बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों के दौरान टायर निर्माता इकाईयों ने टायरों के मूल्य 18 गुना बढ़ा दिए हैं। इसका कारण क्या है? क्या मूल सामग्री इतनी मंहगी है जो उन्हें टायर के मूल्य बढ़ाने को विवश कर देती हैं? टायर इकाइयों का एक लागत अध्ययन किया जाना चाहिए। टायर के मूल्यों की ऐसी अन्धाधुन्ध वृद्धि से प्रभावित होने वाले लोग कौन से हैं? परिवहन लागतों के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, टायर के मूल्यों में वृद्धि के कारण परिवहन लागत बढ़ जाती है। यह एक दुःश्चक्र है। मैं माननीय मंत्री से इसकी जांच करने और टायरों के मूल्यों को नियन्त्रित करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बी. के. नायर (त्रिवलोन): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलते हुए मैं माननीय मंत्री के इस वक्तव्य से सहमति व्यक्त करता हूं कि यह एक बहुत साधारण विधेयक है। यद्यपि यह बहुत साधारण सा संशोधन लग सकता है, फिर भी इस संशोधन के परिणाम दूरगामी हैं और यह रबड़ बोर्ड को बहुत गम्भीर हानि पहुंचा सकता है।

रबड़ बोर्ड की स्थापना के उपाय के रूप में रबड़ अधिनियम, 1947 बनाया गया था और इसे कानून बनाया गया था। 1947 में, सरकार ने इसे रबड़ उद्योग के विकास के बहुत आवश्यक समझा था। रबड़ बोर्ड का कार्य रबड़ वनरोपण का सम्पूर्ण विकास करना था जो मुख्यतया केरल तक ही सीमित है। हम देश में रबड़ उत्पादन के लगभग 90% भाग का उत्पादन कर रहे हैं। अतः, यह देखना हमारे अपने हित में है कि रबड़ बोर्ड अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है।

यहां दिए गए वक्तव्य से रबड़ बोर्ड के कार्यचालन में किसी खराबी या त्रुटि का आभास नहीं मिलता है जो 30 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा है। यह बहुत अच्छी तरह काम करता रहा है, अतः इस संशोधनकारी विधेयक पर बोलते समय कुछ वक्तव्य अथवा कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था कि कमी कहां थी और इस संशोधन से, अध्यक्ष के कार्यों में सहायता देने वाले कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करके, सुधार कैसे किया जाएगा।

रबड़ बोर्ड में चार विभाग हैं अर्थात, अनुसंधान विभाग, विकास विभाग, संसाधन विभाग और प्रशासनिक विभाग। यह एक ऐसा वाहन है, एक गाड़ी है जो उस सभापति के साथ-साथ चार पहियों पर चलती है जो इसका प्रभारी हो। इस गाड़ी में पांचवां पहिया लगाने से, मैं समझता हूं कि, रबड़ बोर्ड को भारी क्षति पहुंचेगी और उसका सुचारू कार्यक्रम प्रभावित होगा।

मैं अब तक रबड़ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में बोल रहा था। मंत्री महोदय को हमें यह बताना आवश्यक समझना चाहिए था कि रबड़ बोर्ड किस क्षेत्र में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

एक और पहलू पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 1950-51 से 1979-80 तक के

30 वर्षों के दौरान रबड़ बागान का क्षेत्र 67,000 हेक्टर से बढ़ कर 257,000 हेक्टर हो गया, उत्पादिता बढ़कर 307 टन प्रति हेक्टर से 750 टन प्रति हेक्टर हो गई अर्थात, 100 प्रतिशत से अधिक और रबड़ का कुल उत्पादन 15,000 टन से बढ़कर 143,000 टन, अर्थात, लगभग 800 प्रतिशत हो गया। । अतः चाहे यह एकड़ों में क्षेत्र का मामला हो या उत्पादिता का मामला हो या कुल उत्पादन का मामले में हो, रबड़ बोर्ड का कार्यकरण अनुकरणीय रहा है और एक यह अन्य सभी जिन्स बोर्डों के लिये, जिनकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री महोदय करते हैं, एक आदर्श के रूप में होना चाहिये । उनके अधीन नारियल जटा बोर्ड है और चाय बोर्ड तथा काफी बोर्ड भी है । ये सभी उनके पर्यवेक्षण में हैं ।

इसके अलावा, यदि रबड़ बोर्ड का कार्यकरण कार्यकारी निदेशक नियुक्त करके सुधारा जा सकता है तो क्या वह अन्य बोर्डों के कार्यकरण में एसे ही निदेशक नियुक्त करके सुधार करने के बारे में सोचते हैं । मैं समझता हूं कि रबड़ बोर्ड के ढांचे में किसी नये शक्ति केन्द्र से इसके कार्यकरण में बाधा ही पड़ेगी । बोर्ड की सभी शक्तियां, कार्यकारी और प्रशासनिक, सभापति के हाथों में केन्द्रित है । सभापति की इन शक्तियों की यह परिभाषा है :

"सभापति बोर्ड के समुचित कार्यकरण और निर्णयों के क्रियान्वयन तथा अधिनियम के अन्तर्गत कर्त्तव्य-पालन के लिये उत्तरदायी है । सभापति बोर्ड का प्रधान कार्यकारी अधिकारी है और उसे बोर्ड के सभी विभागों तथा कार्यालयों पर कार्यकारी नियन्त्रण रखना होता है ।"

इसके बाद विवरण दिया गया है । विनियोग लेखों के महत्वपूर्ण पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं । अतः अब सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सभापति में निहित है । यदि सभापति के अतिरिक्त कार्य करने हेतु आप एक और कार्यकारी निदेशक नियुक्त करते हैं तो सभापति को अंशकालिक आधार पर नियुक्त करना होगा जिसका मतलब यह हुआ कि शक्ति सभापति के हाथों में होगी और उत्तरदायित्व कार्यकारी अधिकारी के हाथों में । अतः शक्ति और उत्तरदायित्व के बीच पूरा परिवर्तन है और मैं एसी स्थिति के बारे में सोचता हूं कि यदि कार्यकारी अधिकारी में कोई अहम् भाव का हुआ तो वह सभापति, जो अन्यत्रवासी सभापति भी है, के आदेशों का पालन करने से इन्कार कर देगा । वह दूर है मुझे यह मालूम नहीं है कि उनके हित क्या हैं । सभापति को लाकर क्या हित पूरे किये जायेंगे ? बोर्ड के ढांचे के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित हित आते हैं । बोर्ड में प्लान्टर है । निर्माता भी बोर्ड में हैं । इसमें उपभोक्ता हैं । जनसेवक हैं । संसद सदस्य हैं । उन सभी लोगों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपरोक्त बागान के उत्पादन से सम्बन्धित हैं । व्यक्तिगत झगड़े के अलावा कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करके और आप क्या करेंगे ? सभापति एक ओर जायेगा तो कार्यकारी अधिकारी दूसरी ओर जायेगा । हमें उद्योग में इस प्रकार का अनुभव हुआ है । सभापति हावी होने की कोशिश करेगा । कार्यकारी अधिकारी कहेगा, "मैं वह आदमी हूं जिसका उत्तरदायित्व है ।" इस प्रकार का झगड़ा अवश्यम्भावी है और उससे रबड़ बोर्ड का गौरवपूर्ण कीर्तिमान, जो उसने अब तक स्थापित किया है, समाप्त हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति के अलग कृत्य होंगे और कार्यकारी अधिकारी के अलग ।

श्री बी. के. नायर : वे एक जैसे ही होंगे । मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा । इस समय सभापति

द्वारा किये जा रहे प्रशासनिक, कार्यकारी और अन्य कृत्यों को करने के लिये पूर्णकालिक आधार पर एक कार्यकारी अधिकारी आवश्यक होगा।

सभापति की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनमें झगड़े अवश्य होंगे क्योंकि उसके बाद शक्ति में परिवर्तन होंगे और बोर्ड का सुचारू कार्यकरण, जिसका हमारा अब तक का गौरवशाली कीर्तिमान है, बिगड़ जायेगा। दो केन्द्र क्यों रखे जायें ? एक ही गाड़ी के दो पहिये क्यों लगाये जायें। उनमें टकराव होगा। ऐसा मेरा डर है। समस्याएं हैं। ऐसे भी तरीके हैं जिनसे बोर्ड के कार्यकरण में सुधार किया जा सकता है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि समस्याएं हैं। परन्तु यह तरीका नहीं है। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति से किसी भी तरीके से स्थिति में सुधार नहीं होता परन्तु स्थिति में अन्य तरीकों से सुधार किया जा सकता है। समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बात छोड़ गया हूं।

गत दो-तीन वर्षों के दौरान बोर्ड केवल अर्द्धकालिक सभापति से चल रहा था। इलायची बोर्ड का सभापति रबड़ बोर्ड के सभापति के लिये अपना समय और शक्ति बटा रहा था। जब किसी बोर्ड में अर्द्धकालिक सभापति कार्य कर रहा हो तो आपप दो सभापति थोप रहे हैं। निश्चय ही गड़बढ़ की संभावना रहेगी।

मेरा सुझाव यह है कि यदि आप बोर्ड के कार्यकरण में और भी सुधार करना चाहते हैं तो स्थायी सभापति से आरंभ कीजिए। अर्द्धकालिक सभापति क्यों रखते हैं ? ऐसा सभापति क्यों रखते हैं जो अपना समय इलायची बोर्ड और रबड़ बोर्ड दोनों में बाँटता हो ? पूर्णकालिक सभापति रखिए। इसके अलावा कुछ और भी कृत्य हैं। रबड़ बोर्ड ने $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ के क्षेत्र में वनरोपण आरंभ किया था और टनों उत्पादन हुआ था। रबड़ बोर्ड के सभापति को किस प्रकार की शक्तियां और सुविधाएं दी जाती हैं ? रबड़ बोर्ड के सभापति की वितीय शक्तियां बहुत ही सीतित हैं। यहां तक कि बोर्ड की शक्तियां भी सीमित हैं।

भारत सरकार ने बोर्ड को वितीय शक्तियां और सुविधाएं देकर इसके कार्यकरण को सुविधाजनक नहीं बनाया है और यह तीस वर्ष पुरानी प्रथा अभी भी प्रचलित है। कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। फिर भी व्यक्तिगत कार्यों का प्रभार किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। कर्मचारियों, कामगारों की गतिविधियों की देखभाल करने के लिये कोई नहीं है और समूचा उत्तरदायित्व सचिव और सभापति को वहन करना होता है। इसमें सुधार ऐसा पूर्णकालिक कार्मिक निदेशक नियुक्त करके किया जा सकता है जो कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने और उनकी शिकायतों का उत्तर देने के लिये उत्तरदायी हो।

मैं एक और पहलु पर बोलना चाहता हूं और वह है अनुसधान विभाग। बोर्ड में उनका बहुत कुशल अनुसंधान विभाग है जिसमें 100 कर्मचारी हैं। सुविख्यात लोग तथा अन्य वैज्ञानिक हैं। यह उनके प्रयासों से ही हो सकता है कि रबड़ की उत्पादिता 20 वर्षों में ही 200 पौंड प्रति एकड़ से बढ़ कर 700 पौड प्रति एकड़ हो गई है जो देश के किसी भी कृषि अनुसंधान निकाय का सबसे अधिक गौरवयुक्त कीर्तिमान है। परन्तु इस गौरवपूर्ण कीर्तिमान के बावजूद उनके वेतन और वेतनमान ऐसे ही अनुसंधान निकायों में दिये जा रहे वेतनमानों से बहुत कम हैं। कहते हैं

कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक आदर्श कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। परन्तु ये लोग वेतन और परिलब्धियों में उनसे बहुत पीछे हैं।

रबड़ बोर्ड के सम्बन्ध में एक और पहलू यह है कि रबड़ के हजारों एकड़, रबड़ का वनरोपित क्षेत्र अब भी रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत आये बिना ही पड़ा हुआ है क्योंकि वहां जाने के लिये, जंगलों में जाने और सर्वेक्षण करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। न कोई वाहन है न कोई कर्मचारी, और न कोई सर्वेक्षण कर्मचारी तथा न ही कोई निरीक्षण किया जा सकता है और वृक्षारोपण स्वयं भी बिना पंजीकरण के ठीक चल रहा क्योंकि बिना पंजीकरण के सुविधाये प्राप्त नहीं हो सकती हैं किन्तु वे दायित्व से भी मुक्त हैं। इसीलिये वे पंजीकरण की चिंता नहीं करते हैं। रबर पर उपकर लगाने से रबर बोर्ड को आय होती हैं। इसलिये जितने अधिक रबर का आप हिसाब रखेंगे उतना अधिक उपकर आप एकत्र कर सकते हैं और उसी के अनुरूप वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। भारत सरकार को उत्पादन शुल्क से लाभ होता है। राज्य सरकार बिक्री कर के कारण रुचि लेती है। सभी प्रकार के मुद्दे हैं। लेकिन, इस सबके बावजूद अपेक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण इस क्षेत्र को समाहित नहीं किया जा रहा है।

अन्य पहलू भी हैं छठी योजना में हमने एक रबर विकास योजना तैयार की है। इससे 60,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में वृक्षारोपण किया जा सकेगा। 60,000 हेक्टेयर भूमि की देखरेख करने के लिये 100 करोड़ रुपये के परिव्यय होने की संभावाना है। इसकी स्वीकृति 1980 में दी गई थी। इस योजना को इन दो वर्षों मैं परिचालित किये जाने का अनुमान है। आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि बोर्ड की न्यूनतम 140 कर्मचारियों की मांग के बदले सरकार ने केवल 40 व्यक्तियों की स्वीकृति दी है और उन्हें 2 लाख कृषकों के साथ व्यवहार करना होगा। अपने पुराने वृक्ष के बदले वे नये वृक्ष लगाने तथा पुनः वृक्ष लगाने को उत्सुक हैं। 1980 में पुनः वृक्ष लगाने और नये वृक्ष लगाने के लिये हमारे पास 30,000 आवेदन-पत्र आये थे किन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण हम उन पर ध्यान तक न दे सके। 1981 में केवल 20,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार आवेदन पत्रों की सख्या कम हो रही है। क्यों कि रबर बोर्ड के कार्य की गति बड़ी धीमी है। इसलिये यदि बोर्ड को अपेक्षित कर्मचारी देकर बोर्ड के कार्यनिष्पादन में तेजी लाकर तथा उस पर प्रकाश डालेंगे तभी रबर उत्पादन योजना, रबर विकास योजना अधिक तेजी से कार्यान्वित की जा सकती है और तभी उसका परिणाम भी उत्तम निकलेगा।

इसके अलावा रबर बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने की मांग थी जो 2 वर्षों से अनिर्णित पड़ी है। 1980 में जब आपके पूर्वाधिकारी कोट्टायम आये थे तब एक बैठक में उन्होंने उनकी बोनस की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा था किन्तु मामला अभी तक अनिर्णित पड़ा है। तब से अब तक अनेकों ज्ञापन भेजे जा चुके हैं और उत्तर सदा यही होता है कि मामला विचाराधीन है। उनका कहना है कि अभ्यावेदन तो प्राप्त हो गये हैं। किन्तु इस पर प्रतिक्रिया भी है। रेलवे कर्मचारियों और डाक-तार कर्मचारियों को बोनस दिया गया। उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही है। बोनस पाने वाले व्यक्तियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन लोगों को थोड़ा बहुत लाभ होना चाहिये।

ओनम के त्योहार पर जो कि केरल का एक राष्ट्रीय पर्व है—एक महीने का अग्रिम वेतन दिया जाता है। नगर पालिका के कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को एक महीने का अग्रिम वेतन मिलता है। रबर उद्योग के कर्मचारियों को इसे देने से भी इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार के रवैये से हमें कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। मैं जानता हूं कि उनकी मांगे कभी न कभी पूरी होंगी।

अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं। उत्पादक भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जबकि उन्हें रबड के वृक्ष पुन: लगाने की योजना के बारे में पुन: विचार कर लेना चाहिये। ऐसा इस लिये है कि रबड़ का मूल्य 3 रुपए प्रति किलो ग्राम हो गया है। इसका मूल्य 15000 रुपए प्रति टन से घटकर 12000 रुपए रह गया है। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि रबड़ के उत्पादन में कमी आई है। रबड़ उत्पादक विचलित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया है। मुझे मालूम है कि देश में रबड़ के उत्पादन में कमी आई है। जब वर्षा हुई थी तब रबड़ का उत्पादन नहीं किया जा सका। जब रबड़ उत्पादन के लिये वर्षा नहीं हुई थी तब हमारे पास अतिरिक्त 20 दिन थे। और इस प्रकार रबड़ के उत्पादन में भारी कमी आई है।

इस समस्या के समाधान के लिये हमें कोई स्थाई उपाय करना होगा। जब भी रबड़ की कमी होती है रबड़ का आयात करना ही वस्तुत: उसका उपाय है हमारी यही प्रक्रिया हमेशा रही है और आयात से बचा नहीं जा सकता। आयात करने की मशीनरी राज्य व्यापार निगम है। उनका कार्य निष्पादन संतोष जनक नहीं रहा है। वहुत अधिक रबड़ के लिये वह बोर्ड के आश्रित हैं। राज्य व्यापार निगम को रबड़ की गुण बत्तता के प्रति भी सावधान रहना पड़ता है इस बात पर ध्यान देने के लिये कि अच्छा रबड़ ही आयात किया जाये राज्य व्यापार निगम के पास ऐसे योग्य कर्मचारी नहीं हैं। आयातित रड़ब की किस्म का पर्यवेक्षण अथवा परीक्षण करने में वे असमर्थ हैं। समुचित ढंग से प्रशिक्षित कर्मचारी ही गुणवतता बनाये रख सकते हैं। गत वर्ष से पूर्व राज्य व्यापार निगम के पास उनके गोदामों में 7,000 टन रबड़ का स्टाक था। इस स्थिति से अब निपटना होगा। तादाद पर नियन्त्रण रखकर किस्म की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आयात किये जाने के बाद भी राज्य व्यापार निगम के स्टाक से रबड़ की निकासी इस प्रकार की जाये कि निकासी तभी की जाय जबकि बाजार में कमी हो। मैं उस राज्य का हूं जहां राज्य व्यापार निगम को अपना स्टाक बाजार में नहीं भेजना चाहिये। इससे आरक्षिक रूप में रबड़ की खरीद में गिरावट आई है। यह नीति समय के प्रतिकूल और गलत है। राज्य व्यापार निगम के गोदाम से रबड़ से रबड़ का स्टाक मुक्त किये जाने से रबड़ के मूल्य में गिरावट आने की समस्या खड़ी हो गई हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के संशोधन के के प्रश्न पर जिसे राज्य स्वीकृत कर चुकी है पुन: विचार किया जाय। इस समय हम विधेयक को पारित करने के अन्तिम चरण में हैं। मेरा कहना है कि आप इसे स्वीकृत कर दें किन्तु इसे कार्यान्वित न करें। इसके कार्यान्वयन पर कृपया रोक लगा दें। ऐसे कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने से पूर्व दो बार विचार करें जिसका भार रबड़ बोर्ड पर पड़ने वाला है। इससे रबड़ बोर्ड के कार्यकरण में केवल विषमता ही उत्पन्न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना, आपको अपना भाषण सायंकाल के 5.30 तक समाप्त करना होगा क्योंकि केवल आधे घंटे भी चर्चा है।

श्री टी. आर. शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) उपाध्यक्ष महोदय रबड़ उद्योग देश का एक प्रमुख तथा विकासशील उद्योग है। रबड़ का उत्पादन केरल में बहुत अधिक और मद्रास में थोड़ा बहुत होता है। अन्य स्थानों में भी रबड़ के विकास और उत्पादन किये जाने की गुंजाइश है। मुझे खेद है कि रबड़ के उत्पादन, इसकी किस्म और इसके निर्यात पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि काफी बोर्ड अधिनियम के उपबंधों पर ध्यान दिया जाय और काफी बोर्ड अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते, हुए रबड़ बोर्ड अधिनियम पुर्ननिमित किया जाये जिससे कि यह उद्योग पनपेगा और उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को ही लाभ होगा।

बाजार में रबड़ मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे न तो उत्पादक को लाभ हो रहा है और न उपभोक्ताओं को। लाभ केवल बीच के व्यापारी को हो रहा है। टायर का फैक्टरी मूल्य 120/-रुपया है किन्तु बाजार में वह 180/- रुपये में बेचा जाता है बिक्रय मूल्य को कड़ाई के साथ नियमित करना आवश्यक है जिससे अधिकतम लाभ उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता को हो।

महोदय रबड़ अनेकों रूप में काम में आता है उदाहरण के तौर पर सभी वाहनों के लिये शल्य और वैज्ञानिक कार्य कलापों के लिए जूते बरसाती के खेल कूद की सामग्री आदि के लिये इसका उपयोग किया जाता है। इस देश में रबड़ उद्योग एक बहुत बड़ा और विकासशील उद्योग है। रबड़ उद्योग इस देश का ही एक राष्ट्रीय उद्योग है। इस प्रयोजन के लिए रबड़ उद्योग के कार्यकरण का समुचित अध्ययन बहुत ही आवश्यक है जिससे कि हम लोग इस उद्योग को विकसित कर सकें। वर्तमान अधिनियम में रबड़ के लिये उत्पादन आयुक्त निशुल्क करने के स्थान पर आप कार्यकारी निदेशक को ला रहे हैं। और एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष को भी शक्ति समपन्न किया जा रहा है। लेकिन उससे किसी भी प्रकार बड़ी सीमा तक समस्या का समाधान नहीं होता समूचे प्रशासन और बोर्ड के कार्यकरण को तेज करना होगा ताकि इससे उत्पादन और उपभोक्ता दोनो की सहायता हो। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्रीमान रबड़ को सिंथेटिक रबड़ से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक रबड़ की इतनी बड़ी मांग नहीं है और मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब रबड़ उत्पादन की समूची प्रक्रिया इसकी किस्म आयात विपणन तथा अन्य सभी बातों की फिर से जांच करना हमारे लिए संभव है। आपको देखना है कि एक बड़ी सीमा तक रबड़ उद्योग की सहायता हो। केन्द्रीय सरकार से इस रबड़ उद्योग के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता अत्यन्त जरूरी है क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों के पास रबड़ के बड़े भण्डार हैं जो बेचे नहीं हैं। उत्पादकों को विपणन के सम्बन्ध में भी कुछ सहायता दी जानी चाहिए। विपणन से सम्बन्धित समूची व्यवस्था का पूरी तरह कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता है।

इस अधिनियम में आप पाते हैं कि रबड़ के उत्पादन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। रबड़ निर्माता को एक लाइसेंस लेना होता है उसे एक रिपोर्ट भेजनी होती है उसे उत्पादित उत्पादों का हिसाब किताब देना होता है तथा इसी प्रकार की अन्य बातें। इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रतिबंध हैं और सरकार भी उनको अनुकूल सहायता नहीं दे रही है। मैं समझता हूं हमारे वाणिज्य मंत्री महोदय समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। यदि वे काफी बोर्ड अधिनियम

और रबड़ बोर्ड अधिनियम की तुलना करें तो वे स्वयं इस बात से सहमत हो जायेंगे कि रबड़ बोर्ड के कार्यकरण का कायाकल्प करने हेतु कुछ किया जाना है।

इन सब उपर्युक्त बातें कहने के बाद मुझे यह और कहना है कि इस देश में रबड़ उद्योग एक महत्वपूर्ण और विकासशील उद्योग है और इस उद्योग को सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (धन्यबाद)

आधे घन्टे की चर्चा

संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का आयात और खाद्यान्नों का आयात

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में आधा घंटे की चर्चा शुरू की जाएगी। प्रो. मधु दण्डवते

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : आदरणीय महोदय मैं गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के आयात के बारे में अक्तूबर 1982 के प्रश्न संख्या 1 और 19 के सम्बन्ध में कृषि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरों से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से दो पहलू स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। उनके द्वारा दिए गए उत्तर से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि उनके उत्तर के अनुसार इस वर्ष खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ और आयात का रिकर्ड आयात होगा। स्ययं उन्होंने इस सम्बन्ध में आंकड़े बताये। उन्होंने बताया कि जहां तक खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है मैं उनके दिए विवरण में से पढ़ूगा। 1981-82 में जहां गेहूं का आयात 262.066 अमरीकी डालर के मूल्य का था 1982-83 में गेहूं का आयात 41 0.838 अमरीकी डालरों के मूल्य का हुआ और यह 1981 82 में किए गए आयात की तुलना में लगभग दुगना हो गया। उन्होंने यह दावा भी किया है कि उत्पादन एक रिकार्ड उत्पादन था और रिकार्ड आयात वस्तुतः एक नई प्रकार की कृषि अर्थव्यवथा है। निःसन्देह उनमें कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू हैं। यह अधिकतम इस उत्पादन का एक नया तथा और नई विशेषता प्रतीत होती है और इसके साथ ही आयात भी अधिकतम हुआ है। लेकिन जो हो उन्होंने यह बात स्पष्ट करनी है कि ये आयात क्यों किए गए और इसके लिए माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिया गया तर्क यह रहा है कि क्योंकि मानसून अच्छा नहीं था इसलिए हमें भावी आकस्मिकता के लिए अतिरिक्त भंडार को बनाना होता है और हमें मूल्य वृद्धि के दबाब को भी रोकने की आवश्यकता होती है यह आवश्यक था कि हमारे पास अतिरिक्त भण्डार हो जिससे कि खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में किसी वृद्धि के रुकान के विरूद्ध अन्तर्निहित प्रतिरोध होगा और यही कारण है जिससे उन्हें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हमने अमेरिका से आयात को लगभग दुगुना कर दिया।

जहां तक इन आयातों का सम्बन्ध है, माननीय मत्री महोदय द्वारा इन आयातों के कारण बताये गए हैं अतिरिक्त भण्डार बनाए जाने और मूल्य वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस नये आयात के पीछे वसूली की वह पद्धति महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है जिसे उन्होंने हमसे प्राप्त किया है। जहां तक वसूली पद्धति का सम्बन्ध है, यह एक

स्वीकृति परिपाटी थी और मुझे आशा है कि जब कभी खाद्यान्नों का गहूं का आयात किया जाता है कृषि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे पहले यह एक परम्परा थी कि उस प्राप्ति में एक प्रतिशत से ज्यादा क्षतिग्रस्त गेहूं नहीं होना चाहिये क्योंकि कभी कभी असमय वर्षा होती है फसलों में कुछ निश्चित प्रकार के रोग हो जाते हैं अथवा यदि कोई पर्याप्त भंण्डार सुविधायें नहीं होती हैं कभी कभी इन खाद्यान्नों में भी जिनका भंण्डारण किया जाता है कुछ रोग हो जाते हैं और जब कभी कीटनाशक दवाओं की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती हैं तो भी रोग हो जाते हैं और उसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का कुछ भाग खराब हो सकता है। इसलिए यह पिछली परिपाटी थी कि इनकी प्राप्ति में खराब गेहूं अथवा खराब खाद्यान्न 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद एक ऐसी स्थिति आई जब दस प्रतिशत को बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने ऐसा गेहूं प्राप्त किया उसमें खाद्यान्न का 20 प्रतिश भाग खराब खाद्यान्न था· खराब गेहूं था जो कुछ रोगों से ग्रस्त था और खाद्यान्न गेहूं में 20 प्रतिशत खाद्यान्न गेहूं खराब होने के कारण उन्होंने इस खराब खाद्यान्न के साथ मिश्रण करने के प्रयोजन से अच्छे खाद्यान्नों का आयात किया जाना चाहा जिससे उनका उपयोग किया जा सकेगा वे खाने योग्य हो जाएगे। इसलिए खराब खाद्यान्नों को खाने योग्य बनाने के लिए आयातित गेहूं के साथ मिलाने के लिए उन्होंने इस विशेष प्रकार की बड़ी मात्रा में आयात करने का निर्णय किया। यद्यपि इस आयात के लिए कारण प्रेरणा उन्होंने यह बताए हैं कि वस्तुतः व अतिरिक्त भंडार बनाना मूल्य वृद्धि को रोकना चाहते थे उसका वास्तविक कारण है अमेरिका से अच्छे गेहूं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई लेना जिससे कि इसे खराब खाद्यान्नों के साथ मिलाया जा सके और उस स्थिति में खराब खाद्यान्नों की खाराबियों को दूर किया जा सकता है।

जहां तक आयातों का सम्बन्ध है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह अव्यावहारिक रवैया अपनाते हैं कि अर्थ व्यवस्था की स्थिति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों न हो, हम बिल्कुल आयात नहीं करेंगे। मैं वह रवैया नहीं अपनाना चाहता और कभी-कभी आयात नीति के पालन हेतु सरकार को इस मामले के लिए मैं कृषि मंत्री महोदय को दोष नहीं दूंगा। कभी-कभी आयात अनिवार्य हो जाता है, क्यों कि प्रश्न है, कि आयात किन किन समयों में होना चाहिए। विगत में कभी कभी विपक्ष इस बात पर सरकार की आलोचना करता रहा है कि जब आयात उपयुक्त समय पर किए जाने होते हैं तो सरकार सही समय पर चूक गई और अन्य देशों ने अन्तराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर कम मूल्यों पर खाद्यानों को खरीद लिया। भारत और रूस के मामले में ऐसा ही हुआ। कुछ वर्ष पहले जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं खरीदने की आवश्यकता थी, इस बात का आभास करते हुए कि मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। सोवियत रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया और गेहूं खरीद लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बाद में रूस नेइस गेहूं को बेच दिया क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे ठीक समय पर खरीदा उससे उसकी अर्थव्यवस्था को हानि नहीं हुई हमारे मामले में आयात में कभी कभी विलम्ब हो जाता है और कभी कभी दूसरी ओर से भी और ज्यादा विलम्ब हो जाता है। एक प्रकार से वे हमेशा ही ठीक समय को गवां देते हैं और ऐसा करने में वे चतुर हैं और यही हो रहा है, उदाहरण के लिए, आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि संभवतः आगामी वर्ष यदि ये आयात करने होते हैं तो उस मामले में अनुमानित मूल्य ऐसे हों कि 175 डालर प्रतिटन

की दर से आयात प्राप्त करना हमारे लिए संभव हो। इसके विपरीत आयात ऐसे समय किए जाते हैं जब कि मूल्य 210 डालर प्रतिटन होते हैं। इस तरह इन आयातों के लिए वस्तुतः अनुपयुक्त समय का चुनाव किया जाता रहा है।

जहां तक पिछले भण्डारों का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि 1981 और 1982 में खाद्यान्न उत्पादन में कमी और कमजोर मानसून के बावजूद पहली जुलाई, 1982 को भंडारण की स्थिति 15.5 मिलियन टन की थी। यदि मैं भूल नहीं रहा तो संभवतः उस समय इसका उल्लेख किया गया था जब कृषि मंत्री ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। पहली जुलाई, 1982 को 15.5 मिलियन टन भण्डार था और उसमें से 10 2 मिलियन टन गेहूं का भंडार था। सामान्यतः आगामी वर्ष मार्च अप्रैल तक हमारी ऐसी स्थिति रह सकती है। यदि आगामी वर्ष खरीद की जाती है तो जैसा मैंने पहले कहा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 175 डालर प्रतिटन के लगभग होंगे इसके विपरीत, हम इस समय उन्हें 210 डालर की दर से खरीदे हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा को कम से कम कर देते हैं। ऐसे समय में जब कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है और व्यापार में घाटा भी बढ़ रहा है, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे विदेशी मुद्रा और कम हो रही है और यह बहुत ही खतरनाक है, यद्यपि उन्होंने ये संशाधन बनाए हैं परन्तु उन्होंने सुरक्षा के लिए उचित सावधानियां नहीं बरती हैं। यदि आयात पर प्रभाव नहीं पड़ता है और भण्डार बनाया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि हमारी क्रय नीति एक सफल नीति है।

मेरे अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने ये आंकड़े प्रस्तुत्त किए हैं। मैंने उन्हें पूछा था कि वे पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य क्या हैं जित पर हमें गेहूं मिल सकता है और उन्होंने कहा है कि हमें आयातित गेहूं का मूल्य 203.61 रुपये प्रति कि. देना पड़ता है और सरकार भारतीय किसानों से किस मूल्य पर गेहूं खरीदती है ? यह केवल 142 रु. प्रति कि. की दर से खरीदती है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 203 रुपये यहां तक पहुंचने का मूल्य है न कि खरीद मूल्य।

प्रो. मधु दण्डवते : अन्ततः मैं इस बात से चिन्तित हूं कि आयात के कारण आपको कितना बोझ उठाना पड़ रहा है। मैंने यह नहीं कहा कि आपने यह मूल्य अमेरीका के किसानों को दिया है। मैं इसे महसूस करता हूं। अतः मैंने यहां तक पहुंचने का मूल्य बताया था। परन्तु अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे बोझ को ध्यान में रखते हुए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है कि आप यह मूल्य अमेरीकन किसानों को दे रहे हैं या यह यहां पहुंचने का मूल्य है। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि क्या 203 रु. प्रति कि. का मूल्य ठीक है। जहां तक भारतीय किसानों का संबंध है हमें उन पर 142 रु. प्रति कि. की राशि खर्च करनी है अब यहि फर्क था अमेरीका से खाद्यान्न मंगा कर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने की बजाय यदि यह मूल्य भारतीय किसानों को दिया जाता तो और अधिक उत्पादन करने और अधिक खरीद के लिए यह भारतीय किसानों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होता जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार और अधिक खरीद कर सकती थी और इससे बेहतर भी उत्पादन होता। कई बार

उत्पादन अच्छा होता है परन्तु खरीद बहुत कम होती है क्योंकि पर्याप्त मूल्य नहीं दिया जाता। अतः गैर सरकारी व्यापारी अनाज खरीद कर जमाखोरी करते हैं। आयातित खाद्यान्न पर धन खर्च करने की बजाय बेहतर लाभदायक मूल्य दिए जाने चाहिए। इस प्रकार हम बेहतर रक्षित भण्डार बना सकते हैं। बेहतर खरीद से रक्षित भण्डार बनाया जा सकता है। अतः यह बेहतर विकल्प होता। परन्तु इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : और उन्होंने कीमती विदेशी मुद्रा भी गंवाई है।

प्रो. मधु दण्डवते : यही बात मैंने पहले कही थी। मैंने इसी बात को लेकर बोलना शुरू किया था। ऐसे समय में जबकि हमें बहुमूल्य वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी चाहिए, जब कुछ फालतू पुर्जे आयात करने पड़ते हैं, जो कि देश में उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें आयात नहीं किया जाता जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों में व्यवस्था बिगड़ जाती है। और विदेशी मुद्रा को खाद्यान पर खर्च किया जा रहा है, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

अमेरीका के गेहूं दो किस्म के हैं —एक प्रकार के गेहूं पशुओं के लिए हैं तथा दूसरी प्रकार के मनुष्यों के खाने के लिए हैं। वास्तव में, अपने देश में हम इन दोनों किस्मों में अन्तर नहीं करते परन्तु अमेरीका में इन किस्मों में अन्तर है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में कौन सी किस्म का गेहूं आयात किया जा रहा है, अर्थात, लगभग 25 लाख टन गेहूं ? इसमें से कितना गेहूं पशुओं के खाने की किस्म का तथा कितना मनुष्यों के खाने की किस्म का है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सारा गेहूं मनुष्य के खाने का है।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या यह सारा का सारा गेहूं उसी किस्म का है जो अमेरीका में मनुष्य के खाने की किस्म है ? क्या हमने इस बात पर विचार किया है कि मनुष्य के खाने के लिए गेहूं की जरूरत है। मुझे पता है कि यह पांचवी लोक सभा के समय हुआ था जो गेहूं अमेरीका में पशु खाते हैं वह यहां मनुष्य के खाने के लिए खरीदा गया था। और बाद में इसमें किसी जहरीले पदार्थ के मिले होने का भी पता चला था और हमें बताया गया था कि शेष गेहूं में से जहरीले पदार्थ को निकालने के लिए एक तरीका निकाला गया है। और इसी तरह से आयातित गेहूं को साफ किया जाएगा। ऐसा पहले हो चुका है और इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामी नाथन) : अब की बार ऐसा नहीं होगा।

प्रो. मधु दण्डवते : यह पहले हो चुका है।

श्री आर. वी. स्वामी नाथन : अब ऐसा नहीं होगा।

प्रो मधु दण्डवते : मैंने इसीलिए यह प्रश्न उठाया था कि क्या आपने अपनी गलती सुधार ली है, जो कि आपने पांचवी लोक सभा की अवधि के दौरान की थी वर्तमान लोक सभा में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने गलतियों पूरी तरह दूर कर ली हैं।

अन्त में, महोदय मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मूल्य पर नियंत्रण करने तथा रक्षित भण्डार बनाने के लिए बेहतर विकल्प, जैसाकि मैंने पहले कहा था, यही है कि

किसानों को बेहतर प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि अधिक उत्पादन ही नहीं बाद में खरीद भी अधिक हो सके। और इसके पश्चात् उन तरीकों का पता लगाया जाय जिनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसी अन्य विकल्प की बजाय इस विशिष्ट विकल्प को अपनाया जाए।

इसका एक और पहलू भी है। कृषकों को कुछ आदानों की आवश्यकता होती है मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि : क्या यह सत्य नहीं है कि राजसहायता के प्रति आपने अपने समस्त व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है ? विद्युत सहित कृषकों द्वारा आपेक्षित सभी आदान अत्यधिक महंगे हो गए हैं। कीटनाशक दवायें प्रचूर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। उसके परिणाम स्वरूप फसलों को कई बीमारियां हो रहीं हैं। अत: आदानों के मूल्यों में कमी करने की बजाए कृषकों को अधिक अच्छे प्रोत्साहन मूल्य देने की बजाए और उन्हें सरकार के वसूली-तंत्र के साथ अधिक सहयोग करने की सुविधा देने की बजाए यदि आप अधिक आयात करने का आसान रूख अपनाएंगे तो इसका अर्थ विदेशों पर अधिक निर्भर करना होगा और आत्मनिर्भता की हमारी नीति और सिद्धान्त पर कुठाराघात होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहुंगा कि क्या वह देश के मूल वायदे पर अटल रहेंगे यह न केवल इस सरकार का वायदा है; बल्कि महात्मा गांधी के इस देश की यह एक राष्ट्रीय बचन बद्धता है कि अर्थात आत्मनिर्भरता की सामान्य नीति के प्रति वचन बद्ध रहना है। मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में — हालांकि प्रश्न काल के दौरान हम सभी उत्तर प्राप्त नहीं कर सके थे मुझे आशा है कि आधे घंटे की चर्चा के दौरान हम आवश्यक उत्तर प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : हाल ही में हमारे द्वारा किए गए गेहूं के आयात के सबंध में श्री दण्डवते द्वारा उठाई गई इस चर्चा के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इससे माननीय सदस्य तथा अन्य माननीय सदस्यों के मन में उत्पन्न हुई गलतफहमी को दूर करने का मुझे मौका मिलेगा।

सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि श्री दण्डवते ने सुझाया है यह आयात मिश्रण 10 ब्लेंडिग के उद्देश्य से नहीं किया गया। पिछली फसल के दौरान हमने विशिष्टताओं में ढील अधिक से अधिक रख रखाव के लिए दी थी। लेकिन यह सुनिश्चित किया गया था कि जो गेहूं खरीदा गया वह मानव उपयोग के योग्य था। खराब गेहूं के लिए 5 प्रतिशत की ढील दी गई थी। मूलत: यह ढील 30 प्रतिशत रही थी। थोड़े कम खराब अन्न के मामले में जिसका दाना खराब नहीं हुआ था अन्न को थोड़ा सा ही नुकसान हुआ था और दाने पर कोई असर नहीं पड़ा था। इसमें 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई लेकिन उससे भी गेहूं मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त नहीं था। नमी भी उसी सीमा तक थी। यह 14 प्रतिशत थी। उसमें कोई छूट नहीं दी गई।

यह किसान को सहायता देने की दृष्टि से किया गया था और हमारे भण्डार में आपूर्ति के लिए था। जो भी गेहूं खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम में निर्धारित विनिदेशों के अनुसार नहीं पाया गया भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसकी खरीद नहीं की गई थी। उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था और यदि हम पायेंगे कि इस प्रकार का गेहूं हमारे गोदामों में आ गया है तो हम उसे वितरित नहीं करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, जैसा कि मैंने सदन में पहले भी बताया था कि इस वर्ष 1 अगस्त को, 145 लाख टन गेहूं का भंडार था। जुलाई में श्री दण्डवते द्वारा बताए गए आंकड़ों के लगभग था। जैसा कि मैंने बार-बार बताया है हमने अधिक गेहूं जारी किया है क्योंकि हमारी वितरण पद्धति का विस्तार हुआ है और जो गेहूं हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जारी करते हैं उसके मूल्यों में वृद्धि के कारण तथा खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि के कारण भी ऐसा हुआ है।

अधिक से अधिक लोग उचित दर की दुकानों का लाभ उठा रहे हैं और उचित दर की दुकानों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, 1980 में जब से इस सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से उचित दर की दुकानों में 50-60,000 की वृद्धि हुई है। अगस्त 1982 में हमारे पास मौजूद भण्डार की तुलना में पिछले वर्ष उसी तारीख को खाद्यान्न का हमारा कुल भन्डार 126.4 लाख टन का था। रक्षित भण्डार में पिछले वर्ष नियत तिथि पर खाद्यान्नों में लगभग 20 लाख टन की वृद्धि वास्तव में पिछले वर्ष हमारे द्वारा न्यूनाधिक रूप में उसी पैमाने पर किए गए आयात के कारण हुई। इससे पता चलता है कि पिछले वर्ष जो गेहूं हमने खरीदा था वह हमारे भंडार में आपूर्ति के लिए था या कि तत्काल वितरण या तत्काल आवश्यकता पूर्ति के लिए था। वरन हमें जैसा कि प्रो मधु दण्डवते ने कहा है पर्याप्त भंडारण चाहते थे जिससे मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके। यह नितान्त आवश्यक है कि जनता को मालूम होना चाहिए कि सरकार का यह भी कर्तव्य है कि किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

आप जानते हैं, मानसून अनिश्चित रहा है और हम अभी भी बहुत हद तक मौसम पर निर्भर रहते हैं, और यह स्थिति न केवल इस देश में है वरन् विश्व के अत्यधिक उन्नत देशों में भी है और समय-समय पर उन्हें भी अन्न का आयात करना पड़ता है। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरा विश्वास है कि सदन इस बात की सराहना करेगा कि आयात समय पर किया गया। प्रो दण्डवते एक प्राध्यपक हैं, वह इस बारे में अधिक जानते हैं। उचित समय क्या है लेकिन मुख्य विशेषज्ञों की सहायता से हम भी जानते हैं और उन लोगों की सहायता से जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का ज्ञान रखते हैं और हम उन पर निगरानी रखते हैं, हम इस सम्बन्ध में आंकड़े भी प्राप्त करते रहते हैं। हमने सोचा कि यही वह उचित समय है जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं खरीद सकते हैं क्योंकि उस समय हमने देखा कि अन्य देश बाजार में नहीं आए हैं और मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कहीं कम है, जब हमने सयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद की थी और इसी कारण हम पिछले वर्ष अदा किए गए मूल्य से कहीं कम मूल्य पर गेहूं की खरीद करने के योग्य हो सके।

इसकी भी सराहना करनी होगी और जहां तक खरीद का सम्बन्ध है जनता तथा प्रेस ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत के खाद्यान्न प्रबन्ध पर टिप्पणी की है। यह सबको अच्छी तरह मालूम है कि इसे पूर्णतया गुप्त रखा गया था क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जब एक बड़ा देश एक बहुत बड़ी मात्रा में खरीद करता है, मूल्यों में आवश्यक रूप से वृद्धि होती है। जब हमने पिछले वर्ष खरीद की थी, तब हमने सौदा करने के पश्चात ही निविदाए आयोजित कीं। यह मैं समझता हूं कि ऐसा मामला है जिस पर माननीय सदस्यों को सरकार

को बधाई देनी चाहिए । प्रो. मधु दण्डवते हमारे द्वारा आस्ट्रेलिया से की गई खरीद की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया है, उनकी ओर से हिसाब लगाने में गड़बड़ी हुई । पिछले वर्ष 1981 में अमेरिका से 151.5 लाख टन तथा आस्ट्रेलिया से 75 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी । 26 करोड़ 20 लाख डालर की गेहूं की खरीद केवल अमेरिका से की गई थी । यदि आप आस्ट्रेलिया से 75 लाख टन गेहूं की खरीद के लिये अदा की गई कीमत को इसमें जोड़ दें तो यह लगभग 13 करोड़ 50 लाख डालर की अतिरिक्त राशि होगी ।

इससे यह पिछले वर्ष 22.65 लाख टन के लिए अदा की गई 3978 करोड़ 98 लाख डालर की तुलना में इस वर्ष 24.95 लाख टन के लिए 4108 करोड़ 38 लाख डालर की कुल राशि बनेगी । महोदय, यह बहुत कम राशि है और श्री दण्डवते ने इस वर्ष गेहूं की मात्रा के लिए दुगनी राशि समझी है और न्यूनाधिक रूप से यही मात्रा पिछले वर्ष आयात की गई थी । इस वर्ष यह उसी के बराबर है । मैंने सदन में पहले ही कहा था कि इस वर्ष खरीदे गये गेहूं के लिए अदा किया गया मूल्य पिछले वर्ष खरीदे गए गेहूं के मूल्य की तुलना में खरीद का औसत पिछले वर्ष सितम्बर से मार्च के मध्य इस वर्ष इसी अवधि के दौरान आपूर्ति के समान है । मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि यह पिछले वर्ष अदा की गई 1729 करोड़ 8 लाख डालर की तुलना में इस वर्ष 1646 करोड़ 6 लाख अमरिकी डालर की पोत पर्यन्त निःशुल्क की कुल औसत है इस वर्ष हमारे द्वारा अदा की गई कीमत की तुलना में वह पिछले वर्ष यह लगभग 8 लाख डालर प्रति टन अधिक है । मूल्य के अन्तर से यह पता चलता है कि इस वर्ष की गई यह खरीद पिछले वर्ष अदा की गई कीमत से कहीं कम है । श्री दण्डवते ने स्वयं माना है कि हम भण्डार की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकते और उस प्रयोजन के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए इस सरकार द्वारा अपनाये गये उत्तरदायित्व के कारण बाहर से कुछ मात्रा में खरीद करने की भी अवहेलना नहीं कर सकते ।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने किसानों के हित का उल्लेख किया है । सरकार भी सदैव इस बात के लिए तत्पर है कि किसानों को लाभकर मूल्य मिले । उनके भाषण में यह तत्व है कि किसानों को सस्ती दरों पर कतिपय आदान मिलें और यह कि मूल्य लाभकर हों । परन्तु देश में मूल्य निर्धारित करने की हमारी व्यवस्था है । कृषि मूल्य आयोग नायक एक विशेषज्ञ निकाय है जो किसान द्वारा की गई हर लागत का हिसाब लगाता है । जहां तक संभव हो, हम भी यह कोशिश कर रहे हैं कि आदानों के मूल्य, जहां तक हो सके, कम रखे जायें और हम हर समय इस मामले पर विचार करते रहते हैं ।

यह गलत धारणा है कि बाहर से खरीदे गए गेहूं के लिए हमने अधिक मूल्य अदा किया है । यदि मैं गलत हूं तो वस्तुतः मुझे सही-सही मालूम नहीं है क्योंकि यह जानना संभव नहीं है कि अमरीकी किसान या आस्ट्रेलियाई किसान को उस गेहूं के लिए कितना मूल्य मिलता है जितना गेहूं वह बेचता है क्योंकि मूल्य नौतल पर्यन्त निःशुल्क 'कोट' किए जाते हैं तथा ढुलाई लागत और लदान प्रभार सभी उसी मूल्य में शामिल होते हैं । परन्तु मुझे जैसे तैसे इस बात का विश्वास हुआ कि अमरीकी किसान को अदा किया जाने वाला गेहूं का मूल्य हमारे किसान को अदा किये जा रहे मूल्य से कम है । यह 142 रुपये प्रति क्विन्टल से कम है ।

प्रो. मधु दण्डवते : हमारे लिए यह सब संगत नहीं है। यहां माल उतरने पर हमारे राजकोष को जो मूल्य अदा करना पड़ता है। वह ही संगत है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप किस विकल्प का सुझाव देते हैं। देश में तुरन्त अधिक मूल्य अदा करके आप कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। आखिर उत्पादन की कुछ सीमाएं हैं। आप जानते हैं कि हमने कितना खाद्यान्न प्राप्त किया है और कितना जारी कर रहे हैं। हम अपने रक्षित भण्डार से प्रतिमास लगभग 12 लाख टन खाद्यान्न जारी कर रहे हैं। यह वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख टन से अधिक हो जाता है। अगस्त में हमारा कुल भण्डार 1 करोड़ 45 लाख टन था। वह वर्ष की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा, जिस खाद्य नीति का हम अनुसरण कर रहे हैं उसके अनुसार हमने निर्णय किया है कि सरकार जो 1 करोड़ 20 लाख टन का भण्डार बनाये रखेगी उसके अलावा अप्रैल से 30 से 38 लाख टन के परिचालनात्मक भंडार की तथा जुलाई में 80 से 88 लाख टन भंडार की आवश्यकता पड़ेगी। उससे आप देखेंगे कि जितना भंडार हमारे पास था वह उस भंडार से कम था जितना भंडार हमने केन्द्रीय खाद्य भडार में बनाये रखने की आशा की थी।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि हमारे अनुमान के अनुसार हमारे द्वारा चुना गया समय सर्वोत्तम समय था, जो मूल्य हमने अदा किया है वह उचित मूल्य है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वोपाय किए हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदा जाने वाला गेहूं अच्छी किस्म का हो। वहां के लोग यही गेहू खाते हैं। इस बारे में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उस सम्बन्ध में कोई भी शका का ठोस आधार नहीं है, यह पूर्णतया गलत है। जो गेहूं हन अपने भंडार से अब तक जारी कर रहे हैं वह भी खाने योग्य है।

मैं पुनः यह दोहराऊंगा कि यह गेहूं किसी प्रकार का घटिया किस्म का गेहूं उपयोग में लाने के लिए आयात नहीं किया गया है जैसा कि श्री दण्डवते का विश्वास है, जो हमारे गत खरीद कार्यों के दौरान खरीदा गया है।

प्रो. मधु दण्डवते : अपने स्पष्टीकरण के दौरान आपने कहा है कि जहां तक किसानों को दिए जाने वाले मूल्य का सम्बन्ध है आप अदानो तथा अन्य सभी बातों पर ध्यान देते हैं। मैं यहां सही-सही यह जानना चाहता हूं : क्या यह सही नहीं है कि औद्योगिक माल तथा कृषि उत्पाद के लिए मूल्यों के बारे में निर्णय करते समय, भिन्न-भिन्न मानदंडों का पालन किया जा रहा है। वस्तुत: किसान जो कुछ मांग रहे हैं वह यह है कि आप औद्योगिक माल के मूल्य निर्धारित करते समय, कोई और मानदंड लागू करते हैं और कृषि उत्पादों के मूल्यों के बारे में निर्णय करते समय भिन्न मानदण्ड लागू करते हैं। यह भेदभाव मिटना चाहिए। क्या आपका ऐसा करने का विचार है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कृषि मूल्य आयोग के निदेश-पद जो 1981 में पुनरीक्षित किए गए थे, कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों की सिफारिशें किये जाते समय कृषि माल और गैर-कृषि माल के बीच व्यापार की शर्तें ध्यान में रखी जायेंगी। हम समानता लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हम उस मामले में पूर्णतया सफल रहे हैं। परन्तु उसे सदैव ध्यान में रखा जाता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमेशा हाउस में इस पर चर्चा होती रही है। मंत्री महोदय ने दिनांक 4 अक्तूबर को प्रश्न क्रमांक एक और उन्नीस का जवाब दिया था कि 1981-82 में यू. एस. ए. से 15.15 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था और उसके लिए 262.066 मिलियन डालर कीमत चुकाई गई थी और आस्ट्रेलिया से 7.50 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जिसकी कीमत 118.500 लाख मिलियन डालर कीमत चुकाई गई थी। इसी प्रकार 1982-83 में यू. एस. ए. से 24.95 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जिसकी कीमत 410.838 मिलियन डालर चुकाई गई थी। इस प्रकार जनता सरकार के जाने के बाद आपने दो वर्षों में, 1981-82 तथा 1982-83 में 47.60 लाख टन गेहूं खरीदा था और इसका कुल कीमत 791.404 मिलियन डालर अदा की। दो वर्षों की तुलना में 1981-82 और 1982-83 में आपने कुल लगभग सात लाख टन अतिरिक्त गेहूं खरीदा है।

मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने 4 तारीख के उत्तर में बताया था कि हमारे मुल्क में इस समय रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यदि रिकार्ड उत्पादन हमारे मुल्क ने किया है तो फिर दो वर्षों में ही 7 लाख टन अधिक गेहूं क्यों मंगवाया है। हम कैसे मान लें कि आपने रिकार्ड उत्पादन किया है। इसका उत्तर हम आपसे चाहते हैं।

इसी संदर्भ में एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं। 1981-82 में भारतीय सिक्के के मुताबिक 209.71 रुपए तथा 1982-83 में 203.61 रुपए मीमत दी गई। यह आपका स्टेटमेंट है। आपने बताया है कि आपकी सरकार आने के बाद कीमत 115.00 रुपए से 142 रुपए तक आप ले आए हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो मूल्य आपने बढ़ाया हैं, इसके अनुपात में आपने बिजली का रेट कितना बढ़ाया है, बीज और खाद का कितना रेट बढ़ाया है ? जनता सरकार के समय में जो 54 रुपए बोरी खाद की मिलती थी, वही आज 107 रुपए की मिल रही है। इन कीमतों को देखते हुए हमारे हिसाब से आपने इस कीमत को बढ़ाने के बजाए घटाया है और 90 रुपए कर दिया है।

मान्यवर, इसमें आलोचना की कोई बात नहीं है। हम तो जनता सरकार में थे नहीं, दण्डवते साहब थे। ये लोग इसको कर रहे थे।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : पास बैठे हैं, इसलिए लिहाज कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा कहने का मतलब और है। मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप जनता सरकार पर रोजाना उंगली उठाकर कुछ न कुछ कहते हैं। जनता सरकार और आपकी सरकार की बात अक्सर चला करती है। हम तो यह जानना चाहते हैं कि आप ठीक थे या जनता सरकार ठीक थी ? आपने जो 142 रुपए कीमत को 90 रुपए तक ला दिया है, इसका क्या कारण है ?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने 1977 के पहले जब आपकी सरकार थी, उस समय रशा से भी गेहूं खरीदा था। वह किसी लेनदेन के सिलसिले में आया था, कुछ पैसा बकाया था, ऐसा ही कुछ मामला था। उसको मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जब जनता सरकार आई तो उसने इतना ज्यादा उत्पादन किया कि उसने आपका पुराना कर्जा चुका दिया।

एक स्कीम मंत्री जी को याद होगी 'फूड फार वर्क'' की स्कीम। वह स्कीम भी इसी गेहूं से चलायी गई। आपका कर्जा भी चुकाया और फिर इसके बाद जब हमने इतना काम किया और उस समय एक रिकार्ड उत्पादन था तथा 4 अक्तूबर को इस हाऊस में मंत्री जी ने कहा कि हमने रिकार्ड उत्पादन किया है। वो रिकार्ड उत्पादन था, हम यह जानना चाहते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात हम इसी संबंध में यह और जानना चाहते हैं, आपका एहसान तो बहुत है, आपने बहुत ज्यादा मूल्य बढ़ा दिया हैं। हम सीधी सी बात यह जानना चाहते हैं कि 142 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत हम अपने किसान को दे रहे हैं और अमेरिका के किसान को हम 203 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं दे रहे हैं। इतना तो समझाया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, इसका क्या मतलब है। क्या इतना ही रुपया अपने किसान को सबसिडी के रूप में या किसी और रूप में या जो लागत वगैरह लगता है, बिजली, खाद, पानी की कीमत के रूप में देकर या उत्पादन बढ़ाकर के विदेशों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी कोई नियत है आपकी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल नियत है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन। आप ऐसा कोई नया मुद्दा उठा सकते हैं जिसमें प्रो. दंडवते और शास्त्री जी की किसी बात को दोहराया न जाये। (व्यवधान) वे आपकी बात नहीं उठायेंगे क्योंकि आप इस पक्ष के हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस वर्ष का और गत वर्ष का दोनों का जो प्रोडक्शन व्हीट का हुआ है, वो कितना हुआ है और उसमें दोनों वर्षों में कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है ?

सेकेन्डली यह जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, क्या इस प्रोक्योरमेंट में कोई ढील हुई है या स्टेट ने जो है विशेष इन्टरेस्ट नहीं लिया है या किसानों को प्राइस ठीक नहीं मिली है जिसके कारण प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्राईस जो 142 थी, अगर 150 प्राईस हो जाती और किसानों को दी जाती तो क्या प्रोक्योरमेंट इतना हो जाता जिससे कि आपको इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती ? इसके बारे में भी आप प्रकाश डालने की कोशिश करें।

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह जो 142 रुपए रेट प्रोक्योरमेंट की है और 165 रुपए जो है, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चीप प्राईस में 165 में व्हीट बेचते है तो इन दोनों में 23 रुपए क्विंटल खर्चा आता है। मैं समझता हूं कि यह खर्चा बहुत ही अधिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर कितना होता है, स्टोर का कितना एक्सपेन्डिचर होता है, ट्रांसपोर्ट का कितना होता है, क्या इसमें आप कमी कर सकते हैं ? इस बारे में भी आप प्रकाश डालें। आपने बताया है स्टोर के अन्दर 1.5 परसेन्ट कमी हो जाती है, डेमेजेस हो जाते हैं, क्या इस कमी को भी कम किया जा सकता है ? इस संबंध में भी प्रकाश डालें।

जो इरिगेशन स्कीम्ज है, जैसे राजस्थान केनाल की है, उनमें से बहुत सी आज भी डिस्प्यूट में हैं या ट्रिब्यूनल्ज के सामने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई रास्ता

निकालेंगे जिससे इन झगड़ों का जल्दी फैसला हो और उन स्कीम्ज से लाभ मिलना शुरू हो जाए ? क्या राजस्थान कैनाल जैसी स्कीम्ज को आप स्पीडिली पूरा करेंगे ? अगर इस कैनाल का काम तीव्र गति से चलाया गया होता और इसको पूरा कर दिया गया होता तो हमारा प्रोडक्शन तीस लाख टन ज्यादा हो सकता था और हमें गेहूं इम्पोर्ट करने की आवश्यकता न पड़ती। अगर हमने इरिगेशन स्कीम्ज को इम्पोर्टेंस दी होती तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता और हमें आयात करने की आवश्यकता भी न पड़ती। इम्पोर्ट से हमारे देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि आजादी प्राप्त करने के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए हैं फुडग्रेंज के मामले में। लेकिन फिर भी हमें आयात करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक ईरिगेशन के सैक्टर में हम आगे नहीं बढ़ेंगे हम कभी भी सैल्फ सफिशेंट नहीं हो सकेंगे इन दी रीयल सैंस आफ दी टर्म। हमें आज मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने इरिगेशन सेक्टर को बीस प्रतिशत बढ़ाया है। हमें चाहिये कि हम इसको 35 प्रतिशत बढ़ाए ताकि हमारा प्रोडक्शन और भी तीव्र गति से आगे बढ़ सके।

मैं तो चाहता हूं कि हमारे पास दो करोड़ टन का बफर स्टाक होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में फैमिन के कारण बड़ी तवाही हो रही है। पांच साल से वे तबाह हो रहे हैं। वहां भयंकर फैमिन की स्थिति है। गांवों में दस किलो प्रति व्यक्ति भी अनाज नहीं मिलता है। इसको मैं लगातार देख रहा हूं। शहरों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है लेकिन वीकर सेक्शंज को, गरीब फैमिन एफैक्टिड लोगों को गांवों में जब तक आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दस बारह किलो प्रति व्यक्ति जब तक अनाज नहीं देते हैं तब तक आप अनाज जो इम्पोर्ट करते हैं, उसके वास्ते आपको एप्रिशिएट करने में हमें डिफिकल्टी होगी। इस वास्ते उनके वास्ते आप इतना अनाज देने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यह प्रश्न चार तारीख को उठाया गया था। उस वक्त इसका उत्तर स्पष्ट न होने के कारण माननीय दंडवते जी ने जो आधे घंटे की चर्चा उठाई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश में रिकार्ड उत्पादन 1978-79 में हुआ था यानी 13.19 करोड़ मेट्रिक टन। उसके बाद बाढ़ का साल आया। 1979-80 में यह 10.97 करोड़ हुआ यानी गिरा। उसके बाद 12.94 करोड़ मेट्रिक टन हुआ। 1981-82 में जो उम्मीद है वह 13.42 करोड़ मेट्रिक टन की है। जो रिकार्ड उत्पादन 1978-79 में हुआ था 13.19 उससे यह कोई बीस लाख टन अधिक है। जो गेहूं आपने आयात किया है वह लगभग 25 लाख मेट्रिक टन किया है। आपने यह भी बताया कि पिछले साल आपने जो गेहूं आयात किया उसका आपने भाव ज्यादा दिया बनिस्वत इस साल के। किन्तु जो राज्य सभा में आपने 6-8-82 को 393 नम्बर के स्टार्ड क्वेश्चन में उत्तर दिया था उसमें आपने बताया था कि यू. एस. ए. से गेहूं 15.15 लाख मैट्रिक टन जो आया वह 203.65 रुपये के भाव से आया और आस्ट्रेलिया से जो साढ़े सात लाख मैट्रिक टन आया वह 202.40 के भाव पर आया। यह एव्रेज लैंडिड कास्ट पर क्विंटल थी। इस वास्ते आपने जो यह कहा कि पिछले साल जो गेहूं खरीदा था वह इस साल की बनिस्वत महंगा था ठीक नहीं है। एव्रेज जो आता है 203 और 202 का वह कोई ज्यादा नहीं है। लगभग इतना ही बैठता है। इसलिये मेरा कहना है कि जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे समय पर गेहूं खरीदा इस पर हमें

आपत्ति नहीं है और आक्षेप भी हम नहीं लगाते कि आप हमारे देश का नुकसान करना चाहते हैं। किन्तु स्थिति यह सामने है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बफर स्टाक की धारणा क्या है ? क्या विदेश से आयातित गेहूं हो वफर स्टाक बनता है ? हम अपने देश में प्रोक्योर किये हुए गेहूं से भी 'वफर स्टाक' बना सकते हैं। आप देश में जो आधार मूल्य तय करते हैं वह क्या है ? 142 रु. प्रति क्विंटल। और इस वर्ष के आधार मूल्य की आपने घोषणा नहीं की। क्या आप यहां के किसान से गेहूं नहीं लेना चाहते हैं ? क्यों नहीं लेना चाहते ? मेरा ख्याल है कि यहां का गेहूं आयातित गेहूं से ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आयातित गेहूं को देखा और खाया भी है। उसके स्वाद में फर्क है। हमारे देश की मिट्टी में पैदा हुए गेहूं का स्वाद अच्छा होता है। फिर भी आप किसान को 142 रु. क्यों देते हैं।

अतः आप बतायें कि आपकी 'वफर स्टाक' की धारणा क्या है ? क्या आयातित गेहूं से ही 'बफर स्टाक' बनाने की धारणा है ? क्या आप बोवाई के समय ही आधार मूल्य की घोषणा करेंगे ? अगर ऐसा करते है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी अच्छा होगा और देश का किसान बफर स्टाक बनाने में आपकी मदद भी कर सकेगा। इसलिये आप बतायें कि आपकी बफर स्टाक की धारणा क्या है ? आधार मूल्य की घोषणा कृषि उपज के समय ही करेंगे अथवा नहीं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, मंत्री जी तो कृषक हैं और पूरे सरकार के मंत्रियों में सबसे अधिक निष्कलंक व्यक्ति हैं। और मैं जानता हूं कि किसान के लिये बहुत दर्द इनके दिल में है। पर आज जैसे उदासीन और भरे मन से आयातित गेहूं के बारे में सवालों का जवाब दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यह मंगाना नहीं चाहते थे, किसी ने इनसे मंगवाया है, प्रेशर डाला है उनके ऊपर। वरना यह ऐसी हरकत करते नहीं। इनके स्वभाव के खिलाफ है।

प्रो. मधु दंडवते : किसी ने रक्षित भण्डार बनाना चाहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस दवाव के बारे में कुछ स्पष्ट कर सकते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : महोदय, उसे हर आदमी जानता है।

मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है 1-8-82 को आपने जवाब दिया कि आसपास इतने मिलियन वफर स्टाक इण्डिया में था जो सरकार के गोदामों में था। मैं जानना चाहता हूं कि उस तारीख को व्यापारी और किसान के पास कितना गेहूं था इसके कुछ आंकड़े हैं ? और आज क्या हैं जब आप जवाब दे रहे हैं ? अपने स्टाक की बात तो बता रहे हैं, लेकिन किसान और व्यापारी के पास कितना गेहूं पहली अगस्त को और पहली अक्तूबर को कितना है दोनों जगह जिससे अंदाजा सही स्थिति का हमें हो जाय ?

दूसरी बात क्या यह लज्जा की बात नहीं लगती है कि हम रेकार्ड उत्पादन करें और फिर रेकार्ड आयात भी करें ? कोई अच्छा नहीं लगता। यह सब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के विरोध में है। जब रेकार्ड उत्पादन है तो आयात नहीं होना चाहिये, बल्कि एक्सपोर्ट करना चाहिये। यह बात तो समझ में आती है, हर जगह यही होता है, कपड़े में लोहे है ज्यादा उत्पादन हो जाये तो एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहां उल्टा है, ज्यादा पैदा करो और ज्यादा बाहर से गाओ। क्या यह कुछ अजब सा नहीं लगता है हमारे मंत्री महोदय को ?

आपने बफर स्टाक बनाने की बात कही कि इसलिये बाहर से मंगाया है। एक बात यह कही कि राइजिंग प्राइस को कम करने के लिये मगाया। यह तो किसी ने कहा नहीं। मैं परसों बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में था। वहां पर गेहूं के 30 रुपये क्विंटल दाम बढ़ गये हैं। आप चाहें तो वहां डाटा इकट्ठा कर लें, मुझे 4 आदमियों ने बताया कि बाजार में 30 रुपये क्विंटल दाम बढ़ गये हैं इस आयात की घोषणा से।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बढ़ तो गये हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर न मंगाते तो कितने बढ़ते ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप जैसे मंत्री से मैं इस उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। अगर कोई और दूसरे होते, जैसे हमारे स्टीफन साहब हैं, यह तो कहते रहते हैं।

"रहिमन बुरो न जानिये जो गंवार कह जाये।"

लेकिन आप जैसे आदमी से यह जवाब ?

हमारे सामाजिक जीवन का इससे बहुत बड़ा सम्बन्ध है। यह राष्ट्र के जीवन का सवाल है। जो आपने वैल्यूज बनाई हैं, चाहे 20-सूत्री कार्यक्रम की बात करते हों, उसका भी बड़ा भारी सवाल है, इसमें उत्पादन बढ़ाने का। आप उत्पादकता वर्ष मनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आयात का भी सबसे बड़ा वर्ष मना रहे हों ?

एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको गेहूं बाहर से मंगाना ना पड़े, चावल भी प्रचुर मात्रा में पैदा हो, तो क्या आप सिंचाई, खाद, बीज और बिजली की कीमतों में कमी करने जा रहे हैं या नहीं ? यह स्पष्ट सवाल है।

अब समय आ गया है दूसरी फसल का। अमरीका वाली गेहूं का दाम देखते हुए और जो पिछली बार दिया है, उसकी दुर्दशा आप देख लें, श्री सोनकर शास्त्री जी ने सब बता दिया है, आप ज्यादा समझते हैं 142 रुपये, लेकिन उसका मूल्य 190 रुपये है आज के जमाने में। आप आगे किसान को गेहूं का मूल्य क्या दे रहे हैं, जिससे उसे इन्सैंटिव मिले ? खेती बोने से पहले क्या आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि यह प्राइस उसको देंगे ? ताकि उसको इन्सैंटिव मिले और ज्यादा से ज्यादा गेहूं वह पैदा करें। क्या बिजली पानी की कीमत भी कम करेंगे जिससे वह ज्यादा पैदा करे और आपको बाहर से गेहूं न मंगाना पड़े ?

क्योंकि जिस तेजी से आप विदेशी मुद्रा का ह्रास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था को आप चौपट कर देंगे। आप जनता पार्टी को कहा करते थे कि इन्होंने विदेशी मुद्रा का ह्रास किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सबसे ज्यादा इसका ह्रास कर रहे हैं, आप आयात बढ़ा रहे हैं और निर्यात घटा रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर्स ने बहुत अच्छी बहस की है इस अहम बात पर। जो कुछ बातें उन्होंने कहीं और आगे जाननी चाहीं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत अच्छी बहस आनरेबल मैम्बर्स ने की है इस बहुत ही अहम विषय पर और जो कुछ बातें उन्होंने कहीं, जो कुछ वे जानना चाहते थे, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कुछ बातों की शंकाएं जो माननीय सदस्यों को हैं, उनका कुछ

आधार नहीं बनता है। फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं उन शंकाओं की सफाई करने की कोशिश जहां तक हो सके, करूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब कुछ आधार ही नहीं बनता तो किस बात की सफाई आप करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरा तो फर्ज है, मैं तो आपकी सेवा में खड़ा हूं और जहां तक कोशिश हो सकती है, सफाई करने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्यों को शंकाएं हैं । एक तो कुछ मेरे दोस्त शायद अभी तक नहीं समझ पाए कि जो दाम हमने गेहूं खरीदा है वह इस साल 203 रु. 61 पैसे है, जिसका अन्दाजा मैंने आपको बताया। वह कीमत सारा खर्चा, पोर्ट पर यहां पहुंचने के बाद, समुन्दर का फ्रेट का सारा खर्चा डालने के बाद प्राइस बताई है, जिसमें इन्श्योरेंस हैंडलिंग चार्जेज और गनी बैग का खर्चा भी सामिल है। और जैसा अभी जटिया जी ने कहा, मैंने राज्य सभा में जो कुछ कहा, उसके बारे में फर्क बताया, वह फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो गेहूं की कीमत मैंने वहां बताई उसमें गनी बैग का खर्चा भी शामिल है। यदि उसमें आप वह खर्चा भी जोड़ लें तो फिर कोई फर्क नहीं निकलता। वह जो कमी आपने बताई, वह उसमें शामिल है। वह सारा खर्चा मिलाकर कीमत मैंने वहां बताई, उसमें सब कुछ शामिल है। मैंने जो लैण्डेड कास्ट गेहूं की दी है, उसके सही आंकड़े इस तरह से हैं — सन 1982 में हमने जो गेहूं खरीदा है, हाल ही में, उसकी कीमत यहां उतरने के बाद, हिन्दुस्तान से 203 रु. 61 पैसे पड़ती है, जब कि 1981 में जो गेहूं अमेरीका से खरीदा गया था उसकी एवरेज कीमत, बोरी आदि का सारा खर्चा मिलाकर, 209 रु. 71 पैसे पड़ती थी। जो गेहूं आस्ट्रेलिया से खरीदा गया, उसकी कीमत बोरी आदि का खर्चा मिलाकर, 208 रु. 46 पैसे पड़ती थी। इस तरह यह गेहूं की कीमत इस साल और पिछले सालों की रही। वैसे आस्ट्रेलिया का गेहूं हमें और जगहों के मुकाबले में सस्ता मिल जाता है। इसलिए जहां तक कीमतों में फर्क का सवाल है, जो कीमत हमें यहां पर एफ. ओ. बी. गेहूं की पड़ती है वह 158 रु. 90 पैसे पड़ती है। यही एफ. ओ. बी. प्राइस गेहूं की है और जो एफ सी. आई. गेहूं खरीदता है, जिसके मुताल्लिक आपने यहां पर बारबार चर्चा की ' 142 रु. फार्मर को दिया जाता है, यदि उसकी सारी एक्वीजीशन कोस्ट लगायें, मण्डी तक जितना खर्चा आता है गोदाम तक ले जाने का, और दूसरे हैंडलिंग चार्जेज होता हैं, वह166 रु. 85 पैसे पड़ती है। मतलब यह है कि142 रु. कीमत पर हम जो गेहूं खरीदते हैं, उस पर जो एक्वीजीशन कोस्ट आती है, जिसको कि हम खरीद कर गोदामों में डालते हैं वह 166 रु. 85 पैसे पड़ती है और उसके मुकाबले में यह कीमत 158 रु. 90 पैसे है । इस तरह से आप अन्दाजा लगा लें। जो मैंने आपको एफ. ओ. बी. प्राइस बताई, वहां की और यहां की, एक्वीजीशन कोस्ट जोड़ने के बाद, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुल फर्क 8 रुपये के करीब है, जो एफ. ओ. बी. प्राइस वहां की है, जो हिन्दुस्तान में आने के बाद हमको गेहूं की पड़ती है ...

कई माननीय सदस्य : वह आप हमारे काश्तकारों को दे सकते हैं ...

राव बीरेन्द्र सिंह : उससे अगर बात बनती हो, तो मैं मान लूंगा, लेकिन उससे कोई हल नहीं होता। इसलिए 203 रु. जो कीमत हमको पड़ती है उसको देखते हुए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो सुझाव आपने दिए हैं...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, यह बहुत अहम सवाल है जो 36 रु. का फर्क पड़ता है, जैसा आपने अभी बताया, 158 रु. उधार से लेते हैं और यहां 203 रु. पड़ती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह 36 रुपये पर तो हमारा लास हो रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी अर्ज सुन लीजिए। आपने तो यह मानने से इन्कार कर दिया है कि गेहूं की पैदावार बढ़ी है। आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि जनता पार्टी के तीन साल के राज के बाद सारे अनाज की पैदावार 109 मिलियन टन पर आ गई थी। उसके बाद तीन सालों में वह 109 मिलियन टन से बढ़ कर 132 मिलियन टन पर पहुंच गई है। अगर आप इससे इन्कार करें, तो मेरा क्या बस है? (**व्यवधान**) गेहूं की पैदावार भी लाजमी तौर पर बढ़ी है, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। इतनी बढ़ी है कि आपको खुश होना चाहिए। (**व्यवधान**) पिछले साल गेहूं की पैदावार 36.5 मिलियन टन थी और प्रोक्युरमेंट 65 लाख टन। आपको जान कर खुशी होगी कि बावजूद इस बात के कि इस साल बारिश से काफी नुकसान हुआ और बेवक्त बारिश हुई, लेटेस्ट एस्टीमेंट के मुताबिक इस साल गेहूं 36.5 मिलियन टन से बढ़कर 37.8 मिलियन टन पैदा होने का अन्दाजा लगाया गया है। और प्रोक्युरमेंट भी इस बार आल-टाइम रिकार्ड है : पिछले साल के 65 लाख टन के मुकाबले में··· 77 लाख टन - 7.7 मिलियन टन। प्रोक्युरमेंट में कोई कमी नहीं हुई, पैदावार में कोई कमी नहीं हुई।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि व्यापारियों के पास कितना गेहूं है, फार्मर्ज के पास कितना गेहूं है। देश में जितना गेहूं है, हम उसको जबर्दस्ती इकट्ठा करने की कोशिश करें, वह भी आप नहीं चाहेंगे, और न वह किसान के भले की बात है। जितना गेहूं है, वह मंडी में आता है, किसान खुद भी इस्तेमाल करता है और व्यापारी भी सारा गेहूं खुद नहीं खाएगा, वह लोगों को भी बेचेगा। उस गेहूं पर भी हम निगाह रखते हैं, उसका अन्दाजा हमारे पास है। उसके अलावा जितनी जरूरत है वह हम बाहर से मंगाते हैं। उससे हम कीमतों को चैक करने की कोशिश करते हैं। आप भी यह नहीं चाहेंगे कि व्यापारियों और फार्मर्ज से सारा गेहूं निकलवा लिया जाए। उससे रुकावट पड़ेगी आइन्दा पैदावार बढ़ाने में।

जो कीमतें हम किसान को दे रहे हैं, उसका नतीजा है कि गेहूं की पैदावार तेजी से बढ़ रही है। पिछले दस बारह साल में गेहूं की पैदावार दुगनी से ज्यादा हो गई है। जहां तक शूगर की पैदावार का ताल्लुक है, अगर किसानों को ठीक कीमत न मिलती, तो आज हिन्दुस्तान शूगर प्रोडक्शन में सारी दुनिया में अव्वल नम्बर पर न होता। आपके तीन सालों में चीनी की पैदावार 38 लाख टन पर आ गई थी पिछली सरकार की मेहराबनी से। आज चीनी की पैदावार बढ़ कर 85 लाख टन के करीब हो गई है। आज हिन्दुस्तान की पोजीशन ब्राजील और क्यूबा से ऊपर है, उसकी पोजीशन नम्बर वन है। कृषि की पैदावार में एक चीज ऐसी है, जिसमें दुनिया में हमारे देश का पहला नम्बर है। यह इस सरकार की नीतियों का नतीजा है, भले ही आप इससे इन्कार करें। (**व्यवधान**)

क्या कभी आपने सोचा था कि त्यौहार के मौके पर 5 रुपये से कम पर चीनी मिलेगी? क्या तीन साल पहले की दीवाली आपको याद है जब बाजार में बतासे भी नहीं मिलते थे। मुझे अपना तजुर्बा है कि मैं चीनी नहीं खरीद सका था। (**व्यवधान**) उस वक्त बफर स्टाक *बना*

दिया होता। उस वक्त यह नीति अपनाई कि कभी डीकंट्रोल कर दिया कभी कंट्रोल कर दिया, हमारी पालिसी अपना ली, और उसमें सत्यानाश कर दिया, सारा मामला खराब हो गया।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : वह तो ऐसे बोल रहे हैं मानो इस पक्ष का सदस्य जनता सरकार का मंत्री हो और वह स्वयं विपक्ष के सदस्य हों।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैन साहब ने कहा है कि इरिगेशन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल माकूल बात कही है। इस देश में इलाज खेती को पैदावार बढ़ाने का और खेती को सम्हालने का यही है कि इरीगेशन के साधन जुटाए जायें, उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए लेकिन आप जानते हैं कि इरीगेशन एक्सपैंशन का काफी हाई टार्गेट है। प्लान में हर साल तीन मिलियन हेक्टर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाना है। इतना बड़ा टारगेट रखकर भी अगर आप समझते हैं कि काफी नहीं हो रहा है तो मैं क्या समझाऊं ? मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान एक बड़ा खुशकिस्मत देश है। इस देश की जो जमीन है और कुदरत की जो नेमतें हासिल हैं वह शायद ही किसी और देश को हासिल हों। यहां का मौसम बहुत अच्छा है, यहां की जमीन बहुत अच्छी है। यदि एक बड़े मुल्क चीन से हम मुकाबला करें तो हिन्दुस्तान में खेती के काबिल जो जमीन है (हालांकि चीन का कुल रकबा हमारे मुल्क से तीनगुना ज्यादा है) वह चीन में खेती के काबिल जमीन से ड्योढ़ी है हमारे देश में 170 मिलियन हेक्टर जमीन खेती के काबिल है जो कि चीन की कुल खेती योग्य जमीन से ड्योढ़ी से भी ज्यादा है। फर्क केवल इतना ही है कि वहां पर दो-तीन फसलें ली जाती हैं, सिंचाई के साधन बढ़ जाने की वजह से, हमारे देश में अभी तक 23 परसेन्ट जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हुई है जबकि चीन में 70 फीसदी जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए अभी यहां पर बहुत कुछ करने की गुंजायश है। यहां पर जब तक सिंचाई नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप हम सभी मिलकर साधन जुटाने की बात करें। सिंचाई की अधिक व्यवस्था करें, सस्ती बिजली दें और दूसरी चीजें मोहैया करें। सरकार जिस हद तक कर सकती है वह करती है। हम आपकी बात भी सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो अच्छी बातें हों उनको मानें और उसके मुताबिक स्कीम्स बनायें क्योंकि आपके दिल में किसानों के लिए जितना दर्द है वह हमारे भी दिल में है। लेकिन इसको करने में जो कठिनाइयां हैं वह भी हमारे सामने आती हैं। सरकार को सोचना पड़ता है कि किस चीज पर कितना खर्चा किया जाए। अगर मुझ से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि सारा का सारा पैसा खेती पर ही लगा दिया जाए। आज अमरीका इतना एडवांस्ड कन्ट्री इंडस्ट्री के मामले में है लेकिन उसकी सिफत इसी बात में नहीं है कि इंडस्ट्रियली वह कितना एडवांस्ड है बल्कि आज अमरीका दुनिया को ज्यादा से ज्यादा अनाज भी दे सकता है। यह उसकी महत्ता है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान भी तरक्की करे। हमारे देश को कुदरत की तरफ से इतनी नेमतें हासिल हैं और हिन्दुस्तान बहुत कुछ कर सकता है। हमारी कोशिश भी यही है कि हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार इसी तरह से बढ़ती रहे और उसके लिए साधन जुटाए जायें।

जटिया जी ने बफर स्टाक की बात पूछी है मैं बता चुका हूं कि बफर स्टाक की हमारी क्या पालिसी है। 12 मिलियन टन तो हमारा बफर स्टाक होना चाहिए और 3 मिलियन से लेकर 8

मिलियन तक आपरेशनल स्टाक होना चाहिए। इसका हिसाब हम रखते हैं। लेकिन पिछले सालों में हमारा बफर स्टाक कुछ कम हो गया जिसकी वजह से उसको रिप्लिनिश करना पड़ा है। आपको यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि गेहूं की जो खरीद हुई है उसमें सरकार ने बहुत सोच-समझ कर काम नहीं किया है। मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं और मेरा विश्वास है कि गेहूं की खरीद में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। रिकार्ड फसल पैदा होने के बावजूद जो खर्चा बढ़ रहा है, जो खपत बढ़ रही है उसको भी आप ध्यान में रखें। व्यापारी जो मोनोपोली करते हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। इन सारी चीजों को देखकर हमें चलना पड़ता है। यह खरीद ठीक समय पर और ठीक कीमत पर की गई है। इसकी प्राइस के ऊपर भी हम बराबर विचार करते रहते हैं। यह ठीक है जहां तक हो सके सपोर्ट प्राइस फौरन तय होनी चाहिए। इनपुट्स की कीमतें जब जब बढ़ती हैं, जब भी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाई गई है, हम ने ए.पी.सी उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्राइस रिकमेंड करने की डायरेक्शन दी है। और जितनी इनपुट्स की प्राइस बढ़ी है उससे ज्यादा हमने प्राइस बढ़ाई है। गेहूं की अगली फसल आएगी, उसके लिए कितनी कीमत देंगे. यह मैं नहीं कह सकता हूं। फैसला नहीं हुआ है जब तक में ए.पी.सी. कीरिकमेंडेशन्स न आए. उन पर विचार न हो, स्टेट्स से विचार न कर लें, सलाह मश्विरा न कर लें, तब तक कैसे हो सकता है। कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि कन्ज्युमर की कमसे कम कीमत रखी जाए और कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाए। हमें बैलेंस रखना पड़ता है। कन्ज्युमर को भी ठीक ढंग से मिले, मुनासिब कीमत मिले और किसान को भी अच्छी कीमत मिले। सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। सब का ख्याल रखना पड़ता है। गेहूं और चावल जिस प्राइस पर इशु हो रहा है, उस पर सरकार को 40 रु. क्विंटल घाटा उठाना पड़ता है। गेहूं और चावल की सारे देश के अन्दर एक कीमत इशु होती है। यह सारी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कन्ज्युमर के हक में हो। जब हम एक प्राइस मुकर्रिर करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सी स्टेट्स में बिक्री में कीमत ज्यादा ली जाती है। डायरेक्शन दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि स्टेट्स इस पर अमल करें। दस रुपए से ज्यादा अगर इशु प्राइस हो, तो वह हम से सैन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बात की इजाजत लें और हमें बताए कि दस रुपए हमें इसलिए लेना पड़ता है। इस की हमें शिकायतें मिली हैं और मैं इस बात के ऊपर चिन्तित हूं। हमारा जितना इशु प्राइस होता है, जिस कीमत पर कन्ज्युमर को अनाज मिलना चाहिए, उससे ज्यादा चार्ज किया जाता है।

श्री सत्य नारायण जटिया : 160रु. है।

राव बीरेन्द्र सिंह : 160 रुपये गेहूं की है। शिकायतें आती हैं कि काफी महंगा गेहूं बेचा जाता है। ए. पी. सी. उसको कन्ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : 165 रुपये राजस्थान में है।

राव बीरेन्द्र सिंह : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग है, मिल्स के लिए अलग है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मिल्स के लिए मैक्सिमम 185 रुपये है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इतनी ही बातें अर्ज करना चाहता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने एक सवाल किया था कि व्यापारी और किसान के पास कितना गेहूं है?

दिया होता। उस वक्त यह नीति अपनाई कि कभी डीकंट्रोल कर दिया कभी कंट्रोल कर दिया, हमारी पालिसी अपना ली, और उसमें सत्यानाश कर दिया, सारा मामला खराब हो गया।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : वह तो ऐसे बोल रहे हैं मानो इस पक्ष का सदस्य जनता सरकार का मंत्री हो और वह स्वयं विपक्ष के सदस्य हों।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैन साहब ने कहा है कि इरिगेशन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल माकूल बात कही है। इस देश में इलाज खेती को पैदावार बढ़ाने का और खेती को सम्हालने का यही है कि इरीगेशन के साधन जुटाए जायें, उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए लेकिन आप जानते हैं कि इरीगेशन एक्सपैंशन का काफी हाई टार्गेट है। प्लान में हर साल तीन मिलियन हेक्टर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाना है। इतना बड़ा टारगेट रखकर भी अगर आप समझते हैं कि काफी नहीं हो रहा है तो मैं क्या समझाऊं ? मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान एक बड़ा खुशकिस्मत देश है। इस देश की जो जमीन है और कुदरत की जो नेमतें हासिल हैं वह शायद ही किसी और देश को हासिल हों। यहां का मौसम बहुत अच्छा है, यहां की जमीन बहुत अच्छी है। यदि एक बड़े मुल्क चीन से हम मुकाबला करें तो हिन्दुस्तान में खेती के काबिल जो जमीन है (हालांकि चीन का कुल रकवा हमारे मुल्क से तीनगुना ज्यादा है) वह चीन में खेती के काबिल जमीन से ड्योढ़ी है हमारे देश में 170 मिलियन हेक्टर जमीन खेती के काबिल है जो कि चीन की कुल खेती योग्य जमीन से ड्योढ़ी से भी ज्यादा है। फर्क केवल इतना ही है कि वहां पर दो-तीन फसलें ली जाती हैं, सिंचाई के साधन बढ़ जाने की वजह से, हमारे देश में अभी तक 23 परसेन्ट जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हुई है जबकि चीन में 70 फीसदी जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए अभी यहां पर बहुत कुछ करने की गुंजायश है। यहां पर जब तक सिंचाई नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप हम सभी मिलकर साधन जुटाने की बात करें। सिंचाई की अधिक व्यवस्था करें, सस्ती बिजली दें और दूसरी चीजें मोहैया करें। सरकार जिस हद तक कर सकती है वह करती है। हम आपकी बात भी सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो अच्छी बातें हों उनको मानें और उसके मुताबिक स्कीम्स बनायें क्योंकि आपके दिल में किसानों के लिए जितना दर्द है वह हमारे भी दिल में है। लेकिन इसको करने में जो कठिनाइयां हैं वह भी हमारे सामने आती हैं। सरकार को सोचना पड़ता है कि किस चीज पर कितना खर्चा किया जाए। अगर मुझ से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि सारा का सारा पैसा खेती पर ही लगा दिया जाए। आज अमरीका इतना एडवांस्ड कन्ट्री इंडस्ट्री के मामले में है लेकिन उसकी सिफत इसी बात में नहीं है कि इंडस्ट्रियली वह कितना एडवांस्ड है बल्कि आज अमरीका दुनिया को ज्यादा से ज्यादा अनाज भी दे सकता है। यह उसकी महत्ता है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान भी तरक्की करे। हमारे देश को कुदरत की तरफ से इतनी नेमतें हासिल हैं और हिन्दुस्तान बहुत कुछ कर सकता है। हमारी कोशिश भी यही है कि हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार इसी तरह से बढ़ती रहे और उसके लिए साधन जुटाए जायें।

जटिया जी ने बफर स्टाक की बात पूछी है मैं बता चुका हूं कि बफर स्टाक की हमारी क्या पालिसी है। 12 मिलियन टन तो हमारा बफर स्टाक होना चाहिए और 3 मिलियन से लेकर 8

मिलियन तक आपरेशनल स्टाक होना चाहिए। इसका हिसाब हम रखते हैं। लेकिन पिछले सालों में हमारा बफर स्टाक कुछ कम हो गया जिसकी वजह से उसको रिप्लिनिश करना पड़ा है। आपको यह बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि गेहूं की जो खरीद हुई है उसमें सरकार ने बहुत सोच-समझ कर काम नहीं किया है। मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं और मेरा विश्वास है कि गेहूं की खरीद में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। रिकार्ड फसल पैदा होने के बावजूद जो खर्चा बढ़ रहा है, जो खपत बढ़ रही है उसको भी आप ध्यान में रखें। व्यापारी जो मोनोपोली करते हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। इन सारी चीजों को देखकर हमें चलना पड़ता है। यह खरीद ठीक समय पर और ठीक कीमत पर की गई है। इसकी प्राइस के ऊपर भी हम बराबर विचार करते रहते हैं। यह ठीक है जहां तक हो सके सपोर्ट प्राइस फौरन तय होनी चाहिए। इनपुट्स की कीमतें जब जब बढ़ती हैं, जब भी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाई गई है, हम ने ए.पी.सी उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्राइस रिकमेंड करने की डायरेक्शन दी है। और जितनी इनपुट्स की प्राइस बढ़ी है उससे ज्यादा हमने प्राइस बढ़ाई है। गेहूं की अगली फसल आएगी, उसके लिए कितनी कीमत देंगे. यह मैं नहीं कह सकता हूं। फैसला नहीं हुआ है जब तक में ए.पी.सी. कीरिकमेडेशन्स न आए. उन पर विचार न हो, स्टेट्स से विचार न कर लें, सलाह मश्विरा न कर लें, तब तक कैसे हो सकता है। कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि कन्ज्युमर की कमसे कम कीमत रखी जाए और कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाए। हमें बैलेंस रखना पड़ता है। कन्ज्युमर को भी ठीक ढंग से मिले, मुनासिब कीमत मिले और किसान को भी अच्छी कीमत मिले। सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। सब का ख्याल रखना पड़ता है। गेहूं और चावल जिस प्राइस पर इशु हो रहा है, उस पर सरकार को 40 रु. क्विंटल घाटा उठाना पड़ता है। गेहूं और चावल की सारे देश के अन्दर एक कीमत इशु होती है। यह सारी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कन्ज्युमर के हक में हो। जब हम एक प्राइस मुकर्रिर करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सी स्टेट्स में बिक्री में कीमत ज्यादा ली जाती है। डायरेक्शन दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि स्टेट्स इस पर अमल करें। दस रुपए से ज्यादा अगर इशु प्राइस हो, तो वह हम से सैन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बात की इजाजत लें और हमें बताए कि दस रुपए हमें इसलिए लेना पड़ता है। इस की हमें शिकायतें मिली हैं और मैं इस बात के ऊपर चिन्तित हूं। हमारा जितना इशु प्राइस होता है, जिस कीमत पर कन्ज्युमर को अनाज मिलना चाहिए, उससे ज्यादा चार्ज किया जाता है।

श्री सत्य नारायण जटिया : 160रु. है।

राव बीरेन्द्र सिंह : 160 रुपये गेहूं की है। शिकायतें आती हैं कि काफी महंगा गेहूं बेचा जाता है। ए. पी. सी. उसको कन्ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : 165 रुपये राजस्थान में है।

राव बीरेन्द्र सिंह : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग है, मिल्स के लिए अलग है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मिल्स के लिए मैक्सिमम 185 रुपये है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इतनी ही बातें अर्ज करना चाहता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने एक सवाल किया था कि व्यापारी और किसान के पास कितना गेहूं है ?

प्रो. मधुदंडवते : यह कैसे बता सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आखिर देश की स्थिति आपके सामने है।

राव बीरेन्द सिंह : मैंने आपको बता दिया है। जितना बाकी है, वह सब देश के अन्दर है। बाहर नहीं जाने दिया है। स्मगलर हो रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुन्दर आपने बात कही थी कि हमको उल्टा एक्सपोर्ट करना चाहिए। चावल हम एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं पिछले सालों में भगवान आपकी बात पूरा करे।

श्री हरीकेश कुमार गंगवार : यदि आपके पास जवाब नहीं है तो कहिए आप के पास जवाब नही है। बहाना क्यों बनाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहाने की बात नहीं है। व्यापारी के पास कितना यह सरकार कैसे मालूम कर लें और किसान-किसान के घर-घर से कैसे मालूम कर ले। **(व्यवधान)**

श्री हरीश कुमार गंगवार : निश्चित वजन से ज्यादा तो नहीं रख सकते हैं। व्यापारी के पास से आप आंकड़े मंगा सकते हैं। आप कैसे देश के कृषि मंत्री है, आपको यह नहीं पता है कि किसान के पास कितना है और व्यापारी के पास कितना है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका उत्तर पूर्ण हो चुका है मुझे एक घोषणा करनी है।

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि अध्यक्ष को जिला मजिस्ट्रेट पटना से दिनांक 12 अक्तूबर 1982 को निम्नलिखित आशय का बेतार संदेश आज प्राप्त हुआ है :

"आज (12-10-82) श्री जगपाल सिंह संसद सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/333/337/323 के अन्तर्गत कोतवाली थाना संबंधी मामले के सम्बन्ध में पटना में गिरफ्तार किया गया है

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 14 अक्तूबर, 1982/22 आश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6